VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग 1 (2022)

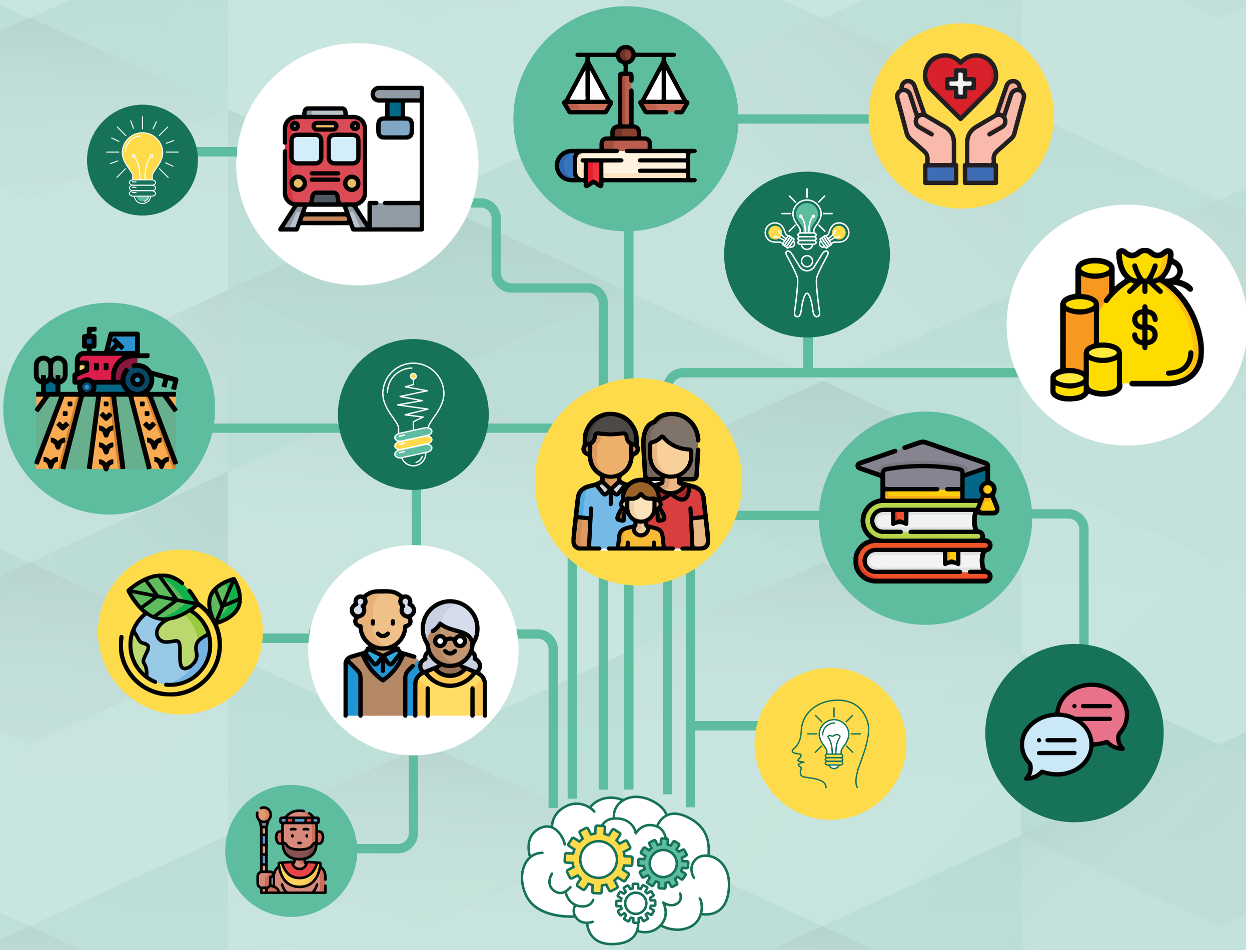

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग-1

विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)__ 8

1.1. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP) __________ 8

1.2. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)* __________ 9

1.3. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-Kisan)* __________ 10

1.4. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}* __________ 11

1.5. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)# __________ 12

1.6. राष्ट्रीय कृषि बाजार (National Agricultural Market: NAM)* __________ 14

1.7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: PMKSY)# __________ 15

1.8. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: PM-KMY)* __________ 16

1.9. हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (Green Revolution – Krishonnati Yojana)# __________ 17

1.10. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन योजना (हरित क्रांति का उप-घटक-कृषोन्नति योजना) {Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue (Sub-Component of Green Revolution-Krishonnati Yojana)}* __________ 19

1.11. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)# __________ 19

1.12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission)# __________ 21

1.13. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission on Sustainable Agriculture: NMSA) __________ 22

1.14. परंपरागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana) __________ 22

1.15. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (Mission Organic Value Chain Development in North East region: MOVCDNER)* __________ 23

1.16. भारत के लिए सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली {Participatory Guarantee System (PGS)-India (PGS-India)} __________ 24

1.17. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना (Integrated Scheme for Agricultural Marketing: ISAM) _ 25

1.18. राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology)# __________ 25

1.19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक कायाकल्प के लिए पारिश्रमिक अनुमोदन {Rashtriya Krishi Vikas Yojana – Remunerative Approaches for Agriculture and Allied Sector Rejuvenation (RAFTAAR) or (RKVY-RAFTAAR)} __________ 26

1.20. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)# __________ 28

1.21. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA) __________ 28

1.22. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card: KCC) __________ 29

1.23. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण (Strengthening & Modernization of Pest Management Approach in India: SMPMA)* __________ 30

1.24. नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (National Initiative on Climate Resilient Agriculture: NICRA) __________ 30

1.25. किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme for Farmers) __________ 31

1.26. कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने (आर्या परियोजना) (Attracting and Retaining Youth in Agriculture : Arya Project) __________ 31

1.27. कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendras: KVK)* ____ 32

1.28. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project: NAHEP) ____ 32

1.29. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) 33

2. आयुष मंत्रालय (MINISTRY OF AYUSH) ___ 37

2.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission: NAM)#____ 37

2.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme for Promoting Pharmacovigilance of Ayush Drugs)* ____ 37

2.3. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) _ 38

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS) ____ 39

3.1. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (Department of Chemicals & Petrochemicals)____ 39

3.1.1. प्लास्टिक पार्क योजना (Plastic Park Scheme) _ 39

3.2. उर्वरक विभाग (Department of Fertilisers) 39

3.2.1. यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy)* ____ 39

3.2.2. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (Nutrient Based Subsidy Scheme)* ____ 40

3.2.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम (City Compost Scheme)* 40

3.3. औषध विभाग (DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS) ____ 40

3.3.1. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive Scheme for Pharmaceuticals) ____ 40

3.3.2. महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme (for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical KSMS (Key Starting Materials)/Drug Intermediates and APIS (Active pharmaceutical ingredients)} ____ 41

3.3.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु) {Production Linked Incentive (PLI) Scheme (for Promotion of Domestic Manufacturing of Medical Devices) ____ 42

3.3.4. बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (Promotion of Bulk Drug Parks) ____ 43

3.3.5. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana: PM-BJP) ____ 43

3.3.6. औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना (Scheme Strengthening of Pharmaceutical Industry: SPI)* ____ 44

3.3.7. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Scheme for Promotion of Medical Devices Park)* ____ 45

3.3.8. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) ___ 45

4. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION) ____ 46

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना {Ude Desh Ka Aam Naagrik (UDAN)/Regional Connectivity Scheme (RCS)}* ____ 46

4.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) _ 47

5. कोयला मंत्रालय (MINISTRY OF COAL)____ 48

5.1. शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयला का दोहन और आवंटन की योजना) (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India: SHAKTI Scheme) ____ 48

5.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) _ 49

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY)____ 51

6.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive Scheme (PLI) FOR White Goods (Air Conditioners AND LED Lights) Manufacturers IN India} ____ 51

6.2. स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Start up India Seed Fund Scheme)* ____ 51

6.3. स्टार्टअप इंडिया (Startup India)* ____ 53

6.4. मेक इन इंडिया (Make in India) ____ 55

6.5. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)* __ 56

6.6. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना {Champion Services Sector Scheme (CSSS)}* ____ 56

6.7. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) _ 57

7. संचार मंत्रालय (MINISTRY OF COMMUNICATIONS) ____ 61

7.1. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Promoting Telecom & Networking Products}____ 61

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

7.2. भारत नेट परियोजना (Bharat Net Project)__ 62

7.3. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (National Broadband Mission) ____________________________ 62

7.4. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना {Pandit Deen Dayal Upadhyay Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan (PDDUSKVP) Scheme} ____________________________ 63

7.5. तरंग संचार (Tarang Sanchar) __________ 64

7.6. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) _ 64

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION) _________ 66

8.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) ____________________________________ 66

8.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {National Food Security Act (NFSA), 2013} _______________ 66

8.1.2. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC) ___________________________ 67

8.1.3. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana: AAY) ____________________________________ 68

8.1.4. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System: TPDS) _______________ 68

8.1.5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (Integrated Management of Public Distribution System: IM-PDS) ________________________ 69

8.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग (Department of Consumer Affairs)_____________________ 70

8.2.1. मूल्य स्थिरता कोष (Price Stabilization Fund: PSF) ____________________________________ 70

8.2.2. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) ___ 71

9. सहकारिता मंत्रालय (MINISTRY OF COOPERATION) ______________________ 72

9.1. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme) ____________________________________ 72

9.2. आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahakar Scheme) ____________________________ 73

9.3. युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना (YUVA Sahakar-Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme) ________ 74

9.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) _ 75

10. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS) ________________ 76

10.1. विविध पहलें (Miscellaneous initiatives) 76

11. संस्कृति मंत्रालय (MINISTRY OF CULTURE) 78

11.1. प्रोजेक्ट मौसम (Project Mausam) _______ 78

11.2. स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस {Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS)} ___________________________ 78

11.3. सेवा भोज योजना (Sevabhoj Scheme) ___ 79

11.4. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) 79

12. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE) __ 81

12.1. रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना {Defence Testing Infrastructure (DTI) Scheme}______ 81

12.2. वन रैंक वन पेंशन योजना (One Rank One Pension Scheme) ____________________ 81

12.3. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) 82

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION) ______________________________________ 83

13.1. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) 83

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MINISTRY OF EARTH SCIENCES)___________________________ 87

14.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (Atmosphere and Climate Research – Modelling, Observing Systems and Services: ACROSS)* ____________________ 87

14.2. राष्ट्रीय मानसून मिशन (National Monsoon Mission)_______________________________ 88

14.3. विविध पहलें (Miscellaneous Initiatives) 89

15. शिक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF EDUCATION) ______________________________________ 91

15.1. स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' परियोजना (स्टार्स) {Strengthening Teaching-Learning And Results For States Program (STARS)}* _________________________ 91

15.2. प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister's Research Fellowship: PMRF)*___ 91

15.3. मध्याह्न भोजन योजना {Mid-Day Meal Scheme (MDM) or National Scheme fOR PM Poshan in Schools}#__________________________ 92

© Vision IAS

15.4. समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education) ____ 93

15.5. सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyaan) ____ 94

15.6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan: RMSA) ____ 96

15.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: RUSA) ____ 97

15.8. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme: DHRUV) ____ 97

15.9. भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा-विद्या संबंधी अनुसंधान योजना (स्ट्राइड) (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy: STRIDE) ____ 98

15.10. स्टडी इन इंडिया (Study in India) ____ 98

15.11. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम (Education Quality Upgradation and Inclusion Programme: EQUIP) ____ 100

15.12. उड़ान- छात्राओं को पंख देने हेतु कार्यक्रम (UDAAN-Giving Wings To Girls) ____ 101

15.13. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम (Ek Bharat Shreshtha Bharat programme) ____ 101

15.14. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (Technical Education Quality Improvement Programme: TEQIP) ____ 102

15.15. उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस (Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills: SHREYAS) ____ 102

15.16. उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan)* ____ 103

15.17. निपुण {'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल {National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN Bharat) Mission} ____ 103

15.18. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) ____ 105

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MeitY) ____ 114

16.1 उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्टअप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {Start-up Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth (SAMRIDH) Programme} ____ 114

16.2. डिजिटल इंडिया कार्यकम (DIGITAL INDIA PROGRAMME) ____ 114

16.3. जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) ____ 116

16.4. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission: NSM) ____ 116

16.5. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना (Software Technology Park Scheme) ____ 118

16.6. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS) ____ 118

16.7. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan: PMGDISHA) ____ 119

16.8. भारत BPO संवर्द्धन योजना (INDIA BPO PROMOTION SCHEME) ____ 119

16.9. स्त्री स्वाभिमान (Stree Swabhiman) ____ 120

16.10. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (Electronics Development Fund: EDF) ____ 120

16.11. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (National Policy on Software Products, 2019) ____ 121

16.12. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना {Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme} ____ 122

16.13. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme fOR Large Scale Electronics Manufacturing} ____ 123

16.14. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) ____ 123

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE) ____ 128

17.1. फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य जलवायु सुदृढ़ता निर्माण (Climate Resilience Building Among Farmers Through Crop Residue Management) _______________ 128

17.2. सिक्योर (सेक्यूरिंग लाइवलीहुड्स, कंज़र्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ एंड रेस्टोरेशन ऑफ़ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम) हिमालय प्रोजेक्ट {Secure (Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystem) Himalaya Project}} _________ 128

17.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम (Green Skill Development Programme) ___________ 129

17.4. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (India Cooling Action Plan: ICAP)_______________ 130

17.5. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change: NAPCC)* _______________ 130

17.6. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन {National Mission for a Green India (GIM)}_______________ 131

17.7. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme: NCAP)* _______________ 132

17.8. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 132

18. विदेश मंत्रालय (MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS)_______________ 135

18.1. भारत को जानो कार्यक्रम (Know India Programme: KIP) _______________ 135

18.2. छात्र और विदेश मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम: समीप (Students and MEA Engagement Programme: SAMEEP) _______________ 135

18.3. प्रवासी कौशल विकास योजना (Pravasi Kaushal Vikas Yojana) _______________ 135

18.4. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम {Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Programme}_______________ 136

18.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 136

19. वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE) _ 138

19.1. निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना {Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RODTEP)} __ 138

19.2. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY)*________ 138

19.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India scheme)*_______________ 139

19.4. अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता {Financial Support to Public Private Partnerships (PPP) in Infrastructure Viability Gap Funding (VGF)}* _______________ 140

19.5. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana)* _______________ 141

19.6. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana: APY)*_______________ 142

19.7. प्रधान मंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)* ___________ 143

19.8. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)* ___________ 143

19.9. राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) _______________ 145

19.10. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)___________ 146

19.11. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) _______ 147

19.12. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme: GMS)_______________ 147

19.13. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम (Sovereign Gold Bond Scheme)_______________ 148

19.14. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) _______________ 149

20. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING) ___________ 153

20.1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना {Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) Scheme} _______________ 153

20.2. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, चरण-2 {Nationwide Artificial Insemination Programme (NAIP) - Phase-II} ___________ 154

20.3. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना {Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF) scheme}______ 154

20.4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme: NADCP) _______________ 156

 © Vision IAS

20.5. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन (National Mission on Bovine Productivity) ________ 156

20.6. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (National Program for Bovine Breeding and Dairy Development: NPBBDD) __________ 157

20.7. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I (National Dairy Plan-I)* ________ 158

20.8. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (Dairy Entreprenuership Development Scheme: DEDS) ________ 159

20.9. नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन (Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries) ________ 159

20.10. गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम (Quality Milk Programme) ________ 160

20.11. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) ________ 161

21. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES) ______ 162

21.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {PM Formalization OF Micro Food Processing Enterprises (PM- FME) Scheme}# ________ 162

21.2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI)}* ________ 163

21.3. ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens)* __ 164

21.4. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)* _ 165

21.5. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) 167

22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: MOHFW) ________ 168

22.1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (ABHIM)} ________ 168

22.2. आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat)# __ 169

22.3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission: NHM)# ________ 170

22.4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission)# ________ 171

22.5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission)# ________ 172

22.6. जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana) ________ 172

22.7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (Janani Shishu Suraksha Karyakram) ________ 173

22.8. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan) ____ 173

22.9. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme: UIP) ________ 173

22.10. मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush) 174

22.11. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram: RKSK) ______ 175

22.12. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK) ________ 176

22.13 लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल) (Laqshya- Labor Room Quality Improvement Initiative) ________ 176

22.14. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल {Surakshit Matritva Aashwasan (SUMAN) Initiative} ________ 177

22.15. मां का पूर्ण स्नेह (Mother Absolute Affection: MAA) ________ 178

22.16. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना (Umbrella scheme for Family Welfare and Other Health Interventions) _ 178

22.17. मिशन परिवार विकास (Mission Parivar Vikas) ________ 179

22.18. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network: EVIN) ________ 179

22.19. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस) {National Deworming Initiative (National Deworming Day)} ________ 180

22.20 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi: RAN) ________ 180

22.21. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Diseases Surveillance Program: IDSP) ____ 181

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

22.22. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (Intensified Diarrhea Control Fortnight: IDCF) ________ 181

22.23. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (National Viral Hepatitis Control Program: NVHCP) ________ 182

22.24. विविध पहल (Miscellaneous Initiatives) ________ 183

- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, इस सप्ताह हमने **"सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं"** जारी की थी, जिसमें विगत एक वर्ष की सभी मुख्य योजनाओं को शामिल किया गया था।

- अब हम सरकारी योजनाओं पर एक व्यापक अध्ययन सामग्री जारी कर रहे हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही लगभग सभी योजनाओं को शामिल किया गया है। यह अध्ययन सामग्री 2 भागों में जारी की जा रही है:
  - **सरकारी योजनाएँ कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 1):** वर्तमान डॉक्यूमेंट।
  - **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 2):** इसे मई के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाना है।

- **'*'** और '#' क्रमशः **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं** और **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** को दर्शाते हैं।
- **'*/#'** इंगित करता है कि कुछ घटक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं** हैं, जबकि अन्य **केंद्र प्रायोजित** हैं।

- अभ्यर्थियों के हित में इस पत्रिका की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु हमने इसमें निम्नलिखित नए तत्वों को शामिल किया है:
  - अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
  - विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (NATIONAL MISSION ON EDIBLE OILS – OIL PALM (NMEO-OP)

उद्देश्य:

- **पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग** करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना। साथ ही, वर्तमान पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करना।
- खाद्य तेलों पर **आयात बोझ को कम** करना।

मुख्य विशेषताएं

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- NMEO-OP वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-ऑयल पाम कार्यक्रम (ताड़-तेल कार्यक्रम) को **समाहित** करेगा।
- **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के रूप में किसानों को आश्वासन:** उद्योग को कच्चे पाम ऑयल मूल्य का 14.3% का भुगतान करना अनिवार्य है, जो अंततः 15.3% के स्तर तक जाएगा।
- **पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप पर विशेष ध्यान:** पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार को प्रोत्साहन देने के लिए **सरकार कच्चे पाम ऑयल मूल्य का अतिरिक्त 2% भी वहन करेगी।**
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** पाम ऑयल किसानों को मूल्य अंतराल का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा।
- **किसानों को आर्थिक सहायता:**
    - किसानों को, घरेलू अंकुरणों के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और आयातित अंकुरणों के लिए 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की **रोपण सामग्री** सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहले के 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की तुलना में अधिक है।
    - **रखरखाव और अंतर-फसल हस्तक्षेपों** के लिए सहायता में पर्याप्त वृद्धि।
    - पुराने बगीचों के कायाकल्प और **पुराने बगीचों को फिर से लगाने के लिए 250 रुपये प्रति पौधे** की दर से **एक विशेष सहायता राशि।**
    - पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें एकीकृत खेती के साथ-साथ **हाफ मून टैरेस खेती, बायो फेंसिंग और भूमि साफ़-सफाई के लिए विशेष प्रावधान** किए जा रहे हैं।

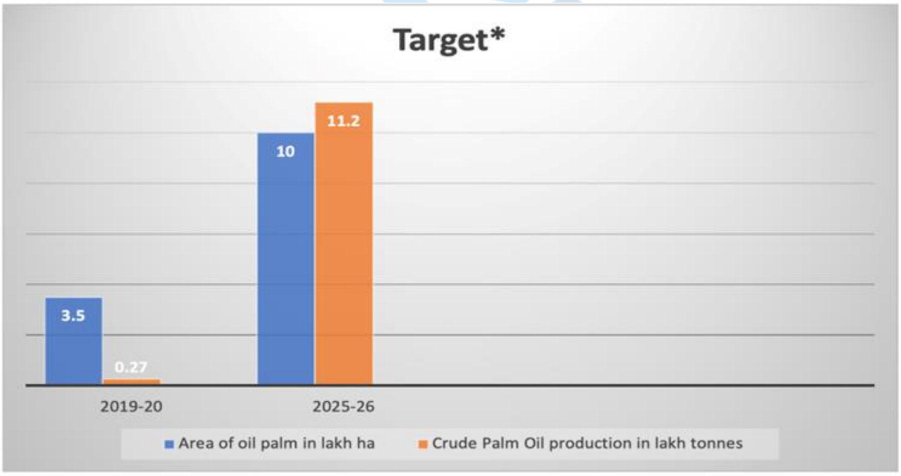

* Increase consumer awareness to maintain consumption level of 19.00 kg/person/annum till 2025-26

- **रोपण सामग्री की आपूर्ति:** देश में रोपण सामग्री की कमी की समस्या को दूर करने के लिए **उत्तर-पूर्व और अंडमान क्षेत्रों में 15 हेक्टेयर के लिए 1 करोड़ रुपये और शेष भारत में 15 हेक्टेयर के लिए 80 लाख रुपये** तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- **केंद्र और राज्यों के बीच वित्त साझाकरण:**
    - **अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, बीज उद्यानों, नर्सरी और व्यवहार्यता अंतराल भुगतान (100% भारत सरकार का हिस्सा)** को छोड़कर सभी घटकों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच सामान्य श्रेणी के **राज्यों के मामले में वित्तपोषण पैटर्न 60:40 तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10 है।**
    - **इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय किया गया है।** इसमें से 8,844 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा और 2,196 करोड़ रुपये राज्य द्वारा खर्च किया जाएगा। इसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण भी शामिल है।

- **संचालन क्षेत्र:** इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च (IIOPR) की रिपोर्ट या राज्य की सिफारिशों के अनुसार** विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है।
- **मिशन की अवधि:** इस योजना के लिए सनसेट क्लॉज़ (अर्थात् जिस अवधि के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगी) **1 नवंबर 2037 है।**

1.2. कृषि अवसंरचना कोष (AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND: AIF)*

उद्देश्य

- फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु **एक मध्यम - दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा जुटाना।** यह वित्त **देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने** के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाया जायेगा।

हितधारक विशिष्ट उद्देश्य (Stakeholder specific objective)

- **किसान: फसल कटाई उपरांत नुकसान में कमी, बिचौलियों की कम संख्या और बाजार तक बेहतर पहुंच; बेहतर मूल्य प्राप्ति और आय;** बेहतर उत्पादकता और आगतों के इष्टतमीकरण के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां।
- **सरकार: वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजनाओं में प्रत्यक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना;** कृषि अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए **व्यवहार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं; राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय** प्रतिशत को कम करना।
- **कृषि उद्यमी और स्टार्ट-अप्स:** इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि सहित नए युग की **प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना; उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करना।**
- **बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र: बड़ा ग्राहक आधार; कम जोखिम के साथ उधार देना; सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका में वृद्धि।**
- **उपभोक्ता: अक्षमताओं में कमी आने के कारण बेहतर गुणवत्ता और कीमतें।**

मुख्य विशेषताएं

- यह **एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- इसे **1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ कोविड-19 महामारी संकट से निपटने** के लिए वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था।
- इसके तहत, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन (Post Harvest Management: PHM) परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी के रूप में **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- **लाभार्थी:** "सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों" व "फसल कटाई उपरांत कृषि अवसंरचना" के निर्माण के लिए किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs), राज्य एजेंसियां/ कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs) और अन्य।
- **पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना**
  - निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान** करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं;
  - सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा** प्रोन्नत परियोजनाएं;
  - **जैविक आगतों का उत्पादन; जैव उद्दीपक उत्पादन इकाइयां; स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना।**
- **कार्यान्वयन: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड),** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस पहल का संचालन करेगा।
- **हालिया संशोधन:** योजना की समग्र अवधि को वर्ष 2032-33 तक बढ़ा दिया गया है। प्रारंभ में यह वर्ष 2020 से वर्ष 2029 के लिए थी।

© Vision IAS

1.3. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI: PM-KISAN)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं	अपवर्जन/बहिष्करण (Exclusion)
• देश में **सभी भूमि धारक पात्र किसानों के परिवारों** (जोत के आकार के निरपेक्ष) को आय सहायता प्रदान करना। • कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न आदानों (इनपुट्स) की खरीद के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए **किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं** को पूर्ण करना।	• यह शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण के साथ एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। • इस योजना के अंतर्गत देश के सभी भूस्वामी कृषक परिवारों को उनकी कृषि भूमि के आकार पर ध्यान दिए बिना **प्रति वर्ष प्रत्येक चार माह में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।** ○ **निधि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि** के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। ○ किसान, **पोर्टल पर उपलब्ध किसान कॉर्नर या कॉमन सर्विस सेंटर** के माध्यम से अपना स्व-पंजीकरण कर सकते हैं। ○ इस योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और छोटे बच्चे सम्मिलित हैं। ○ लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों का है। • इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जिनके नाम भूमि अभिलेखों (land records) में दर्ज हैं। हालांकि, इसके कुछ **अपवाद** भी हैं, जैसे- **वन निवासी, पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जिनके भूमि अभिलेखों हेतु पृथक प्रावधान किए गए हैं।** • पी.एम. किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड्स (KCC) उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि कृषक बैंकों से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त कर सकें। • इससे ऐसे सभी कृषकों को समयबद्ध भुगतान करने पर 4% की अधिकतम ब्याज दर पर फसलों एवं पशु/मत्स्य-पालन हेतु लघु अवधि के ऋण प्राप्त करने में सहायता होगी। • पी.एम. किसान की प्रथम वर्षगांठ पर **पी.एम. किसान मोबाइल ऐप** लॉन्च किया गया था। ○ इसके माध्यम से कृषक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड्स को अद्यतित व संशोधित कर सकते हैं तथा अपने बैंक खातों में विगत भुगतान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। • योजना कुछ विशेष श्रेणी के किसानों के लिए **अपवर्जन मानदंड** प्रदान करती है।	• **सभी संस्थागत भूमि धारक।** • ऐसे किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य **निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं:** ○ संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक ○ पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। ○ केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)। ○ उपर्युक्त श्रेणी के सभी वृद्ध / सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ / वर्ग IV / ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर)। ○ विगत निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। ○ पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट तथा प्रैक्टिस द्वारा पेशे का निर्वहन कर रहे व्यक्ति।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

1.4. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {FORMATION AND PROMOTION OF 10,000 NEW FARMER PRODUCER ORGANIZATIONS (FPOS)}*

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>अपेक्षित लाभार्थी</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>

आगामी पांच वर्षों की अवधि (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक) में 10,000 FPOs का गठन किया जाएगा, ताकि किसानों के लिए आकारिक मितव्ययिता का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
प्रत्येक FPO को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक व्यापक समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह योजना वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी।

</td>
<td>लघु एवं सीमांत किसान तथा भूमिहीन किसान इसके लाभार्थी होंगे।</td>
<td>

यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।

<table>
<tr><td>कार्यान्वयन एजेंसियां (Implimenting Agencies: IAs)</td><td>इन्हें लघु किसान कृषि-व्यापार संकाय (Small Farmers Agri-business Consortium: SFAC), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड/NAFED), उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन संघ लिमिटेड (NERAMAC), तमिलनाडु-SFAC, हरियाणा-SFAC, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (WDD)-कर्नाटक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>IAs द्वारा क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO) की स्थापना की जाएगी।</td><td>इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर/राज्य स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO) की स्थापना की जाएगी। इन CBBOs में विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे तथा FPOs के संवर्धन से संबंधित सभी मुद्दों हेतु सभी स्तरों पर जानकारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगे।</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड/NAFED) विशिष्ट FPOs का निर्माण करेगा।</td><td>इन्हें अनिवार्य रूप से बाजार, कृषि-मूल्य श्रृंखला आदि से संबद्ध होना चाहिए। नेफेड अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा गठित FPOs को बाजार और मूल्य श्रृंखला संपर्क प्रदान करेगा। नेफेड ने चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा पश्चिम बंगाल सहित 5 जिलों में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए FPOs का शुभारंभ किया गया है।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		<table><tr><td>**FPOs को वित्तीय सहायता**</td><td>FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO **18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 15 लाख रूपये प्रति FPO की सीमा के साथ FPO के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रूपये तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख भी किया गया है। साथ ही, FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रति FPO 2 करोड़ रूपये के परियोजना ऋण का प्रावधान भी किया गया है, जो पात्र ऋण देने वाली संस्था द्वारा क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ उपलब्ध होगा।</td></tr><tr><td>**क्रेडिट गारंटी फंड (CGF)**</td><td>इनका रखरखाव और प्रबंधन नाबार्ड और NCDC द्वारा किया जाएगा।</td></tr></table> • प्रस्तावित FPO में से **कम से कम 15 प्रतिशत आकांक्षी जिलों में गठित** किए जाएंगे। ऐसे जिलों के प्रत्येक ब्लॉक (प्रखंड) में कम से कम एक FPO की स्थापना की जाएगी। • **FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। अनुभव/आवश्यकता के आधार पर संख्या को संशोधित किया जा सकता है। • FPO का संवर्धन **"एक जिला एक उत्पाद"** क्लस्टर के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि FPO के माध्यम से विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। • **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी** (National Project Management Agency: NPMA) समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है।

1.5. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PM FASAL BIMA YOJANA)#

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
PMFBY का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों द्वारा कृषि क्षेत्र में **सतत उत्पादन का समर्थन करना है:** • प्राकृतिक आपदा तथा विभिन्न कीटों और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना।	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उपजाने वाले पट्टेदार / जोतदार किसानों सहित सभी किसान, जिन्हें फसल बीमा की आवश्यकता है, योजना के लिए पात्र हैं।	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना ने **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) के अतिरिक्त, अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) तथा संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित कर दिया है। • **शामिल की गई फसलें:** खाद्य फसलें (अनाज, मोटे अनाज और दलहन); तिलहन; वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें; कवरेज का संचालन उन बारहमासी बागवानी / वाणिज्यिक फसलों के लिए लिया

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

• किसानों की आय में स्थायित्व प्रदान करना, ताकि वे स्थायी रूप से कृषि कार्यों में संलग्न रहे सकें। • कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। • किसानों को उत्पादन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त किसानों की ऋण संबंधी पात्रता, फसल विविधीकरण और कृषि क्षेत्र की संवृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करना।	• प्रारंभ में, यह केवल ऋण-ग्रस्त किसानों के लिए ही अनिवार्य था। हालांकि अब इसे ऋण-ग्रस्त किसानों सहित **सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक** कर दिया गया है।	जा सकता है, जिनके लिए उपज अनुमान हेतु मानक पद्धति उपलब्ध है। • **जोखिम का कवरेज और अपवर्जन:** ○ **बुनियादी कवर (Basic Cover):** इस श्रेणी के तहत उल्लिखित जोखिमों का कवरेज **अनिवार्य** है। यह योजना सूखे, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट प्रसार और रोग के हमले, भूस्खलन, वज्रपात के कारण प्राकृतिक दहन, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात जैसे गैर-अनिवार्य जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि (बुवाई से लेकर कटाई तक) को कवर करने का प्रावधान करती है। ○ **अतिरिक्त कवरेज (Add-On Coverage):** इस श्रेणी के अंतर्गत उल्लिखित जोखिमों का कवरेज **अनिवार्य नहीं** है। राज्य सरकारें / संघ राज्यक्षेत्र फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) के परामर्श से बुवाई / रोपण / अंकुरण जोखिम, मध्य-मौसम प्रतिकूलता, फसल कटाई उपरांत नुकसान **(पहले यह अनिवार्य था)**, स्थानीय आपदाओं, वन्यजीवों द्वारा भक्षण आदि के लिए कवरेज प्रदान कर सकते हैं। ○ **सामान्य अपवर्जन (General Exclusions):** युद्ध और नाभिकीय जोखिमों, दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। • **क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण:** यह योजना परिभाषित क्षेत्रों में जो कि बीमित इकाई कहलाते हैं, 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के सिद्धांत पर परिचालित की जाएगी। राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) से परामर्श उपरांत संबंधित अवधि के दौरान आच्छादित परिभाषित क्षेत्रों एवं फसलों को अधिसूचित करेंगी। राज्य / संघ राज्यक्षेत्र मुख्य फसलों के लिए ग्राम / ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य समकक्ष इकाई को बीमित इकाई के रूप में अधिसूचित करेगी। अन्य फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है। • **किसान द्वारा देय प्रीमियम की दर:** ○ **खरीफ-** बीमित राशि का **2.0%** अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो। ○ **रबी-** बीमित राशि का **1.5%** अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो। ○ **वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें:** बीमित राशि का **5%** अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो। • **केंद्रीय सब्सिडी:** ज्ञातव्य है कि शेष बीमा प्रीमियम का समान अनुपात में भुगतान, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से अपनी प्रीमियम सब्सिडी को 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 25% तथा ○ **असिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दिया है।**

		○ सिंचित क्षेत्रों / फसलों के लिए **25%** (50% या अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को PMFBY / RWBCIS दोनों के लिए सिंचित क्षेत्र / जिला माना जाएगा) ○ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए **90%** रहेगी। • **फसलों की बीमित राशि:** राज्य / संघ राज्यक्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही स्वीकार किया जाएगा। • योजना के तहत **अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / महिला किसानों** की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। • **बीमा कंपनियों को कार्य का आवंटन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा।** इससे पूर्व राज्यों द्वारा जारी की गई निविदाएं 1 से 3 वर्ष की भिन्न-भिन्न अवधि के लिए होती थीं। • यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय-सीमा से पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो उन्हें आगामी (subsequent) मौसम में इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खरीफ और रबी मौसमों हेतु कट-ऑफ तिथियां क्रमश: 31 मार्च और 30 सितंबर हैं। • इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए **राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने** की अनुमति दी गई है।

1.6. राष्ट्रीय कृषि बाजार (NATIONAL AGRICULTURAL MARKET: NAM)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **प्रमाणिक मूल्यों को बढ़ावा देना।** किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना। • **व्यापारियों / खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाना।** एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना, जो सभी राज्यों में मान्य होगा। • कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों को सुसंगत बनाना। • **एकल बिंदु** (अर्थात् किसान से की जाने वाली प्रथम थोक खरीद पर) **पर बाजार शुल्क प्राप्त करना।** • **स्थिर कीमतों और उपभोक्ताओं हेतु गुणवत्तायुक्त उत्पादों** की उपलब्धता को बढ़ावा देना। • चयनित मंडी में या मंडी के निकट **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने संबंधी प्रावधान करना।**	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है तथा इस हेतु **एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF)** से वित्तपोषण प्राप्त होता है। • **ई-नाम (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।** यह कृषि जिंसों हेतु एक **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण** के लिए मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। • **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ** (Small Farmers Agribusiness Consortium: SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के **कार्यान्वयन** हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। • अब तक, 18 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों के 1,000 बाजारों को e-NAM से जोड़ा जा चुका है। **वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इसके साथ 1,000 और मंडियों को जोड़ने का प्रस्ताव है।** • **कोविड-19 के दौरान ई-नाम प्लेटफॉर्म / मोबाइल ऐप को निम्नलिखित का शुभारंभ करके और मजबूत किया गया है:** ○ इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (e-NWR) के आधार पर गोदामों से व्यापार की सुविधा के लिए **वेयरहाउस आधारित व्यापार मॉड्यूल।**

	○ **FPOs व्यापार मॉड्यूल,** जहां FPOs अपने उत्पाद को APMC में लाए बिना ही अपने संग्रह केंद्र से अपने उत्पाद का व्यापार कर सकते हैं। • ई-नाम प्लेटफॉर्म को **कर्नाटक सरकार के राष्ट्रीय ई-बाजार सेवा (Rashtriya e-Market Services: ReMS) प्लेटफॉर्म** के साथ अंत:प्रचालनीय बनाया गया है। इससे किसी भी प्लेटफॉर्म के किसान अपनी उपज को दूसरे प्लेटफॉर्म पर विक्रय कर सकते हैं, जिससे उनकी बाजार पहुंच में वृद्धि होगी। • ई-नाम अब "मंचों के मंच" के रूप में विकसित हो रहा है, ताकि एक डिजिटल पारितंत्र बनाया जा सके, जो कृषि-मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में विशिष्ट मंचों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके।

1.7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA: PMKSY)#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• खेत स्तर पर सिंचाई में निवेश को अभिसरित करना। जिला-स्तरीय और यदि आवश्यक हो, तो उप-जिला स्तरीय तैयारी के साथ जल उपयोग हेतु योजनाएं निर्मित करना। • खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई **(हर खेत को पानी)** के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। • **उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के माध्यम से जल का सर्वोत्तम** उपयोग करने के लिए जल-स्रोतों का एकीकरण, वितरण और इनका कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना। • जल के अपव्यय को कम करने और इसकी कालावधिपूर्ण व विस्तार-क्षेत्र उपलब्धता दोनों को बढ़ाने के लिए **खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।** • परिशुद्ध सिंचाई और अन्य जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना **(प्रति बूंद अधिक फसल)।** • जलाशयों के पुनर्भरण हेतु उपायों को बढ़ावा देना तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरुआत करना।	• यह एक **केंद्र-प्रायोजित योजना** है। • यह एक **अंतर-मंत्रालयी योजना** है। इसे **मौजूदा योजनाओं को एक साथ सम्मिलित** करके तैयार किया गया है यथा: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme: AIBP); एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme: IWMP) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के घटक के रूप में खेत स्तर पर जल प्रबंधन (On Farm Water Management: OFWM)) । • **वाटर बजटिंग:** घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। • **PMKSY के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तत्वावधान में समर्पित एक दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) का सृजन** किया गया है। यह अपूर्ण, प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करने में मदद करेगी। • राज्यों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए PMKSY के तहत नाबार्ड द्वारा एक समर्पित **सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF)** को स्थापित किया गया है। • प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली व सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर गठित एक अंतर-मंत्रालयी **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)** द्वारा इसका निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। • योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु **नीति आयोग के उपाध्यक्ष** की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC)** का गठन किया जाएगा।

घटक

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- जल शक्ति मंत्रालय
- AIBP को वर्ष 1996-97 में भारत में प्रमुख (या बड़ी)/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता देने के लिए आरंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करना था, जो राज्यों की संसाधन क्षमताओं से परे हैं या जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं।
- अक्टूबर 2020 में मंत्रालय ने AIBP **के अंतर्गत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्प** की शुरुआत की, जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान BAISAG (N)} द्वारा विकसित किया गया था।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) हर खेत को पानी

- जल शक्ति मंत्रालय
- लघु सिंचाई (सतही व भूमिगत जल दोनों) द्वारा नए जल स्रोतों का निर्माण।
- **सतही लघु सिंचाई (Surface Minor Irrigation: SMI) योजना** तथा जल निकायों की मरम्मत, सुधार और नवीकरण का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- **परंपरागत स्रोतों की वहन क्षमता का सुदृढ़ीकरण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण;** जल मंदिर (गुजरात), खतरी, कुही (हिमाचल प्रदेश), जेबोय (नागालैंड), इड़ी, ओरेनिस (तमिलनाडु), डोंग (असम), कतास, और बंधा (ओडिशा और मध्य प्रदेश)
  कमान क्षेत्र विकास।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रति बूँद अधिक फसल

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- प्रभावी जल परिवहन तथा परिशुद्ध जल अनुप्रयोग उपकरणों जैसे कि पिवोट, रेनगन (जल सिंचन), ड्रिप्स, स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना।
- वैज्ञानिक आर्द्रता संरक्षण, फसल संयोजन व फसल संरेखण आदि के लिए विस्तारित गतिविधियाँ।
- राष्ट्रीय ई शासन योजना के द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

PMKSY (समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम)

- भूमि संसाधन विभाग, **ग्रामीण विकास मंत्रालय**
- DPAP, DDP तथा IWDP को इस घटक के अंतर्गत समेकित किया गया है।
- अपवाहित जल का प्रभावी प्रबंधन और मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण गतिविधियों का उन्नयन।
- परियोजनाओं के चयन और तैयारी में क्लस्टर दृष्टिकोण।
- **मनरेगा के साथ अभिसरण (जोड़ना)।**

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)

- चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (वर्ष 1971-72) का नाम परिवर्तित कर DPAP कर दिया गया।
- इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन तथा पशुधन और भूमि, जल व मानव संसाधनों पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है ताकि प्रभावित क्षेत्रों को सूखा प्रत्यास्थ बनाया जा सके।
- योजना लागत को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है।

मरु विकास कार्यक्रम (DDP)

- वर्ष 1977-78 में DDP को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने तथा संधारणीय विकास के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित/पुनर्बहाल करना है।
- निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता को इस अनुपात में निर्धारित किया गया है: उष्ण शुष्क गैर मरुस्थलीय क्षेत्र (75%); उष्ण शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र (100%); शीत शुष्क क्षेत्र (100%)।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDG)

- वर्ष 1989-90 से इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र प्रदत्त अनुदान सहायता (100%) पर आधारित है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से गैर वन बंजर भूमि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

1.8. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (PRADHAN MANTRI KISAN MAAN-DHAN YOJANA: PM-KMY)*

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
PM-KMY, देश के लगभग 3 करोड़ लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों हेतु एक वृद्धावस्था पेंशन	• **18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF):** वह किसान जो संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के	• यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। • यह एक **स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन योजना** है।

© Vision IAS

योजना है। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।	भूमि अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामी है। • **अपवर्जन / बहिष्करण (Exclusions):** राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)** आदि जैसी **किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना** के अंतर्गत शामिल SMFs इसके लाभार्थी नहीं होंगे।	• इसके लिए किसानों को पेंशन निधि में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक योगदान करना होता है। यह राशि इस योजना में प्रवेश के समय उनकी आयु के आधार पर निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान किया जाएगा। • **न्यूनतम पांच वर्ष के नियमित योगदान** के पश्चात् लाभार्थी **स्वेच्छा से इस योजना से बाहर निकलने** का विकल्प चुन सकते हैं। योजना से बाहर निकलने पर, प्रचलित बचत बैंक दर के समतुल्य या उसके अनुपात में ब्याज के साथ उनके संपूर्ण योगदान को वापस कर दिया जाएगा। • इसके तहत उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर **3,000 रुपये** की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में				
सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में		**सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् मृत्यु हो जाने की स्थिति में**	**यदि किसान पुरुष और महिला (पति/पत्नी) दोनों की मृत्यु हो जाती है**	**कोई जीवनसाथी न होने पर**
मृतक किसान (पुरुष और महिला) का/की पति/पत्नी शेष आयु तक शेष अंशदान का भुगतान कर योजना में बना/बनी रह सकता/सकती है।	यदि मृतक का/की पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहता/चाहती है, तो किसान द्वारा किए गए कुल योगदान (ब्याज सहित) का भुगतान पति/पत्नी को कर दिया जाएगा।	मृतक का/की पति/पत्नी को पेंशन की 50 प्रतिशत राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।	संचित राशि को पेंशन कोष में वापस जमा कर दिया जाएगा।	नामांकित व्यक्ति/ नामिति (Nominee) को ब्याज सहित कुल योगदान का भुगतान किया जाएगा।

पेंशन फंड प्रबंधक	• जीवन बीमा निगम (LIC)
नामांकन	• या तो ऑनलाइन स्व-पंजीकरण के माध्यम से या सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के माध्यम से। • इस योजना के तहत CSCs के ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLEs) जो क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी होते हैं, को भी अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
शिकायत निवारण	• इस हेतु LIC, बैंकों और सरकार द्वारा निर्मित एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

1.9. हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (GREEN REVOLUTION – KRISHONNATI YOJANA)#

उद्देश्य	**प्रमुख विशेषताएं**
• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का समग्र एवं वैज्ञानिक रीति से विकास करना। • उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना तथा उत्पादों द्वारा प्राप्त होने वाले बेहतर लाभ के माध्यम	• यह एक **केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना** है, जो वर्ष 2016-17 से लागू है। • इसमें निम्नलिखित 11 योजनाएं/मिशन शामिल हैं: **एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH)**: बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना।

© Vision IAS

से किसानों की आय में वृद्धि करना।	**राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP) सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)**	देश के चिन्हित जिलों में उचित रीति से क्षेत्र विस्तार, मृदा उर्वरता के पुनर्स्थापन और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से चावल, गेंहू, दालों, मोटे अनाज, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना।
	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)	विशेष कृषि पारिस्थितिकी में एकीकृत कृषि, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के समन्वय से संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना।
	कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE)	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने, कार्यक्रम नियोजन को मजबूत करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ावा देने आदि हेतु राज्यों/स्थानीय निकायों के प्रचालनरत कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
	बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने, कार्यक्रम नियोजन को मजबूत करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग को बढ़ावा देने आदि हेतु राज्यों/स्थानीय निकायों के प्रचालनरत कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)	कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को प्रोत्साहित करना।
	पौध संरक्षण एवं पौध संगरोधक से संबंधित उप-मिशन (SMPPQ)	कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज की हानि को कम करना, कृषि जैव-सुरक्षा को बनाए रखना, वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि सामग्रियों के निर्यात में सहायता करना व संरक्षण रणनीतियों के साथ श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
	कृषि संगणना, आर्थिक तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	कृषि संगणना, प्रमुख फसलों की उपज/लागत का अध्ययन करना तथा देश की कृषि-आर्थिक समस्याओं पर शोधाध्ययन करना।
	कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (ISAC)	सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना।
	कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (ISAM)	कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करना, नवाचार और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा एक साझे ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना।
	राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP-A)	सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुँच में सुधार करने तथा उनकी कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को समय पर एवं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराना।

1.10. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्साहन योजना (हरित क्रांति का उप-घटक-कृषोन्नति योजना) {PROMOTION OF AGRICULTURAL MECHANIZATION FOR IN-SITU MANAGEMENT OF CROP RESIDUE (SUB-COMPONENT OF GREEN REVOLUTION-KRISHONNATI YOJANA)}*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• फसल अवशेषों के दहन के कारण हो रहे वायु प्रदूषण से **पर्यावरण की रक्षा करना** और मृदा के पोषक तत्वों व लाभकारी सूक्ष्म जीवों के ह्रास को रोकना; • उपयुक्त मशीनीकरण आगतों के उपयोग के माध्यम से मृदा में प्रतिधारण और समावेशन द्वारा **फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन को प्रोत्साहित करना;** • लघु भू-जोतों और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग हेतु **'फार्म मशीनरी बैंकों'** को बढ़ावा देना। • फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन हेतु प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों तथा विभेदित सूचना, शिक्षा एवं संचार रणनीतियों के माध्यम से **हितधारकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना।**	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू है। • इस योजना के तहत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर **यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद** हेतु लागत की 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। • यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी हेतु **कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना** के लिए किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों की सहकारी समितियों को परियोजना लागत का 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।

1.11. एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE: MIDH)#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्रक (बांस और नारियल सहित) के समग्र विकास को बढ़ावा देना। • FPO जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना। • बाग़वानी उत्पादन में वृद्धि करना; किसानों की आय को बढ़ाना और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। • जर्मप्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग द्वारा जल उपयोग कुशलता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना।	• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। • इसमें निम्नलिखित 6 उप-योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं:

राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन (NHM)	**उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बाग़वानी मिशन**	**राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)**
क्षेत्र आधारित व स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बाग़वानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत, हॉर्टिनेट* (HORTNET) को क्रियान्वित किया जा रहा है।	यह एक तकनीकी मिशन है, जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर सकेंद्रित है।	गैर-वनीय भूमि (सरकारी और निजी) में बांस रोपण के अधीन क्षेत्र को बढ़ाना।

राष्ट्रीय बाग़वानी बोर्ड (NHB)	**नारियल विकास बोर्ड {Coconut Development Board (CDB)}**	**केंद्रीय बाग़वानी संस्थान, नागालैंड**

- कौशल विकास में सहायता करना और रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न करना।

बोर्ड द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।	नारियल विकास बोर्ड द्वारा देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में एकीकृत बाग़वानी विकास मिशन (MIDH) के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।	इसे वर्ष 2006-07 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता के निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

उप-योजनाएं	लक्षित समूह/ कार्यक्षेत्र
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)	पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र।
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH)	पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के सभी राज्य।
राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)	सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)	वाणिज्यिक बागवानी पर विशेष ध्यान देने वाले सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र।
नारियल विकास बोर्ड	नारियल उत्पादक सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र।
केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH)	पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान।

शीत श्रृंखला अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए **अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों** को बढ़ावा देना।	फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल (एकड़ में) में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करना।
रणनीति	
पूर्वापार संबंधों (बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज) के साथ आरंभ से अंत तक एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना।	फसल पश्चात् प्रबंधन, मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार करना। FPOs को प्रोत्साहन देना तथा बाजार समूहकों (Market aggregators) एवं वित्तीय संस्थानों के साथ FPOs के संबंधों को बढ़ावा देना।

- **वित्त पोषण:** केंद्र सरकार पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90% तथा अन्य सभी राज्यों के लिए 60% का योगदान करेगी, जबकि शेष योगदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। NHB, CDB, CIH और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (NLA) के मामले में, केंद्र सरकार 100% योगदान देती है।

MIDH के अधीन अन्य पहलें

चमन (CHAMAN)	प्रोजेक्ट चमन (भू सूचना विज्ञान के उपयोग पर आधारित समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन) को वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **बागवानी फसलों के तहत शामिल क्षेत्र और उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को विकसित और सुदृढ़** करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी विकास (स्थल/साइट उपयुक्तता, बुनियादी ढांचे का विकास, फसल गहनता, उद्यान कायाकल्प, जलीय-बागवानी आदि) हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। चमन योजना के एक अन्य घटक का उद्देश्य **बागवानी फसल की स्थिति का अध्ययन, रोग आकलन और परिशुद्ध कृषि पर अनुसंधान गतिविधियों को संचालित** करना है। चमन के द्वितीय चरण को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
हॉर्टनेट* (HORTNET*)	**हॉर्टनेट** परियोजना सरकार द्वारा किया गया **एक विशिष्ट प्रयास है।** इसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया गया है। साथ ही, इसके अंतर्गत कार्यप्रवाह की सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है, यथा- ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, प्रमाणीकरण, प्रक्रम और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान तथा MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली इत्यादि।

1.12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NATIONAL FOOD SECURITY MISSION)#

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

</td><td>

- यह वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
    - NFSM को सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के वित्त साझाकरण के आधार पर तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर लागू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत **खाद्यान्नों के साथ-साथ जलवायु अनुकूल प्रजातियों/किस्मों के लिए भी सहायता प्रदान** की गई है।
- ध्यातव्य है कि प्रारंभ में इसे चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। हालांकि, अब **इस मिशन के अंतर्गत आठ घटकों को शामिल** कर लिया गया है।

</td></tr>
</table>

1.13. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NATIONAL MISSION ON SUSTAINABLE AGRICULTURE: NMSA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ (climate resilient) बनाना। • समुचित मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। • व्यापक मृदा प्रबंधन पद्धतियां अपनाना तथा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उपशमन उपायों के क्षेत्र में कृषकों की क्षमता का निर्माण करना।	• यह सतत कृषि मिशन से अधिदेशित है। यह मिशन **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत निर्धारित आठ मिशनों में से एक है। **NMSA के प्रमुख घटक** खेत (फार्म) पर जल प्रबंधन {अब प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूँद अधिक फसल (PDMC) घटक के तहत}। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि: मॉनिटरिंग, मॉडलिंग व नेटवर्किंग **प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप** मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) कृषि वानिकी पर उप मिशन (SMAF) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (MOVCDNER)

1.14. परंपरागत कृषि विकास योजना (PARAMPARAGAT KRISHI VIKAS YOJANA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु प्रत्यास्थ संधारणीय कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
• संधारणीय एकीकृत जैविक कृषि प्रणाली के माध्यम से किसानों हेतु कृषि की लागत कम करने के लिए भूमि की प्रति इकाई पर किसान की निवल आय को बढ़ाना।
• पर्यावरण अनुकूल व कम लागत वाली पारंपरिक तकनीकों और किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर पर्यावरण की खतरनाक अकार्बनिक रसायनों से रक्षा करना।
	• यह **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)** के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) के उप-घटकों में शामिल है।
	• **क्लस्टर एप्रोच:** क्लस्टर एप्रोच के अंतर्गत जैविक कृषि के लिए 20 या उससे अधिक किसानों के एक क्लस्टर का निर्माण किया जायेगा तथा इस क्लस्टर को जैविक कृषि हेतु 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
	  ○ जैविक कृषि के लिए किसानों को तीन वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाएगी।
	  ○ बजट के कम से कम 30% आबंटन को महिला लाभार्थियों/किसानों के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
	• **2 घटक:**
	  ○ गुणवत्ता नियंत्रण और क्लस्टर पद्धति के माध्यम से सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण।
	  ○ खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना।

• उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और प्रमाणीकरण प्रबंधन की क्षमता के साथ क्लस्टरों और समूह के रूप में किसानों को संस्थागत विकास के माध्यम से सशक्त बनाना।
• स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ किसानों के प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित कर किसानों को उद्यमी बनाना।
	• **संस्थागत ढांचा:**
	  ○ **NMSA के तहत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC),** इस मिशन को समग्र दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाली नीति-निर्धारण निकाय होगी तथा इसकी प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी व समीक्षा भी करेगी।
	  ○ **राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (NCOF)*:** यह PGS-इंडिया कार्यक्रम का सचिवालय है।
	• **जैविक खेती पोर्टल:** जैविक खेती के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो एक ज्ञान मंच और विपणन मंच दोनों के रूप में कार्य करेगा।
	• **वित्त का सहभाजन:** योजना के तहत वित्तपोषण प्रतिरूप को केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य क्रमशः 60:40 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के मामले में, 90:10 (केंद्र: राज्य) के अनुपात में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
	
	NCOF:** यह PGS प्रमाणन कार्यक्रम के लिए एक निगरानी निकाय है। इसे क्षेत्रीय केंद्रों के प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्रयोगशाला परीक्षण और अंशशोधन प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories: NABL) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के चयन और जैविक खेती के क्षेत्रीय केंद्रों (RCOFs) के माध्यम से यादृच्छिक निगरानी का भी दायित्व प्रदान किया गया है।
	
	अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** संबंधित घटकों के लिए MIDH, NFSM आदि जैसी **अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के साथ** और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI), लघु एवं मध्यम उद्यम उपक्रमों (SMEs), ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) आदि जैसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ भी **अभिसरण को अत्यधिक प्रोत्साहित** किया गया है।

1.15. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MISSION ORGANIC VALUE CHAIN DEVELOPMENT IN NORTH EAST REGION: MOVCDNER)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **फसल जिंस विशिष्ट जैविक मूल्य श्रृंखला विकसित करना** और जैविक फसल उत्पादन, वन्य फसल कटाई आदि में **मौजूद अंतराल को समाप्त** करना। • किसानों को कृषक हित समूहों (FIGs) में संगठित करके कार्यक्रम के स्वामित्व के साथ **उन्हें सशक्त** करना। • **परंपरागत कृषि/निर्वाह कृषि प्रणाली** को स्थानीय संसाधन आधारित, आत्मनिर्भर, उच्च मूल्य वाले वाणिज्यिक जैविक उद्यम में परिवर्तित करना। • एकीकृत और केंद्रित दृष्टिकोण के तहत **जिंस विशिष्ट वाणिज्यिक जैविक मूल्य श्रृंखला** का विकास करना। • **जैविक पार्कों/क्षेत्रों का विकास** करना। • **ब्रांड निर्माण** और मजबूत विपणन पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराना। • संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास और संचालन के समन्वय, निगरानी, समर्थन एवं वित्तपोषण के लिए **राज्य विशिष्ट अग्रणी एजेंसी** (ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड या ऑर्गेनिक मिशन) का निर्माण करना।	यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture: NMSA) के तहत आरंभ की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र** की योजना है। इसे देश के **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को साकार करने के लिए प्रारंभ** किया गया था। निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है: • संकुल विकास, खेत पर/ खेत से बाहर आगत उत्पादन, बीज/रोपण सामग्री की आपूर्ति, कार्यात्मक अवसंरचना की स्थापना। • एकीकृत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, प्रशीतित परिवहन, पूर्व-प्रशीतन/ प्रशीतित भंडारण चैंबर, ब्रांडिंग, लेबलिंग एवं पैकेजिंग • स्थान का अधिग्रहण, अन्य सहायता, तीसरे पक्ष द्वारा जैविक प्रमाणन, किसानों/प्रसंस्करणकर्ताओं को एकजुट करना।

 © Vision IAS

1.16. भारत के लिए सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली {PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEM (PGS)-INDIA (PGS-INDIA)}

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

घरेलू जैविक बाजार संवर्धन को बढ़ावा देने और
लघु व मध्यम किसानों की जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना।

</td><td>

- यह स्थानीय रूप से प्रासंगिक एक गुणवत्ता आश्वासन पहल है। इसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर बल दिया गया है।
- यह प्रमाणन की तृतीय पक्ष प्रणाली (जो जैविक उत्पादों के निर्यात बाजार में प्रवेश करने हेतु एक पूर्वावश्यकता है) के ढांचे से बाहर है।

- **निम्नलिखित घटक जिन पर यह लागू नहीं है:**
    - **गैर-कृषि गतिविधियां** जैसे परिवहन, भंडारण आदि।
    - **व्यक्तिगत किसान या पांच सदस्यों से कम किसानों के समूह।** जिन्हें या तो तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करना होगा या मौजूदा PGS स्थानीय समूह में शामिल होना होगा।

</td></tr>
</table>

© Vision IAS

1.17. कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना (INTEGRATED SCHEME FOR AGRICULTURAL MARKETING: ISAM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्य, सहकारी और निजी क्षेत्रक के निवेश के प्रतिलाभ में सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना। • **वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के सृजन को प्रोत्साहन** प्रदान करना और संपार्श्विक वित्तपोषण (pledge financing) को बढ़ावा देना • किसानों की आय बढ़ाना। • प्राथमिक संसाधकों (processors) के साथ किसानों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रदान करने के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला (केवल प्राथमिक प्रसंस्करण के चरण तक सीमित) को बढ़ावा देना। • कृषि विपणन में नई चुनौतियों के प्रत्युत्तर में किसानों को संवेदनशील और उन्मुख बनाने हेतु विस्तार के एक साधन के रूप में सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का प्रयोग करना।	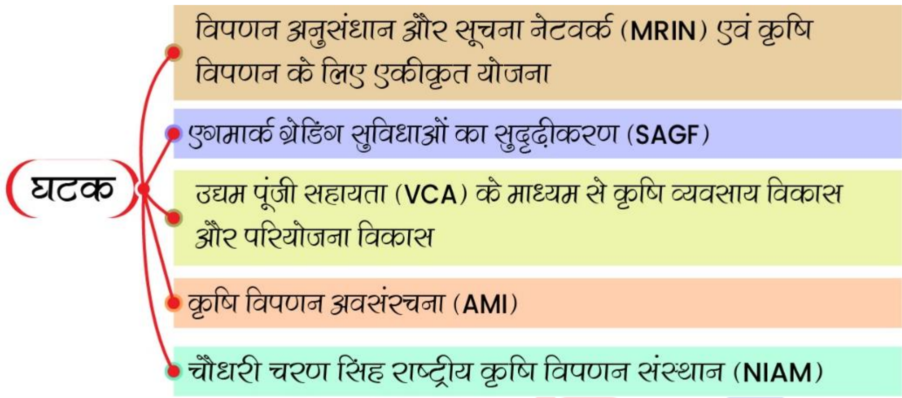 • **उपर्युक्त 5 घटकों को दो संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है:** ○ **विपणन और निरीक्षण निदेशालय (Directorate of Marketing & Inspection: DMI):** यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है, जो तीन उप-योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। ▪ कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) {वर्तमान में संचालित ग्रामीण भंडार योजना (GBY) और कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण (AMIGS) का विकास/सुदृढ़ीकरण योजना का AMI में विलय कर दिया गया है}; ▪ विपणन अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (MRIN) तथा ▪ एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना (SAGF)। ○ **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Small Farmers Agribusiness Consortium: SFAC):** यह एक स्वायत्त संगठन है। इसके द्वारा निम्नलिखित दो उप-योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। ▪ वेंचर कैपिटल असिस्टेंट (VCA) और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी (PDF) के माध्यम से एग्री-बिजनेस डेवलपमेंट (ABD); तथा ▪ चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM)।

1.18. राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NATIONAL MISSION ON AGRICULTURAL EXTENSION AND TECHNOLOGY)#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए कृषि विस्तार व्यवस्था को किसान-संचालित और किसान-उत्तरदायी बनाना। • किसानों को उचित प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उन्नत कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना तथा उसे सुदृढ़ बनाना।	• केंद्रीय क्षेत्रक की यह योजना **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी** (Agriculture Technology Management Agency: ATMA) के तत्वाधान में प्रारंभ की गई थी। ○ **विस्तार प्रणाली को किसान संचालित और किसान के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य** से ATMA योजना को जिला स्तर पर लागू किया गया है। ○ ATMA योजना के अंतर्गत किसानों/किसान समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), पंचायती राज संस्थानों और जिला स्तर तथा उससे नीचे के अन्य हितधारकों आदि की सक्रिय भागीदारी रही है।

कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (SMAM)	यह जागरूकता सृजन और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।
बीज एवं पौध-रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)	विभिन्न घटकों जैसे बीज ग्राम कार्यक्रम, ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण-सह-बीज भंडारण गोदामों की स्थापना, राष्ट्रीय बीज रिज़र्व आदि के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन व किसानों को आपूर्ति करना।
कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (SMAM)	लघु और सीमांत किसानों एवं विभिन्न क्षेत्रों व दुर्गम क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना। 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC)' और 'हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन (SMPP)	हमारी जैव-सुरक्षा को विदेशी प्रजातियों के आक्रमण और प्रसार से बचाने के लिए नियामक, निगरानी, नियंत्रण और क्षमता निर्माण कार्य किए जाते हैं।

- **'फार्म्स-ऐप' (फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस-ऐप):** यह एक बहुभाषी मोबाइल ऐप है, जो किसानों को उनके क्षेत्र में स्थित कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC) के साथ जोड़ता है। प्रारंभ में, इसे "CHC-फार्म मशीनरी" ऐप के रूप में जाना जाता था।

1.19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक कायाकल्प के लिए पारिश्रमिक अनुमोदन {RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA – REMUNERATIVE APPROACHES FOR AGRICULTURE AND ALLIED SECTOR REJUVENATION (RAFTAAR) OR (RKVY-RAFTAAR)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं		
• **फसल-पूर्व एवं फसल कटाई पश्चात की आवश्यक कृषि-अवसंरचना के निर्माण** के माध्यम से किसान के प्रयासों को सुदृढ़ करना। इससे गुणवत्ता आदानों, भंडारण, बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच में वृद्धि होगी तथा यह किसानों को सूचित विकल्प के चयन में भी सक्षम बनाएगी। • स्थानीय/किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार **योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए राज्यों को स्वायत्तता एवं नम्यता** प्रदान करना। • **मूल्य श्रृंखला संवर्धन से संबंधित उत्पादन मॉडल को बढ़ावा** देना, जो किसानों को उनकी आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उत्पादकता	**यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**	**उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए निधि का आवंटन 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में निर्धारित किया गया है।**	**विकेंद्रीकृत योजना है।**
	इसे वर्ष 2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक छत्रक/अम्ब्रेला योजना के रूप में आरंभ किया गया था। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का नया संस्करण है।	• नियमित RKVY-RAFTAAR (अवसंरचना और परिसम्पत्तियां एवं उत्पादन विकास)- वार्षिक परिव्यय का 70% राज्यों को अनुदानों के रूप में आवंटित किया जाएगा (इसमें से 20% फ्लेक्सी फंड होगा); • RKVY-रफ़्तार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली विशेष उप-योजनाएं - 20%;	• इस हेतु राज्य कृषि विभाग को एक नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। • राज्यों द्वारा कृषि-जलवायु स्थितियों, समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर जिला कृषि योजना तथा

को प्रोत्साहित करने में सहायता भी प्रदान करेगा।
- अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों (जैसे एकीकृत कृषि, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन आदि) पर ध्यान देने के साथ-साथ **किसानों के आय जोखिम को कम करना।**
- विविध उप-योजनाओं के माध्यम से **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।**
- **कौशल विकास**, नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता के माध्यम से **युवाओं का सशक्तीकरण करना।**

	• नवाचार और कृषि उद्यमी विकास - 10% (यदि निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे नियमित RKVY-रफ़्तार और उप-योजनाओं को आवंटित कर दिया जाएगा)।	राज्य कृषि योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन आरम्भ किया गया है।

उप-योजनाएं	
पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना	• यह कार्यक्रम वर्ष 2010-11 में पूर्वी भारत के सात राज्यों, यथा - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) और पश्चिम बंगाल में "चावल आधारित फसल प्रणाली" की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं के समापन हेतु आरंभ किया गया था।
फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP)	• इसे हरित क्रांति के मूल राज्यों अर्थात् **पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों के स्थान पर अधिक फसल विविधता को बढ़ावा देने** के लिए लागू किया जा रहा है।
समस्याग्रस्त मृदा में सुधार (RPS)	• क्षारीय/लवणीय/अम्लीय मृदा में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
खुरपका और मुंहपका रोग-नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP)	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। FMD एक वायरल रोग है। इस योजना में 5 वर्ष (2019-24) में संपूर्ण देश में छह माह के अंतराल पर मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों के 100% टीकाकरण कवरेज की परिकल्पना की गई है।
केसर मिशन	• यह केसर की खेती में सुधार के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (AFDP)	• सूखा प्रभावित जिलों एवं प्रखंडों में किसानों/किसान उत्पादन संगठनों (FPOs)/सहकारी संस्थाओं को चारे के अतिरिक्त उत्पादन हेतु 3,200 रुपये प्रति हेक्टेयर (दो हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

नोट: कुछ समय पूर्व तक, केसर का उत्पादन संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के एक भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित था। पंपोर क्षेत्र को सामान्यतया कश्मीर के **'केसर का कटोरा'** के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (NECTAR) द्वारा सिक्किम में भी केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को आरंभ किया गया है।

© Vision IAS

1.20. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SOIL HEALTH CARD SCHEME)#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के सभी किसानों को **प्रत्येक 2 वर्ष पर** मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक आधार उपलब्ध हो सके। • क्षमता निर्माण के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (STLs) की कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कृषि विज्ञान के छात्रों को भागीदार बनाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना। • पोषक-तत्व प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों की क्षमता का निर्माण करना। • किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करना और पैदावार को बढ़ाना तथा संधारणीय कृषि को प्रोत्साहित करना।	• **यह वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।** ○ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** इसके तहत, 12 मापदंडों की चार श्रेणियों में मृदा की स्थिति को शामिल किया गया है। ▪ वृहद पोषक तत्व N (नाइट्रोजन), P (फॉस्फोरस), K (पोटेशियम) ▪ सूक्ष्म पोषक-तत्व); जिंक (Zn), (आयरन) Fe, (कॉपर) Cu, (मैंगनीज) Mn,(बोरॉन) Bo ▪ गौण पोषक-तत्व, S (सल्फर) ▪ भौतिक मानदंड pH, EC, जैविक कार्बन (OC)) के आधार पर मापन किया जाता है। ○ किसान SHC पोर्टल पर मृदा नमूनों को ट्रैक भी कर सकते हैं। ○ इसके आधार पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) में **जैविक खाद** सहित **छह फसलों** (3 खरीफ और 3 रबी) हेतु **उर्वरक अनुशंसाओं के दो समुच्चय** प्रदान किए जाते हैं। ○ **किसानों को प्रदत्त सहायता:** ▪ सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण हेतु प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपये; तथा ▪ लघु मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता। ✓ इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण युवा एवं 40 वर्ष की आयु तक के किसान **मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना** और जांच करने हेतु पात्र हैं। ○ **आदर्श गाँव का विकास (वर्ष 2019-20 में प्रायोगिक परियोजना)।** ▪ इसके अंतर्गत ग्रिड्स आधार पर नमूने संग्रहण करने की बजाये कृषकों की भागीदारी के साथ **निजी खेतों से नमूनों का संग्रहण किया जाएगा।** ▪ मृदा प्रतिदर्शन व परीक्षण आधारित भूमि-जोत के लिए **प्रति ब्लॉक एक ग्राम का चयन** किया जायेगा तथा व्यापक प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

1.21. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PRADHAN MANTRI ANNADATA AAY SANRAKSHAN ABHIYAN: PM-AASHA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
किसानों के लिए उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।	यह **दलहन, तिलहन और खोपरा (नारियल गिरी) के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने के लिए आरंभ की गई** एक छत्रक योजना है।

मूल्य समर्थन योजना {Price Support Scheme (PSS)}	मूल्य न्यूनता भुगतान योजना {Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)}	निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना {Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme (PPSS)}
इसके तहत **दाल, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी)** की भौतिक खरीद, सक्रिय भूमिका	इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा	तिलहन के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्य के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने

के साथ केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।	MSP एवं वास्तविक बिक्री/मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।	की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को संपूर्ण राज्य/राज्यक्षेत्र के लिए विशेषत: **तिलहन फसल के संबंध में निर्दिष्ट खरीद ऋतु में PSS और PDPS में से किसी एक के चयन हेतु सुविधा** प्रदान की गई है।
- राज्य में **एक जिंस के संबंध में केवल एक योजना अर्थात् PSS या PDPS का परिचालन** किया जा सकता है।

1.22. किसान क्रेडिट कार्ड (KISAN CREDIT CARD: KCC)

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>लाभार्थी</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>• बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे-
○ फसलोत्पादन के उपरांत होने वाले व्यय;
○ उत्पाद विपणन ऋण;
○ किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकताएं;
○ कृषि संपत्ति और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के अनुरक्षण के लिए कार्यशील पूंजी;
○ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए।</td>
<td>• सभी किसान- व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू-स्वामित्व है।
• काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बंटाईदार आदि।
• काश्तकार किसान, बंटाईदार आदि सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह आदि शामिल है।
• पशुपालन और मत्स्य पालन में संलग्न किसान।</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="3">KCC किसानों, मत्स्य पालक और पशुपालक किसानों के लिए उपलब्ध है</td></tr>
<tr>
<td>फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण सीमा और सावधि ऋण:
• 1.6 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण।
• कोई प्रक्रियागत शुल्क नहीं।
• ब्याज अनुदान योजना के लिए पात्र।*
• प्रीमियम: बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन (क्रमश: 2:1 के अनुपात में)।</td>
<td>जोखिम कवरेज:
KCC धारक को बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता।</td>
<td>अन्य सुविधाएं:
• ए.टी.एम. सक्षम रुपे कार्ड।
• सीमा के भीतर अनगिनत बार आहरण।
• एक बार में संपूर्ण दस्तावेजीकरण।</td>
</tr>
</table>
• यद्यपि KCC के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण ब्याज अनुदान योजना के अधीन है, तथापि KCC के ऋण पर देय ब्याज दर, लगभग 7 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। यहां किसानों को प्रति वर्ष मात्र 4 प्रतिशत का भुगतान करना आवश्यक है। साथ ही इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान और 3 प्रतिशत का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
• KCC की सुविधा सभी भारतीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में उपलब्ध है।
</td>
</tr>
</table>

© Vision IAS

1.23. भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण (STRENGTHENING & MODERNIZATION OF PEST MANAGEMENT APPROACH IN INDIA: SMPMA)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• न्यूनतम निवेश लागत के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम करना। • कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और वायु में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। • रासायनिक कीटनाशकों से संबंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना।	• यह **केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना** है। • **घटक:** <table><tr><td>**एकीकृत कीट प्रबंधन** (Integrated Pest Management : IPM)</td><td>यह कीट संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल एक व्यापक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है।</td></tr><tr><td>**टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान** (Locust Control and Research: LCR)</td><td>इसके तहत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों (राजस्थान, गुजरात और हरियाणा) में टिड्डियों की निगरानी, पूर्वसूचना एवं नियंत्रण तथा टिड्डी (locust) व तृण-भोजी (grasshoppers) पर शोध करने के लिए टिड्डी चेतावनी संस्थानों की स्थापना की गयी है।</td></tr><tr><td>**कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन** (Implementation of Insecticides Act, 1968)</td><td>यह मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है।</td></tr></table>

1.24. नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NATIONAL INITIATIVE ON CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE: NICRA)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बेहतर उत्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि (जिसमें फसलें, पशुपालन और मत्स्यपालन सम्मिलित हैं) की प्रत्यास्थता में वृद्धि करना। • वर्तमान जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के **खेतों पर स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज** का प्रदर्शन करना। • जलवायु प्रत्यास्थ कृषि संबंधी अनुसंधान और उसके अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों की क्षमता का उत्तम रीति से निर्माण करना।	• यह **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR) की परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। • यह देश में वर्षा की **सुभेद्यता** हेतु विभिन्न फसलों/क्षेत्रों के महत्वपूर्ण आकलन पर विचार करती है। • यह बड़े क्षेत्रों में **ग्रीनहाउस गैसों** की माप के लिए फलक्स टावर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना पर बल देती है। • यह **धान की कृषि से संबंधित नई एवं उभरती पद्धतियों के** व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन में मदद करती है। • परियोजना में निम्नलिखित **चार घटक** सम्मिलित हैं यथा: **रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।**

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

1.25. किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना (INTEREST SUBVENTION SCHEME FOR FARMERS)

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

- देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किफायती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराना।

</td><td>

- इस योजना को नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह ब्याज अनुदान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को प्रदान किया जाएगा। साथ ही, RRBs एवं सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) को भी ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

<table>
<tr><td rowspan="4">इस योजना के तहत चार घटकों में ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा</td><td>अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान।</td></tr>
<tr><td>फसल कटाई उपरांत ऋण पर ब्याज अनुदान।</td></tr>
<tr><td>दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ब्याज अनुदान।</td></tr>
<tr><td>प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के लिए ब्याज अनुदान।</td></tr>
</table>

- यह किसानों को 7% ब्याज वाले 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण पर 2% प्रति वर्ष ब्याज अनुदान प्रदान करती है।
- "समय से भुगतान करने वाले किसानों" को **प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान** दिया जाता है।
- उपज को विषम परिस्थितियों में विक्रय करने (distress sale) से बचाने के उद्देश्य से ब्याज अनुदान के लाभ को 6 माह के लिए (फसल उपरांत) किसान क्रेडिट कार्ड धारक लघु एवं सीमांत कृषकों तक विस्तारित (विनिमय योग्य भंडारगृह रसीद के आधार पर प्राप्त ऋण पर) कर दिया गया है।

</td></tr>
</table>

1.26. कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने (आर्या परियोजना) (ATTRACTING AND RETAINING YOUTH IN AGRICULTURE : ARYA PROJECT)

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

- चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और लाभकारी रोज़गार के लिए विभिन्न कृषि एवं संबद्ध और सेवा क्षेत्रक के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना।
- कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन जैसी गतिविधियों में अपने संसाधनों एवं पूंजी के निवेश हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करने में सक्षम बनाना।

</td><td>

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 में **"आर्या" (कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने)** नामक एक परियोजना का शुभारंभ किया था।
- इसे प्रत्येक राज्य के एक जिले में **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- KVKs इसके लिए **कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** जैसे संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में शामिल करेंगे।
- एक जिले में, **200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशील गतिविधियों** हेतु उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म-उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चिन्हित किया जाएगा।
- **कृषि विकास केंद्रों पर भी एक या दो उद्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी,** ताकि वे किसानों के लिए उद्यमी प्रशिक्षण इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

</td></tr>
</table>

© Vision IAS

1.27. कृषि विज्ञान केंद्र (KRISHI VIGYAN KENDRAS: KVK)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• कृषि में अग्रिम विस्तार के लिए और किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ती करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना। • स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और किसानों की क्षमता का निर्माण करना।	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 669 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, 106 KVKs और स्थापित किए जाएंगे। • KVKs द्वारा ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और किसानों के **कौशल विकास प्रशिक्षण** पर अत्यधिक बल दिया जाता है। • ये बीज, रोपण सामग्री और जैव उत्पादों जैसे नवीनतम तकनीकी इनपुट प्रदान करते हैं। • ये जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित फसल/उद्यम से संबंधित अनुशंसाओं के बारे में समय-समय पर किसानों को परामर्श प्रदान करते हैं। • ये जिला कृषि-पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित समस्याओं को चिन्हित करने एवं उनके निराकरण में मदद करते हैं। साथ ही, नवाचारों को अपनाने हेतु नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। • ये **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली** (National Agricultural Research System: NARS) का एक अभिन्न अंग हैं। • KVK योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है तथा कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों एवं कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों हेतु KVKs का अनुमोदन किया जाता है।

1.28. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NATIONAL AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION PROJECT: NAHEP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• चयनित कृषि विश्विद्यालयों (AUs) में उच्चतर कृषि शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना। • छात्र एवं संकाय विकास। • अधिगम परिणामों, नियोजनीयता और उद्यमिता में सुधार करना। • संस्थागत और प्रणालीगत प्रबंधन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना।	• इस परियोजना को वर्ष 2019 में विश्व बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया था। • **वित्तपोषण:** इसे **विश्व बैंक** एवं भारत सरकार द्वारा **50:50** के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। • **घटक:**

घटक	विवरण
संस्थागत विकास योजनाएं (IDPs)	NAHEP चयनित प्रतिभागी AUs को **संस्थागत विकास अनुदान** प्रदान करेगी, जो AU के छात्रों हेतु अधिगम परिणाम एवं भावी रोज़गार तथा संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता में सुधार का प्रयास करेंगे।
सेंटर ऑफ़ एडवांस एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CAAST)	चयनित प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) को महत्वपूर्ण एवं उभरते कृषि विषयों पर शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के लिए बहु-विषयक केंद्र स्थापित करने हेतु CAAST अनुदान प्रदान किया जाएगा।
प्रतिभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) को नवाचार अनुदान	AUs द्वारा सुधारों (अर्थात् मान्यता प्राप्त करना) को अपनाने हेतु चयनित प्रतिभागी **कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) को नवाचार अनुदान** प्रदान किया जाएगा। साथ ही, मौजूदा सुधार को अपना चुके AUs एवं अन्य अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिभागियों द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त AUs को परामर्श प्रदान किया जाएगा।
परिणाम निगरानी एवं मूल्यांकन	शिक्षा प्रभाग/ICAR द्वारा निगरानी और मूल्यांकन (M&E) प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, ताकि सभी NAHEP घटकों की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की जा सके।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

1.29. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Program)	• इसका लक्ष्य पांच प्रमुख दलहनी फसलों (प्रत्येक हेतु 1,000 हेक्टेयर की सघन इकाइयों में) के पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तथा पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित संशोधित प्रौद्योगिकियों एवं प्रबंधन कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन करना है। ये पांच प्रमुख दलहनी फसलें हैं: बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम (उड़द बीन), रेड ग्राम (अरहर), ग्रीन ग्राम (मूंग) और लेंटील (मसूर)। • यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और इसे **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दाल (NFSM-Pulses)** के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। • इसे **एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन (INM)** और **एकीकृत नाशीजीव कीट प्रबंधन (IPM)** जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से प्रसार करने हेतु परिकल्पित किया गया है। • इस कार्यक्रम को **'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग'** निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है: (i) दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशक/आयुक्त और (ii) केंद्र सरकार की संस्था: **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (ICAR-NCIPM)**।
कृषि विपणन अवसंरचना कोष (Agri-Market Infrastructure Fund: AMIF)	• हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये के **कृषि-बाजार अवसंरचना कोष (AMIF)** के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसे नाबार्ड (NABARD) के अंतर्गत सृजित किया जाएगा तथा यह 585 कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) और 22,000 गावों में विपणन अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को उनके प्रस्ताव के लिए रियायती ऋण प्रदान करेगा। • इस योजना का उद्देश्य **ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) में अद्यतित** करने, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन तंत्र सृजित करने, GrAMs को APMCs से लिंक करने और 585 ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) सक्षम APMCs को अद्यतित करने हेतु **वित्तीय सहायता प्रदान** करना है। • **राज्य सरकारें, AMIF के तहत नाबार्ड से संबंधित वित्त विभागों के माध्यम से ऋण लेने के लिए पात्र** होंगी। • **AMIF के तहत लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जा** सकती है और इसमें APMCs, PRIs, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) /सहकारिता/राज्य स्तरीय एजेंसियां आदि को शामिल किया जा सकता है, जो राज्य सरकार के नोडल विभाग के सहयोग से AMIF के अधीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
खुदरा ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट {Gramin Retail Agriculture Markets (GrAMs)}	• कृषि विपणन क्षेत्र में खुदरा बाजार को विकसित करने के लिए **कृषि बाजार विकास कोष** के तहत बजट 2017-18 में GrAMs का शुभारंभ किया गया था। • इन GrAMs के तहत मनरेगा (MGNREGA) और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। • इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से भी लिंक किया जाएगा और APMC विनियमों से छूट प्रदान की जाएगी। ये किसानों को अपने उत्पादों को उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे। • **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)** ग्रामों के विकास के लिए मनरेगा और राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से पंचायत के अधीन संचालित **ग्रामीण हाटों के भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास एवं उन्नयन** की दिशा में प्रयासरत है।

 © Vision IAS

	• चूंकि यह **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की एक मांग आधारित योजना** है, अतः इसके लिए निधि का राज्यवार और वर्षवार आवंटन नहीं किया जाता है।
कृषि बाजार सूचना नेटवर्क पोर्टल {Agricultural Market Information Network (AGMARKNET) portal}	• यह एक ई-गवर्नेंस पोर्टल (G2C के रूप में) है, जो सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन से संबंधित सूचना प्रदान कर किसानों, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। • यह देश भर में विस्तृत कृषि उपज मंडियों में वस्तुओं की दैनिक पहुंच और कीमतों की वेब आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।
ई-कृषि संवाद (E-Krishi Samvad)	• यह एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस है, जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक प्रभावी समाधान के लिए अपनी समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप में **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** से संपर्क कर सकते हैं। • हितधारक विशेषज्ञों से निदान और शीघ्र उपचारात्मक उपायों के लिए रोगग्रसित फसलों, जानवरों या मछलियों की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। • SMS या वेब के माध्यम से भी विशेषज्ञों द्वारा उचित समाधान प्रदान किया जाएगा।
ई-रकम पोर्टल (E-Rakam Portal)	• यह **MSTC लिमिटेड** {इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU)} और **सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी** की एक संयुक्त पहल है। • किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें बिचौलियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता हेतु यह एक नीलामी मंच है। साथ ही, यह उनकी उपज को मंडी तक ले जाने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। • किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।
किसान प्रथम पहल {Farmer FIRST (FARM, Innovations, Resources, Science and Technology) Initiative}	• इसके तहत मुख्यतः किसान के **खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी** (Farm, Innovations, Resources, Science and Technology: FIRST) पर बल दिया गया है। • यह ICAR की एक पहल है, जो निम्नलिखित पर केंद्रित है: ○ समृद्ध किसान - वैज्ञानिक इंटरफ़ेस; ○ प्रौद्योगिकी संयोजन, आवेदन एवं प्रतिक्रिया; ○ साझेदारी एवं संस्थागत भवन तथा ○ सामग्री का एकत्रण। ○ यह विभिन्न कृषि-परिस्थितियों में किसानों की आय वृद्धि मॉडल के रूप में **आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकार्य** उद्यमशील गतिविधियों को चिन्हित एवं एकीकृत करेगा।
हॉर्टिनेट-फार्मर कनेक्ट ऐप (Hortinet – Farmer Connect App)	• यह **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** द्वारा विकसित खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है। यह मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्मों के पंजीकरण, परीक्षण एवं प्रमाणन की सुविधा हेतु इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है। • यह राज्य के बाग़वानी/कृषि विभाग को प्रत्यक्ष रूप से खेत से ही किसानों, खेतों की अवस्थिति, उत्पादों एवं निरीक्षण के विवरणों की वास्तविक समय आधारित जानकरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
जीरो हंगर प्रोग्राम (Zero Hunger Program)	• इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से पारस्परिक और बहुपक्षीय कुपोषण का समाधान करना है। • यह भुखमरी एवं कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

मेघदूत ऐप (Meghdoot app)	• **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** और **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा **मेघदूत (MEGHDOOT)** नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है। यह किसानों को स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि संबंधी परामर्श प्रदान करेगा। • इसे **भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology)** तथा **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research)** के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। • मंत्रालय द्वारा किसानों को तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु की गति एवं दिशा के संबंध में पूर्व-सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जो कृषिगत परिचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करते हैं। • हालांकि, ये सूचनाएं वास्तविक समय पर आधारित नहीं हैं, परंतु इन्हें सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को अवश्य अपडेट किया जाता है।
एग्री उड़ान (AGRI UDAAN)	• इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के सुदृढ़ मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, उद्योग नेटवर्किंग तथा निवेशकों को विशिष्ट सहयोग प्रदान कर खाद्य एवं कृषि व्यवसाय आधारित स्टार्ट-अप्स का उन्नयन करना है। • इसे भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि व्यवसाय उत्प्रेरक की संज्ञा प्रदान की गई है तथा इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (ICAR-NAARM)** और **भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के इनक्यूबेटर केंद्रों** द्वारा प्रारम्भ किया गया है।
मेरा गाँव-मेरा गौरव (MERA GAON-MERA GAURAV)	• इस योजना में **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल हैं। • इनमें से प्रत्येक संस्थान और विश्वविद्यालय में चार बहु-विषय वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक समूह अधिकतम 100 कि.मी. की परिधि के भीतर पांच गांवों को "गोद लेंगे" तथा किसानों को एक तय समय सीमा के भीतर तकनीकी एवं अन्य संबंधित पहलुओं की जानकारी प्रदान करेंगे।
एकीकृत पैकेज बीमा योजना (Unified Package Insurance Scheme)	• इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र से संबद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है तथा किसानों के भू-स्वामित्व अधिकारों एवं उपजाई गई फसलों के आधार पर उन्हें उपज आधारित फसल बीमा उपलब्ध करवाना है। • **इसके अंतर्गत** फसल बीमा {प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) /पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS)}, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत जीवन बीमा, छात्र सुरक्षा बीमा (विद्यार्थी की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु अथवा दिव्यांगता एवं पिता या माता की मृत्यु की स्थिति में) तथा व्यक्तिगत व पेशागत परिसंपत्तियों का बीमा शामिल है। • इस योजना के तहत एक वर्षीय बीमा का प्रावधान किया गया है तथा जिसे प्रतिवर्ष नवीकृत किया जा सकता है।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (Pandit Deen Dayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana)	• **उद्देश्य:** जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि / ग्रामीण अर्थव्यवस्था / संधारणीय कृषि के क्षेत्र में **व्यावसायिक सहायता** उपलब्ध कराना तथा इन क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना। • ICAR द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना को वर्ष 2016 में आरम्भ किया गया था। • इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **उन्नत भारत अभियान** के तहत संचालित किया जा रहा है। • उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित एक योजना है।

© Vision IAS

	• इस योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। **प्रशिक्षण केंद्रों** का चयन उन किसानों के आधार पर किया जाएगा, जो पहले ही उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं या अपने खेतों में प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि के सभी मूलभूत, मौलिक, सिद्धांतों एवं प्रचलनों की जानकारी रखते हैं।
केंद्रीकृत कृषि मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण पोर्टल (Centralized Farm Machinery Performance Testing Portal)	• यह पोर्टल **विनिर्माताओं को कृषि मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण संस्थानों की सेवाओं में सुधार और मशीनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद** करेगा। • यह संगठन के भीतर एकीकृत तरीके से **समेकित प्रबंधन** को सुनिश्चित करने में सहयोग करेगा तथा इस प्रकार **परीक्षण संस्थानों की दक्षता में सुधार लाने** में भी मदद करेगा। इससे विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरणों के परीक्षण समय को भी कम करने में मदद मिलेगी।
बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development Programme)	• वर्ष 2021 में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने **बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए** बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) की शुरुआत की। • यह **केंद्रीय क्षेत्र का** एक **कार्यक्रम** है, जिसे **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसे **11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 10 लाख किसानों को शामिल करते हुए 12 बागवानी समूहों** (कुल 53 समूहों में से) में पायलट चरण के साथ शुरू किया गया है। • यह **भौगोलिक विशेषज्ञता** का लाभ उठाएगा तथा **एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देगा।** इससे भारतीय बागवानी समूह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

2. आयुष मंत्रालय (MINISTRY OF AYUSH)

2.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (NATIONAL AYUSH MISSION: NAM)#

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ

• आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की मदद से एक सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना।
• राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।
• उपयुक्त कृषि पद्धतियों (Good Agricultural Practices: GAPs) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि को समर्थन प्रदान करना।
• कृषि, भंडारण के अभिसरण के माध्यम से कलस्टरों की स्थापना का समर्थन करना तथा कृषि, भंडारण, मूल्य संवर्द्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता तथा उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास करना।
	• यह वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसे वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
	• आयुष, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, जिसमें **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी** शामिल हैं।
	• मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों के **कार्यान्वयन को उदार** बनाया गया है जिनसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पर्याप्त भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
	  ○ **अनिवार्य घटक (रिसोर्स पूल का 80%)**
	    ▪ आयुष सेवाएं {आयुष सुविधाओं की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) के साथ सह-स्थापना}।
	    ▪ आयुष शैक्षणिक संस्थान।
	    ▪ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (ASU&H) औषधियों एवं औषधीय पादपों का गुणवत्ता नियंत्रण।
	    ▪ **स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम:** योग और परामर्श के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करना।
	  ○ **लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%)**
	    ▪ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र।
	    ▪ सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियाँ और टेली-मेडिसीन।
	    ▪ औषधीय पादपों के लिए फसल बीमा।
	    ▪ सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रावधान और निजी आयुष शैक्षिक संस्थानों के लिए ब्याज सब्सिडी घटक।
	• **निगरानी और मूल्यांकन:** केंद्र/राज्य स्तर पर समर्पित प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) निगरानी और मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
	• **आयुष ग्राम:** प्रत्येक प्रखंड से एक गांव का चयन किया जाएगा, विशेषकर जहां आयुष आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है।
	• आयुष मंत्रालय के द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के 10% स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के संचालन का निर्णय लिया गया है।
	  ○ इसलिए, NAM के तहत 1,032 आयुष औषधालयों को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
	• NAM के तहत औषधीय पौधों की कृषि हेतु किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

2.2. आयुष दवाओं की निगरानी को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना (CENTRAL SECTOR SCHEME FOR PROMOTING PHARMACOVIGILANCE OF AYUSH DRUGS)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ

• आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के दस्तावेजीकरण की संस्कृति विकसित करना तथा इनकी	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	• यह एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क है, जिसमें-
	  ○ नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर (NPvCC),
	  ○ इंटरमीडियरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर (IPvCCs) और

© Vision IAS

सुरक्षात्मक निगरानी करने के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले भ्रामक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करना।	○ पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स (PPvCC) शामिल हैं। • नई दिल्ली स्थित **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान**, आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। इसे इस पहल के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के समन्वय हेतु NPvCC के रूप में नामित किया गया है।

2.3. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना (National AYUSH Grid Project)	• यह परियोजना **संपूर्ण आयुष क्षेत्रक के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी आधार** निर्मित करने हेतु वर्ष 2018 में आरंभ की गई थी। • संपूर्ण आयुष क्षेत्रक के डिजिटलीकरण से इसका अनुसंधान, शिक्षा, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और औषधि विनियमों सहित **सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल वितरण क्षेत्रक में रूपांतरण होगा।** • इस **परियोजना के तहत आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप और योग लोकेटर मोबाइल ऐप** को आरंभ किया गया है। • इसके अतिरिक्त, प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक/C-DAC) के सहयोग से आयुष पेशेवरों के लिए एक विशिष्ट रूप से निर्मित IT पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया था। • आयुष शिक्षा का समर्थन करने के लिए **आयुष नेक्स्ट** (Ayush Next) नाम से एक महत्वाकांक्षी परियोजना भी आरंभ की जा रही है। ज्ञातव्य है कि इसे विकसित कर लिया गया है और इसके शीघ्र ही ऑनलाइन उपलब्ध होने की अपेक्षा है। • अब, आयुष ग्रिड को **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDMH)** के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।
ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी {Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)}	• यह परियोजना **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और आयुष मंत्रालय (पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग) के मध्य सहयोग** से वर्ष 2001 (इसे आरंभ हुए 20 वर्ष हो गए हैं) में प्रारंभ की गई थी। • **TKDL डेटाबेस में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों,** यथा- आयुष (आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) तथा योग के **3.9 लाख से अधिक सूत्रीकरण / चिकित्सा-उपाय डिजिटाइज्ड प्रारूप में शामिल हैं।** • TKDL डेटाबेस 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, यथा- अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश में उपलब्ध है। • यह डेटाबेस, **TKDL एक्सेस (गैर-प्रकटीकरण) समझौते** के माध्यम से केवल पेटेंट परीक्षकों के लिए उपलब्ध है। • यह भारतीय परंपरागत ज्ञान का उपयोग करके विकसित किए गए उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने से रोकने का प्रयास करता है, ताकि **अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों में भारत के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को रोका जा सके।** • TKDL डेटाबेस में मौजूद पूर्वगामी कला साक्ष्यों के आधार पर अब तक 239 पेटेंट आवेदनों को या तो लंबित / वापस / संशोधित किया गया है।
आयुष क्लिनिकल केस रिपॉजिटरी (CCR) पोर्टल **{Ayush Clinical Case Repository (CCR) portal}**	• हाल ही में, आयुष मंत्रालय द्वारा **CCR पोर्टल** और **आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च** किया गया है। ○ **CCR पोर्टल का उद्देश्य** आयुष चिकित्सकों द्वारा **रोगों से संबंधित नतीजे** के बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी एकत्र करना है। ○ यह **आयुष चिकित्सकों और आम जनता** दोनों का समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। • **आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण:** यह आयुष 64 और कबासुरा कुडीनीर (KabasuraKudineer) दवाओं सहित चयनित आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन और दस्तावेज़ीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

3.1. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

3.1.1. प्लास्टिक पार्क योजना (PLASTIC PARK SCHEME)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्लास्टिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मकता और निवेश में वृद्धि करना, पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास और क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाना तथा प्लास्टिक के आयात को कम करना।	• इसकी **परिकल्पना राष्ट्रीय प्लास्टिक पार्क नीति, 2010** में की गई थी। इस नीति को वर्ष 2013 में संशोधित किया गया था। • यह योजना **आवश्यकता आधारित "प्लास्टिक पार्क"** की स्थापना का समर्थन करती है। ये पार्क आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त परिवेश होंगे। साथ ही, यह योजना इस क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने तथा अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी रूप से योगदान करने हेतु सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता में सहायता करेगी। • **वित्तपोषण प्रतिरूप:** केंद्र द्वारा 50% राशि (40 करोड़ रुपये प्रति योजना की निर्धारित सीमा के तहत) का योगदान किया जाएगा और शेष योगदान राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सृजित विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा किया जाएगा।

3.2. उर्वरक विभाग (DEPARTMENT OF FERTILISERS)

3.2.1. यूरिया सब्सिडी (UREA SUBSIDY)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

लागत प्रभावी मूल्यों पर यूरिया उर्वरकों की समयबद्ध और सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• यूरिया सब्सिडी **उर्वरक विभाग की केंद्रीय क्षेत्रक की योजना का एक भाग है।**
	• किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
	• यूरिया इकाइयों द्वारा खेत पर ही उर्वरकों के वितरण की लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के मध्य के अंतर को भारत सरकार यूरिया निर्माता/आयातक को सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इसमें देश भर में **यूरिया की ढुलाई हेतु माल-भाड़ा सब्सिडी भी सम्मिलित है।**
	  ○ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के लाभ स्वरूप किसानों द्वारा वहनीय MRP पर यूरिया की खरीद की जा रही है।
	• **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली:** इसे मार्च 2018 में आरंभ किया गया था। खुदरा विक्रेताओं द्वारा कृषकों को उर्वरक के वास्तविक विक्रय के उपरांत ही कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान करना होगा।
	  ○ प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास उर्वरक विभाग के **ई-उर्वरक DBT पोर्टल (e-Urvarak DBT portal)** से लिंक्ड **पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीन** होना अनिवार्य है।
	  ○ सब्सिडी वाले उर्वरक का क्रय करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने **आधार "विशिष्ट पहचान संख्या" या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**
	  ○ क्रेता का नाम और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ क्रय किए गए प्रत्येक उर्वरकों की मात्रा को PoS उपकरण पर दर्ज करवाना होगा। **ई-उर्वरक प्लेटफॉर्म पर उर्वरक का विक्रय पंजीकृत होने पर ही संबंधित कंपनी सब्सिडी का दावा कर सकती है और सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के बैंक खाते में प्रेषित किया जाता है।**

3.2.2. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NUTRIENT BASED SUBSIDY SCHEME)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• **इसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने,** कृषि उत्पादकता में सुधार करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, उर्वरक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और सब्सिडी के बोझ को कम करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
	• यह योजना वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी, जब **फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों** के मूल्यों को **नियंत्रण मुक्त** कर दिया गया था (यूरिया उर्वरक के मूल्य को अब भी नियंत्रित किया जाता है)।
	• **सब्सिडी:** फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) नियंत्रण से मुक्त है एवं उर्वरक विनिर्माताओं / विपणकों को उचित मूल्य पर इन उर्वरकों की MRP निर्धारित करने की अनुमति है। केंद्र प्रत्येक पोषक तत्व पर सब्सिडी की एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) प्रदान करता है।
	  ○ इन पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व यथा नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और द्वितीयक पोषक तत्व यथा सल्फर (S) शामिल हैं।
	  ○ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे **बोरॉन और जिंक** के लिए भी **अतिरिक्त सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
	  ○ P&K उर्वरकों के 22 ग्रेड नामतः डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (MAP), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP), पोटाश के मुरीएट (MOP), अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) आदि तथा NPKS के 16 ग्रेड [नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), सल्फर (S) इत्यादि] एवं **अमोनियम फॉस्फेट** जैसे जटिल उर्वरकों को NBS नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है।
	• सब्सिडी, उर्वरक विनिर्माण कंपनियों को प्रदान की जाती है और **सब्सिडी की दर वार्षिक आधार पर निर्धारित** की जाती है।

3.2.3. सिटी कम्पोस्ट स्कीम (CITY COMPOST SCHEME)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन प्रदान करना तथा किसानों को सब्सिडीकृत मूल्यों पर सिटी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध कराना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इस योजना के तहत प्रति टन सिटी कंपोस्ट (शहरी अपशिष्ट से बनने वाली खाद) पर **बाजार विकास सहायता** के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि करना है। • **उर्वरक कंपनियों और विपणन संस्थाओं** के माध्यम से सिटी कंपोस्ट के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। **कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा** देने हेतु कंपनियों द्वारा गांवों को भी अंगीकृत किया जाएगा। • इस हेतु एक उचित **BIS मानक/इको-मार्क** के माध्यम से किसानों तक पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

3.3. औषध विभाग (DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

3.3.1. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME FOR PHARMACEUTICALS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस क्षेत्रक में निवेश और उत्पादन में वृद्धि करके तथा औषध (pharmaceutical) क्षेत्रक में उच्च मूल्य की वस्तुओं के उत्पाद विविधीकरण में	• इस योजना का स्वीकृत परिव्यय (अर्थात् कुल खर्च की जाने वाली राशि) 15,000 करोड़ रुपये है। • **आवेदक:** ○ **कोई स्वामित्व फर्म (Proprietary Firm) या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) या भारत में पंजीकृत कोई कंपनी।**

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

योगदान करके **भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना।** • **भारत से वैश्विक चैंपियन्स (अर्थात् वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने वाले विनिर्माता) सृजित करना**, जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपने आकार और पैमाने में वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं तथा जिससे वे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं।	○ आवेदक को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा दिवालिया या इरादतन चूककर्ता (willful defaulter) घोषित नहीं किया गया हो या धोखाधड़ी (fraud) के रूप में प्रतिवेदित नहीं किया गया हो। ○ इस योजना के तहत **अधिकतम 55 आवेदकों का चयन** किया जाएगा। ○ जैसा कि योजना के तहत निर्धारित किया गया है, आवेदकों को **5 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष न्यूनतम संचयी निवेश प्राप्त करना** अनिवार्य होगा। • आवेदकों के आवेदनों को **वित्तीय वर्ष 2019-20 के वैश्विक विनिर्माण राजस्व के आधार पर तीन समूहों** में आमंत्रित किया गया है। ये समूह हैं: ○ 500 करोड़ रुपये से कम; ○ 500 करोड़ रुपये (समावेशी) और 5,000 करोड़ रुपये के मध्य; तथा ○ 5,000 करोड़ रुपये के समतुल्य या उससे अधिक। • **आधार वर्ष:** वित्तीय वर्ष 2019-20 • **योजना की अवधि:** इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक होगी। • इस योजना का क्रियान्वयन परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency) द्वारा किया जाएगा। • **इस योजना के तहत पात्र उत्पादों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।** इस योजना के तहत शामिल उत्पादों में सूत्रीकरण, बायोफर्मासिटिकल्स, सक्रिय औषध सामग्री, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरण इत्यादि शामिल हैं। ○ **श्रेणी-1** और **श्रेणी-2** उत्पादों पर 10% प्रोत्साहन दिया जाएगा। ○ **श्रेणी-3** उत्पादों में वृद्धिशील बिक्री पर 5% प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसी उत्पाद की वृद्धिशील बिक्री से अभिप्राय किसी वर्ष में उस उत्पाद की बिक्री का आधार वित्त वर्ष 2019-2020 में उस उत्पाद की बिक्री से अधिक होना।

3.3.2. महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME (FOR PROMOTION OF DOMESTIC MANUFACTURING OF CRITICAL KSMS (KEY STARTING MATERIALS)/DRUG INTERMEDIATES AND APIS (ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इस योजना का उद्देश्य मुख्य प्रारंभिक सामग्री (KSMs) / औषधि मध्यवर्ती (Drug Intermediates) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) में अधिक निवेश आकर्षित कर घरेलू विनिर्माण / उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य KSMs / औषधि मध्यवर्ती सामग्री और APIs के संबंध में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना है।	• **व्यापकता:** इस योजना के अंतर्गत, चयनित विनिर्माताओं द्वारा 41 उत्पादों के लिए की गई बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये 41 उत्पाद सभी चयनित APIs को कवर करते हैं। ○ 53 चिन्हित बल्क ड्रग्स (इसे सक्रिय औषध सामग्री भी कहते हैं) में से 26 किण्वन पर और 27 रसायन संश्लेषण पर आधारित बल्क ड्रग्स हैं। ○ किण्वन आधारित बल्क ड्रग्स के लिए प्रोत्साहन की दर 20% (विक्रय में वृद्धि के आधार पर) तथा रसायन संश्लेषण आधारित बल्क ड्रग्स के लिए यह दर 10% होगी। • यह योजना **केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है।** • इस योजना के तहत **पात्र विनिर्माताओं को आधार वर्ष (2019-20) की तुलना में उनकी वृद्धिशील बिक्री पर 6 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।**

© Vision IAS

	• यह योजना **औषध विभाग द्वारा नामित की जाने वाली परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। • इस **योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 तक होगी।** **हालिया परिवर्तन (Recent changes):** • निवेश संबंधी **'न्यूनतम सीमा'** के मानदंड को चयनित आवेदक द्वारा किए जाने वाले **'प्रतिबद्ध' निवेश** से प्रतिस्थापित किया गया है। • प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता के उद्देश्य से पात्र उत्पादों की बिक्री को **केवल घरेलू बिक्री** तक सीमित रखने वाले प्रावधान **को समाप्त किया गया है।** इस योजना को अन्य PLI योजनाओं के अनुरूप किया गया है और बाजार विविधीकरण को प्रोत्साहित किया गया है। • टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, पैरा अमीनो फिनोल (PAP), मेरोपेनेम, आर्टिसुनेट, लोसर्टन, टेल्मिसर्टन, ऐसीक्लोविर, सिप्रोफ्लोक्सासिन और एस्पिरिन जैसे **10 उत्पादों के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता** में परिवर्तन किया गया है। इस योजना के तहत "न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता" पात्रता संबंधी मानदंड का भाग है।

3.3.3. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु) {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME (FOR PROMOTION OF DOMESTIC MANUFACTURING OF MEDICAL DEVICES)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद् निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।	• **आवेदक:** भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, जो लक्ष्य क्षेत्र (target segment) के तहत शामिल वस्तुओं का विनिर्माण करने का प्रस्ताव करे। • यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है। • चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना को **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत आधार वर्ष 2019-20 के दौरान पहचाने गए चिकित्सा उपकरण खंडों पर वृद्धिशील बिक्री के **5%** की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • इसका लक्ष्य, चिकित्सा उपकरणों की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत **लगभग 25-30 विनिर्माताओं** को सहायता प्रदान करना है: ○ **कैंसर** देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण; ○ **रेडियोलॉजी और प्रतिबिंबन (imaging) चिकित्सा उपकरण;** एवं ○ नाभिकीय प्रतिबिंबन उपकरण। **हालिया परिवर्तन (Recent changes):** • चयनित आवेदक से 'प्रतिबद्ध' निवेश द्वारा निवेश संबंधी 'न्यूनतम सीमा' के मानदंड को प्रतिस्थापित किया गया है। • वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित आवेदकों द्वारा किए जाने वाले संभावित पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए इस **योजना के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा** दिया गया है। तदनुसार, **प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से विक्रय संबंधी आंकड़ों की गणना वित्तीय वर्ष 2021-2022 की बजाय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आरंभ से 5 वर्षों के लिए की जाएगी।**

3.3.4. बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (PROMOTION OF BULK DRUG PARKS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्यों के साथ मिलकर भारत में **3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स** विकसित करना। • देश में **बल्क ड्रग** की विनिर्माण लागत और **बल्क ड्रग** के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम करना।	**सामान्य सुविधाएं:** पार्कों में विभिन्न सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे- घोलक संयंत्र (solvent recovery plant), आसवन संयंत्र, विद्युत और भाप संयंत्र, सामान्य उत्सर्जन शोधन संयंत्र आदि। **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए भारत सरकार राज्यों को अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। **कार्यान्वयन एजेंसी:** यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) कार्यान्वित करेंगी। **नोट:** मात्रा के आधार पर भारतीय दवा उद्योग विश्व का **तीसरा** सबसे बड़ा औषध उद्योग है। इस उपलब्धि के बावजूद भारत मूलभूत कच्ची सामग्री (जैसे- दवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली बल्क ड्रग) के लिए आयात पर निर्भर है। कुछ विशेष बल्क ड्रग के मामले में आयात पर निर्भरता 80 से 100 प्रतिशत तक है।

3.3.5. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PRADHAN MANTRI BHARTIYA JANAUSHADHI PARIYOJANA: PM-BJP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• सभी के लिए, विशेष रूप से निर्धन और वंचित वर्गों हेतु वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएँ उपलब्ध कराना।
• प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि के व्यापक विशिष्ट केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा संबंधी व्ययों में कटौती करना।
	• इसे वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से आरंभ किया गया था।
	• यह लोगों को **वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने हेतु संचालित एक अभियान** है।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI)
	• इस योजना के तहत सभी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
	• **सहायता:** किसी सरकारी अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र की स्थापना करने वाले NGOs/एजेंसियों/व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में नि:शुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
	• प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (PMBJKs) को **जेनेरिक दवाएँ प्रदान** करने के लिए स्थापित किया गया है। ये दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं, किंतु उनसे कम कीमत पर उपलब्ध होंगी।
	• शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना**, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
	• राज्य सरकारें या कोई संगठन/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन (NGOs)/ट्रस्ट/निजी अस्पताल/धर्मार्थ संस्थान/डॉक्टर/अनियोजित फार्मासिस्ट/व्यक्तिगत उद्यमी 'PMBJK' के नए केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
	• किसी सरकारी अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र की स्थापना करने वाले NGOs/एजेंसियों/व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में नि:शुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा।
	• कार्यान्वयन एजेंसी: **ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI)**
	• **जन औषधि सैनिटरी सुविधा:** PMBJP के तहत केंद्र द्वारा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई है।
	  ○ इसकी सहायता से वंचित महिलाओं के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
	  ○ इसका विनिर्माण **ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI)** द्वारा किया जा रहा है।

 © Vision IAS

3.3.6. औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना (SCHEME STRENGTHENING OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY: SPI)*

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य भारत को **फार्मा (औषध) क्षेत्र में** वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए **मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना** है।
    - इसके तहत साझा सुविधाओं का निर्माण करने के लिए **फार्मा कलस्टर्स (समूहों) को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।
    - लघु और मध्यम उद्योगों (SMEs) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) की उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए SMEs और MSMEs को **उनके पूंजीगत ऋण पर ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन) या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।**
    - इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (Assistance to Pharmaceutical Industry for Common Facilities: APICF)	इसके तहत साझा सुविधाओं का निर्माण करके **मौजूदा फार्मास्युटिकल कलस्टर्स की क्षमता** को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य फार्मा उद्योग की सतत वृद्धि सुनिश्चित करना है।
औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme: PTUAS)	**प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले MSMEs को आगे बढ़ने में सहायता** प्रदान की जाएगी, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक संबंधी मानकों को पूरा कर पाएं।
औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना (Pharmaceutical & Medical Devices	इसके तहत **फार्मास्युटिकल (औषध) और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों की संवृद्धि और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।** यह कार्य अध्ययन / सर्वेक्षण

Promotion and Development Scheme: PMPDS)	रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस तैयार करने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा।

3.3.7. चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (SCHEME FOR PROMOTION OF MEDICAL DEVICES PARK)*

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को **वैश्विक स्तर पर अग्रणी** बनाने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना। • **विश्व स्तरीय साझा अवसंरचनात्मक सुविधाओं** के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और अवसंरचना सुविधाओं तक सुगम पहुंच उपलब्ध कराना। • घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की **बेहतर उपलब्धता और वहनीयता** के कारण चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी करना। • **संसाधनों के अनुकूलन और आकारिक मितव्ययिता** से उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • चिकित्सा उपकरण पार्क से अभिप्राय **चिकित्सा उपकरणों के अनन्य विनिर्माण** के लिए साझा अवसंरचना सुविधाओं वाले एक सन्निहित सतत भू-क्षेत्र से है। • इस योजना के अंतर्गत चयनित 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • एक चिकित्सा उपकरण पार्क हेतु **अधिकतम सहायता अनुदान 100 करोड़ रुपये** तक सीमित होगा, अर्थात् योजना का कुल वित्तीय परिव्यय (4 चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए) 400 करोड़ रुपये होगा। • योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक होगी। • राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क में **साझा अवसंरचना सुविधाओं** के निर्माण के लिए **एकमुश्त अनुदान सहायता** प्रदान की जाएगी। • **नोट:** भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की कुल घरेलू मांग के 85% तक के लिए आयात पर निर्भर है।

3.3.8. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

फ़ार्मा जन समाधान (Pharma Jan Samadhan)	• यह औषधियों के मूल्य एवं उपलब्धता से संबंधित **उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली** है। इसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा सृजित किया गया है। • यह **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करेगा। • NPPA द्वारा शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
'फ़ार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप ('Pharma SahiDaam' Mobile App)	• यह NPPA द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल ऐप है। यह NPPA द्वारा विभिन्न अनुसूचित औषधियों के लिए **निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को रियल-टाइम आधार** पर प्रदर्शित करता है।

© Vision IAS

4. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/क्षेत्रीय संपर्क योजना {UDE DESH KA AAM NAAGRIK (UDAN)/REGIONAL CONNECTIVITY SCHEME (RCS)}*

उद्देश्य

• एयरलाइन परिचालन हेतु सहायता प्रदान कर **क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी को वहनीय एवं सुगम बनाना/बढ़ावा देना।** इसके लिए निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी:
  ○ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विमान पत्तन संचालकों द्वारा रियायत; एवं
  ○ वित्तीय समर्थन (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण)।
• **मौजूदा हवाई पट्टियों और विमानपत्तनों के पुनरुद्धार** द्वारा असेवित (Unserved) तथा अल्प-सेवित (Underserved) विमान पत्तनों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
  ○ अल्पसेवित (Underserved) विमानपत्तन वे होते हैं, जहाँ एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं (प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14), जबकि असेवित विमानपत्तन वे होते हैं, जहां कोई अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध नहीं होती हैं।

प्रमुख विशेषताएं

• **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** इसका **कार्यान्वयन प्राधिकरण** है।
• यह **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016** का एक प्रमुख घटक है।
• यह योजना (योजना संस्करण 1.0 की अधिसूचना की तिथि से) 10 वर्ष तक की अवधि के लिए परिचालन में बनी रहेगी।
• क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए इसमें एक **विशिष्ट मांग एवं बाजार-आधारित मॉडल** को अपनाया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) केवल उन राज्यों में और विमानपत्तनों/एयरोड्रमों/हेलीपैडों में संचालित रहेगी, जहां इस योजना के तहत आवश्यक रियायत प्रदान कर इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा।
• क्षेत्रीय उड़ानों में हवाई किराया, एक विमान पर लगभग 500 कि.मी. के लिए या हेलिकॉप्टर पर 30 मिनट के लिए 2,500 रुपये प्रति घंटा तक निर्धारित किया गया है।
• एयरलाइंस को रियायती दरों पर 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 सीटें) प्रदान करनी होती हैं। शेष 50% सीटों का मूल्य बाजार दर पर निर्धारित किया जाता है। हेलिकॉप्टरों के लिए, यदि सीटें 13 या इससे कम हैं, तो RCS सीटों के रूप में 100% उपलब्ध करवाना आवश्यक है, परन्तु यदि क्षमता 13 से अधिक है, तो अधिकतम 13 को RCS सीटें माना जाएगा।
• इस योजना के तहत RCS मार्गों के लिए चयनित ऑपरेटरों को **रियायतें और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF) के रूप में सहायता** प्रदान की जाएगी।
  ○ इसके तहत केंद्र द्वारा घरेलू एयरलाइंस की प्रत्येक प्रस्थान करने वाली उड़ान पर 8,500 रुपये तक का शुल्क (levy) अधिरोपित कर राशि संग्रहित की जाएगी। साथ ही, VGF का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 20% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा (पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए यह 10% है)।
    ▪ इस उद्देश्य के लिए **एक क्षेत्रीय संपर्क कोष** का सृजन किया जाएगा।
  ○ हालांकि, राज्य RCS मार्गों और **लक्षद्वीप विशिष्ट मार्ग** के रूप में वर्गीकृत किए गए मार्गों के लिए, राज्य सरकारें तथा गृह मंत्रालय क्रमशः इस योजना के तहत VGF के 100% की प्रतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होंगे।
  ○ **राज्य सरकारों** को निःशुल्क सुरक्षा और अग्नि सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, RCS विमानपत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि आदि प्रदान करना होगा।
  ○ **विमानपत्तन/एयरोड्रम/हेलीपैड ऑपरेटर:** RCS के तहत उड़ान हेतु कोई लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेवीगेशन लैंडिंग शुल्क आरोपित नहीं किए जाएंगे।

- यदि RCS के तहत परिचालनों के लिए विमानपत्तनों/वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड पर बुनियादी ढांचे के किसी भी पुनर्सुधार / उन्नयन की आवश्यकता होती है, तो AAI द्वारा संबंधित राज्य सरकार / विमानपत्तन / वाटर एरोड्रमस / हेलीपैड ऑपरेटर से आवश्यक लागत भुगतान को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होगा।

4.2. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

कृषि उड़ान योजना (Krishi Udaan Scheme)	• इस योजना की घोषणा **वित्त वर्ष 2020-21 के बजट** में की गई थी। • इस योजना का उद्देश्य कृषकों (विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी और जनजातीय जिलों में) को उनके **शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करना है, ताकि इससे उनकी 'मूल्य प्राप्ति' में सुधार** किया जा सके। इस योजना के तहत देश के किसानो की फसलों को विशेष हवाई विमानों के ज़रिये एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय पर पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानो की फसलें समय से बाजार में पहुंच सकेंगी, जिसकी वजह से किसानो को अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त होंगे। • इस योजना के तहत प्रथम समर्पित घरेलू मालवाहक वायुयान द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उपज का परिवहन **लेंगपुई विमानपत्तन (मिजोरम) से कोलकाता विमानपत्तन तक** तक किया गया है। • इसी प्रकार, मालवाहक वायुयान द्वारा कृषि उत्पादों का परिवहन **गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से हांगकांग तक किया गया है।** गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सीमा शुल्क, पादपों के लिए क्वारंटाइन और अन्य आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
डिजीयात्रा प्लेटफ़ॉर्म (Digiyatra Platform)	• यह विमान पत्तन पर यात्रियों के प्रवेश एवं संबंधित आवश्यकताओं के लिए **बायोमेट्रिक-आधारित** डिजिटल प्रसंस्करण प्रणाली है। • यह विमान पत्तन पर स्थित विभिन्न चेक पॉइंट्स पर कागज़-रहित (पेपरलेस) यात्रा तथा प्रत्येक बार पहचान की जाँच से मुक्ति को सुविधाजनक बनाता है। इसके तहत प्रत्येक यात्री को एक विशिष्ट डिजी यात्रा ID प्रदान की जाएगी।
नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमानन केंद्र) {NABH (Nextgen Airports for Bharat)}	• इसका उद्देश्य प्रति वर्ष एक बिलियन यात्राओं को संचालित करने के लिए **विमान पत्तनों की क्षमता** में 5 गुना से अधिक विस्तार करना है। • इसका उद्देश्य 4 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से **15 वर्षों में लगभग 100 विमानपत्तनों को स्थापित करना** है तथा इसके लिए आवश्यक निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होगा।

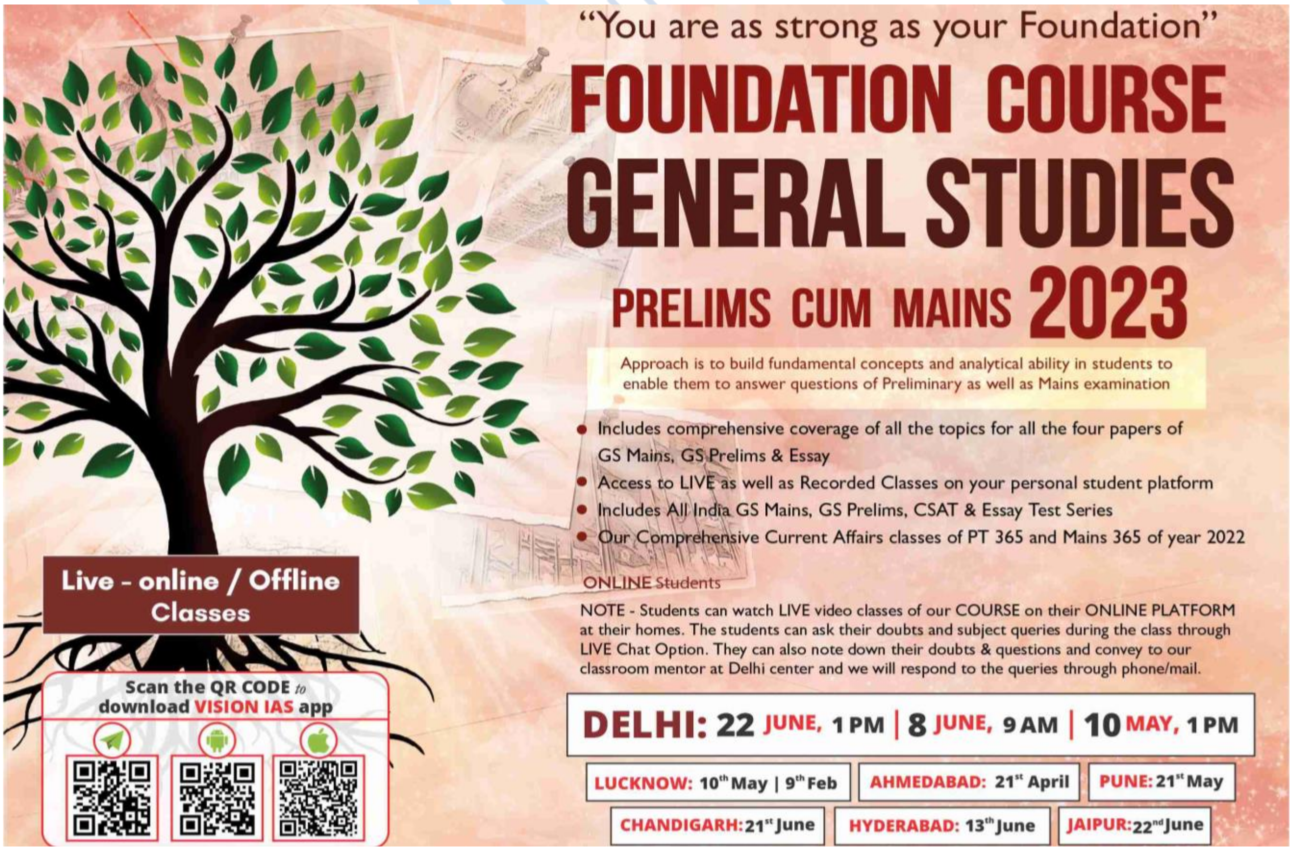

5. कोयला मंत्रालय (MINISTRY OF COAL)

5.1. शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयला का दोहन और आवंटन की योजना) (SCHEME FOR HARNESSING AND ALLOCATING KOYALA TRANSPARENTLY IN INDIA: SHAKTI SCHEME)

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>अपेक्षित लाभार्थी</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr>
<td>

देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से कोयला उपलब्ध कराना तथा
साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोल लिंकेज (या आपूर्ति) का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके।

</td>
<td>

विद्युत कंपनियाँ (कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति)
उपभोक्ता (विद्युत लागत में कमी)
स्वदेशी कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले में कमी)
बैंकिंग क्षेत्रक (NPAs में कमी)

</td>
<td>
<table>
<tr><td>कोयला लिंकेज नीति</td><td>यह नीति कोयले की नीलामी के माध्यम से ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSA) की कमी वाले ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करेगी।
एक लिंकेज कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से एक उपभोक्ता को कोयला आपूर्ति का आश्वासन है।</td></tr>
<tr><td>कोयला लिंकेज युक्तिकरण</td><td>इसका अर्थ है उन खदानों से कोयला खरीदना जो विद्युत संयंत्र के समीप हों, या कोई ऐसी प्रक्रिया, जिससे अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो।
कोल लिंकेज, राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को आवंटित किए जाएंगे, जो प्रतिलाभ में, इन लिंकेज को ताप-विद्युत संयंत्रों को सौंपेंगे।</td></tr>
<tr><td>कोयला लिंकेज के लिए बोली-प्रक्रिया</td><td>निजी स्वामित्व वाले स्वतंत्र विद्युत संयंत्रों (IPPs) (विद्युत खरीद समझौतों या PPA के साथ या उनके बिना) को कोयला लिंकेज प्राप्त करने के लिए बोली लगानी होगी।
बोली का आधार कोयले के स्रोत का स्थान, कोयले की मात्रा, विद्युत की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का वितरण बिंदु होगा।</td></tr>
<tr><td>कोयले के उपयोग के लिए मानदंड निर्धारित करना</td><td>राज्य/केंद्रीय उत्पादन संयंत्रों में कोयले के उपयोग के लिए निर्णायक मानदंडों में संयंत्र दक्षता, कोयला परिवहन लागत, पारेषण शुल्क और विद्युत की कुल लागत शामिल होंगे।</td></tr>
</table>
नोट: पूर्व में, कोल लिंकेज प्राप्त करने के लिए विद्युत खरीद समझौते (PPAs) आवश्यक थे। परन्तु, वर्तमान में सरकार ने पी. के. सिन्हा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार SHAKTI के तहत इन मानदंडों को उदार बना दिया है। अब, जिन विद्युत संयंत्रों के पास PPAs नहीं हैं उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से नीलामी के माध्यम से कोल लिंकेज प्राप्त हो सकेंगे। इससे इस क्षेत्र में तनाव कम करने में सहायता मिलेगी।
</td>
</tr>
</table>

5.2. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

उत्तम (खनन किए गए कोयले के तृतीय पक्ष आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना) ऐप {UTTAM (Unlocking Transparency By Third Party Assessment Of Mined Coal) app}	• **कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है। • यह ऐप, कोयला पारिस्थितिकी तंत्र में **जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और दक्षता** को सुनिश्चित करने में मदद करता है। • यह ऐप, **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों में तृतीय पक्ष आधारित नमूना प्रक्रिया की निगरानी में सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है।** • यह एक अंतर्क्रियात्मक **मानचित्र आधारित प्रणाली** है। यह गुणवत्ता संबंधी विभिन्न मानकों, यथा- घोषित सकल कैलोरी मान (Gross Calorific Value: GCV), विश्लेषित घोषित सकल कैलोरी मान तथा कवरेज संबंधी मानक, जैसे- स्थिति एवं नमूने के रूप में प्राप्त की गई मात्रा इत्यादि हेतु विभिन्न सहायक कंपनियों के पास विद्यमान कोयले की गुणवत्ता की समग्र कवरेज प्रदान करेगी।
कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली {Coal Mine Surveillance and Management System (CMSMS)}	• यह एक **वेब आधारित GIS एप्लीकेशन** है। इसके माध्यम से अनधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया जाएगा। • सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा। ○ **इस मानचित्र पर सभी कोयला खदानों की लीजहोल्ड/पट्टा-अवधि सीमाओं को प्रदर्शित** किया गया है। • उपग्रह डेटा के माध्यम से यह प्रणाली उन परिवर्तनों का पता लगा सकता है, जिनके द्वारा **आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर अनधिकृत खनन गतिविधियों को संचालित** किया जाता है और साथ ही उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। • यह व्यवहार में **'सहकारी संघवाद'** की अवधारणा को अपनाने हेतु किया गया एक प्रयास है।
खान प्रहरी (Khan Prahahri)	• यह अवैध कोयला खनन जैसे रैट होल माइनिंग, चोरी आदि से संबंधित **सभी प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट हेतु उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण** है। ○ **कोई भी व्यक्ति घटना की जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ लिखित सूचना को सीधे सिस्टम में अपलोड** कर सकता है। • **शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा।**
सतत विकास प्रकोष्ठ (Sustainable Development Cell: SDC)	• **कोयला मंत्रालय** ने खदानों के बंद होने के दौरान संधारणीय कोयला खनन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारणार्थ SDC की स्थापना करने का निर्णय लिया है। • इसके द्वारा डेटा के संग्रह और विश्लेषण, योजना, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने आदि के संबंध में प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। • SDC द्वारा संधारणीय तरीके से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा किए गए शमन उपायों के संबंध में सुझाव, परामर्श, योजना और निगरानी का कार्य किया जाएगा। यह **खान बंदी कोष (Mine Closure Fund)** सहित पर्यावरणीय शमन उपायों के लिए भविष्य की नीतिगत रूपरेखा भी तैयार करेगा। • इस मामले में यह कोयला मंत्रालय के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
प्रकाश (आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता) (Power	• इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय

© Vision IAS

Rail Koyla Availability through Supply Harmony: PRAKASH) पोर्टल	सुनिश्चित करना है। यह ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। • यह पोर्टल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation: NTPC) द्वारा विकसित किया गया है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों से आँकड़े प्राप्त किए जाते हैं। • यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रण और निगरानी करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ○ आपूर्ति स्रोतों (खानों) पर कोयले का भंडार (स्टॉक); ○ योजनाबद्ध कोयले के सांचे (rakes); ○ पारगमन में कोयले की मात्रा और ○ विद्युत उत्पादक केंद्रों पर कोयले की उपलब्धता। • **यह पोर्टल अग्रलिखित चार रिपोर्ट्स उपलब्ध कराएगा:** विद्युत संयंत्र की दैनिक स्थिति, विद्युत संयंत्र की आवधिक स्थिति, संयंत्र अपवाद रिपोर्ट (Plant Exception Report) एवं कोयला प्रेषण रिपोर्ट (Coal Dispatch Report)।

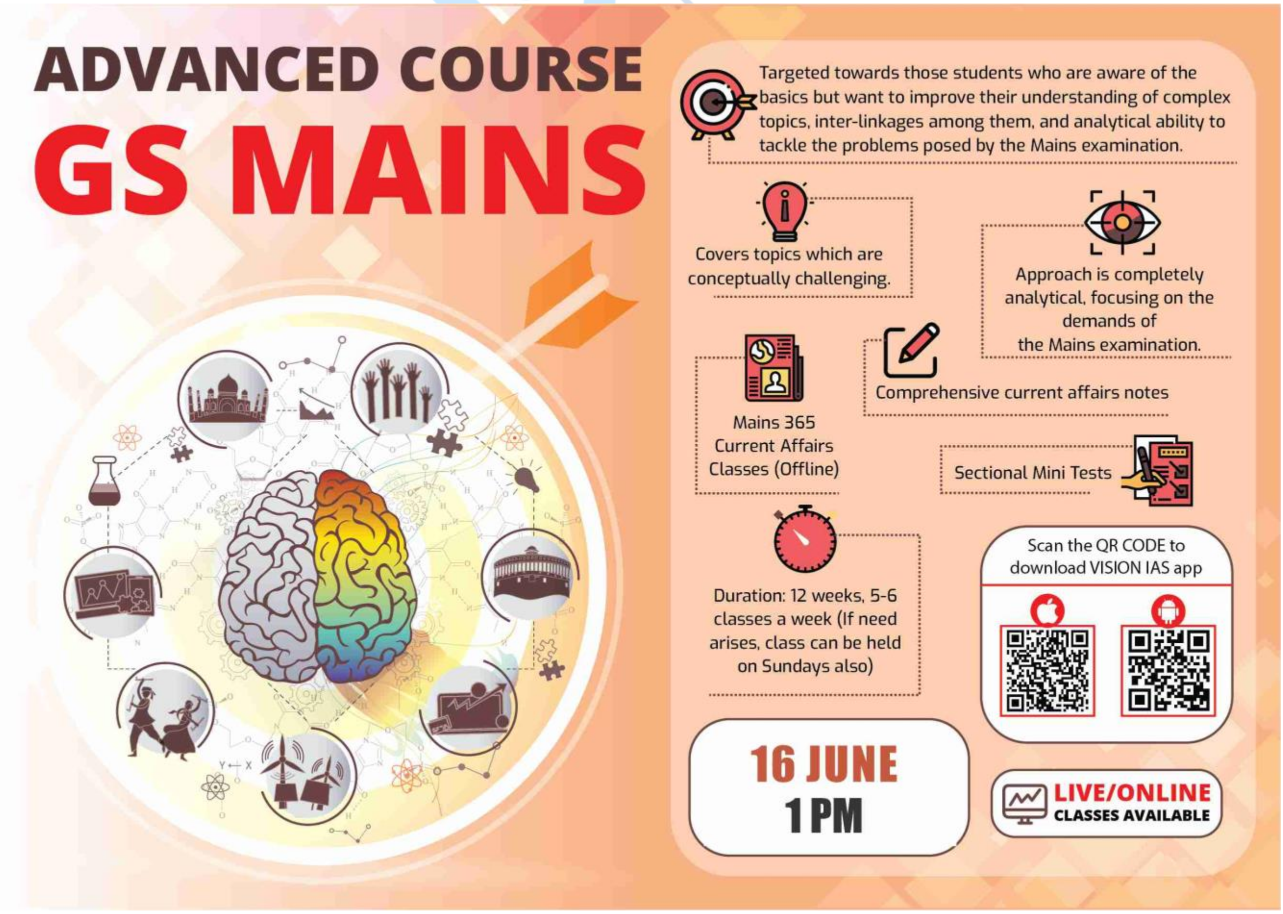

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY)

6.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME (PLI) FOR WHITE GOODS (AIR CONDITIONERS AND LED LIGHTS) MANUFACTURERS IN INDIA}

उद्देश्य

- व्हाइट गुड्स की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और** व्यापक निवेश को आकर्षित करना।
- **क्षेत्रगत कमियों का निवारण करना, उन्हें वृहद पैमाने पर किफायती बनाना, निर्यात में वृद्धि करना,** एक सुदृढ़ घटक परिवेश का निर्माण करना और रोजगार का सृजन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस योजना को **वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक** 6,238 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- योजना के तहत एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स के घटकों के विनिर्माण में संलग्न कंपनियों/इकाइयों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- **प्रोत्साहन:** पात्र कंपनियों को आधार वर्ष के आगामी पांच वर्षों और एक वर्ष की उत्पादन पूर्व अवधि के लिए लक्षित खंड के तहत कवर होने वाली तथा भारत में विनिर्मित वस्तुओं के आधार वर्ष से ऊपर की अवधि में **वृद्धिशील बिक्री (करों को घटाकर) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा।
- **पात्रता:**
    - योजना के तहत भारत में लक्षित खंडों में विनिर्माण के लिए **ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश** करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
    - कंपनियों की पात्रता विभिन्न लक्षित खंडों के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा किए जाने के अधीन होगी।
    - **पात्रता**, संबंधित वर्ष के लिए आधार वर्ष के पश्चात् विनिर्मित वस्तुओं (व्यापार की गई वस्तुओं से भिन्न) के **संचयी वृद्धिशील निवेश और वृद्धिशील बिक्री** (करों को घटाकर) **की सीमा के अधीन** होगी।
    - **आधार वर्ष: इस योजना के तहत** वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना गया है।
    - **निवेश का प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा तथा वृद्धिशील बिक्री का प्रथम वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 होगा।** संबंधित वर्ष के लिए PLI का वास्तविक संवितरण उस वर्ष के पश्चात् किया जाएगा।
- **इस योजना में वित्तपोषण सीमित** है और लक्ष्य से अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक सीमित होगा।
- मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS) PLI योजना की निगरानी करेगा।

6.2. स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (START UP INDIA SEED FUND SCHEME)*

उद्देश्य

- इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये स्टार्ट-अप्स उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश प्राप्त कर सकेंगे या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त प्राप्त कर सकेंगे।

PT 365 - सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग – 1

 © Vision IAS

पात्रता

- **स्टार्टअप्स के लिए पात्रता: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्टार्टअप,** जो निम्नलिखित मानदंडों को पूर्ण करते हैं:
  - जो आवेदन करने के समय दो वर्ष से अधिक पहले से निगमित न हो और जिसके द्वारा केंद्र सरकार / राज्य सरकारों से 10 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक सहायता (पुरस्कार राशि को छोड़कर) प्राप्त नहीं की गई हो।
  - इनसे अपेक्षा की जाती है कि इनके पास उत्पाद या सेवा विकसित करने के लिए **एक व्यावसायिक विचार हो,** जो बाजार के लिए उपयुक्त हो, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो और जिसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रवर्धन की संभावना हो।
  - सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रकों में अभिनव समाधानों का निर्माण करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **इन्क्यूबेटर्स के लिए पात्रता मानदंड:**
  - इन्क्यूबेटर्स का एक विधिक इकाई (सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या वैधानिक निकाय) होना अनिवार्य है।
  - **इन्क्यूबेटर्स को इस योजना के लिए आवेदन करने की तिथि तक कम से कम दो वर्षों से परिचालन में** होना चाहिए।
  - **उनके पास कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था** होनी चाहिए।
  - आवेदन की तिथि तक **इन्क्यूबेटर में** कम से कम 5 स्टार्ट-अप्स भौतिक रूप से इनक्यूबेशन कर रहे हों।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना की घोषणा **'प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट'** में की गई थी। वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक भारत भर में पात्र इन्क्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को 945 करोड़ रुपये का कोर सीड फंड वितरित किया जाएगा।
- इस योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (Expert Advisory Committee: EAC)** का गठन किया जाएगा।
- **स्टार्टअप 70 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं:**
  - चयनित इनक्यूबेटरों को उनके स्टार्टअप्स की अवधारणा की प्रामाणिकता या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या प्रोडक्ट ट्रायल के सत्यापन के आधार पर, 20 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - बाजार में प्रवेश करने के लिए, व्यवसायीकरण या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों के माध्यम से खुद को बढ़ावा देने के लिए उनके स्टार्टअप्स में 50 लाख रुपये तक का निवेश प्रदान किया जाएगा।
- **इन्क्यूबेटरों को अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपये तक प्राप्त होंगे:**
  - अनुदान की प्रथम किस्त की प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर इनक्यूबेटर द्वारा अनुदान का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।
  - यदि इन्क्यूबेटर ने प्रथम 2 वर्षों के भीतर कुल प्रतिबद्धता का कम से कम 50% उपयोग नहीं किया है, तो इनक्यूबेटर **आगामी किस्त का आहरण करने के लिए पात्र नहीं** होंगे।

नोट: भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र है, जिसने विभिन्न उदीयमान उद्यमियों को उनकी नवीन तकनीकों में सहयोग प्रदान कर उन्हें बड़े निगम बनने में सहायता की है।

6.3. स्टार्टअप इंडिया (STARTUP INDIA)*

उद्देश्य
देश में नवाचार और स्टार्ट-अप्स के पोषण के लिए एक सुदृढ़ इको-सिस्टम का निर्माण करना।

पात्रता

- स्टार्ट-अप की मान्यता के लिए **पात्रता मानदंड** निम्नानुसार हैं:
  - स्टार्ट-अप को एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित होना** चाहिए या एक **साझेदारी फर्म या एक सीमित देयता भागीदारी (limited liability partnership) के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए।
  - विगत किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार **(टर्नओवर) 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं** होना चाहिए।
  - किसी इकाई को उसके **निगमीकरण की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने तक ही उसे** स्टार्ट-अप माना जाएगा।
  - स्टार्ट-अप को **मौजूदा उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के नवाचार / सुधार की दिशा में कार्य** करना चाहिए और इसमें **रोजगार / धन सृजित करने की क्षमता** होनी चाहिए।

(पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या इसके पुनर्निर्माण के माध्यम से निर्मित किसी इकाई को "स्टार्ट-अप" नहीं माना जाएगा।)

प्रमुख विशेषताएं

- **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** इसकी कार्यान्वियन एजेंसी है।

नोट:

- **फंड ऑफ फंड्स* का अभिप्राय:** सरकार द्वारा **डॉटर फंड** के रूप में ज्ञात सेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड) में पंजीकृत **वैकल्पिक निवेश कोषों (Alternate Investment Funds: AIFs)** की पूंजी में भागीदारी की जाती है, जिसके प्रतिफल में AIF द्वारा इक्विटी / इक्विटी से संबद्ध लिखतों के माध्यम से भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जाता है।
  - **कर छूट**:**
    - यदि परिसंपत्ति खरीद हेतु पात्र स्टार्ट-अप में पूंजी का निवेश किया जाता है, तो आवासीय घर/भूखंड की बिक्री से उत्पन्न **पूंजीगत लाभ** पर कर छूट प्रदान की जाएगी।
    - यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में निवेश (अधिकतम निवेश 50 लाख रुपये) किया गया है, तो **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर** कर छूट प्रदान की जाएगी।
    - **एंजेल टैक्स:** स्टार्ट-अप के फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक निवेश पर आरोपित होगा। नए नियमों के तहत, एक स्टार्ट-अप द्वारा जारी किए गए शेयरों के लिए समग्र निवेश 10 करोड़ रुपये की पूर्व की सीमा से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हाल ही में, आयकर अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी स्टार्ट-अप की शेयर पूंजी में न्यूनतम 50% धारिता या मतदान अधिकार संबंधी शर्त को 25% कर दिया गया है।

© Vision IAS

यह कार्य योजना तीन स्तंभों पर आधारित है

सरलीकरण और सहायताः

1. स्टार्टअप पर विनियामक बोझ को कम करने और अनुपालन लागत को कम रखने के लिए स्व-प्रमाण पत्र पर आधारित स्टार्टअप के लिए सरल अनुपालन व्यवस्था।
2. स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्टार्टअप इंडिया हब।
3. अनुपालन और सूचना के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल का शुभारंभ।
4. कम लागत पर विधिक सहायता और त्वरित पेटेंट परीक्षण।
5. स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद के मानदंडों में शिथिलता।
6. स्टार्टअप के लिए त्वरित निकासी के प्रावधान (90 दिनों की अवधि के भीतर)।

उद्योग-शिक्षा जगत की साझेदारी और इनक्यूबेशनः

7. नवाचारों को प्रदर्शित करने और सहयोग मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप फेस्ट्स का आयोजन करना।
8. नीति आयोग के स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (SETU/सेतु) कार्यक्रम के साथ अटल नवाचार मिशन (AIM) का शुभारंभ।
9. इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करना।
10. राष्ट्रीय संस्थानों में नवोन्मेष केंद्रों की स्थापना करना।
11. आई.आई.टी. मद्रास के रिसर्च पार्क पर आधारित 7 नए रिसर्च पार्कों की स्थापना करना।
12. जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
13. छात्रों के लिए नवाचार केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ करना।
14. इनक्यूबेटर्स के बीच श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज का आयोजन करना।

वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन

15. स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि के साथ फंड ऑफ फंड्स (FFS) की स्थापना की गई है। यह कोष सिडबी (SIDBI) द्वारा प्रबंधित है।
16. सिडबी के माध्यम से स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी फंड।
17. पूंजीगत लाभ पर कर छूट।

6.4. मेक इन इंडिया (MAKE IN INDIA)

उद्देश्य
भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य और विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार में एक वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्तंभ:**

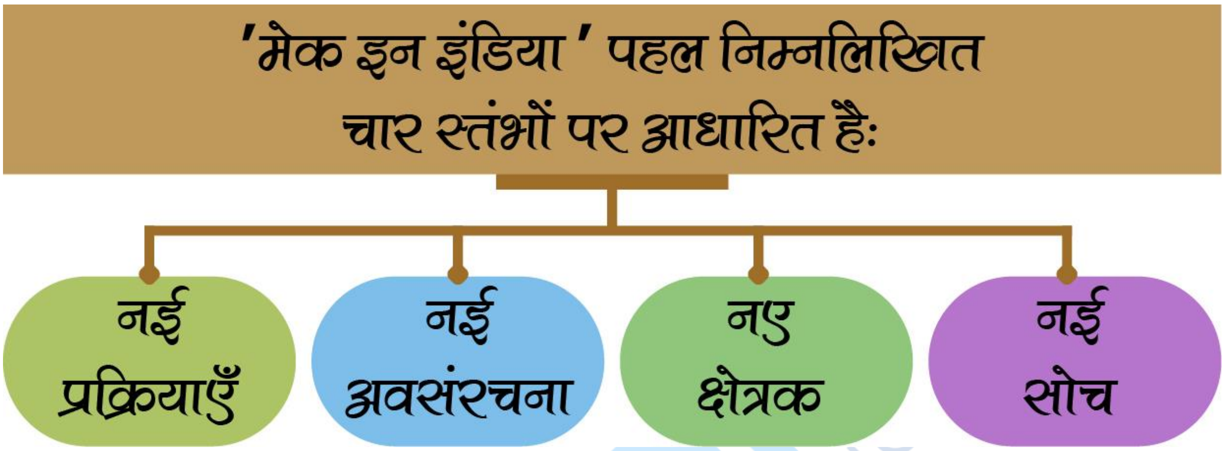

  - **नई प्रक्रियाएँ:** यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **'व्यवसाय करने में सुगमता'** (ease of doing business) को एकल सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
  - **नई अवसंरचना:** सरकार औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी का विकास करने तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है। तीव्र पंजीकरण प्रणाली और IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) पंजीकरण हेतु बेहतर अवसंरचना के माध्यम से नवाचार एवं अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - **नए क्षेत्रक:** रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना को वृहद पैमाने पर FDI के लिए खोल दिया गया है।
  - **नई सोच:** देश के आर्थिक विकास में उद्योग को भागीदार बनाने के लिए सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी न कि विनियामक की। मेक इन इंडिया अभियान के लिए वर्ष 2014 में एक **समर्पित निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ (Investor Facilitation Cell: IFC)** का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश के पूर्व के चरण और निवेश की अवधि से लेकर निवेश के उपरांत तक विनियामकीय अनुमोदन, स्वीकृति व देखभाल सेवाओं के लिए निवेशकों की सहायता करना है।
- **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) 15** विनिर्माण क्षेत्रकों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि **वाणिज्य विभाग 12** सेवा क्षेत्रकों का समन्वय करता है।
- **योजना के तहत लक्ष्य:**
  - मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्रक में **12-14% प्रतिवर्ष की वृद्धि** करना।
  - वर्ष 2022 तक देश के **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत** करना।
  - विनिर्माण क्षेत्रक में **वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार** सृजित करना।

PT 365 - सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग – 1

6.5. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TRADE INFRASTRUCTURE FOR EXPORT SCHEME: TIES)*

उद्देश्य

निर्यात अवसंरचना में व्याप्त अंतराल को समाप्त कर, केन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं हेतु आरंभ से अंत तक कनेक्टिविटी तथा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण कर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना सीमावर्ती हाटों, शीत श्रृंखला, ड्राई पोर्ट्स आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ नवीन अवसंरचनाओं के सृजन तथा **मौजूदा अवसंरचनाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के तहत मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड्स, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण और शीर्ष व्यापार निकाय सहित केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियां **वित्तीय सहायता** प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
- **केंद्र सरकार** द्वारा प्रदत्त वित्तपोषण को अनुदान सहायता **के रूप में प्रदान किया जाएगा**, हालांकि यह सामान्यत: कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना की कुल इक्विटी के 50% (प्रत्येक अवसंरचना परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए) से अधिक नहीं होगा।
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।

6.6. चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना {CHAMPION SERVICES SECTOR SCHEME (CSSS)}*

उद्देश्य

- क्षेत्रीय और विनियामकीय सुधार, सेवा मानक, डेटा सुरक्षा आदि सहित क्षेत्रीय और क्रॉस कटिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना।
- प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए **नवाचार को प्रोत्साहन** प्रदान करना।
- सेवाओं की व्यापक श्रृंखला में **सेवा निर्यात** को बढ़ावा देना।
- **कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सृजन** करना।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र **(वाणिज्य विभाग)** की एक अम्ब्रेला योजना है।
- **संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा** मंत्रिमंडल सचिव के अधीन सचिवों की समिति (CoS) के समग्र मार्गदर्शन में कार्यान्वयन की **निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र** को भी अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
- चैंपियन क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य योजना के लिए पहल को समर्थन प्रदान करने हेतु **5,000 करोड़ रुपये के एक समर्पित कोष** को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है।

12 चैंपियन सेवा क्षेत्र

चिकित्सा संबंधी यात्रा	पर्यटन और आतिथ्य	पर्यावरणीय सेवाएं	संचार सेवाएं	विधिक सेवाएं	दृश्य-श्रव्य सेवाएं
लेखांकन व वित्त	शिक्षा सेवाएं	वित्तीय सेवाएं	निर्माण एवं संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं	परिवहन और संभार सेवाएं	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (IT & ITeS)

- इन क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों / विभागों को चिन्हित चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जो प्रभावी रूप से अम्ब्रेला योजना CSSS के तहत संचालित उनकी क्षेत्रीय योजनाएं होंगी। उदाहरणार्थ चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत IT & ITeS के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

6.7. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

भारत से सेवा निर्यात योजना (Service Exports from India Scheme: SEIS)

- इसे एक पूर्ववर्ती योजना **"भारत से सेवित योजना"** को प्रतिस्थापित करते हुए **विदेश व्यापार नीति (FTP), 2015-20** के तहत आरंभ किया गया था। जून 2020 में, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण **SEIS की वैधता अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया** गया था।
- **उद्देश्य:** भारत से **अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित और अधिकतम** करना।
- SEIS 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' की बजाय 'भारत में अवस्थित **सेवा प्रदाताओं'** पर लागू होगी। इस प्रकार SEIS द्वारा **अधिसूचित सेवाओं** के सभी सेवा प्रदाताओं को (जो भारत से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं) उनके संगठन या रूपरेखा पर ध्यान दिए बिना प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- SEIS के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनकी निवल विदेशी मुद्रा आय पर 3% या 5% की दर से **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया** जाता है। ये SEIS स्क्रिप हस्तांतरणीय होते हैं और इसका उपयोग कई केंद्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें सीमा शुल्क भी शामिल है।

इन्वेस्ट इंडिया बिज़नेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म (Invest India business immunity platform)

- इस मंच को **इन्वेस्ट इंडिया** ने व्यवसायों और निवेशकों को भारत द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रति की जा रही सक्रिय प्रतिक्रिया के बारे में रियल टाइम अपडेट प्राप्त करने में सहायता करने हेतु एक व्यापक संसाधन के रूप में डिजाइन किया गया है।
- यह वायरस को नियंत्रित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखता है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के संबंध में नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, विशिष्ट प्रावधानों तक पहुंच प्रदान करता है एवं ईमेल व व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देता है तथा शिकायतों का समाधान उपलब्ध कराता है।

© Vision IAS

पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना {Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)}

- यह **शून्य सीमा शुल्क** पर उत्पादन-पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादन पश्चात् पूंजीगत **वस्तुओं के आयात** (नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) की अनुमति प्रदान करती है।
- EPCG योजना के तहत आयात, **शुल्कों, करों और पूंजीगत वस्तुओं पर आरोपित उपकर के 6 गुने के समतुल्य निर्यात बाध्यता** के अधीन होगा। इसे अनुज्ञा के जारी होने की तिथि से 6 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।
- **आयात के लिए प्राधिकार (इसके जारी होने की तिथि से) 18 महीने तक वैध** होगा।
- EPCG प्राधिकार के **पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

निर्यात बंधु योजना (Niryat Bandhu Scheme)

- इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श प्रदान करने हेतु वर्ष 2011 में विदेश व्यापार नीति 2009-14 के भाग के रूप में घोषित किया गया था।
- इस योजना को 'कौशल भारत' और व्यापार संवर्धन एवं जागरूकता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित और पुनर्स्थापित किया गया है।
- वर्ष 2015 में नए निर्यातकों, स्टेटस होल्डर कर्मचारियों (employees of status holders), उद्यमियों आदि के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (Indian Institute of Foreign Trade: IIFT) के साथ मिलकर एक 'निर्यात व्यवसाय पर ऑनलाइन प्रमाण-पत्र कार्यक्रम' भी प्रारंभ किया गया था।

बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता के लिए योजना: रचनात्मक भारत, अभिनव भारत (Scheme for IPR Awareness – Creative India; Innovative India)

- इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के मार्गदर्शन एवं तत्वावधान में बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (CIPAM) द्वारा आरंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2017 से वर्ष 2020 में छात्रों, युवाओं, लेखकों, कलाकारों, उदीयमान अन्वेषकों और पेशेवरों के मध्य IPR जागरूकता को बढ़ाना है। इससे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के टियर 1, टियर 2 व टियर 3 शहरों में अपनी कृतियों एवं आविष्कारों के सृजन, नवाचार एवं संरक्षित करने में प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी।

परियोजना निगरानी समूह {Project Monitoring Group (PMG)}

- PMG एक संस्थागत तंत्र है। इसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपये (सभी मध्यम और बड़े आकार की सार्वजनिक, निजी और 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' परियोजनाओं) के निवेश के साथ परियोजनाओं से संबंधित चुनौतियों एवं विनियामक बाधाओं पर त्वरित समाधान प्रदान किया जाता है।
- वर्तमान में PMG, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के इन्वेस्ट इंडिया में स्थित है।
- यह निर्गम समाधान सहित निवेश प्रक्रिया के सभी चरणों में निवेशकों के लिए वन-स्टॉप सुविधा गंतव्य प्रदान करता है।
- PMG सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं को तब तक स्वीकार करता है, जब तक वे सीमा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण न कर लें।
- **ये परियोजनाएं सामान्यतया इस प्रकार के क्षेत्रों से निर्गत होती हैं:**
  - सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे व नागरिक विमानन;
  - अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह और नौवहन;
  - रसायन, उर्वरक और पेट्रो-रसायन तथा
  - विदयुत।

इंटीग्रेट टू इनोवेट कार्यक्रम (Integrate to Innovate Programme)

- इस कार्यक्रम को ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DPIIT के तहत इन्वेस्ट इंडिया ने विद्युत कंपनियों के साथ साझेदारी में आरम्भ किया है।
- यह कॉर्पोरेट परिसर में स्थापित किए गए ऊर्जा स्टार्टअप के लिए तीन माह का एक कॉर्पोरेट त्वरण कार्यक्रम है।
- कार्यक्रम के लिए आवेदन सुविधा को स्टार्टअप इंडिया हब पर आयोजित किया गया है।
- चयनित स्टार्टअप्स को कॉरपोरेट्स के साथ अपने उत्पाद को संचालित करने का अवसर तथा प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट्स उन्हें भागीदारों के कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी, तकनीकी और वाणिज्यिक सलाह एवं संभावित ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करेंगे।

'स्वायत्त' पहल ('SWAYATT' initiative)

- **स्वायत्त** वस्तुतः गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पर ई-लेनदेन के माध्यम से **स्टार्ट-अप्स, महिलाओं एवं युवाओं के लाभ** को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- यह **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस** (जो एक राष्ट्रीय खरीद पोर्टल है) हेतु भारतीय उद्यमिता परिवेश के भीतर प्रमुख हितधारकों को एक साथ आने के अवसर प्रदान करेगी।

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (NEIDS) 2017 {North East Industrial Development Scheme (NEIDS) 2017}

- NEIDS को सिक्किम के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में **औद्योगिक विकास को और अधिक तीव्र करने एवं रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू** किया गया था।
- इस योजना में **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक, दोनों** को शामिल किया गया है।
- **NEIDS योजना प्रदान करती है:**
  - केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन, आयकर प्रतिपूर्ति, GST प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साहन, रोजगार प्रोत्साहन आदि।

निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (TMA) योजना
{Transport and Marketing Assistance (TMA) for specified agriculture products scheme}

- हाल ही में, सरकार द्वारा निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए TMA योजना का दायरा बढ़ाते हुए **डेयरी उत्पादों को भी इसमें** शामिल कर लिया गया है। साथ ही, सरकार ने समुद्री मार्ग से निर्यात के लिए सहायता की दरों में 50% की वृद्धि और हवाई मार्ग से निर्यात के लिए सहायता की दरों में 100% की वृद्धि की है।
- इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज के माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटकों के लिए सहायता प्रदान करना है।
  - इसका उद्देश्य ट्रांस-शिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करना एवं निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देना है।
- **कवरेज:**
  - पात्र कृषि उत्पादों को विदेश व्यापार नीति के अनुसार संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद में विधिवत पंजीकृत सभी निर्यातक इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे।
  - समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट अनुमत देशों में पात्र कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अधिसूचित दरों पर सहायता उपलब्ध होगी।
- **सहायता का तरीका:** TMA के तहत सहायता भुगतान किए गए भाड़े की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष **बैंक हस्तांतरण के माध्यम से नकद में** प्रदान किया जाएगा।
- **सहायता प्राप्त करने की शर्त:** सहायता केवल तभी प्राप्त होगी जब **निर्यात के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से निःशुल्क विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो।**

 © Vision IAS

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (Indian Footwear and Leather Development Programme: IFLDP)

- इस योजना को पहले भारतीय फुटवियर चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (IFLADP) कहा जाता था।
- इसका उद्देश्य **चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, चमड़ा उद्योग से संबंधित विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।**
- **उप योजनाएं:**
  - **सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन:** प्रत्येक **कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट** के लिए गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 80%, अन्य क्षेत्रों में 70% की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास:** क्षेत्रीय इकाइयों को उनके **आधुनिकीकरण/ क्षमता विस्तार/ प्रौद्योगिकी उन्नयन** के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **संस्थागत सुविधाओं की स्थापना: अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र, खेल परिसर की स्थापना,** पारंपरिक बल्ब को एलईडी लाइट्स से बदलने आदि, जैसी सुविधाएं।
  - **मेगा लेदर फुटवियर एंड एक्सेसरीज क्लस्टर डेवलपमेंट:** विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का लक्ष्य तथा उत्पादन श्रृंखला को इस तरह से एकीकृत करना, जिससे व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। साथ ही, जो उद्योग की जरूरतों को पूरा करते हुए घरेलू बाजार और निर्यात की आवश्यकता को पूरा करे।
  - **चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में भारतीय ब्रांड्स का प्रचार:** भारत सरकार की ओर से सहायता कुल परियोजना लागत का 50% है।
  - **डिजाइन स्टूडियो के विकास के लिए सहायता (एक नई उप-योजना):** डिज़ाइन स्टूडियो एक तरह का 'वन-स्टॉप-शॉप' होगा जो सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा - डिज़ाइन, तकनीकी सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण, आदि।

हालिया संशोधन: इस योजना को वर्ष 2021-26 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

नोट: भारत में चमड़ा उद्योग **दुनिया के चमड़े / खाल के उत्पादन का लगभग 13% हिस्सा है।** विश्व के फुटवियर उत्पादन में **भारत की हिस्सेदारी 9% है।**

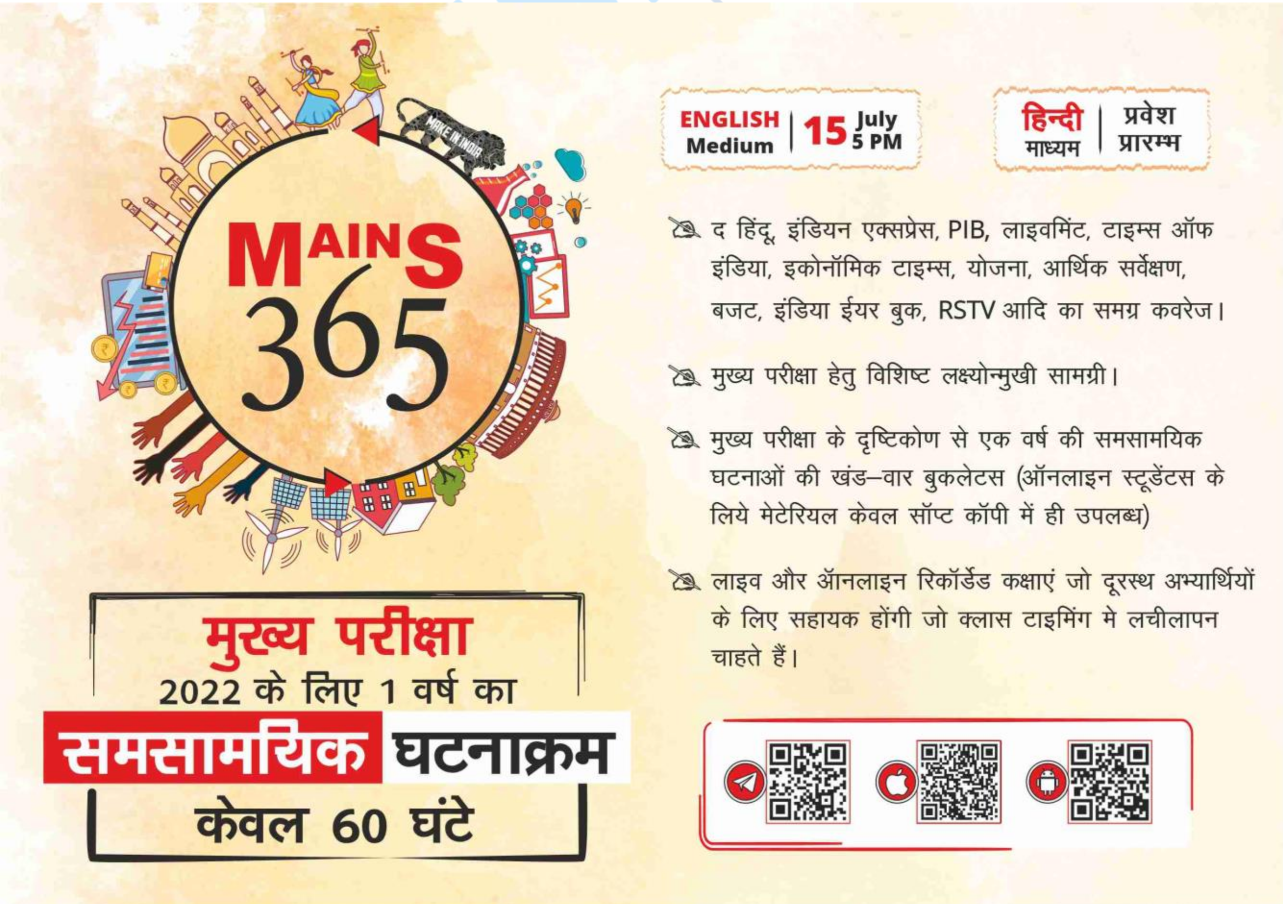

7. संचार मंत्रालय (MINISTRY OF COMMUNICATIONS)

7.1. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR PROMOTING TELECOM & NETWORKING PRODUCTS}

उद्देश्य

- **मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित** करने के लिए **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा** देना और **दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित क्षेत्रों में निवेश** आकर्षित करना।
- "मेड इन इंडिया" के तहत दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के **निर्यात को बढ़ावा** देना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** तथा **गैर-MSMEs** (इसमें घरेलू कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक कंपनियां भी शामिल हैं) दोनों के लिए उपलब्ध है।

इस योजना के तहत पात्रता, **वैश्विक विनिर्माण राजस्व (Global Manufacturing Revenues: GMR)** के लिए **योग्यता मानदंड** के अधीन निम्नानुसार होगी:

वैश्विक कंपनियां: वैश्विक कंपनियों के लिए GMR आधार वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।	**घरेलू कंपनियां:** घरेलू कंपनियों के लिए GMR आधार वर्ष में 250 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।	**MSMEs:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए GMR आधार वर्ष में 10 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।

इस योजना के तहत पात्रता, **संचयी वृद्धिशील निवेश** और **निवल वृद्धिशील बिक्री** की निर्धारित सीमा के अधीन होगी।

निवेश के लिए आधाररेखा: दिनांक 31-3-2021 होगी।	**बिक्री के लिए आधाररेखा:** वित्तीय वर्ष 2019-20 होगी।

लागू प्रोत्साहन: आधार वर्ष से 5 वर्ष के लिए MSMEs हेतु 7 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक और अन्य के लिए 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए **परियोजना प्रबंधन एजेंसी (Project Management Agency: PMA)** के रूप में नामित किया गया है।

योजना की अवधि: यह योजना **1 अप्रैल 2021 से प्रभावी** होगी। निवेश को वार्षिक अर्हक वृद्धिशील सीमा को पूरा करने की शर्त के अधीन 4 वर्ष में किए जाने की अनुमति होगी, तथापि योजना के तहत सहायता 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries: EGoS)** PLI योजना की निगरानी करेगा।

नोट:

- वैश्विक स्तर पर **दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्यात लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार संबंधी अवसर प्रदान करता** है, जिसका भारत द्वारा **लाभ** उठाया जा सकता है।
- इस योजना के साथ भारत वस्तुतः **दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित होने की दिशा में प्रभावी स्थिति में होगा। इस योजना से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है।

 © Vision IAS

- ऐसा अनुमान है कि इस योजना से **3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश** होगा तथा **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक रोजगार** सृजित होंगे।

7.2. भारत नेट परियोजना (BHARAT NET PROJECT)

उद्देश्य

- **वर्ष 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना।**
- 30 लाख कि.मी. के रूट में वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना और **वर्ष 2024 तक टावर घनत्व को प्रति हजार जनसंख्या पर 0.42 टावर से बढ़ाकर 1.0 टावर करना।**
- ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और टावर सहित डिजिटल संचार नेटवर्क तथा अवसंरचना का एक डिजिटल फाइबर मैप निर्मित करना।
- मोबाइल और इंटरनेट संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना।
- **ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना।**
- डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के विस्तार एवं निर्माण में तेजी लाने के लिए अनिवार्य **नीति तथा विनियामकीय परिवर्तनों को संबोधित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- इसका लक्ष्य सभी **2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान** करना है।
- यह **ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस,** ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट तक पहुँच, G2C, B2B, P2P, B2C आदि तथा मौसम, कृषि संबंधी एवं अन्य सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा।
- **'भारत नेट परियोजना', NOFN (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड नाम है,** जिसे निम्नलिखित तीन चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रथम चरण	इसके अंतर्गत, भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस प्रकार प्रथम चरण को निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया था।
द्वितीय चरण	इसमें भूमिगत फाइबर, फाइबर ओवर पावरलाइन, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया का इष्टतम मिश्रण करके सभी 2,50,500 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। यह चरण मार्च 2019 में लगभग पूर्ण हो गया है।
तृतीय चरण	यह **वर्ष 2019 से वर्ष 2023** तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस दौरान रिंग टोपोलॉजी (व्यर्थ के संचरण को रोकना) के साथ जिलों और ब्लॉकों के मध्य फाइबर केबल्स बिछाये जायेंगे। साथ ही, इसे अत्याधुनिक और भावी अभेद्य नेटवर्क बनाया जाएगा।

- इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दूरसंचार विभाग के अधीन स्थापित **भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड** नामक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसका वित्त पोषण **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)** द्वारा किया जा रहा है।

7.3. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NATIONAL BROADBAND MISSION)

उद्देश्य

- **वर्ष 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना।**
- 30 लाख कि.मी. के रूट में वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना और **वर्ष 2024 तक टावर घनत्व को प्रति हजार जनसंख्या पर 0.42 टावर से बढ़ाकर 1.0 टावर करना।**

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और टावर सहित डिजिटल संचार नेटवर्क तथा अवसंरचना का एक डिजिटल फाइबर मैप निर्मित करना।
- मोबाइल और इंटरनेट संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करना।
- **ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करना।**
- डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं के विस्तार एवं निर्माण में तेजी लाने के लिए अनिवार्य **नीति तथा विनियामकीय परिवर्तनों को संबोधित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

सिद्धांत	लक्ष्य	वित्तपोषण
सार्वभौमिकता, वहनीयता और गुणवत्ता	डिजिटल संचार अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए, डिजिटल अंतराल को कम करना, डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन की सुविधा प्रदान करना तथा सभी के लिए ब्रॉडबैंड की वहनीय एवं सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।	**सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि** (Universal Service Obligation Fund: USOF) के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपये (10%) सहित सरकार और उद्योग जैसे विभिन्न हितधारकों की मदद से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर (7 लाख करोड़ रुपये) का निवेश किया जाएगा।

नोट: USOF एक सांविधिक निधि है {भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत} और इसका उपयोग विशेष रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूर्ण करने के लिए किया जाता है अर्थात् यह असेवित/अल्प सेवित ग्रामीण क्षेत्रों को एक विश्वसनीय एवं सर्वव्यापी दूरसंचार नेटवर्क से प्रभावी ढंग से जोड़ने में मदद करती है।

7.4. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना {PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAY SANCHAR KAUSHAL VIKAS PRATISTHAN (PDDUSKVP) SCHEME}

उद्देश्य

दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार कुशल श्रमशक्ति के सृजन की पूरक व्यवस्था करना और राष्ट्र के युवाओं के लिए आजीविका पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएं

आरंभ में यह उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है। प्रथम चरण में प्रायोगिक आधार पर 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आने वाले दिनों में, इसे संपूर्ण भारत में कार्यान्वित किया जाएगा।	PDDUSKVP द्वारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) और दूरसंचार क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष 2017 में योजना के प्रायोगिक चरण को स्वीकृति प्रदान की गई थी।	
इस योजना में विभिन्न ग्रामीण, पिछड़े और जरूरतमंद क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान (PDDUSKVP) नामक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	सरकार दूरसंचार क्षेत्र में अभिनव कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी करेगी।

© Vision IAS

7.5. तरंग संचार (TARANG SANCHAR)

प्रमुख विशेषताएं

वेब पोर्टल	• यह मोबाइल टावरों और विद्युतचुंबकीय आवृत्ति (EMF) उत्सर्जन के अनुपालन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पोर्टल है। • इसे उद्योगों के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से विकसित किया गया है।
विकिरण उत्सर्जन मानदंड	• वैश्विक मानकों की तुलना में भारतीय मानकों द्वारा विकिरण उत्सर्जन पर 10 गुना अधिक कठोरतापूर्ण सीमा निर्धारित की गई है।
निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं:	• किसी भी क्षेत्र के आसपास मोबाइल टावर का पता लगाया जा सकता है। • किसी भी स्थान पर मोबाइल टावरों को उनकी EMF सुरक्षा स्थिति के साथ पता लगाया जा सकता है। • EMF पर सार्वजनिक शिक्षण संसाधनों द्वारा EMF मापन हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

7.6. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन (दर्पण) परियोजना {DARPAN: Digital Advancement of Rural Post Office for A New India}

- इसका उद्देश्य **सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंकिंग सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का "वित्तीय समावेशन" सुनिश्चित करना है।**
- यह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के आधुनिकीकरण की एक परियोजना है।
- इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के **पोस्टमास्टर (BPM) को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध** करवाना है।
    - यह समाधान लगभग 1.29 लाख डाकघरों को सभी राज्यों में ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए सक्षम बनाएगा।
- डाक जीवन बीमा (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) नीतियों के लिए प्रीमियम के निर्बाध संग्रहण हेतु **DARPAN-PLI एप्लिकेशन** लॉन्च की गई थी।

संपूर्ण बीमा ग्राम योजना (Sampoorna Bima Gram Yojana)

- इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना है।
- यह देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान करेगा। साथ ही, कम से कम एक RPLI (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गाँव के सभी परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
- इसे 24 मार्च, 1995 को मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करता है।
- कम प्रीमियम और उच्च बोनस RPIL योजनाओं की एक अनन्य विशेषता रही है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को उन्हें संपूर्ण बीमा ग्राम में रूपांतरित के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

दीन दयाल स्पर्श (रुचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति) योजना {DeenDayal SPARSH (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby) Yojana}

- यह डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई एक अखिल भारतीय योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर 6000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह (Philately) को एक रुचि के रूप में चुना है।

कूल EMS (एक्सप्रेस मेल सर्विस) {Cool EMS (Express Mail Service)}

- कूल EMS (एक्सप्रेस मेल सर्विस) जापान से भारत तक एकतरफा ऐसी सेवा है जो भारत में ग्राहकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए जापानी खाद्य पदार्थों का आयात करेगी। भारतीय नियमों के तहत इसकी अनुमति दी गई है।
- प्रारंभ में, कूल EMS सेवा केवल दिल्ली में उपलब्ध होगी। खाद्य पदार्थों को जापान के डाक विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार ठंडे बक्सों में लाया जाएगा, जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए रेफ्रिजरेंट होते हैं।

प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पी.एम.-वाणी) {Prime Minister Wi-Fi Access network Interface (PM-WANI)}

- दूरसंचार विभाग (DoT) के अनुसार, वर्ष 2021 में पी.एम.-वाणी के तहत 50,000 से अधिक एक्सेस पॉइंट तैनात किए गए।
- पी.एम.-वाणी का लक्ष्य सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रावधान करते हुए देश में **वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।**

पी.एम.-वाणी के तहत अलग-अलग भाग

पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO)	पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA)	ऐप प्रोवाइडर	सेंट्रल रजिस्ट्री
ये **केवल पी.एम. वाणी के तहत आने वाले वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स (Wi-Fi Access Points) को स्थापित करने, रख-रखाव करने और संचालित** करने का काम करेंगे और उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेंगे।	यह PDOs का एक एग्रीगेटर होगा और यह प्रमाणीकरण और लेखा का रख-रखाव का कार्य करेगा।	उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने, आस-पास के क्षेत्र में वाणी ई-फाई हॉटस्पॉट खोजने और उन्हें ऐप में प्रदर्शित करने हेतु ऐप विकसित करना।	यह **ऐप प्रोवाइडर,** PDOA और PDO के विवरण को बनाए रखेगा।

© Vision IAS

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

8.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

8.1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013}

उद्देश्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडीकृत मूल्य {जिसे **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है} पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान करना।**

पात्रता

अधिनियम के तहत पात्र परिवारों में **दो श्रेणियां शामिल हैं:**

- **प्राथमिकता प्राप्त परिवार: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किग्रा.** खाद्यान्न के लिए पात्र है।
- **अंत्योदय अन्न योजना (निर्धनतम) के अंतर्गत आने वाले परिवार: ये प्रति माह 35 किलोग्राम** के लिए पात्र हैं।

प्रमुख विशेषताएं

वर्तमान में CIP: चावल 3 रुपये प्रति कि.ग्रा., गेहूं 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति कि.ग्रा.।

कवरेज	• NFSA के तहत देश की **67 प्रतिशत** आबादी को कवर किया गया है। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी (कुल 81.35 करोड़ व्यक्ति) शामिल हैं। NFSA के तहत राज्यवार कवरेज तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा **वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग** करके निर्धारित किया गया था।
जीवन-चक्र दृष्टिकोण	• गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है और मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से भी मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। • 6 वर्ष तक के **कुपोषित बच्चों** के लिए **उच्च पोषण मानदंड निर्धारित** किए गए हैं।
मातृत्व लाभ	• गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए और साथ ही, पोषण के पूरक हेतु कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
खाद्य सुरक्षा भत्ता	• यह खाद्यान्न की हकदार मात्रा की आपूर्ति नहीं होने पर दिया जाता है। इसका प्रावधान **खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015** के तहत किया गया है।

केंद्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी को परिभाषित करता है।	
केंद्र: राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को अपेक्षित खाद्यान्नों का आवंटन, प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों की ढुलाई और भारतीय खाद्य निगम	**राज्य / संघ राज्यक्षेत्र:** इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य / संघ राज्यक्षेत्र उत्तरदायी हैं। इसमें अन्य विषयों के साथ-साथ पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

(FCI) के निर्दिष्ट गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) तक खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना केंद्र की जिम्मेदारी है	की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण करना, उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस जारी करना और उनकी निगरानी करना, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनिवार्य सुदृढीकरण करना शामिल है।

8.1.2. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONE NATION ONE RATION CARD: ONORC)

उद्देश्य

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को **राष्ट्रीय / अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी** की सुविधा को संभव बनाया जा रहा है।
- कोई भी निर्धन व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण करता है, तो भी वह खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना वर्ष 2019 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आरम्भ की गई थी:
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थियों, **विशेष रूप से प्रवासियों को देश भर में अपनी पसंद की किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन (गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न) प्राप्त हो सके।**
    - वर्तमान व्यवस्था के तहत, राशन कार्डधारक केवल उस क्षेत्र में PDS से खाद्यान्न खरीद सकता है जहां वह निवासित है। राष्ट्रीय स्तर पर 'ONORC' प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात् यह व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी।
  - विभिन्न राज्यों से लाभ प्राप्त करने के लिए बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार और राशन कार्ड में धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना।
  - **देश में भुखमरी से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करना** तथा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग में और सुधार करना।
- लाभार्थियों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से उनके **आधार कार्ड आधारित पहचान** के अनुसार की जाएगी।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** पोर्टल (http://www.impds.nic.in/) राशन कार्डों की **अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी** के लिए तकनीकी मंच प्रदान करता है। इससे प्रवासी श्रमिक देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से खाद्यान्न खरीद सकते हैं।
- एक अन्य पोर्टल (annavitran.nic.in) भी राज्य के भीतर e-PoS उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण के डेटा को होस्ट/संयोजित करने में मदद करता है।
- बजट 2021-22 में, सरकार ने घोषणा की थी कि ONORC योजना 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात् कुल लाभार्थियों का लगभग 86%) तक विस्तारित की जा रही है।
  - **शेष चार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल) को आगामी कुछ महीनों में इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।**

नोट: केंद्र ने वर्ष 2020-21 में राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के **3% से बढ़ाकर 5%** कर दिया है। हालांकि, GSDP के 3.5% से अधिक की वृद्धिशील उधारी राज्यों द्वारा किए गए सुधारों से संबद्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- ONORC का सार्वभौमिकरण।
- व्यवसाय करने की सुगमता सुधार।
- विदयुत वितरण सुधार।
- शहरी स्थानीय निकाय सुधार।

8.1.3. अंत्योदय अन्न योजना (ANTYODAYA ANNA YOJANA: AAY)

उद्देश्य
निर्धनों में भी निर्धनतम आबादी को लक्षित करना और उन्हें भुखमरी से राहत प्रदान करना।

अभिप्रेत लाभार्थी

- भूमिहीन खेतिहर श्रमिक, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत दैनिक रूप से आजीविका अर्जित करने वाले श्रमिक।
- ऐसे परिवार जिनका मुखिया कोई विधवा या गंभीर रूप से रुग्ण व्यक्ति (terminally ill persons)/दिव्यांगजन/60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है और जिनके पास निर्वाह योग्य या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन उपलब्ध नहीं है।
- सभी आदिम जनजातीय परिवार।
- निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सभी HIV संक्रमित व्यक्तियों के परिवार।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से **अत्यंत निर्धन परिवारों** को शामिल करती है और उन्हें अत्यधिक सब्सिडीकृत दर पर अर्थात् 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराती है।
- **AAY, NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक अवयव** भी है और AAY के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
- **राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को वितरण लागत वहन करनी होती है। इसमें विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी सम्मिलित होती है।

8.1.4. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM: TPDS)

उद्देश्य
निर्धन परिवारों की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से सब्सिडीकृत कीमतों पर खाद्यान्न, चावल और/ या गेहूं उपलब्ध कराना।

अपेक्षित लाभार्थी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अखिल भारतीय स्तर पर देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के लिए अत्यधिक सब्सिडीकृत खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार, TPDS के अंतर्गत **समावेशन को निर्धनता के अनुमानों से पृथक** कर दिया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

इसका संचालन केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) की सरकारों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** के अंतर्गत किया जा रहा है।
केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के निर्दिष्ट डिपो तक उनके परिवहन के लिए उत्तरदायी है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन और वितरण के लिए परिचालन संबंधी उत्तरदायित्वों, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा **उचित मूल्य की दुकानों (FPS)** की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।
थोक विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं के लिए लाभ, परिवहन शुल्क, स्थानीय करों आदि को ध्यान में रखते हुए **राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अंतिम खुदरा मूल्य तय** किया जाता है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, यह निर्धारित करते हैं कि राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों को प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करना आवश्यक है।

TPDS (नियंत्रण) आदेश, 2015 और **NFSA, 2013** के प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के साथ लागत साझा करने के आधार पर **'TPDS संचालन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण'** पर एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

8.1.5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (INTEGRATED MANAGEMENT OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM: IM-PDS)

उद्देश्य

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत संचालित 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- लाभार्थी डेटा (आधार आधारित) की द्विरावृत्ति से बचने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर डेटा रिपोजिटरी का सृजन करना।
- निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं

यह 'PDS परिचालन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण' के विस्तार के अनुरूप है।

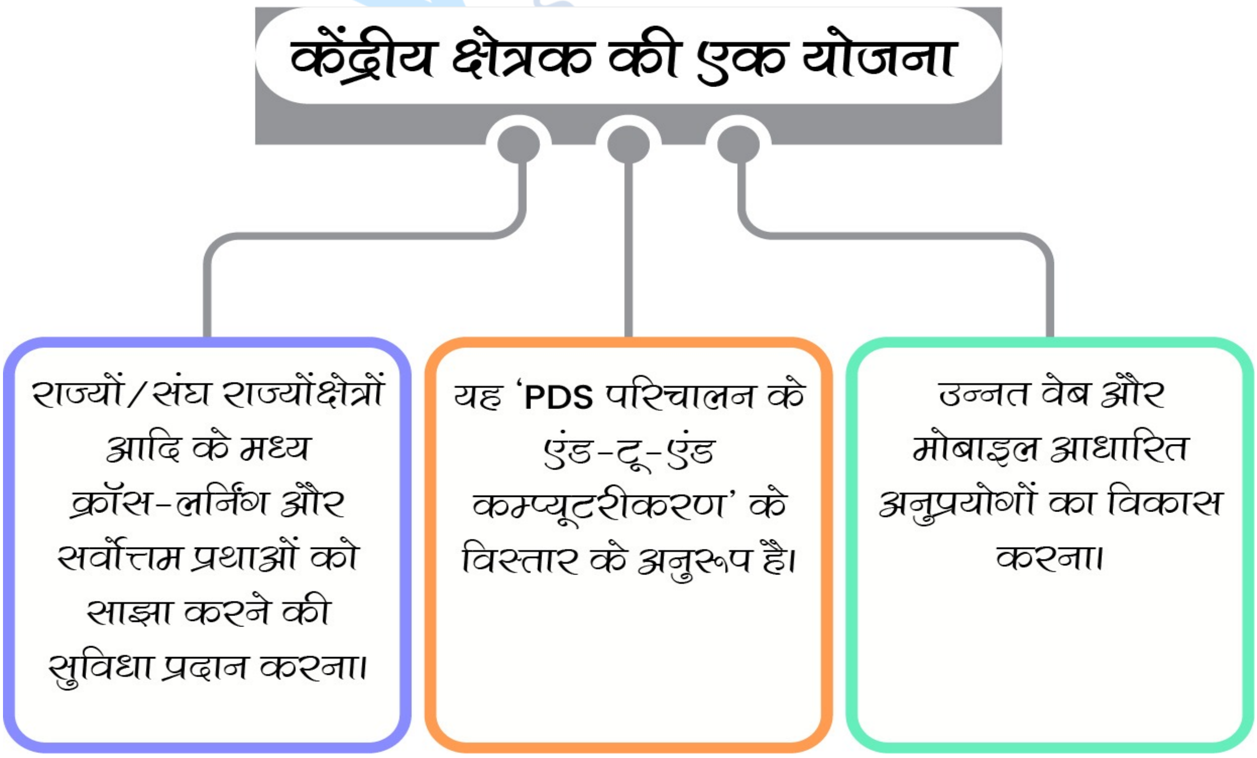

© Vision IAS

8.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

8.2.1. मूल्य स्थिरता कोष (PRICE STABILIZATION FUND: PSF)

उद्देश्य

- फार्म गेट (कृषि स्थल) / मंडी में किसानों / किसान संघों से सीधी खरीद को प्रोत्साहन।
- रणनीतिक बफर स्टॉक का सृजन करना। यह जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करेगा।
- स्टॉक के अंशांकित मोचन (कैलिब्रेटेड रिलीज) के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना।

प्रमुख विशेषताएं

500 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आरंभिक कोष

- एक **पृथक बचत बैंक खाता**, जिसमें केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि रखी जाएगी।
  - यह खाता **लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ** (SFAC) द्वारा खोला और प्रबंधित किया जाएगा।
- राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों (UTs) और केंद्रीय एजेंसियों से पात्र प्रस्तावों के लिए **कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करना।**
  - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धन केवल लाभार्थी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित एक परिक्रामी खाते में स्थानांतरित किया जाएगा
  - इस परिक्रामी निधि में केंद्र और राज्य की भागीदारी समान रूप से (50:50) होगी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योगदान का अनुपात 75:25 होगा।
- इसका प्रबंधन **मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति** द्वारा किया जाएगा।

नोट: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वर्ष 2003 में एक मूल्य स्थिरता कोष भी स्थापित किया गया था, ताकि कॉफी, चाय, रबर और तंबाकू के लघु उत्पादकों को (चार हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे उत्पादक) वित्तीय राहत प्रदान की जा सके। हालांकि, यह वित्तीय राहत इन जिंसों की कीमत प्राइस स्पेक्ट्रम बैंड/मूल्य विस्तार सीमा से नीचे आ जाने तक प्रदान की जाती रही है। प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) द्वारा सभी चार जिंसों के लिए एक समान मूल्य विस्तार सीमा का प्रावधान किया जाता था। इसे फसलों के विगत सात वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के चल औसत सीमा (+ 20% से – 20%) के अनुरूप निर्धारित किया जाता था।

8.2.2. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

डिजिटल रूप से सुरक्षित उपभोक्ता अभियान (Digitally Safe Consumer Campaign)

- मंत्रालय द्वारा गूगल (Google) के सहयोग से जागरूकता पैदा करने और इंटरनेट पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह अभियान आरंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट पर संपन्न किए जाने वाले दिन प्रति दिन के कार्यों, यथा- वित्तीय लेनदेन, ई-मेल का उपयोग करना, ई-कॉमर्स करना या केवल जानकारी के लिए इंटरनेट सर्फ करना, के संबंध में इंटरनेट सुरक्षा संदेश को एकीकृत करना है।

एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (Integrated Grievance Redress Mechanism: INGRAM)

- जागरूकता पैदा करने, सलाह देने और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
- यह पोर्टल उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करेगा।
- साथ ही, यह सभी हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाएगा।
- यह ऑनलाइन शिकायतें पंजीकृत कराने की भी सुविधा प्रदान करता है जिनका 60 दिनों के भीतर निवारण किया जाएगा।

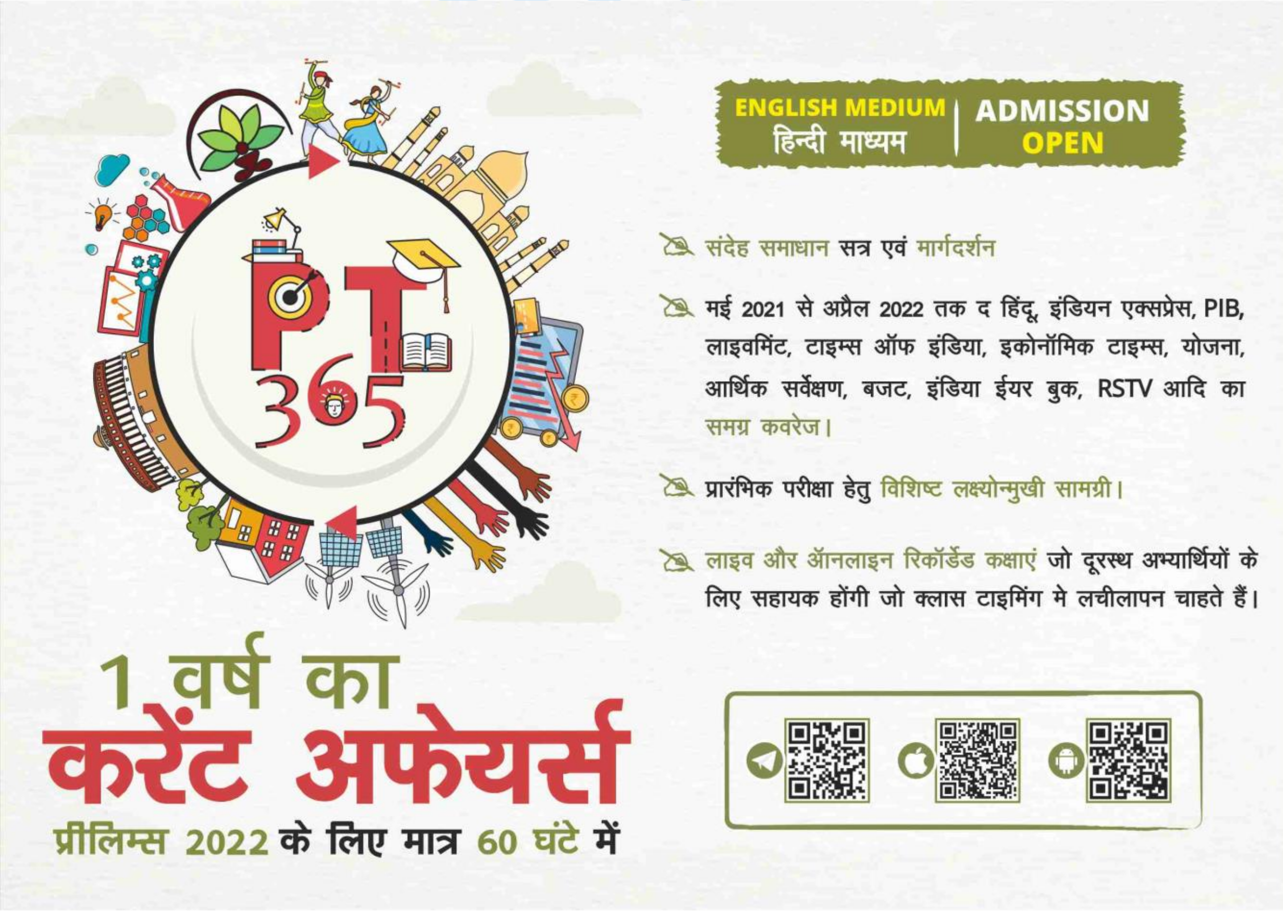

© Vision IAS

9. सहकारिता मंत्रालय (MINISTRY OF COOPERATION)

9.1. डेयरी सहकार योजना (DAIRY SAHAKAR SCHEME)

प्रमुख विशेषताएं
• **डेयरी सहकार:** यह एक सहकारी डेयरी व्यवसाय है। यह सहकारी समितियों को **ESG** (पर्यावरण, संधारणीयता एवं अभिशासन) से जुड़ी गतिविधियों में **उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता** संबंधी फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। • इसमें **सहकारी समितियों द्वारा नए या आधुनिकीकरण और/या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण** शामिल है। "डेयरी सहकारी मॉडल वस्तुतः पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के लिए एक व्यवहार्य आर्थिक विकल्प है।" • "किसानों की आय को दोगुना करना" और "आत्मनिर्भर भारत" के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डेयरी सहकार के तहत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्य विशेषताएं	
क्रियान्वयन	सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कुल 5000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)**।
योग्यता	देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम या किसी FPO/SHG (सहकारी) के तहत **पंजीकृत कोई सहकारी समिति;** देश में कोई भी FPO/SCH (सहकारी), जिसके उप-नियमों में डेयरी से संबंधित गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयुक्त प्रावधान हों; **इस योजना के दिशा-निर्देशों की पूर्ति** करते हुए वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी।
ऋण अवधि	**पुनर्भुगतान पर 1 से 3 वर्ष के अधिस्थगन सहित 5 से 8 वर्ष।**
परियोजना लागत सीमा	पात्र सहकारी समितियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में परियोजना की लागत के संबंध में **कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा** निर्धारित नहीं की गई है।
शामिल की गई गतिविधियां	**गोजातीय विकास, दूध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, दूध और दुग्ध उत्पादों का परिवहन एवं भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात** जैसी गतिविधियों के लिए **पात्र सहकारी** समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सहायता प्रतिरूप	NCDC द्वारा सहायता **या तो राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम** से या **NCDC के प्रत्यक्ष वित्त पोषण दिशा-निर्देशों और पात्र योजना के मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों के** माध्यम से प्रदान की जाएगी।
ऋण	• **ब्याज दर:** क्रेडिट लिंकेज के लिए, **ऋणों पर ब्याज दर से संबंधित NCDC परिपत्र** लागू होंगे। इन परिपत्रों को बाजार स्थितियों के अनुसार समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है। • **ब्याज राहत: भारत सरकार की लागू योजना/समग्र योजना तंत्र** के अनुसार ब्याज राहत या सब्सिडी के रूप में सहायता को अपनाया जाएगा।
क्षमता निर्माण	• सहकारी समितियों की क्षमता का निर्माण NCDC की एक सतत गतिविधि है। यह **डेयरी सहकार के लिए निगम की प्रचार और विकास संबंधी गतिविधि** के रूप में उपलब्ध होगी। • डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य **गुरुग्राम स्थित लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (LINAC) के माध्यम से या देश भर में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों** के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

अन्य पहलों के साथ अभिसरण/संमिलन	**NCDC क्रेडिट लिंकेज का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं {**जैसे डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना (CSISAC), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), कृषि अवसंरचना कोष (AIF), किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PMFME), MSME से संबंधित योजनाएं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) आदि} और/या किसी **अन्य राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विकास एजेंसियों/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता/निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) तंत्र के साथ अभिसरण को प्रोत्साहित किया जाता है।**
अन्य योजनाओं के पूरक	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग भी पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। डेयरी सहकार **योजना वस्तुतः देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों में सहायता प्रदान करेगी।**
अवधि	• NCDC द्वारा डेयरी सहकारी समितियों **को सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई** डेयरी सहकार योजना (**सरकारी बजटीय समर्थन के बिना सहायता**) की समापन अवधि को अभी निर्धारित नहीं किया गया है। • **यह आरंभिक रूप से** पांच वर्ष के लिए है, यानी इसकी अवधि **वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक होगी।**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC) के बारे में

	• NCDC को भारत सरकार ने वर्ष **1963 में** संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया था। **यह मुख्य रूप से स्थानीय, जिला, शीर्ष/बहु-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर की वैधानिक स्वायत्त संस्था है।** • NCDC, **सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है।** • NCDC एक **ISO 9001:2015 प्रमाणित संगठन** है।
वित्त	यह सरकार के किसी भी बजटीय समर्थन के बिना, **खुले बाजार के सिद्धांतों** पर कार्य करता है।
कार्य	• यह उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, जिंसों के निर्यात और आयात के साथ साथ सहकारी सिद्धांतों पर पर्यटन, ग्रामीण आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग, अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसी सेवाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाता है तथा उन्हें बढ़ावा देता है। • NCDC द्वारा स्थापित **LINAC, भारत और विदेशों** में सहकारी समितियों को परियोजना संबंधी परामर्श, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है। • अपने **सहकार-22 फ्रेमवर्क** के माध्यम से, NCDC **किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
प्रदर्शन	**यह वर्ष 1963 से शून्य निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के साथ प्रति वर्ष लाभ अर्जित कर रहा है।** NCDC ने पिछले 7 वर्षों की तुलना में वर्ष 2014-21 के दौरान संवितरण में **319%** की वृद्धि प्राप्त की है।

9.2. आयुष्मान सहकार योजना (AYUSHMAN SAHAKAR SCHEME)

उद्देश्य
• सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों / स्वास्थ्य देखभाल / शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से **वहनीय और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की प्रदायगी में सहायता** करना। • **सहकारी समितियों** द्वारा **आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में सहायता** करना। • **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति** के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहकारी समितियों की सहायता करना।

- सहकारी समितियों को **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** में भाग लेने में सहायता करना।
- सहकारी समितियों को **शिक्षा, सेवाओं, बीमा और उनसे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा** प्रदान करने में सहायता करना।

पात्रता

- देश में **किसी भी राज्य / बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति** जिसके उपनियमों में **अस्पताल / स्वास्थ्य / स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा से संबंधित गतिविधियां** संचालित करने के उपयुक्त प्रावधान हों, **वित्तीय सहायता के लिए पात्र** होगी, बशर्ते कि वह योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती हो।

प्रमुख विशेषताएं

- यह समग्र स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, शिक्षा और सेवाओं पर **सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता** प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC)** की एक योजना है।
    - NCDC की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी।
    - **कार्य:**
        - NCDC राष्ट्रीय स्तर पर **सहकारी विकास कार्यक्रमों** की योजना, प्रचार, समन्वय और वित्त पोषण में संलग्न है।
        - यह किसानों की सहकारी संस्थाओं तथा **कृषि और संबद्ध ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में संलग्न अन्य कमजोर वर्गों** को **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता** प्रदान करती है।
- **NCDC आयुष्मान सहकार निधि:** NCDC द्वारा आगामी वर्षों में भावी सहकारी समितियों हेतु सावधि ऋण (term loans) की राशि को 10,000 करोड़ रुपये तक विस्तारित किया जाएगा। इसमें आयुष और अन्य पारंपरिक पद्धतियों सहित चिकित्सा की किसी भी धारा में नए स्नातकों द्वारा गठित सहकारी समितियां भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रूपये का कर्ज NCDC के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए **कार्यशील पूंजी** (working capital) और **मार्जिन मनी** (margin money) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान (interest subvention) उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ऋण की अवधि 8 वर्ष होगी, जिसमें 1-2 वर्ष का अधिस्थगन (moratorium) भी शामिल है।
- नई योजना से उन **चिकित्सा स्नातकों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा** देने की अपेक्षा है, जो एक **सहकारी समिति गठित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक** हैं।
- यह योजना **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, मानव संसाधन का विकास, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहन, किसानों को वहनीय स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि को सम्मिलित करती है।

9.3. युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना (YUVA SAHAKAR-COOPERATIVE ENTERPRISE SUPPORT AND INNOVATION SCHEME)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• **युवाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करना** और उन्हें सहकारी व्यावसायिक उपक्रमों की ओर आकर्षित करना।	• इसे **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा आरम्भ किया गया है • 100 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय के साथ सहकारी स्टार्टअप और इनोवेशन फंड (CSIF)।

• **नवगठित सहकारी समितियों** को नए और/या नवीन विचारों के साथ प्रोत्साहित करना। • सहकारी क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हुए **स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना।**	• **सहायता:** विशेष श्रेणियों के लिए परियोजना लागत का 80% तक होगा (पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी समितियां, और आकांक्षी जिलों या सहकारी समितियां जिसमें सभी सदस्य महिलाएं या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / PWD के सभी सदस्य शामिल हैं) तथा अन्यों के लिए 70% • **ऋण:** इस योजना में मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित परियोजना के लिए ब्याज दर, प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर (3 करोड़ रुपये तक) से **2%** कम होगी। • **पात्रता:** सभी प्रकार की सहकारी समितियां। ऐसी सहकारी समितियों को कम से कम 3 महीने से परिचालनरत होना चाहिए और उनकी सकारात्मक निवल संपत्ति होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने विगत एक वर्ष की परिचालन अवधि में क्षति नहीं उठाई हो (या विगत 3 वर्षों में यदि सोसाइटी 3 वर्ष से अधिक समय से परिचालनरत है)।
NCDC के बारे में	• यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एकमात्र सांविधिक संगठन है, जो शीर्ष वित्तीय और विकास संस्थान के रूप में कार्यरत है तथा विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के प्रति समर्पित है। • यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, कुक्कुट, पशुधन, मत्स्य पालन, कपास की ओटाई (जिनिंग) व कताई, चीनी और अधिसूचित सेवाओं, जैसे- आतिथ्य, परिवहन, ग्रामीण आवास, अस्पतालों/स्वास्थ्य आदि से संबंधित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करता है।

सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना {Sahakar Mitra: Scheme on Internship Programme (SIP)}	• यह **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** द्वारा आरंभ किया गया एक **सशुल्क/सवेतन इंटर्नशिप कार्यक्रम (paid internship programme)** है। • **पात्रता:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक की डिग्री रखने वाले युवा इस इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। ऐसे पेशेवर जो कृषि-व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन आदि में MBA की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, भी इस हेतु पात्र होंगे। • NCDC ने सहकार मित्र सवेतन इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु पृथक से धनराशि आवंटित की है। इसके तहत **प्रत्येक इंटर्न को** 4 माह की इंटर्नशिप अवधि के दौरान **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • **लाभ:** यह योजना युवा पेशेवरों को **NCDC और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने के अवसर** प्रदान करेगी। साथ ही, यह योजना सहकारी संस्थानों को **युवा पेशेवरों के नए और अभिनव विचारों को प्राप्त करने में मदद** करेगी।

9.4. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना {Sahakar Mitra: Scheme on Internship Programme (SIP)}

- यह **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC)** द्वारा शुरू किया गया एक **भुगतान आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम** है।
- **पात्रता:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, आईटी आदि जैसे विषयों के पेशेवर स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। पेशेवर जो कृषि-व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन आदि में एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं, वे भी पात्र होंगे।
- NCDC ने प्रत्येक प्रशिक्षु को 4 महीने की इंटर्नशिप अवधि में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन निर्धारित किया है।
- **लाभ:** यह योजना युवा पेशेवरों को NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यावहारिक अनुभव तथा सीखने का अवसर प्रदान करेगी। साथ ही, यह सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में सहायता करेगी।

© Vision IAS

10. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)

10.1. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

MCA21 परियोजना (MCA21 Project)	• MCA21 (यहां MCA का अर्थ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है) भारत सरकार द्वारा संचालित **प्रथम मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजना** है। • यह कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और भारत के नागरिकों तक **MCA सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच को बनाए रखने में मदद करता है।** • **MCA21 3.0** को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। ○ यह एक प्रौद्योगिकी-संचालित परियोजना है, जिसे परियोजना के **प्रवर्तन को मजबूत करने, व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि करने** और विनियामकों के मध्य निर्बाध एकीकरण एवं डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करने हेतु परिकल्पित किया गया है। ○ इसमें **ई-अधिनिर्णयन, ई-परामर्श और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली तथा MCA लैब** के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा: ▪ MCA लैब में **कॉर्पोरेट कानून विशेषज्ञ** शामिल होंगे। यह गतिशील/परिवर्तनशील कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए इन प्रमुख मॉड्यूल द्वारा उत्पादित परिणामों की शुद्धता सुनिश्चित करने में MCA की मदद करेगा। ○ इसमें **एक संज्ञानात्मक चैट बॉट समर्थित हेल्पडेस्क, मोबाइल ऐप एवं इंटरैक्टिव उपयोगकर्ता डैशबोर्ड** शामिल किया जाएगा, जो यू.आई./यू.एक्स. प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाएगा तथा ए.पी.आई. के माध्यम से निर्बाध डेटा प्रसार को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
सीमित दायित्व भागीदारी निपटारा योजना, 2020 (LLP settlement scheme, 2020)	• यह सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships: LLP) के गैर-अनुपालन की स्थिति में एक बारगी भुगतान विलंब की **छूट** प्रदान करती है, ताकि विलंब अवधि के दौरान किसी भी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना, लंबित भुगतान की पूर्ति की जा सके। • **एल.एल.पी भागीदारी वस्तुतः फर्म और कंपनी की एक मिश्रित साझेदारी है।** इसमें अत्यल्प अनुपालन और सीमित देयता पर अधिक बल दिया जाता है तथा यह विशेषता इसे एक लोकप्रिय/अपनाए जाने योग्य व्यावसायिक संरचना के रूप में स्थापित करती है।
राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल (National CSR Data Portal)	• यह पात्र कंपनियों द्वारा अपने वित्तीय विवरण में MCA21 रजिस्ट्री पर दाखिल की गई **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों** और जानकारी को प्रसारित करने का एक मंच है। • यह राज्यों, जिलों, विकास क्षेत्रों आदि में हुए **व्यय के संबंध में पूर्व-निर्धारित रिपोर्ट दे** सकता है। साथ ही, यह परियोजनाओं पर आवश्यक प्रतिक्रिया की सुविधा भी प्रदान करता है।
कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल (Corporate Data Portal)	• यह पोर्टल कंपनियों की **सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी (वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न कार्यक्रम-आधारित फाइलिंग सहित) को सार्वजनिक अवलोकन** के लिए उपलब्ध कराएगा। • यह **अनुसंधान और विश्लेषण के लिए अनुकूलित डेटा सेवाओं** हेतु भी पूरक होगा।
कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (SPICe+)	• भारत सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के हिस्से के रूप में, **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** द्वारा एक नए वेब-फॉर्म **स्पाइस प्लस** (सिम्प्लिफिएड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रोनिकली प्लस) (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus: SPICe+) का शुभारंभ किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसके द्वारा इसके पूर्व संस्करण 'SPICe' को प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि एक ई-फॉर्म (e-form) था।

PT 365 - सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव भाग – 1

	• SPICe+ वस्तुतः केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों एवं विभागों (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा प्रदत्त 10 सेवाओं हेतु एक **एकीकृत वेब फॉर्म** है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने से छुटकारा मिलेगा तथा समय और लागत की बचत भी होगी। • यह सरलीकृत एप्लीकेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक (Independent Director's Databank)	• **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **'स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक'** नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके तहत कई नियम निर्धारित किए गए हैं। • इसका उद्देश्य वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors: IDs) तथा स्वतंत्र निदेशक बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को पोर्टल पर पंजीकरण के लिए एक मंच और सुगम पहुँच प्रदान करना है। • इस डाटाबैंक के माध्यम से वे कंपनियां भी पंजीकृत हो सकती हैं, जो उचित कौशल प्राप्त व्यक्तियों की खोज एवं चयन करने की इच्छुक हैं और उनसे जुड़ना चाहती हैं, ताकि उन व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जा सके।

© Vision IAS

11. संस्कृति मंत्रालय (MINISTRY OF CULTURE)

11.1. प्रोजेक्ट मौसम (PROJECT MAUSAM)

उद्देश्य

- **बहुआयामी हिंद महासागर क्षेत्र का अन्वेषण** एवं पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा हिन्द महासागर की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक व धार्मिक विविधता की अन्तरक्रियाओं को संयोजित करना।
- इस परियोजना के तहत अभिनिर्धारित स्थानों एवं स्थलों को यूनेस्को (UNESCO) के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में समावेशन हेतु पार-राष्ट्रीय नामांकन के रूप में चिन्हित करना।

प्रमुख विशेषताएँ

कार्यान्वयन संस्थान	इस परियोजना को **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI)** की सहायता से **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts: IGNCA),** नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। IGNCA इस परियोजना की **नोडल समन्वय एजेंसी** है तथा **राष्ट्रीय संग्रहलय** इसका एक **सहयोगी निकाय** है।
उद्देश्य	व्यापक अर्थ में प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य यह **समझना है कि मानसूनी पवनों के ज्ञान और चालन ने हिंद महासागर की संस्कृति को पारस्परिक रूप से किस प्रकार प्रभावित** किया है। साथ ही, इसका लक्ष्य यह भी पता लगाना है कि इसके चलते समुद्री मार्गों पर सहभागी ज्ञान प्रणालियों, पारंपाओं, प्रौद्योगिकियों तथा विचारों का कैसे प्रसार हुआ।
वृहत स्तर पर लक्ष्य	**वृहत स्तर** पर इस परियोजना का लक्ष्य **हिंद महासागर क्षेत्र के 39 देशों के मध्य संचार संपर्क को पुन: स्थापित** करना है। इससे सांस्कृतिक मूल्यों एवं आर्थिक संबंधों में और अधिक घनिष्ठता का समावेश होगा।
सूक्ष्म स्तर पर लक्ष्य	**सूक्ष्म स्तर** पर, यह क्षेत्रीय समुद्री परिवेश में राष्ट्रीय संस्कृतियों को समझने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

11.2. स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस {SCHEME FOR PROMOTION OF CULTURE OF SCIENCE (SPOCS)}

उद्देश्य

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा उद्योग व मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोग को दर्शाना।
- जागरुकता और सार्वजनिक समझ, सराहना एवं जन सहभागिता सृजित करना।

प्रमुख विशेषताएं

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।	इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में **विज्ञान शहरों और विज्ञान केंद्रों की स्थापना** का प्रावधान किया गया है।	**इच्छुक राज्यों को भूमि प्रदान करनी होगी तथा इन सुविधाओं की स्थापना** की लागत और रखरखाव एवं अनुरक्षण के लिए निधि साझा करना होगा।

11.3. सेवा भोज योजना (SEVABHOJ SCHEME)

उद्देश्य
परोपकारी धार्मिक संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

इस योजना के तहत लोगों को निःशुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों द्वारा कुछ निश्चित खाद्य पदार्थों की खरीद पर दिए जाने वाले केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) के केंद्र सरकार के हिस्से को लौटा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

यह उन सभी परोपकारी धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ, बौद्ध मठ आदि पर लागू होता है, जो निम्नलिखित मानदंडों का पालन करते हैं:

- जो **वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम पांच वर्षों से कार्यरत** हों।
- जो आवेदन के दिन से **कम से कम विगत तीन वर्षों** से जन सामान्य को **निःशुल्क भोजन**, लंगर और प्रसाद सार्वजनिक रूप से वितरित कर रहे हों।
- जो एक महीने में **कम से कम 5,000 लोगों** को निःशुल्क भोजन प्रदान करते हों।
- उसे **विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA) या केंद्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत ब्लैकलिस्ट नहीं होना** चाहिए।

11.4. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Cultural Mapping and Roadmap)

- यह योजना **'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'** के अंतर्गत शामिल है।
- इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभा की खोज करने के साथ-साथ देश भर में कलाकारों, कारीगरों और विविध कला शैलियों के डेटाबेस का संग्रह करना है।
- यह **'हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान'** नामक देशव्यापी सांस्कृतिक जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से सभी कला शैलियों तथा कलाकारों के विकास के लिए **सांस्कृतिक मानचित्रण (अर्थात् सांस्कृतिक संपत्तियों एवं संसाधनों का डेटाबेस) की स्थापना** करता है।
- इसका उद्देश्य सभी कला शैलियों के क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने तथा ज्ञान साझा करने के लिए एक **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (National Cultural Working Place: NCWP)** पोर्टल स्थापित करना है।

गुरु-शिष्य परंपरा योजना (Guru Shishya Parampara Scheme)

- इसे **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (ZCCs)** के माध्यम से आरंभ किया गया है।
- यह दुर्लभ एवं लुभावनी कला शैलियों (चाहे शास्त्रीय हो या लोक/जनजातीय) को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने हेतु प्रयास करता है।
- इसके माध्यम से **इन शैलियों के विशेषज्ञों और निपुण लोगों के मार्गदर्शन में** ZCCs द्वारा स्कॉलरशिप के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर युवा प्रतिभाओं को कला के अपने चुने हुए क्षेत्रों में कौशल प्राप्त करने के लिए पोषित किया जाएगा।

© Vision IAS

आदर्श स्मारक (Adarsh Smarak)

- इसका उद्देश्य **स्मारकों के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं** प्रदान करना है, जैसे कि व्याख्या (भाषा रुपांतरण), ऑडियो-वीडियो केंद्र, अपशिष्ट जल व कचरा निपटान इत्यादि को व्यवस्थित करना।
- इसे **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (National Mission on Manuscripts)

- इसे वर्ष 2003 में **भारतीय पांडुलिपि विरासत की पहचान करने, प्रलेखन करने, संरक्षण करने तथा उसे सर्वसुलभ बनाने हेतु एक विशिष्ट परियोजना** के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts: IGNCA) में एक राष्ट्रीय डिजिटल पांडुलिपि पुस्तकालय** स्थापित करना है।
- यह पुस्तक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में प्रकाशन के माध्यम से इन पांडुलिपियों तक लोगों की कुशल पहुंच को प्रोत्साहित करता है।

सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम (Cultural Heritage Youth Leadership Programme: CHYLP)

- इसका उद्देश्य युवाओं में उचित नेतृत्व गुणों को विकसित करने की दृष्टि से युवाओं के मध्य **भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ के प्रति लगाव को बढ़ावा देना, समझना और विकसित करना है।**
- यह पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों की बेहतर समझ हेतु उनसे स्थानीय भाषाओं में संवाद करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन '**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र**' इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

जतन एवं दर्शक (Jatan and Darshak)

- **प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)** के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने **"जतन" नामक एक सॉफ्टवेयर** विकसित किया है जो **संग्रहालय (म्यूजियम) के अनुभव को क्रांतिकारी रूप से बेहतर** बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों की संग्रहालय यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, C-DAC ने **एक मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन "दर्शक"** भी विकसित किया है। यह संग्रहालय आने वाले आगंतुकों को संगृहीत वस्तु के पास लगे QR कोड को स्कैन करने के माध्यम से वस्तुओं या कलाकृतियों के बारे में समस्त विवरण प्राप्त करना संभव बनाता है।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विविध सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण योजना (SAFEGUARDING THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND DIVERSE CULTURAL TRADITIONS OF INDIA)

- इसके तहत **विभिन्न संस्थानों**, समूहों, व्यक्तियों, संस्कृति मंत्रालय से इतर संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को **पुनः सक्रिय एवं प्रभावी बनाना है**, ताकि **वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (ICH) को सुदृढ़, संरक्षित, परिरक्षित** एवं बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों/परियोजनाओं में संलग्न हो सकें।
- अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के सभी रूपों के अस्तित्व और प्रसार को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए योजना के तहत **गैर-आवर्ती अनुदान, मानदेय** आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

12. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE)

12.1. रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना {DEFENCE TESTING INFRASTRUCTURE (DTI) SCHEME}

उद्देश्य

इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा स्टार्ट-अप्स की भागीदारी पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ **स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा** देना है। साथ ही, देश में रक्षा परीक्षण अवसंरचना में व्याप्त अंतराल को भी समाप्त करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना का कार्य अवधि **पांच वर्ष** की होगी।
- इसे निजी उद्योग के साथ साझेदारी में **6-8 नई परीक्षण सुविधाएं** स्थापित करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
    - इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में मदद मिलेगी। फलस्वरूप **सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आएगी** और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी।
- प्रत्येक रक्षा परीक्षण अवसंरचना (DTI) को एक **विशेष प्रयोजन साधन (SPV) के माध्यम से** स्थापित किया जाएगा, जो इस हेतु एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- केवल भारत में पंजीकृत **निजी संस्थाएं और राज्य सरकार की एजेंसियां** ही SPVs के सृजन हेतु पात्र होंगी।
- योजना के अंतर्गत SPVs को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- **इस योजना के तहत SPVs को ही सभी संपत्तियों के संचालन और रखरखाव** का दायित्व प्रदान किया जाएगा। हालांकि, SPV ऐसे दायित्वों को उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करके स्व-संधारणीय तरीके से ही प्रबंधित कर सकता है।
- **वित्तपोषण:** योजना के तहत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में परियोजना लागत का 75% सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत हिस्सा SPV द्वारा वहन किया जाएगा।
- **परीक्षण किए गए उपकरण/प्रणालियों** को उपयुक्त प्रत्यायन के अनुसार **प्रमाणित** किया जाएगा।
- हालांकि अधिकांश परीक्षण सुविधाओं को मुख्यतः दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (Defence Industrial Corridors: DIC) में स्थापित किए जाने की संभावना है। यह **योजना केवल DICs में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है।**

12.2. वन रैंक वन पेंशन योजना (ONE RANK ONE PENSION SCHEME)

उद्देश्य

- सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो, **समान पेंशन** प्रदान करना।
- समय-समय पर वर्तमान और भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के बीच के अंतर को समाप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

- बकाया राशि का भुगतान **चार अर्धवार्षिक किस्तों** में किया जाएगा। हालांकि, शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं सहित **सभी विधवाओं** को बकाया राशि का भुगतान **एकमुश्त किया जाएगा।**
- समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन पुनर्निर्धारित की जाएगी। यह वर्ष 2013 की न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के रूप में होगी।
- **स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त (VRS) होने वाले कर्मियों** को OROP योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- भविष्य में पेंशन की राशि प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः निर्धारित की जाएगी।
- OROP से पूर्व, वेतन आयोग की उस समय की संस्तुतियों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को तब से पेंशन प्रदान की जाती थी, जब वे सेवानिवृत्त हुए थे।

© Vision IAS

12.3. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा (National Integration Tour)
• जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं हेतु ये शैक्षिक एवं प्रेरणादायी यात्राएं हैं। इनका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक एवं उद्योग संबंधी परिचलनरत पहलों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। • यह भारतीय सेना द्वारा देश भर में **राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए संचालित आउटरीच प्रोग्राम** का एक भाग है।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (Mission Raksha Gyan Shakti)
• रक्षा उत्पादन विभाग ने **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु** इस पहल की शुरूआत की है। • इस कार्यक्रम का समन्वय एवं क्रियान्वयन **गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय** (Directorate General of Quality Assurance: DGQA) द्वारा किया जा रहा है। • इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण परिवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की संस्कृति को विकसित करना है।

रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency: DSA)
• DSA भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा **एजेंसी** है। यह थल सेना, नौसेना और वायु सेना की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को नियंत्रित करती है। इसमें सेना की उपग्रह-रोधी क्षमता भी शामिल है। • DSA में सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के कर्मी शामिल हैं। इसका परिचालन नवंबर 2019 में आरंभ हुआ था। • इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस एजेंसी को भारत की अंतरिक्ष-युद्ध (स्पेस-वारफेयर) परिसंपत्तियों का संचालन करने का कार्य सौंपा गया है। • रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO), रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के लिए स्पेस-वारफेयर सिस्टम और तकनीक विकसित करने हेतु उतरदायी है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION)

13.1. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (North East Rural Livelihood Project: NERLP)

- यह विश्व बैंक के सहयोग से बहु राज्यों के आजीविका संवर्धन हेतु आरम्भ की गई योजना है।
- इस परियोजना का उद्देश्य **"पूर्वोत्तर के चार राज्यों में विशेष रूप से महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और सर्वाधिक वंचितों लोगों की ग्रामीण आजीविका में सुधार करना"** है।
  - **इसके अंतर्गत मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम के दो-दो जिले और त्रिपुरा के 5 जिलों को शामिल किया गया** है।
- **मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से क्लस्टर विकास** पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह परियोजना, विशेषज्ञ संगठनों के साथ साझेदारी में भी कार्य करती है।

उद्देश्य
- सामुदायिक संस्थानों में स्व-शासन, ऊर्ध्वगामी नियोजन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की क्षमता विकसित करना।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त, बाजार संपर्क एवं क्षेत्रक आर्थिक सेवाओं के लिए सामुदायिक संस्थानों की साझेदारी विकसित करना।
- **आर्थिक** एवं **आजीविका** के अवसरों में वृद्धि करना।
- महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), पुरुषों व महिलाओं के युवा समूहों (YGs) एवं सामुदायिक विकास समूहों (CDG) के चतुर्दिक **संधारणीय सामुदायिक संस्थानों** का सृजन करना।

पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना	• NESIDS पूर्वोत्तर क्षेत्र की **राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त एक अन्य योजना होगी।** • इस योजना के अंतर्गत **केवल उन्हीं परियोजनाओं के वित्त पोषण पर विचार किया जाएगा**, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समर्थित नहीं हैं।
उद्देश्य/लक्ष्य	• इसका उद्देश्य मार्च 2020 तक निर्दिष्ट क्षेत्रकों में बुनियादी ढांचे के सृजन से संबंधित अंतराल को समाप्त करना था।
इस योजना के अंतर्गत व्यापक तौर पर 2 प्रकार के बुनियादी ढांचे के सृजन को शामिल किया जाएगा	• जलापूर्ति, विद्युत, कनेक्टिविटी और विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित **भौतिक बुनियादी ढांचा।** • शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे **सामाजिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा।**
पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य धन वितरण	• इस योजना के अंतर्गत कुछ मानकों पर सुपरिभाषित मानदंडों, जैसे- क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व आदि के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य धन वितरित किया जाएगा।

© Vision IAS

अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (Non-Lapsable Central Pool of Resources: NLCPR)

NLCPR, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा बजटीय आबंटन की 10% राशि को अनिवार्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) पर व्यय करने संबंधी प्रावधान के तहत अव्ययित राशि का संचय है।	इसे 90:10 के वित्तीयन प्रतिमान के साथ वर्ष 1997-98 में सृजित किया गया था	
	उद्देश्य	• संविधान की संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित सामाजिक व भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करना। • बजटीय संसाधनों के लक्षित प्रवाह को बढ़ाकर NER का तीव्र विकास सुनिश्चित करना।
	NLCPR (राज्य) योजना	• उत्तर पूर्वी राज्यों की प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना।
	NLCPR-केंद्रीय योजना	• राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों को निधि प्रदान करना। • उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा कार्यान्वित।

पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (North East Road Sector Development Scheme: NERSDS)

उद्देश्य	सड़क निर्माण के मानदंड	कार्यान्वयन
इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में **उपेक्षित अंतर्राज्यीय सड़कों** (सड़कों पर पुलों सहित) **का पुनरूद्धार / निर्माण / उन्नयन करना** है।	इसमें NER की सामाजिक-राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों की सड़कें शमिल हैं।	**उत्तर पूर्वी परिषद** (NEC) द्वारा
	सुरक्षा या सामरिक दृष्टि से आवश्यक वे सड़कें, जो किसी भी अन्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं।	
	कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आवश्यक सड़कें एवं व्याप्त अंतराल को समाप्त करने के दृष्टिकोण से संबंधित आर्थिक महत्व की सड़कें।	इस योजना के अंतर्गत कार्यों की स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, स्वीकृति एवं निगरानी के लिए NEC के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (North Eastern Region Community Resource Management Project: NERCORMP)

संयुक्त विकासात्मक पहल	यह उत्तर पूर्वी परिषद (NEC), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) की एक संयुक्त विकासात्मक पहल है।
उद्देश्य	इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और आजीविका विकास से संबंधित स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ करके आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के आजीविका विकल्पों में संधारणीय तरीके से सुधार करना है।

चार राज्यों में कार्यान्वयन	इसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी (NERCRMS) के तहत संचालित किया जा रहा है। यह उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के सचिव की अध्यक्षता में NEC के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।
प्रमुख परियोजना गतिविधियाँ	समुदाय एवं भाग लेने वाली एजेंसियों की क्षमता का निर्माण, आजीविका संबंधी गतिविधियां, विस्तार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्रेडिट, सामाजिक क्षेत्रक की गतिविधियां, ग्रामीण सड़कें व ग्रामीण विद्युतीकरण, समुदाय-आधारित जैव-विविधता संरक्षण, वर्तमान सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण तथा विपणन सहायता।

डिजिटल नॉर्थ ईस्ट: विज़न 2022 (Digital North East: Vision 2022)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आरंभ

इसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और क्षेत्र में बी.पी.ओ. की संख्या को दोगुना करके लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करना है।

इस योजना को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाएगा।

इस दस्तावेज़ के तहत आठ प्रमुख डिजिटल क्षेत्रों, यथा- डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, IT एवं IT सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहन जैसे कि BPOs, डिजिटल भुगतान, डिजिटल नवाचार व स्टार्टअप्स और साइबर सुरक्षा।

सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि (Social and Infrastructure Development Fund: SIDF)

SIDF को **लोक लेखा** के तहत सृजित किया गया है। यह **पूर्वोत्तर क्षेत्र**, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों (**जो उन विशेष समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनका समाधान सामान्य योजनाओं द्वारा नहीं किया जा सकता है**) के प्रति **समर्पित है।**	यह मुख्यतः **एकमुश्त पैकेज** है। इसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है।	इनमें नई सड़कों और पुलों का निर्माण, नए उप-स्टेशनों/ट्रांसमिशन लाइनों का पुन:स्थापन, अस्पतालों का निर्माण/उन्नयन, स्कूलों की स्थापना, जलापूर्ति परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

© Vision IAS

आत्मानिर्भर हस्तशिल्पकर योजना (Atmanirbhar Hastshilpkar Scheme)

- **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi)** ने आत्मानिर्भर हस्तशिल्पकर योजना शुरू की है।
    - NEDFI पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है।
- योजना का उद्देश्य **पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे कारीगरों को निम्नलिखित प्रदान करके विकसित** करना है-
    - आय सृजन गतिविधियों के लिए **सावधि ऋण** के रूप में **वित्तीय सहायता। प्रति कारीगर 1 लाख रुपये** की ऋण सहायता प्रदान की गई है।
    - क्रेडिट सुविधा **जमानत मुक्त (Collateral Free)** है और इसमें 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर है, जिसे 24 महीनों में चुकाया जा सकता है।

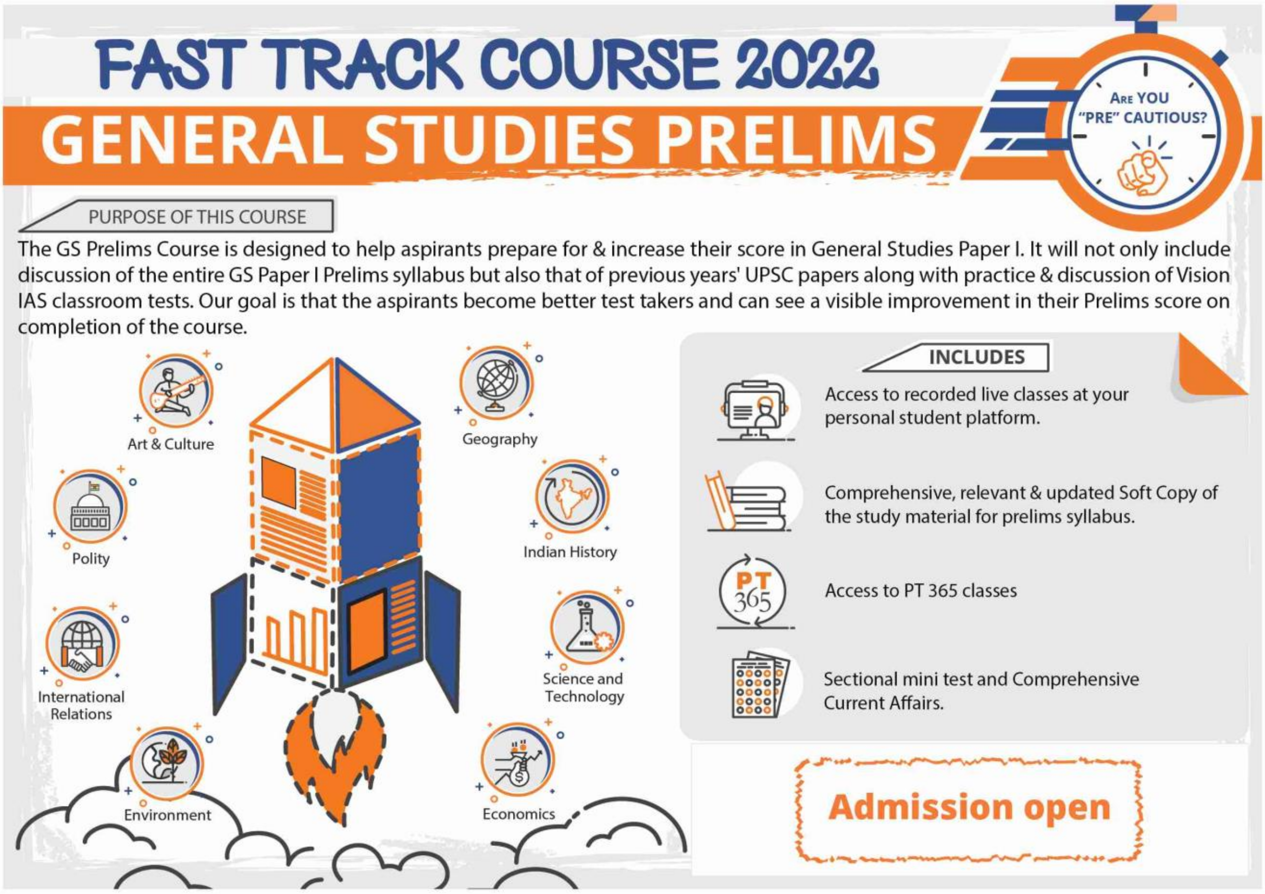

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MINISTRY OF EARTH SCIENCES)

14.1. वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान-प्रतिरूपण, प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (ATMOSPHERE AND CLIMATE RESEARCH – MODELLING, OBSERVING SYSTEMS AND SERVICES: ACROSS)*

उद्देश्य

मौसम और जलवायु संबंधी विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वास्तविक समय में मौसम, जलवायु तथा अन्य जोखिमपूर्ण घटनाओं के पूर्वानुमान में **सुधार के लिए अनुसंधान व विकास के संचालन** पर बल देना। इसके लिए आवश्यक है:

- **प्रेक्षण प्रणालियों का संवर्धन करना** तथा इन्हे मौसम और जलवायु संबंधी मॉडल में सम्मिलित करना।
- क्षेत्रीय अभियानों के माध्यम से **भौतिक प्रक्रम को समझना।**
- सभी पैमानों पर पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के विकास और संचालन पर बल देना।
- **विज्ञान संबंधी ज्ञान को सेवा में उपयोग करना** और उसे समाज तक पहुँचाना।
- **आवश्यक अवसंरचना में सुधार और अर्जन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए प्रारंभ की गई एक छत्रक (अम्ब्रेला) योजना है।
- इसमें **मौसम और जलवायु संबंधी परिघटनाओं** से संबद्ध अनुसंधान एवं विकास तथा परिचालन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसियां		
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)	भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology: IITM), पुणे	राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (National Centre for Medium Range Weather Forecasting: NCMRWF)

- ACROSS के अंतर्गत संचालित **नौ उप-योजनाएं,** इस प्रकार हैं:

उप-योजना	कार्यान्वयन संस्थान
पोलारिमेटिक डॉप्लर मौसम रडार को प्रवर्तन में लाना (DWRs)	IMD
पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन	IMD
मौसम और जलवायु संबंधी सेवाएं	IMD
वायुमंडलीय प्रेक्षण प्रणाली	IMD
मौसम और जलवायु की संख्यात्मक मॉडलिंग	NCMRWF
मानसून मिशन 2 जिसमें हाई रिजोल्यूशन (12 कि.मी.) **ग्लोबल एनसेंबल फोरकास्ट सिस्टम** (नीति आयोग की पहचान की गई गतिविधि) शामिल है	IITM
मानसून संवहन, मेघ और जलवायु परिवर्तन (MC4)	IITM

 © Vision IAS

उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग सिस्टम (HPSC)	IITM
नेशनल फेसिलिटी फॉर एयरबोर्न रिसर्च (NFAR)	IITM

14.2. राष्ट्रीय मानसून मिशन (NATIONAL MONSOON MISSION)

उद्देश्य

- **गतिशील मानसून पूर्वानुमान प्रणाली** के लिए एक अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करना:
  - लघु अवधि (1-10 दिन) के लिए;
  - मध्यम अवधि (10-30 दिन) के लिए; तथा
  - दीर्घ अवधि (एक ऋतु तक) के लिए।
- अप्रत्याशित/चरम घटनाओं के पूर्वानुमान हेतु एक प्रणाली विकसित करने के लिए **भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच साझेदारी** को बढ़ावा देना।
- **सामाजिक प्रभावों** (जैसे- कृषि, बाढ़ पूर्वानुमान आदि) **वाले जलवायु अनुप्रयोगों के लिए एक प्रणाली** विकसित करना।
- प्रतिरूप पूर्वानुमानों (model predictions) हेतु उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तैयार करने के लिए **एडवांस डेटा एसिमिलेशन सिस्टम** का प्रयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस मिशन को वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था तथा **इसके प्रथम चरण को वर्ष 2017 तक कार्यान्वित किया गया था।**
- **पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान** इस मिशन के निष्पादन और समन्वय हेतु उत्तरदायी प्रमुख निकाय है।
- **दीर्घ अवधि के पूर्वानुमान (एक ऋतु तक) के लिए:** इस हेतु जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (Climate Forecast System: CFS) नामक एक अमेरिकी मॉडल का उपयोग किया जाता है। यह एक महासागरीय युग्मन वायुमंडलीय मॉडलिंग प्रणाली है, अर्थात् यह महासागर, वायुमंडल और भूमि से प्राप्त डेटा को शामिल करती है।
- **लघु से मध्यम अवधि के लिए:** इस हेतु ब्रिटेन द्वारा विकसित एकीकृत मॉडल (Unified Model: UM) का उपयोग किया जाता है।
- **उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) के संवर्धन** ने परिचालन मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम और जलवायु मॉडलिंग में एक आदर्श परिवर्तन प्राप्त करने में मदद की है।
- **NMM चरण II (वर्ष 2017-2020):** इस चरण के अंतर्गत अप्रत्याशित/चरम घटनाओं के पूर्वानुमान और मानसून पूर्वानुमान पर आधारित अनुप्रयोगों के विकास पर बल दिया गया है।

• **दूसरे चरण की उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
इस चरण के अंतर्गत **मानसून मिशन डायनेमिकल मॉडल** अर्थात् मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली (MMCFS) को संचालित किया गया है, ताकि मानसूनी वर्षा और तापमान का परिचालनात्मक मौसमी पूर्वानुमान तैयार किया जा सके।
चक्रवात की निगरानी और उसकी तीव्रता संबंधी पूर्वानुमान में **सुधार** हुआ है।
12 कि.मी. पर लघु और मध्यम दूरी के पूर्वानुमान के लिए **ग्लोबल एनसेंबल फोरकास्ट सिस्टम (GEFS)** का उपयोग किया गया है।
संपूर्ण भारतीय नदी बेसिन पर **संभाव्य मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान (Probabilistic Quantitative Precipitation Forecast)** को क्रियान्वित किया गया है।
विस्तारित दूरी पर मानसून इंट्रा-सीज़नल ऑसीलेशन (MISO) और मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) की निगरानी तथा पूर्वानुमान करने के लिए एक **एल्गोरिथ्म का विकास** किया गया है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय जलवायु केंद्र और **दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम (SASCOF)** गतिविधियों के तहत **दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय मौसमी पूर्वानुमान दृष्टिकोण** तैयार किया गया है।

14.3. विविध पहलें (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

'नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क' {Knowledge Resource Centre Network (KRCNet)}

- इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित उत्पादों, जैसे- पुस्तक, रिपोर्ट्स, जर्नल्स आदि के लिए **सिंगल-प्वाइंट 24x7 पहुँच प्रदान करने हेतु एक एकीकृत सूचना प्रणाली** विकसित करना है।
- इसका निष्पादन **डिजिटल इंडिया पहल** के तहत किया जाएगा।
- MoES के पारंपरिक पुस्तकालयों को KRC में अपग्रेड किया जाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए "मौसम" नामक एक मोबाइल ऐप {Mobile App "Mausam" for India Meteorological Department}

- यह **मौसम की सूचना और पूर्वानुमान** को तकनीकी शब्दावली के बिना **सरल तरीके से** प्रसारित करेगा।
- **इसमें निम्नलिखित 5 सेवाएं सम्मिलित हैं:** वर्तमान मौसम (Current Weather) की जानकारी, तात्कालिक चेतावनी (Nowcast) (अर्थात् स्थानीय मौसम के बारे में प्रति घंटा चेतावनी), शहर मौसम के बारे में पूर्वानुमान (City Forecast), तथा चेतावनी और रडार उत्पाद।

सफ़र (SAFAR)

- यह **वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research: SAFAR)** की एक एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
- सफर के तहत एक **अनुसंधान आधारित प्रबंधन प्रणाली** की परिकल्पना की गई है। इसके तहत वायु प्रदूषण शमन संबंधी रणनीतियों और देश के आर्थिक विकास को परस्पर समन्वित करके एक संधारणीय परिवेश का निर्माण करना है।
- महानगरों के लिए, यह **लगभग वास्तविक समय आधारित वायु गुणवत्ता के संबंध में स्थान विशिष्ट सूचना** प्रदान करता है और 1-3 दिन तक के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी अग्रिम पूर्वानुमान (भारत में पहली बार) भी प्रदान करता है।

महासागर सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान: ओ-स्मार्ट) {Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science (O-SMART)}

- इस योजना में **महासागर विकास गतिविधियों**, जैसे- सागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधनों, अवलोकनों और विज्ञान **से संबंधित 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं।**
- O-SMART के कार्यान्वयन से **सतत विकास लक्ष्य-14** (SDG-14) से संबद्ध मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि SDG-14 का उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग करना तथा उन्हें संरक्षित करना है।
- यह योजना **ब्लू इकॉनमी** के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार भी प्रदान करती है।

© Vision IAS

रेड एटलस एक्शन प्लान मैप (चेन्नई के लिए) {Red Atlas Action Plan Map (for Chennai)}
• इस एटलस का उद्देश्य चेन्नई में बाढ़ का शमन, तैयारियों, कार्यवाही और प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना है। • इसे तमिलनाडु के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के सहयोग से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) तथा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) द्वारा तैयार किया गया है।

गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण: जेमिनी {Gagan Enabled Mariner's Instrument for Navigation and Information (GEMINI) device}
• यह एक निम्न लागत वाला उपकरण है, जिसे 'संभावित मतस्यन क्षेत्र (Potential Fishing Zones: PFZ)' और 'महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान (Ocean States Forecasts: OSF)' तथा आपदा चेतावनियों या मछुआरों के लिए पूर्वानुमानों को जारी करने हेतु गगन अर्थात् GPS आधारित भू संवर्धित नौसंचालन (GPS Aided Geo Augmented Navigation: GAGAN) उपग्रह प्रणाली का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • इस उपकरण को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन 'भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)' नामक स्वायत्त निकाय द्वारा **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** (AAI) के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

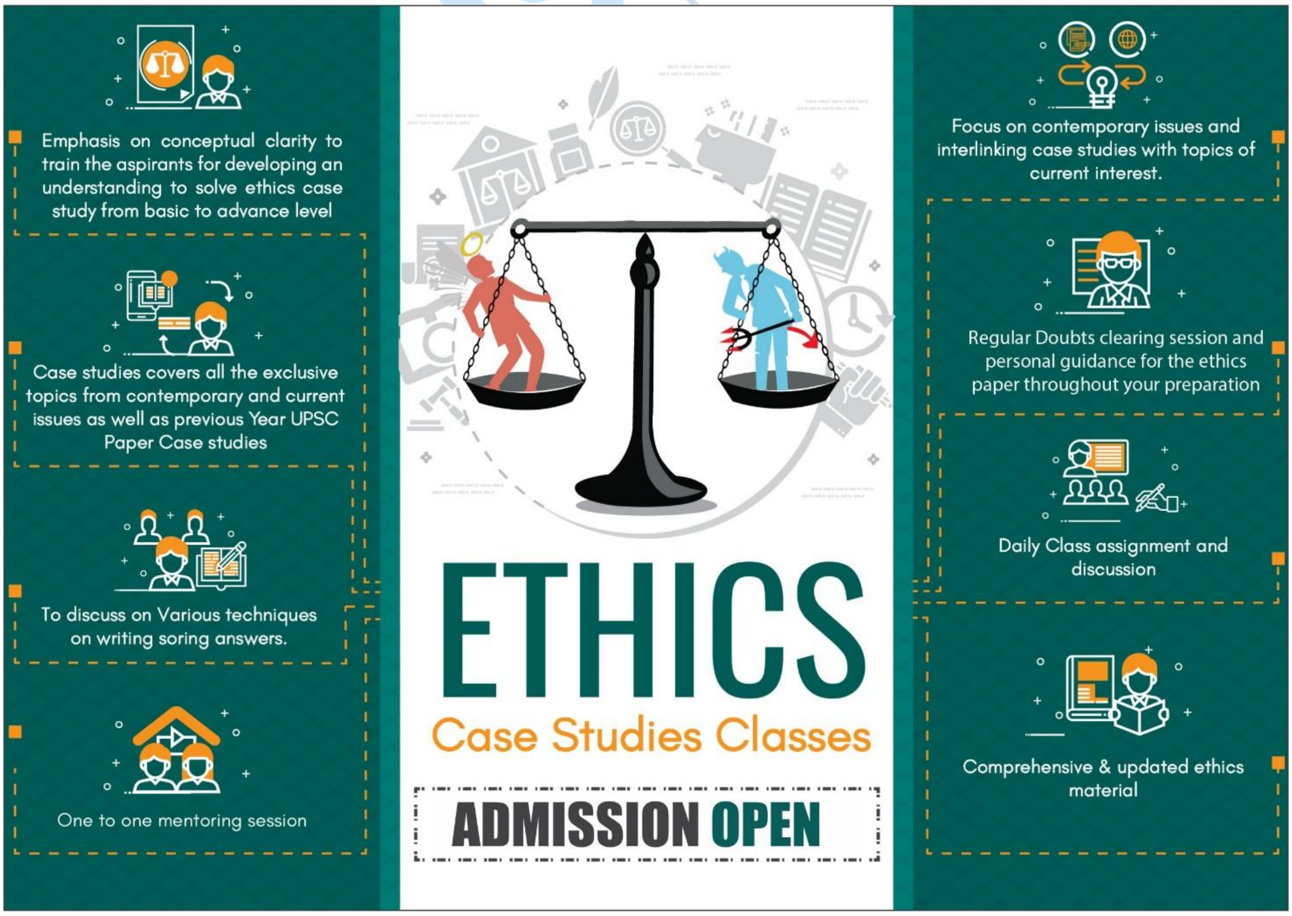

15. शिक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF EDUCATION)

15.1. स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' परियोजना (स्टार्स) {STRENGTHENING TEACHING-LEARNING AND RESULTS FOR STATES PROGRAM (STARS)}*

उद्देश्य

- इस परियोजना के अंतर्गत **विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से भारतीय विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापन गतिविधियों में सुधार लाने की परिकल्पना** की गई है।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजना** है। इसे **केंद्र प्रायोजित एक नई योजना के रूप में** लागू किया जाएगा।
- यह परियोजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy, 2020) के उद्देश्यों के अनुरूप** है।
- इस परियोजना में **6 राज्य,** यथा- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं।
- स्टार्स परियोजना के अंतर्गत बेहतर शिक्षा परिणामों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हस्तक्षेपों को विकसित करने, उन्हें लागू करने, उनका आकलन करने व उनमें सुधार करने में राज्यों की सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर श्रम बाजार परिणाम के लिए स्कूलों को अपनी रणनीति में बदलाव या सुधार के लिए कार्य करना होगा।

इस परियोजना के प्रमुख घटक

राष्ट्रीय स्तर पर	▪ छात्रों के स्कूल में बने रहने, एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने और उत्तीर्ण होने के प्रतिशत के बारे में सुदृढ़ एवं प्रामाणिक डेटा प्राप्त करने के लिए **शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ करना।** ▪ **अधिगम (लर्निंग) आकलन प्रणालियों** को सुदृढ़ करना। ▪ परीक्षा में सुधार हेतु छात्रों के लर्निंग की निरंतर निगरानी और डेटा-संचालित निर्णयन के लिए एक **राष्ट्रीय आकलन केंद्र (परख/PARAKH)** की स्थापना करना।
राज्य स्तर पर	▪ **प्रारंभिक बाल शिक्षा** एवं **आधारभूत अधिगम (Foundational Learning)** को सुदृढ़ करना। ▪ **कक्षा अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा** को सुदृढ़ करना। ▪ उन्नत सेवा आपूर्ति के लिए **अभिशासन में सुधार एवं विकेंद्रित प्रबंधन करना।** ▪ स्कूल से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करके, करियर संबंधी मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करके, इंटर्नशिप संबंधी अवसर प्रदान करके स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना।

15.2. प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना (PRIME MINISTER'S RESEARCH FELLOWSHIP: PMRF)*

उद्देश्य

- देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना।**
- आकर्षक अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के साथ, इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, ताकि **नवाचार के माध्यम से विकास** की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना को **वर्ष 2018-19 में इसके आरंभ से सात वर्षों की अवधि के लिए** प्रारंभ किया गया था।
- PMRF की पेशकश करने वाले संस्थानों में **सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs); सभी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs); भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी डिग्री प्रदान करने वाले कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs)** शामिल हैं।

© Vision IAS

- उम्मीदवारों का चयन एक कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और उनके प्रदर्शन की समीक्षा एक **राष्ट्रीय सम्मेलन** के माध्यम से की जाएगी।
- **हालिया परिवर्तन:**
  - **किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय** (IISc, IITs, NITs, IISERs, IIEST और IIITs के अतिरिक्त) **के छात्र** भी आवेदन कर सकते हैं।
  - 8 या समकक्ष के न्यूनतम कम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (CGPA) के अतिरिक्त **गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) स्कोर की अनिवार्यता को** 750 से **कम** करके 650 **कर दिया गया है।**
  - प्रत्यक्ष प्रवेश के अतिरिक्त, अब **पार्श्व प्रवेश की अनुमति** भी है, जिसके तहत PMRF अनुदान देने वाले संस्थानों में पी.एच.डी. कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं।

15.3. मध्याह्न भोजन योजना {MID-DAY MEAL SCHEME (MDM) OR NATIONAL SCHEME FOR PM POSHAN IN SCHOOLS}#

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य

- विद्यालय जाने वाले बच्चों के **नामांकन, प्रतिधारण (अर्थात् बच्चों को स्कूल में बनाए रखना) एवं उपस्थिति** को बढ़ाना तथा साथ ही साथ उनके **पोषण स्तर में सुधार** करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूली बच्चे।
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के **प्री-प्राइमरी या बाल वाटिका** में पढ़ने वाले छात्र।
- शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (AIE) के तहत संचालित केन्द्र, एवं देश भर के सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) से जुड़े विद्यालय मिड-डे-मील (MDM) के तहत सम्मिलित हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- इसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को **450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त** तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त **पका हुआ मध्याह्न भोजन** प्रदान करना निर्धारित किया गया है।
- इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान **सूखा प्रभावित क्षेत्रों में** प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है।
- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। हालांकि, इसकी लागत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य साझा की जाती है (बॉक्स देखें)।

केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।	खाना पकाने, अवसंरचना विकास, खाद्यान्नों के परिवहन और रसोइयों एवं सहायकों को मानदेय का भुगतान **केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य साझा** किया जाता है। केंद्र सरकार इस राशि का अधिकतम हिस्सा वहन करती है।	राज्य सरकारों के योगदान में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता होती है।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्य पदार्थों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए **भोजन पकाने की लागत** में वार्षिक वृद्धि को **मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ा गया है।**

- **कार्यकाल:** यह योजना पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रहेगी।
- **खाद्य पदार्थों का फोर्टीफिकेशन:** इसे प्रत्येक स्कूल में चावल किचन गार्डन के साथ शुरू करके **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा।

बफर स्टॉक से दालों का उपयोग	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र भारत सरकार द्वारा निर्मित केंद्रीय बफर स्टॉक से मध्याह्न भोजन के लिए अपनी स्थानीय वरीयताओं के अनुसार दाल की खरीद कर सकते हैं।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

MDM के तहत व्यंजन सूची	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न उपायों को अपनाकर एक व्यंजन सूची विकसित करनी होगी, जो स्थानीय स्वाद एवं स्थानीय उपज के अनुरूप हो तथा अलग-अलग दिवसों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो।
तिथि भोजन	इसके तहत समुदाय के लोगों को मिड-डे-मील योजना में योगदान करके बच्चों के जन्म दिन, विवाह जैसे मुख्य दिवसों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तिथि भोजन मिड-डे-मील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मिड-डे-मील का पूरक है।
मिड-डे-मील के लिए जेलों, मंदिरों और गुरूद्वारों आदि का उपयोग	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समुदाय तथा अन्य संस्थाओं, जैसे- जेलों, मंदिरों, गुरुद्वारों आदि को मिड-डे-मील योजना में शामिल करने की सलाह दी जा रही है।

15.4. समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (SAMAGRA SIKSHA- AN INTEGRATED SCHEME FOR SCHOOL EDUCATION)

उद्देश्य

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना** तथा छात्रों के अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम) में सुधार करना;
- विद्यालयी शिक्षा में **सामाजिक और लैंगिक अंतराल को समाप्त करना;**
- विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना;
- शिक्षा संबंधी प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना;
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना;
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना;
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (State Councils of Educational Research and Training: SCERTs) / राज्य शिक्षण संस्थानों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Education and Training: DIETs) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह प्री-स्कूल **से लेकर कक्षा 12 तक** विस्तारित स्कूली शिक्षा क्षेत्रक हेतु आरंभ आरम्भ किया गया एक **व्यापक कार्यक्रम** है।

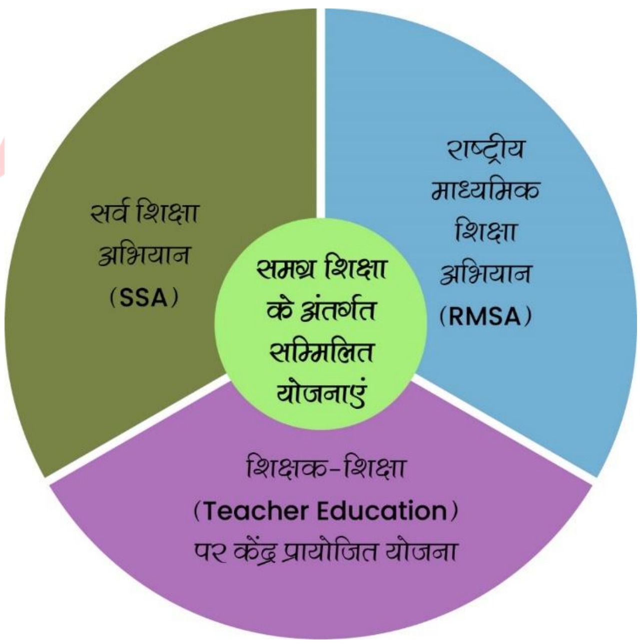

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (State Implementation Society: SIS) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **क्षेत्रीय संतुलन पर बल:** इस योजना के तहत हस्तक्षेपों में, शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों, नक्सल प्रभावित जिलों, विशेष फोकस जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **रक्षा (RAKSHA):** यह एक प्रकार का आत्म-रक्षा प्रशिक्षण है, जिसमें लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे संकट के समय स्वयं की रक्षा कर सकें।
- शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए **"दीक्षा (DIKSHA)" नामक डिजिटल पोर्टल** का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।
- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।

15.5. सर्व शिक्षा अभियान (SARVA SHIKSHA ABHIYAAN)

उद्देश्य
• प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना; • शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग अंतरालों को समाप्त करना; तथा • बच्चों के सीखने के स्तर का संवर्धन करना।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

लाभार्थी
• सभी पृष्ठभूमियों से 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे।
प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2018-19 से इस योजना को **समग्र शिक्षा अभियान** (SSA) में शामिल कर लिया गया है। • यह एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया गया है, जैसे- नए विद्यालय की स्थापना करना, शौचालयों का निर्माण करना (स्वच्छ विद्यालय योजना- सभी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय), समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता आदि।

SSA के अंतर्गत उप-कार्यक्रम:

पढ़े भारत बढ़े भारत (Padhe Bharat Badhe Bharat)

- यह **प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण** के उद्देश्य हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यान्वित एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में प्रारंभिक कक्षाओं (कक्षा I और II) के दौरान समझ के साथ पढ़ना-लिखना और बुनियादी संख्यात्मक कौशल को बढ़ावा देना है।
- **इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख दो घटक शामिल किए गए हैं:** प्रारंभिक कक्षाओं में समझ के साथ पढ़ना-लिखना और गणित कार्यक्रम (Early reading and writing with comprehension and Early mathematics)।
- आगे की कार्रवाई के रूप में, नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव को प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के मध्य पढ़ने की आदत को विकसित करने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे यह कार्यक्रम कक्षा 8 तक विस्तारित किया जा सके।
- सभी सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (Rashtriya Avishkar Abhiyan)

- यह **सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** दोनों का एक उप-घटक है।
- इस कार्यक्रम को वर्ष 2015 में आरम्भ किया गया था। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण, प्रयोगकार्य, समझ विकास, मॉडल के निर्माण आदि के माध्यम से **विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रेरित और संलग्न** (कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों गतिविधियों द्वारा) करना है।
- अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु **विभिन्न संस्थानों, जैसे- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों** (IITs)/ भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs)/ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (IISERs) एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना।
- यह **अनुच्छेद 51(A) के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य** "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना के विकास" को बढ़ावा देने हेतु एक कदम है।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र इत्यादि में 6-18 आयु वर्ग के छात्र एवं विज्ञान विषय पर ध्यान देने वाले कक्षा I से XII तक के स्कूल जाने वाले विद्यार्थी।

विद्यांजली (Vidyanjali)

- विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम), सर्व शिक्षा अभियान के समग्र तत्वावधान में देश भर में **सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सामुदायिक और निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित** करने हेतु आरंभ की गई एक पहल है।
- इस कार्यक्रम की परिकल्पना **उन लोगों को** एक साथ एकत्रित करने के लिए की गई है जो उन स्कूलों में **स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए इच्छुक** हैं जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है।
- **स्वयंसेवक बच्चों के साथ परामर्शदाता, विश्वासपात्र और संवादकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।**
- **लाभार्थी:** कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों, तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों आदि के विद्यार्थी।

© Vision IAS

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas : KGBV)

- इसे वर्ष 2004 में दुर्गम क्षेत्रों में अधिवासित मुख्य रूप से **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने** के लिए आरम्भ किया गया था।
- शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूदा KGBVs और माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावासों को इस योजना के तहत **कक्षा-XII तक आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तारित/अभिसरित किया गया है।**
- इस प्रकार, यह योजना **अब कक्षा VI से XII तक पढ़ने की इच्छुक 10-18 आयु वर्ग की वंचित समूहों की** लड़कियों को **शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करती है।
- इस योजना को देश के **शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (Educationally Backward Blocks: EBBs)** में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता, राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- इस योजना के तहत **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75% सीटों के आरक्षण** का प्रावधान किया गया है। शेष 25% हिस्से के लिए प्राथमिकता, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को दी जाती है।

15.6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN: RMSA)

उद्देश्य

- इस योजना के तहत कार्यान्वयन के 5 वर्षों में किसी भी बस्ती से समुचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर कक्षा IX-X के लिए सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2005-06 के 52.26% से बढाकर 75% के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।
- सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** लाना।
- **लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और दिव्यांगता संबंधी बाधाओं को दूर** करना।
- माध्यमिक स्तर की शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।
- **वर्ष 2020 सार्वभौमिक प्रतिधारण (universalize retention) के लक्ष्य को प्राप्त करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- यह प्रत्येक घर से **समुचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर** माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और **गुणवत्ता में सुधार करने** हेतु संचालित एक प्रमुख योजना है।

भौतिक सुविधाएं	गुणवत्ता संबंधी हस्तक्षेप	समता संबंधी हस्तक्षेप	परियोजना निगरानी प्रणाली
अतिरिक्त क्लास रूम; प्रयोगशालाएं; पुस्तकालय; कला और शिल्प कक्ष, शौचालय ब्लॉक; पेयजल सुविधा; दूरस्थ क्षेत्रों	PTR (छात्र-शिक्षक अनुपात) को घटाकर 30:1 करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना; शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण; विज्ञान प्रयोगशालाओं; ICT सक्षम	सूक्ष्म नियोजन पर विशेष ध्यान देना, उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को वरीयता देना, विद्यालय खोलने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यकों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों को वरीयता देना, कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान का संचालन करना, विद्यालयों में अधिक महिला	दक्षता बढ़ाने और RMSA के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने के लिए।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

में शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास।	शिक्षा; पाठ्यक्रम में सुधार करना; और शिक्षण अधिगम में सुधार करना।	शिक्षक की शामिल करना; और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ब्लॉक की व्यवस्था।	

15.7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN: RUSA)

उद्देश्य

- राज्य स्तर पर योजना निर्माण और निगरानी के लिए सुविधाजनक संस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान कर और संस्थाओं के शासन संरचना में सुधार करके, **राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली** में **रूपांतरणकारी सुधार** करना।
- उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के विस्तार के लिए क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना।
- ऐसे परिवेश का निर्माण करना, जिसमें उच्चतर शैक्षिक संस्थान स्वयं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित कर सकें।
- विद्यमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर तथा नए संस्थानों की स्थापना कर संस्थानिक आधार को विस्तारित करना।
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

• यह वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है।	• इसके लिए विभिन्न मापदंडों और परिणाम (आउटकम) के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वित्त-पोषण प्रदान किया जाता है।	• इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 30% करना है।	• इस योजना के तहत नीति आयोग चिन्हित **आकांक्षी जिलों** (Aspirational Districts) को प्राथमिकता प्रदान करेगी।

निम्नलिखित के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाने पर बल दिया गया है:			
गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों एवं मानकों के पालन तथा **मान्यता** (accreditation) प्राप्त करने को अनिवार्य बनाया गया है।	राज्य विश्वविद्यालयों में **स्वायत्तता** को बढ़ावा देना।	संबद्धता (affiliation), शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।	उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

15.8. प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव (PRADHAN MANTRI INNOVATIVE LEARNING PROGRAMME: DHRUV)

उद्देश्य

- प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए उनकी पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा समाज में उनका योगदान सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

इस कार्यक्रम में **दो क्षेत्र, यथा- विज्ञान और प्रदर्शन कलाएं** शामिल हैं। आगे इस कार्यक्रम का विस्तार उत्तरोतर रूप से रचनात्मक लेखन जैसे क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

© Vision IAS

इस कार्यक्रम का शुभारम्भ **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** से किया गया था।	इस कार्यक्रम का नाम **'ध्रुव तारे'** के नाम पर रखा गया है तथा इसके तहत प्रत्येक चयनित छात्र 'ध्रुव तारा' कहलाएगा।	यह एक **14-दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम** है, जिसमें देश भर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लगभग 60 छात्रों का चयन किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं शिक्षण प्रदान किया जाता है।

15.9. भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा-विद्या संबंधी अनुसंधान योजना (स्ट्राइड) (SCHEME FOR TRANS-DISCIPLINARY RESEARCH FOR INDIA'S DEVELOPING ECONOMY: STRIDE)

उद्देश्य

- राष्ट्रीय विकास के प्रासंगिक और समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए युवा प्रतिभा की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को सुदृढ़ करना, क्षमता निर्माण करना, नवाचार को प्रोत्साहन देना और ट्रांस-डिसिप्लिनरी (परा-विद्या) अनुसंधान का समर्थन करना।
- मानविकी और मानव विज्ञान तथा भारतीय ज्ञान प्रणालियों में पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाली राष्ट्रीय नेटवर्क परियोजनाओं को निधि प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना की घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा **सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और विश्व स्तर पर प्रासंगिक अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है।**
- इस योजना के निम्नलिखित **3 घटक** हैं:

घटक 1	घटक 2	घटक 3
• स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं के नवोन्मेषी व व्यावहारिक समाधान हेतु युवा प्रतिभा को सहायता करना और शिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से विविध विषयों में अनुसंधान क्षमता विकसित कराना। • इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिए 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।	• इस घटक के तहत भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में योगदान करने तथा स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के नवोन्मेषी व व्यावहारिक समाधानों के लिए समावेशी नवाचार एवं उपयुक्त अनुसंधान की सहायता से **समस्याओं के समाधान के लिए कौशल संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।** • इसमें सभी विषयों पर अनुसंधान के लिये 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।	• इसमें बहुसंस्थागत नेटवर्क के माध्यम से मानविकी और मानव विज्ञान में पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में **उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान परियोजनाओं को निधि प्रदान की जाएगी।** • इस घटक के तहत उपलब्ध अनुदान एक उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये तक तथा एक बहु संस्थागत नेटवर्क के लिए 5 करोड़ रुपये तक है।

15.10. स्टडी इन इंडिया (STUDY IN INDIA)

उद्देश्य

- भारत में अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आगमन को प्रोत्साहित करना;
- भारत को विदेशी छात्रों के लिए मुख्य शैक्षिक गंतव्य स्थल / शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना;
- पड़ोसी देशों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ भारत की सॉफ्ट पॉवर क्षमता को बेहतर बनाना और इसको कूटनीति में एक साधन के रूप में उपयोग करना;

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार भागीदारी को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत तक करना;
- उच्चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना;
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं की संख्या में आवागमन संबंधी असंतुलन को कम करना;
- शैक्षिक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की वैश्विक रैंकिंग में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

अंतर-मंत्रालयी पहल	यह **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय** तथा **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है।
देशों को वरीयता	यह कार्यक्रम दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के **30 से अधिक चयनित देशों से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों** को आकर्षित करने पर केंद्रित है।
चुनिंदा प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों की भागीदारी	इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वहनीय दरों पर सीटें उपलब्ध करायी जा रही हैं। चयनित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों में नामांकन हेतु मेधावी विदेशी छात्रों के लिए शुल्क माफ़ी (25% से 100% तक) का प्रावधान (संस्थान द्वारा निर्धारित) किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council: NAAC) द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा प्रदत्त रैंकिंग के आधार पर शीर्ष 100 भागीदार संस्थानों का चयन किया गया है
कार्यान्वयन एजेंसी	इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी **EdCIL (इंडिया) लिमिटेड** है। यह मिनी रत्न श्रेणी-1 के अंतर्गत एक CPSE (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) है।

इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित घटकों की स्थापना हेतु परिकल्पना की गई है

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और भारत में स्थित विदेशी मिशनों के साथ घनिष्ट समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया है।

मेधावी उम्मीदवारों को सीटों के आवंटन के लिए एल्गोरिदम।

लक्षित देशों में ब्रांडिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सहायता के लिए कॉल सेंटर।

इसके अंतर्गत विदेशी छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करने वाले एक केंद्रीकृत प्रवेश वेब पोर्टल (**centralised admission web portal**) का भी शुभारंभ किया गया है।

15.11. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम (EDUCATION QUALITY UPGRADATION AND INCLUSION PROGRAMME: EQUIP)

उद्देश्य

- उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER) को दोगुना करना;
- देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों तक पहुँच में विद्यमान भौगोलिक एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करना;
- शिक्षा की गुणवत्ता का वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नयन करना;
- कम से कम 50 भारतीय संस्थानों का शीर्ष 1,000 वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों (2019-2024) में रणनीतिक कार्यक्रम लागू करके भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना है।

15.12. उड़ान- छात्राओं को पंख देने हेतु कार्यक्रम (UDAAN-GIVING WINGS TO GIRLS)

उद्देश्य

- तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं के निम्न नामांकन की समस्या का समाधान करना।
- विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के मध्य व्याप्त अंतराल को न्यूनतम करना।
- शिक्षा के तीन आयामों, यथा- पाठ्यक्रम (curriculum) डिजाईन, संपादन (transaction) तथा आकलन (assessments) को संबोधित करके उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण एवं अध्ययन को समृद्ध व उन्नत करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- भारत में केंद्रीय विद्यालयों / नवोदय विद्यालयों / किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों / CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों में पढ़ने वाली केवल कक्षा XI की बालिकाएं।
- यह कार्यक्रम केवल भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है।
- पारिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रमुख विशेषताएं

इसके अंतर्गत शीर्ष संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्राओं को तैयार किया जाता है तथा उन्हें ट्यूटोरियल, वीडियो क्लास आदि के माध्यम से प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया जाता है।

प्रति वर्ष 1,000 वंचित बालिकाओं का चयन कर उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।	इस योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आरम्भ किया गया है।	देश के विभिन्न प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा XI और कक्षा XII में अध्ययन के दौरान छात्राओं को वर्चुअल वीकेंड कक्षाओं के माध्यम से तथा प्री-लोडेड टैबलेट पर अध्ययन सामग्री प्रदान कर निःशुल्क ऑफ़लाइन / ऑनलाइन संसाधन प्रदान किए जाते हैं।

15.13. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम (EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT PROGRAMME)

उद्देश्य

- भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के मध्य अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके मध्य अंतर्क्रियाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

इस कार्यक्रम के तहत, प्रति वर्ष, प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को पारस्परिक अंतर्क्रिया (reciprocal interaction) हेतु किसी अन्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के साथ युग्मित किया जाएगा अर्थात् वे गहरे रचनात्मक संपर्कों को बढ़ावा देंगे।	युग्मित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत उभयनिष्ठ गतिविविधियों के लिए एक-दूसरे के साथ MoU पर हस्ताक्षर करेंगे।	**केन्द्रीय विद्यालय संगठन** द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत **राष्ट्रीय एकता शिविरों** का आयोजन किया जाता है।

© Vision IAS

15.14. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TECHNICAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAMME: TEQIP)

उद्देश्य

- निम्न आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- इस कार्यक्रम के **चरण 3** के एक भाग के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए पिछड़े जिलों में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने हेतु IIT, NIT आदि से स्नातकों को नियोजित करना।

इस कार्यक्रम के बारे में

- केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की गई यह परियोजना, 10-12 वर्षों का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। इसे विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किया गया है।
- इसके तीसरे चरण में मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा पर्वतीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

TEQIP के अंतर्गत किए जा रहे उपायों में शामिल हैं:

संस्थान आधारित	छात्र आधारित
राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन, प्रशासन में सुधार, प्रक्रियाओं में सुधार, डिजिटल पहल तथा महाविद्यालयों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करना।	शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षाओं को साधन संपन्न बनाना; पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करना, उद्योगों के साथ अंतर्क्रिया, छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों को उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण देना, छात्रों को GATE परीक्षा के लिए तैयार करना आदि।

15.15. उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल योजना: श्रेयस (SCHEME FOR HIGHER EDUCATION YOUTH IN APPRENTICESHIP AND SKILLS: SHREYAS)

उद्देश्य

- उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की अधिगम प्रक्रिया में रोज़गार प्रासंगिकता को शामिल करते हुए **छात्रों की रोज़गार क्षमता में सुधार** करना।
- **शिक्षा और उद्योग / सेवा क्षेत्रों के मध्य** सतत आधार पर **क्रियात्मक सम्पर्क** स्थापित करना।
- छात्रों को एक गत्यात्मक रीति से **बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना।**
- उच्चतर शिक्षा में **'अधिगम के दौरान अर्जन'** को संभव बनाना।
- बेहतर गुणवत्तायुक्त श्रमबल प्राप्त करने में व्यापार / उद्योगों की सहायता करना।
- सरकार के प्रयासों को सरल बनाने हेतु छात्र समुदाय को रोज़गार से जोड़ना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन **क्षेत्र कौशल परिषदों (Sector Skill Councils: SSCs)** द्वारा किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **वर्ष 2022 तक 50 लाख विद्यार्थियों को शामिल करना है।**
- **वित्त-पोषण:** इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार प्रशिक्षुता अवधि के दौरान प्रति माह 25% वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) का वहन करेगी, जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 7,500 रुपये मूल प्रशिक्षण लागत के तौर पर भी प्रदान किए जाएंगे।

श्रेयस एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें तीन केंद्रीय मंत्रालयों की पहलें शामिल हैं, जिनमें सम्मिलित हैं	इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन ट्रैक्स पर साथ-साथ किया जाएगा

शिक्षा मंत्रालय: उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में बी.ए./ बी.एस.सी./ बी.कॉम. के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना।	**एड-ऑन अप्रेंटिसशिप (डिग्री अप्रैंटिसशिप):** इसके अंतर्गत जो छात्र वर्तमान में डिग्री प्रोग्राम पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा दी गई अप्रेंटिसशिप रोजगार भूमिका की चयनित सूची में से अपनी रूचि की भूमिका के चयन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय: राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)।	**एंबेडेड अप्रेंटिसशिप:** इसमें मौजूदा बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (B.Voc) कार्यक्रमों को बी.ए. (व्यावसायिक), बी.एस.सी. (व्यावसायिक) या बी.कॉम. (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों में पुनर्गठित किया जाएगा। इसमें 6 से 10 माह की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप भी शामिल होगी, जो कौशल की आवश्यकता पर निर्भर होगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय: राष्ट्रीय करियर सेवा (National Career Service: NCS)।	**राष्ट्रीय करियर सेवा को कॉलेजों से जोड़ना:** इसके तहत श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा।

15.16. उन्नत भारत अभियान (UNNAT BHARAT ABHIYAN)*

उद्देश्य

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करने हेतु विकासात्मक चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण भारत के लोगों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु उच्चतर शिक्षण संस्थानों को समर्थ बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक (विशेष रूप से ग्रामीण भारत हेतु) अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **संस्थागत क्षमता का निर्माण** करना।
- **IIT दिल्ली** को उन्नत भारत अभियान (UBA) के लिए समन्वय संस्थान के रूप में नामित किया गया है।
- **ग्रामीण भारत को उच्चतर शिक्षण संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन** प्रदान करना; विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को।
- उन्नत भारत अभियान (2.0) के दूसरे संस्करण के अंतर्गत संस्थानों का चयन एक **चैलेंज मोड** पर किया गया है। साथ ही, इस योजना का विस्तार देश के 750 प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षण संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) तक कर दिया गया है।
- इन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा **गांवों को अंगीकार किया जाएगा, और ये छात्र वहाँ के लोगों की जीवनशैली एवं उनके समक्ष आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे वार्ता करेंगे।**

15.17. निपुण {'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल {NATIONAL INITIATIVE FOR PROFICIENCY IN READING WITH UNDERSTANDING AND NUMERACY (NIPUN BHARAT) MISSION}

उद्देश्य

- **समावेशी शिक्षा: खेल, खोज और गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र** को शामिल करके, इसे दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। साथ ही, **बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल करना।**
- बच्चों की परिचित/घरेलू/मातृभाषा (भाषाओं) में **उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण सामग्री।**
- बच्चों को स्थायी पठन और लेखन कौशल युक्त समझ के साथ **प्रेरित करना व आत्मनिर्भर बनाना। साथ ही, एकाग्रचित पाठक और लेखक बनने में सक्षम बनाना।**
- बच्चों को संख्या, माप आदि के क्षेत्र में **तर्क को समझने और समस्या समाधान में आत्मनिर्भर हेतु सक्षम बनाना।**
- **शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों और शिक्षा प्रशासकों** के सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

© Vision IAS

- **आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए** सभी हितधारकों अर्थात् शिक्षकों, माता-पिता, छात्रों और समुदाय तथा नीति निर्माताओं के साथ **सक्रिय रूप से जुड़ना।**
- **पोर्टफोलियो, समूह और** सहयोगी कार्य आदि के माध्यम से सीखने के संबंध में आकलन मूल्यांकन सुनिश्चित करना। साथ ही, सभी **छात्रों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग** सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं (Salient Features)

- **इसे केंद्र प्रायोजित योजना "समग्र शिक्षा"** के तहत शुरू किया गया है।
- यह मिशन 2026-27 तक **मूलभूत** साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) की सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
- **लाभार्थी:** इसमें **3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, जिसमें प्री स्कूल से कक्षा 3 तक के बच्चे और कक्षा 4 और 5 के वे बच्चे** शामिल हैं, जिन्होंने मूलभूत कौशल में भाग नहीं लिया है।

बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक पहुंच प्रदान करना और उनकी उपस्थिति को बनाए रखना।	**मिशन का फोकस**	**शिक्षक क्षमता निर्माण।**
सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में **प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर** रखना।		**उच्च गुणवत्ता युक्त और विविधतापूर्ण छात्र एवं शिक्षक संसाधनों / शिक्षण सामग्री** का विकास।

- **कार्यान्वयन रणनीति: राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर एक पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र** की स्थापना की जाएगी।
- **प्रगति ट्रैकिंग प्रणाली:**
    - सीखने के परिणामों को **तीन विकासात्मक लक्ष्यों में** विभाजित किया गया है:
        - लक्ष्य 1-HW (स्वास्थ्य और कल्याण),
        - लक्ष्य 2-EC (बेहतर संप्रेषण क्षमता) तथा
        - लक्ष्य 3-IL (भगीदारपरक शिक्षार्थी)।
    - इन लक्ष्यों को **"लक्ष्य सोची (Lakshya Soochi)"** या FLN (मूलभूत साक्षरता और संख्या कौशल) के लिए लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।

मिशन की सफलता के लिए निर्धारित की गयी रणनीतियाँ

- **प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए** सामग्री के संदर्भ में **समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र का विकास करना।**
- **शिक्षकों का सशक्तीकरण:** पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक कक्षा के लगभग 25 लाख शिक्षकों को **निष्ठा/NISHTHA (स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) के तहत FLN के लिए एक विशेष पैकेज** के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा/DIKSHA) का उपयोग करना।** दीक्षा मंच शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका

- अपने संबंधित FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **बहु-वर्षीय कार्य योजनाएं** बनाना।
- **राज्य विशिष्ट चरणवार कार्य योजना** तैयार करके राष्ट्रीय मिशन को प्रासंगिक बनाना।
- प्रत्येक स्कूल में पूर्व-प्राथमिक से लेकर कक्षा 3 तक प्रत्येक कक्षा के तहत **शिक्षकों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करना।** साथ ही, मिशन मोड में FLN को लागू करने के लिए शिक्षकों की व्यापक क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना।
- आधारभूत कक्षाओं में **नामांकित प्रत्येक बच्चे का डेटाबेस बनाना।**
- शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए **मेंटर्स के एक समूह की पहचान करना।**
- शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले **छात्रों को पाठ्यपुस्तकों और स्कूल ड्रेस की आपूर्ति** सुनिश्चित करना।
- स्कूल/सार्वजनिक **पुस्तकालयों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग** बनाना।

15.18. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला अभियान) {Kalam Program for IP Literacy and Awareness (KAPILA) Campaign}

- **बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला अभियान)** को पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया था।
    - **बौद्धिक संपदा** द्वारा बौद्धिक रचनाओं को संदर्भित किया जाता है, जैसे कि **आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिज़ाइन** तथा व्यापार में उपयोग किए गए **प्रतीक, नाम एवं चित्र।**
    - **बौद्धिक संपदा के विभिन्न प्रकारों में शामिल हैं:** कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, भौगोलिक संकेतक, व्यापार गोपनीयता (Trade secrets) आदि।
- **कपिला अभियान** के तहत, **उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Higher Educational Institutions: HEIs)** में अध्ययनरत छात्रों को उनके आविष्कारों को पेटेंट कराने हेतु आवेदन प्रक्रिया के उचित तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

'सार्थक' पहल (SARTHAQ Initiative)

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (सार्थक) {Students' and Teachers' Holistic Advancement through Quality Education (SARTHAQ)}** योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP), 2020 के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और आगे की राह की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
- यह स्कूली शिक्षा के लिए एक निर्देशात्मक और परामर्श योग्य कार्यान्वयन योजना है। इसे अप्रैल 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले **'अमृत महोत्सव'** के भाग के रूप में जारी किया गया था।
- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को इस योजना को स्थानीय संदर्भ के साथ अनुकूलित करने तथा अपनी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार संशोधित करने की छूट प्रदान की गई है।
- 'सार्थक' को **चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना** निर्मित की गई है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्-स्पाइसेज़ (छात्रों के मध्य रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए योजना) {AICTE-SPICES (Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students)}

- इस योजना द्वारा संस्थानों को छात्रों के हितों, रचनात्मकता और नैतिकता को बढ़ावा देकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु छात्र क्लब विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस क्लब को संस्था के अन्य क्लबों और अन्य संस्थानों के लिए भी एक मॉडल के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **उद्देश्य:** व्यक्तिगत हितों की खोज, रचनात्मक कार्य, प्रतिभा प्रदर्शन, नेटवर्किंग और टीम वर्क के अवसरों, (सामाजिक अनुभव के लिए); संगठन और प्रबंधन कौशल तथा पेशेवर नैतिकता आदि के बारे में जानकारी के लिए; छात्रों के क्लब/ खण्डों/ समाजों को सक्रिय करना एवं स्थापित करना।

नवाचार संस्थान परिषद- 3.0 {Institution Innovation (Council (IIC 3.0)}

- IIC की स्थापना वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- **IIC का प्रमुख फोकस** एक जीवंत स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions: HEIs) में स्टार्ट-अप सहायक तंत्र का निर्माण करना तथा नवाचार उपलब्धियां फ्रेमवर्क (Innovation Achievements Framework) आदि पर संस्थानों की अटल रैंकिंग के लिए संस्थान तैयार करना है।
- अब तक **लगभग 1,700 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में IICs की स्थापना की जा चुकी है।** IIC 3.0 के तहत 5,000 उच्चतर शिक्षण संस्थानों में IIC की स्थापना की जाएगी।

वित्तीय साक्षरता अभियान: विसाका {Vittiya Saksharata Abhiyan (VISAKA)}
• इसका उद्देश्य फण्ड ट्रांसफर (अर्थात् धनराशि हस्तांतरण) करने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने हेतु सभी भुगतानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित, प्रेरित एवं जागरूक करना है।   • इसके तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही, उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय (फैकल्टी) से अपील की गयी है कि वे अपने परिसर को कैशलेस बनाएं।   • राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) / राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने निकटतम बाजारों में दुकानदारों एवं वेंडरों को डिजिटल लेन-देन के माध्यमों के बारे में जागरूक करें।

अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (Impacting Research Innovation and Technology: IMPRINT) 2.0

- यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) का पहला संयुक्त कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य देश के लिए प्रासंगिक **प्रौद्योगिकी आधारित 10 क्षेत्रों** (जैसे- स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अग्रिम सामग्री, सतत निवास आदि) में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने हेतु अनुसंधान के लिए एक रोड मैप विकसित करना है।
- हाल ही में, सरकार द्वारा संशोधित रणनीति के साथ **इंप्रिंट 2 (IMPRINT-2)** को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत इस राष्ट्रीय पहल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित किया जाएगा।

यह MHRD द्वारा वित्त-पोषित सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों/केंद्र द्वारा वित्त-पोषित तकनीकी संस्थानों के लिए उपलब्ध होगी। निजी संस्थानों तक भी इसका विस्तार किया गया है।

इंप्रिंट 2 की प्रमुख विशेषताएं

इसका प्रमुख उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कर व्यवहार्य तकनीक विकसित करना है।	औद्योगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।	इसके अतिरिक्त, उच्चतर आविष्कार योजना को इंप्रिंट 2 में सम्मिलित किया जाएगा।

उत्कृष्ट संस्थान योजना {Institute of Eminence (IoE) scheme}

- उत्कृष्ट संस्थान योजना को वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा आरंभ किया गया था जिसके तहत **10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान** के रूप में घोषित किया है।
- इस योजना का उद्देश्य ऐसे संस्थानों को **विश्व प्रसिद्ध रैंकिंग संरचना में शीर्ष 500 में रैंकिंग प्राप्त करने हेतु सक्षम** बनाना है।
- **सरकारी संस्थानों** को पहले से मिल रहे अनुदान के अतिरिक्त पांच वर्ष की अवधि में **1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।**
- **निजी क्षेत्रक से चुने गए संस्थानों को नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की स्वायत्तता** होगी।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने विभिन्न **गुणवत्ता संबंधी पहलें जैसे कि परीक्षा सुधार, अनिवार्य प्रशिक्षुता, छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम, मॉडल पाठ्यक्रम में संशोधन, प्रशिक्षुता, उद्योग तत्परता प्रत्यायन, स्टार्ट-अप और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पहल** आदि को प्रारंभ किया है।

भारत में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस (Digital Gender Atlas for Advancing Girl's Education in India)

- **उद्देश्य :** इसके माध्यम से विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हाशिए पर स्थित समुदायों की बालिकाओं के संदर्भ में, **निम्नस्तरीय निष्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान** की जाएगी। यह पहचान विशिष्ट लैंगिक संकेतकों के आधार पर की जानी है।

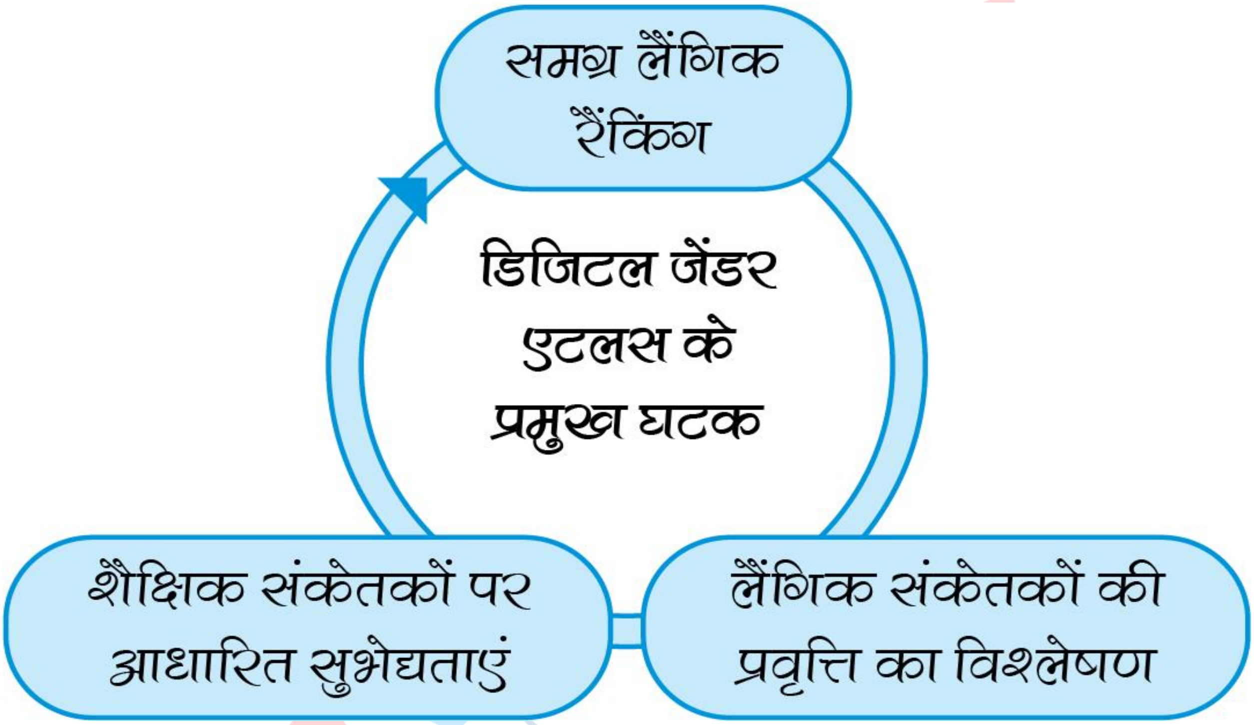

- यह भिन्न समयावधियों में विभिन्न लैंगिक मापदंडों की प्रवृत्तियों के विश्लेषण एवं निरीक्षण को संभव बनाती है।
- इसे UNICEF के सहयोग से विकसित किया गया है।

शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल {Shala Gunvatta (Shagun) Porta}

यह सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की सर्वोत्तम पद्धतियों को चिन्हित करने और साझा करने के लिए एक **द्विमार्गी दृष्टिकोण (twin track approach)** प्रस्तुत करता है।

© Vision IAS

विद्वान पोर्टल (Vidwan portal)

- **'विद्वान'** भारत में शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल से संबंधित एक प्रमुख डेटाबेस है।
- इस डेटाबेस को **सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (Information and Library Network: INFLIBNET)** द्वारा **'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी' (NME-ICT)** के वित्तीय सहयोग से विकसित और प्रबंधित किया गया है।

दीक्षा (ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना) पोर्टल {DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) Portal}

- यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की एक पहल है। यह शिक्षकों के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना** के रूप में कार्य करेगा।
- यह शिक्षकों की सीखने और प्रशिक्षित होने में सहायता करेगा, जिसके मूल्यांकन हेतु संसाधन भी उपलब्ध होंगे।

केंद्रीय और राज्य के कई कार्यक्रमों के लिए एक (दीक्षा)

ईशान विकास (Ishan Vikas)

- इसके तहत उपर्युक्त शीर्ष स्तर के संस्थानों के सामान्य पाठ्यक्रम, तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों (मेडिकल और पैरा-मेडिकल कोर्स सहित) के लिए पूर्वोत्तर भारत (8 राज्यों) के स्कूली छात्रों हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गयी है।
- इस योजना का समन्वय IIT, गुवाहाटी द्वारा किया जा रहा है।
- इसे छात्रों को अग्रणी संस्थानों, जैसे- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (IISERs) से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है।

ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना (Ishan Uday Scholarship Scheme)

- देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करना।
- इस योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत (8 राज्यों) के ऐसे छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, को प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी।
- यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रशासित है।

शाला अस्मिता (सभी स्कूलों एवं विद्यार्थियों के गतिविधियों के विश्लेषण पर नज़र रखने का कार्यक्रम) योजना {Shala ASMITA (All School Monitoring Individual Tracing Analysis) Yojana}

- निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी।
- अस्मिता एक ऑनलाइन डेटाबेस है, जिसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति एवं नामांकन, लर्निंग आउटकम, मध्यान्ह भोजन और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी।
- यह निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए एक मंच पर, छात्रों की उपस्थिति और नामांकन, मध्याह्न भोजन सेवा, अधिगम के परिणामों और अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित सूचना को उपलब्ध कराएगा।
- छात्रों को उनकी आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।

स्वयं या 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' {SWAYAM (Study Webs of Active– Learning for Young Aspiring Minds)}

- उन विद्यार्थियों के लिए डिजिटल अंतराल को समाप्त करना, जो डिजिटल क्रांति के प्रभाव से वंचित रह गए हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में सफल नहीं रहे हैं।
- यह स्वदेशी रूप से विकसित एक IT प्लेटफार्म है, जो कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले 9वीं कक्षा से स्नातकोतर तक के सभी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, जिस तक कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी स्थान से नि:शुल्क पहुँच प्राप्त कर सकता है।
- **स्वयं प्रभा:** यह 24x7 आधार पर संपूर्ण देश में DTH चैनलों के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने वाली एक पहल है।

साक्षर भारत कार्यक्रम (Saakshar Bharat Programme)

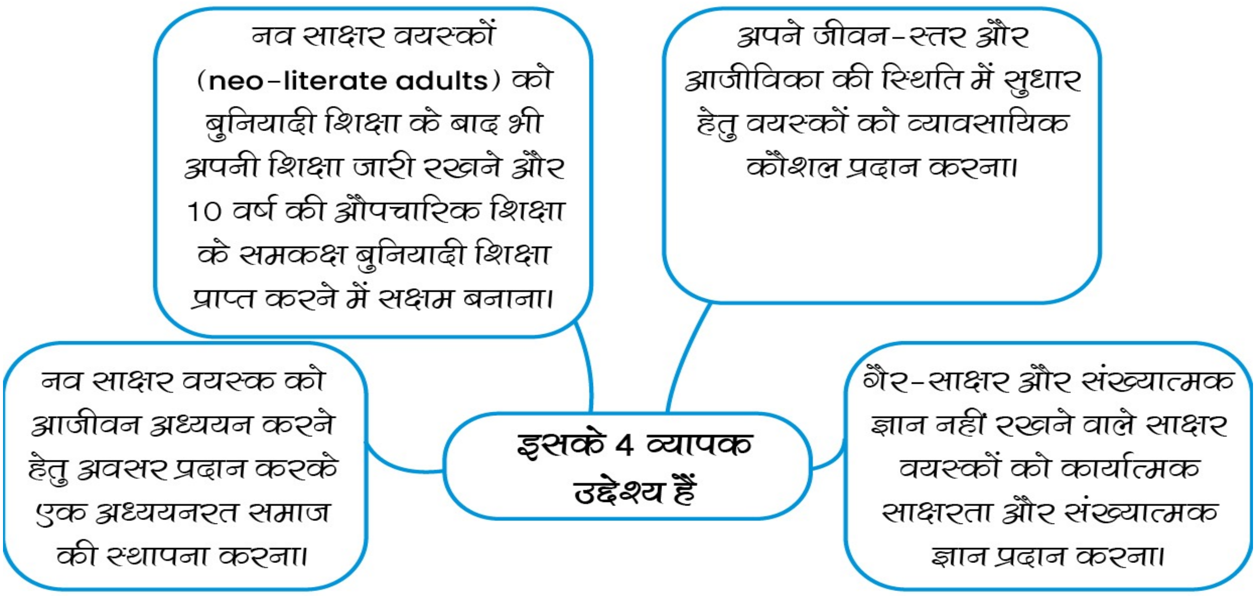

© Vision IAS

- **योग्यता मानदंड:** वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, कोई जिला (इसमें किसी पूर्व जिले से पृथक होकर बना एक नया जिला भी शामिल है) जिसमें वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या उससे कम हो।
    - इसके अतिरिक्त, नक्सलवाद से प्रभावित सभी जिले (उनकी साक्षरता दर के बावजूद) इस कार्यक्रम के तहत अर्ह हैं।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षर वयस्क।

शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान) {Global Initiative of Academic Networks (GIAN)}

- यह स्थानीय छात्रों/संकाय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के मध्य और अधिक सहयोग एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।
- GIAN के तहत दिए गए व्याख्यानों को देश भर के छात्रों हेतु स्वयं (SWAYAM), एम.ओ.ओ.सी. (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफ़ॉर्म और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository: NAD)

- यह अकादमिक संस्थानों / बोर्ड्स / पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा जारी एवं सत्यापित सभी अकादमिक अवार्ड्स, जैसे- प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्क शीट इत्यादि का एक 24x7 ऑनलाइन भंडार गृह है।
- यह अकादमिक पुरस्कारों तक **सरल पहुंच और पुनर्प्राप्ति** सुनिश्चित करता है। साथ ही, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि तथा गारंटी और सुरक्षित भंडारण प्रदान करता है।

नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क {National Institution Ranking Framework (NIRF)}

- देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए एक प्रणाली का प्रारूप तैयार करने हेतु इस फ्रेमवर्क को वर्ष 2015 में प्रारम्भ किया गया था।

सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान {Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS)}

- इसका उद्देश्य **नीति प्रासंगिक क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित** करना है ताकि नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके।
- इस योजना के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण में अनुसंधान का लाभ उठाने के लिए दो वर्ष की अवधि में 1,500 अनुसंधान परियोजनाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
- भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (ICSSR) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

स्पार्क- अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC - Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration)

- **उद्देश्य:** विश्व के 28 देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता प्राप्त करना, भारतीय छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित करना, शैक्षणिक सहभागिता में वृद्धि करना तथा भारतीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करना।
- **पात्रता:** नेशनल इंस्टीटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के शीर्ष 100 में शामिल सभी भारतीय संस्थान इस योजना के लिए पात्र होंगे, जो कि डॉक्टरल और पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं को लक्षित करते हैं। इसके लिए वैश्विक शैक्षणिक रैंकिंग के अंतर्गत शामिल 28 लक्षित देशों के शीर्ष 100 से 200 विदेशी संस्थान पात्र होंगे।
- प्रत्येक भाग लेने वाले देश की सहायतार्थ भारत से कुछ नोडल संस्थानों को, भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग करने तथा उनका प्रबंधन और समन्वय करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसे शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए सम्बद्ध प्रतिभागी देशों के संस्थानों के साथ गठबंधन करने हेतु विकसित किया गया है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** IIT खड़गपुर, इसके लिए राष्ट्रीय समन्वयकारी संस्था होगी।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (Operation Digital Board)

- इसका उद्देश्य वर्ष **2022 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की** प्रत्येक कक्षा में एक डिजिटल और इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करना है।
- स्कूलों में इसकी शुरुआत **9वीं कक्षा से की जाएगी। साथ ही, उच्चतर शिक्षण संस्थानों** में भी इसे आरम्भ किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक बनाना है, तथा शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में **फ्लिप्ड लर्निंग (flipped learning)** को लोकप्रिय बनाना है।
- उच्चतर शिक्षा के लिए **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि (Integrated National School Education Treasury: INSET)

- INSET देश में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित सभी मापदंडों के लिए पूर्ण रूप से एकीकृत, त्वरित रूप से सुलभ और निर्बाध सूचना नेटवर्क की परिकल्पना करता है।
- इसका उद्देश्य विद्यालयों, प्रखंडों, जिलों, निर्वाचन क्षेत्रो, राज्यों और अन्य क्षेत्रों के लिए सरलता से सुलभ **सूचनाओं के बहुस्तरीय परिवेश** का निर्माण करना है।

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh: MUSK)

- "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" से प्राप्त संपूर्ण आय इसमें जमा की जाएगी। ज्ञातव्य है कि वित्त अधिनियम, 2007 के माध्यम से केंद्रीय करों पर 1% उपकर (जिसे "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" कहा जाता है) आरोपित किया गया था।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की योजनाओं पर व्यय, आरम्भ में **सकल बजटीय समर्थन (Gross Budgetary Support: GBS)** से प्राप्त राशि का उपयोग किया जाएगा और GBS के समाप्त होने के बाद आने वाले व्यय को MUSK से वित्त-पोषित किया जाएगा।
- **प्रारंभिक शिक्षा कोष (PSK)** के तहत जो व्यवस्था मौजूद है, उसी अनुसार इस कोष का प्रयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था में **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) तथा मध्याह्न भोजन (MDM) योजनाओं के लिए इसी उपकर से प्राप्त आय (अथवा आगम) का उपयोग किया जाता है।
- MUSK को भारत की लोक लेखा के गैर-ब्याज वाले अनुभाग में एक आरक्षित कोष के रूप में रखा गया है।

© Vision IAS

- **इस कोष का उपयोग:**

माध्यमिक शिक्षा के लिए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना; राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (National Means-Cum-Merit Scholarship) योजना; तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय योजना (National Scheme for Incentives to Girls for Secondary Education)।
उच्चतर शिक्षा के लिए	ब्याज सब्सिडी संबंधी योजनाओं और गारंटीकृत निधियों में योगदान, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की चल रही योजनाएं; राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान; तथा छात्रवृत्ति (संस्थाओं को प्रखंड अनुदान से) के लिए, और राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन पर।

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Educational Alliance for Technology: NEAT)

- शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणामों (लर्निंग आउटकम) के लिए अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक व्यक्तिगत एवं अनुकूलित बनाने हेतु **कृत्रिम बुद्धिमता** का उपयोग करना।
- NEAT, छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से **एडटेक (EdTech) समाधान सत्यापित करने, एकत्र करने और वितरित करने में सहयोग प्रदान** करने के लिए संचालित एक पहल है। यह छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी समाधान का चयन करने के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करता है, जिससे उनके समग्र अधिगम परिणामों में सुधार होता है।
- **एडटेक (EdTech) कंपनियों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।**

विद्यांजलि 2.0 पोर्टल

यह विद्यालयों के विकास और सुधार के उद्देश्य से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि तथा स्वयं सेवा के माध्यम से प्राप्त योगदान एवं दान आदि की सुविधा प्रदान करेगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की विद्यालयी गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा (School Quality Assurance and Assessment Framework- SQAAF)

यह CBSE से संबद्ध विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, आकलन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और अभिशासन प्रक्रिया जैसे आयामों में सामान्य मानकों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक मानदंड निर्धारित करेगा।

दिव्यांगों के लिए शैक्षिक उपकरण (Educational tools for the differently abled)

भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश (श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ/ टेक्स्ट आधारित सांकेतिक भाषा वीडियो ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप), बोलने वाली किताबें (टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें) इत्यादि।

निष्ठा (NISHTHA)

- निष्ठा को वर्ष 2019-20 में **समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत** शुरू किया गया था।
- यह "**एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार**" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
  - **प्राथमिक स्तर के लिए निष्ठा 1.0 (कक्षा I-VIII)**
  - **माध्यमिक स्तर के लिए निष्ठा 2.0 (कक्षा IX-XII)**

- **निपुण भारत के लिए निष्ठा 3.0 {प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) से कक्षा V}**
- इस प्रशिक्षण का उद्देश्य **छात्रों में सोच-विचार करने की महत्वपूर्ण क्षमता को विकसित करने और बढ़ावा देने, अलग-अलग परिस्थितियों को संभालने** तथा प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना एवं दक्ष बनाना है।
- हाल ही में, जनजातीय कार्य मंत्रालय और NCERT ने वस्तुतः एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए **निष्ठा कार्यक्रम हेतु एक संयुक्त मिशन आरंभ किया है।**
  - EMRS वस्तुतः जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। यह **दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है।**

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (National Digital Education Architecture: NDEAR) और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (National Education Technology Forum: NETF)

- दोनों को संपूर्ण देश को एक डिजिटल और तकनीकी फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (NDEAR) 2021, **डिजिटल शिक्षा पारितंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए फ्रेमवर्क को तैयार करती है।**
  - N-DEAR **विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बीच एक 'सुपर कनेक्ट'** के रूप में उसी तरह से कार्य करेगी, जैसे UPI इंटरफ़ेस ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति लाकर किया है।
- NETF वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) (2020) के तहत परिकल्पित एक स्वायत्त निकाय है। यह स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों के लिए सीखने, आकलन करने, योजना बनाने, प्रशासन में सुधार करने आदि के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा विचारों के मुक्त आदान-प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करता है।**

प्रधान मंत्री युवा (YUVA- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना {Pradhan Mantri YUVA (Young, Upcoming and Versatile Authors) Scheme}

- शिक्षा मंत्रालय (MoE) के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रधान मंत्री युवा (YUVA) योजना के तहत 75 लेखकों के चयन की घोषणा की है।
- YUVA, इंडिया@75 परियोजना (आज़ादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है।
- इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है, जो स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा भारत और इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
- मेंटरशिप योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।

निगरानी तंत्र (Monitoring Mechanism)

- शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में **उच्चाधिकार प्राप्त समिति**, सचिव-स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय संचालन-सह-निगरानी समिति** (NSMC) एवं कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (Programme Approval Board: PAB)।
- राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति।**
- जिले के **लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद** की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय समिति।**
- स्थानीय स्तर पर **ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं, ग्राम शिक्षा समितियों (VECs), अभिभावक-शिक्षक संघों (Parent-Teacher Associations: PTAs)** और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) **के सदस्य।**

16. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MEITY)

16.1 उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MEITY का स्टार्टअप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {START-UP ACCELERATORS OF MEITY FOR PRODUCT INNOVATION, DEVELOPMENT AND GROWTH (SAMRIDH) PROGRAMME}

उद्देश्य

- **एक्सेलेरेटर्स (प्रोत्साहक) को समर्थन:** सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्ट-अप्स का बड़े पैमाने पर चयन और उन्हें तीव्रता से प्रोत्साहित करने के लिए **मौजूदा और आगामी स्टार्टअप्स एक्सेलेरेटर्स (प्रोत्साहक) को समर्थन** प्रदान करना
- **स्टार्ट-अप्स को तीव्र गति से प्रोत्साहित करना:** ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, और राजस्व, उपयोगकर्ताओं तथा मूल्यांकन मानकों के मामले में समग्र व्यापार वृद्धि प्रदान करके **स्टार्ट-अप्स को तीव्र गति से प्रोत्साहित करना।**

मुख्य विशेषताएं

- यह योजना **भारत में स्टार्टअप एक्सेलेरेटर (समृद्ध) पारितंत्र विकसित** करने के लिए शुरू की गई थी।
- यह आगामी तीन वर्षों में ग्राहक तथा निवेशकसंपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके **300 स्टार्टअप्स को एक्सलरेट (समृद्ध) करने** पर केंद्रित है।
- **वित्तीय सहायता:** स्टार्टअप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास के चरण के आधार पर **स्टार्ट-अप में 40 लाख रुपये तक का** निवेश चयनित एक्सीलेरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब (MSH)**
- **दो घटक**
  - स्टार्ट-अप्स को तीव्र सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सेलेरेटर्स को **प्रशासनिक लागत** प्रदान की जाएगी।
  - स्टार्ट-अप को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रदान की गई **इक्विटी सीड फंडिंग का मिलान** किया जाएगा।
- **स्टार्टअप को समर्थन:** मौजूदा और आगामी स्टार्टअप एक्सेलेरेटर को **समर्थन देने के लिए प्रक्रिया का निर्माण** तथा योजना के **कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण MeitY के सचिव के तहत** 10 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा।

MeitY स्टार्ट-अप हब (MSH) के बारे में

- यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप्स और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाले **MeitY के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने** के लिए MeitY के तहत एक स्थापित **नोडल इकाई है।**
- यह MeitY के सभी ऊष्मायन केंद्रों (incubation centres), स्टार्टअप्स और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक **राष्ट्रीय समन्वय तथा सुविधा और निगरानी केंद्र** के रूप में कार्य करता है।

16.2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (DIGITAL INDIA PROGRAMME)

उद्देश्य

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।

प्रमुख विशेषताएं

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

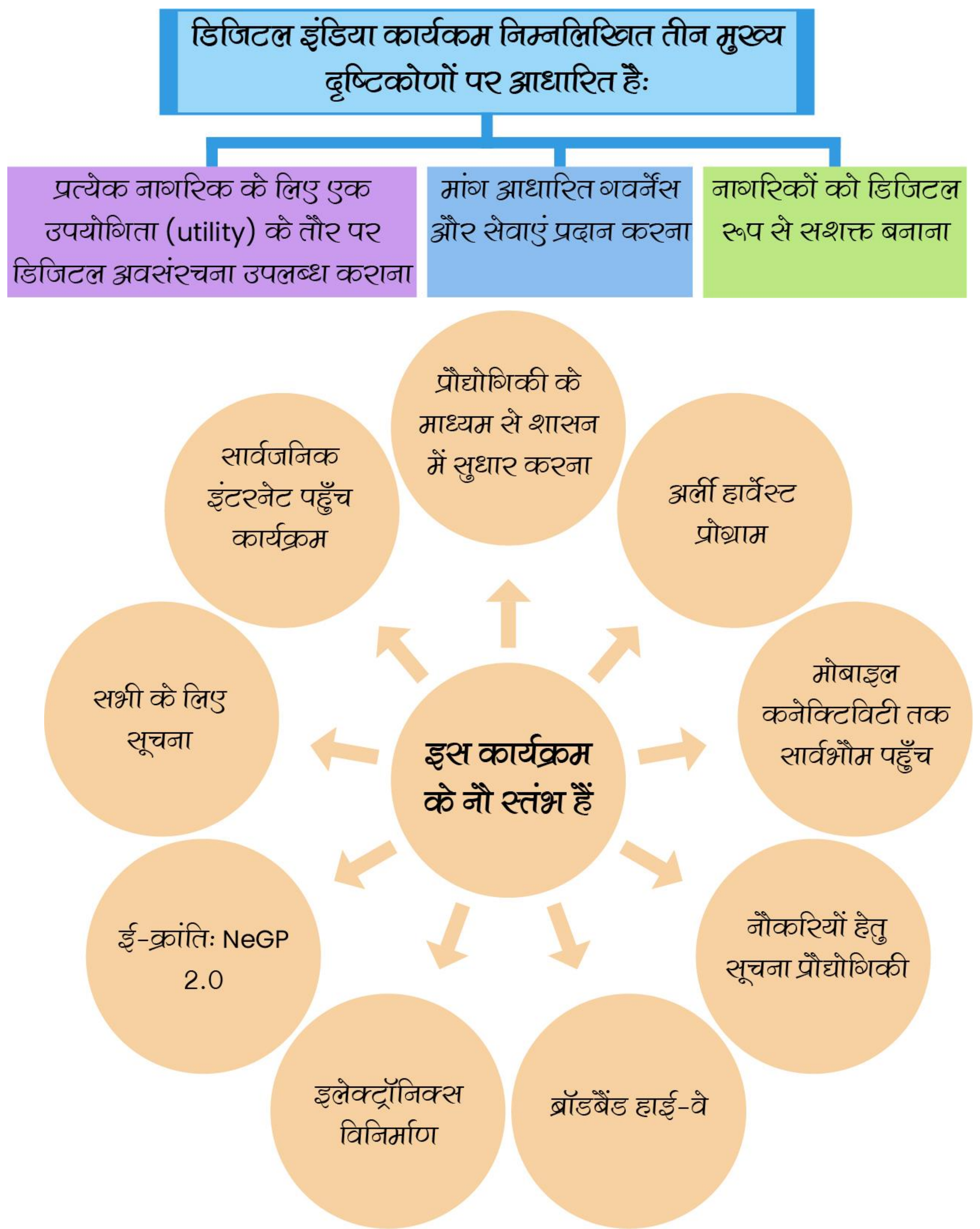
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित तीन मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है:
प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता (utility) के तौर पर डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराना
मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं प्रदान करना
नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना
इस कार्यक्रम के नौ स्तंभ हैं
प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार करना
अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम
मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुँच
नौकरियों हेतु सूचना प्रौद्योगिकी
ब्रॉडबैंड हाई-वे
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
ई-क्रांति: NeGP 2.0
सभी के लिए सूचना
सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम

- **ई-क्रांति- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी:** ई-क्रांति का उद्देश्य परिवर्तनशील और परिणामोन्मुखी ई-गवर्नेंस पहलों को प्रोत्साहित करने हेतु NeGP को पुनः परिभाषित करना, एकीकृत (व्यक्तिगत नहीं) सेवाएं प्रदान करना तथा मुख्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के इष्टतम उपयोग व नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
- ई-गवर्नेंस से संबद्ध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी** को प्राथमिकता दी जाएगी।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसकी कार्यक्रम प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डिजिटल इंडिया निगरानी समिति,
  - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह; तथा
  - कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति (Apex Committee)।
- कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में **मुख्य सूचना अधिकारी (Chief Information Officers: CIO)** के पद का सृजन किया जाएगा, ताकि ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का अभिकल्पन, विकास और कार्यान्वयन हो सके।
- देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 2.5 लाख से अधिक **सामान्य सेवा केंद्रों (Common Services Centers: CSC)** का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है। इसने भारत के निर्धनों, सीमांत लोगों, दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है।

16.3. जीवन प्रमाण (JEEVAN PRAMAAN)

उद्देश्य

पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना तथा **जीवन प्रमाण-पत्र** प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और बाधारहित बनाना।

अपेक्षित लाभार्थी

केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी।

प्रमुख विशेषताएं

- यह पेंशनभोगियों के लिए आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) है।
- DLC सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs), बैंकों और सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन प्रमाण केंद्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा PC/मोबाइल/टैबलेट पर क्लाइंट (ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी इसे (DLC) प्राप्त किया जा सकता है।
- पेंशनभोगियों को अपने खाते में पेंशन की राशि को जारी रखने हेतु प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में स्वयं उपस्थित होकर अपना जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। हालांकि, अब डिजिटल प्रमाणन सुविधा उपलब्ध होने से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।

16.4. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NATIONAL SUPERCOMPUTING MISSION: NSM)

उद्देश्य

- भारत को सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक बनाना तथा अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर विशेषज्ञों को विकसित करने के लिए देश की क्षमता का निर्माण करना।
- भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को **अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं से सुसज्जित** करना और उन्हें संबंधित क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान हेतु सक्षम बनाना।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- प्रयासों के दोहराव और अतिरिक्तता को कम करना तथा **सुपरकंप्यूटिंग में निवेश को प्रोत्साहित** करना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हासिल करना तथा सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के रणनीतिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2015 में इसे 7 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था। **इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है।**
- इस अभियान को पुणे स्थित **प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)** और **बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC),** (अर्थात् दो एजेंसियों) के माध्यम से **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** तथा **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY)** द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य लगभग 70 राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में **सुपर कंप्यूटर संबंधी सुविधाओं को स्थापित** करना और उन्हें **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) से जोड़ना है।**
- **फोकस:** NSM के तहत निम्नलिखित तीन आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
  - **उन्नत सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण।**
  - **अधिक अनुप्रयोग-उन्मुख बनना।**
  - **मानव पूंजी में निवेश करना।**
- **NSM का प्रथम चरण:** NSM के पहले चरण में, भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए कलपुर्जों का आयात और उन्हें संकलित किया गया था। इस परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटरों में शामिल रहे हैं:
  - **परम शिवाय 19,**
  - **परम शक्ति, तथा**
  - **परम ब्रह्म।**
- **NSM के दूसरा चरण:** इस दौरान देश में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की गति को बढ़ाकर 16 पेटाफ्लॉप्स करना था।
  - FLOPS (फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड) माइक्रोप्रोसेसरों की गति की रेटिंग/आकलन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य मानक माप है।
    - एक **मेगाफ्लॉप्स** एक मिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है तथा एक **गीगाफ्लॉप्स** एक बिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है।
    - **एक टेराफ्लॉप्स** एक ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है।
    - **एक पेटाफ्लॉप्स** को एक हजार टेराफ्लॉप के रूप में मापा जा सकता है।
- **NSM का तीसरा चरण:** यह चरण में देश के सुपरकंप्यूटर नेटवर्क की गति को **45 पेटाफ्लॉप्स** तक ले जाया जाएगा। **लगभग 75 संस्थानों में** सुपरकंप्यूटर की सुविधा को उपलब्ध कराने के पश्चात् हजारों शोधकर्ताओं को NKN का उपयोग करने वाले **सुपर कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त** कर पाना सरल हो जाएगा।
  - **बहु-गीगाबिट क्षमता के साथ** NKN को देश के **सभी विद्वानों और अनुसंधान संस्थानों के साथ डिजिटल रूप से जोड़ने हेतु लक्षित** किया गया है।
  - सूचना और ज्ञान के प्रवाह को सुगम बनाकर नेटवर्क सामान्यतः **देश में अनुसंधान प्रयासों को समृद्ध करने के लिए सहभागिता आधारित एक नए प्रतिमान को स्थापित करने में मदद** कर सकता है।
- **नोट: परम 8000** प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर था। **परम सिद्धि** (शीर्ष 500 में वैश्विक रैंकिंग 63) भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है।
- **विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर: जापान का फुगाकू- जिसकी गति 415 पेटाफ्लॉप -** है।
- **सिमोर्घ {SIMORGH (पौराणिक फ़ारसी पक्षी)}:** हाल ही में ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है।

© Vision IAS

16.5. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना (SOFTWARE TECHNOLOGY PARK SCHEME)

उद्देश्य
संचार संपर्कों (communication links) या भौतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख विशेषताएं

- प्रथम सॉफ्टवेयर नीति वर्ष 1986 में प्रस्तुत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना आरम्भ की गई थी।
- यह 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है, जिसमें **100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU),** निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) तथा साइंस पार्कों / टेक्नोलॉजी पार्कों को एकीकृत किया जा रहा है।
- यह एक विशिष्ट प्रकृति की योजना है, क्योंकि यह केवल एक उत्पाद/क्षेत्रक, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बल देती है।
- **अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं:**
  - कोई कंपनी भारत में कहीं भी STP इकाई स्थापित कर सकती है।
  - 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति।
  - STP इकाइयों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। साथ ही, पहले प्रयोग किए गए (सेकेंड हैंड) पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है।
  - पूंजीगत माल के पुनः निर्यात की भी अनुमति दी गई है।
  - सदस्य इकाइयों के लिए एकल-बिंदु संपर्क सेवाओं की व्यवस्था।
  - घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (Domestic Tariff Area: DTA) में निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

16.6. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (SCHEME FOR PROMOTION OF MANUFACTURING OF ELECTRONIC COMPONENTS AND SEMICONDUCTORS: SPECS)

उद्देश्य

- इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण परिवेश का सृजन करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना।

प्रमुख विशेषताएं

- हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा, इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, अर्धचालकों (सेमीकंडक्टरों) के निर्माण के लिए निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों हेतु अनुसंधान एवं विकास सहित संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सहायक उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी के लिए पूंजीगत व्यय पर **25 प्रतिशत प्रोत्साहन** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- इससे मोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण और कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के सभी खंडों की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी।
- **लाभ:**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के नए निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
  - विनिर्माण इकाइयों में लगभग 1,50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की अपेक्षा की गई है। साथ ही, लगभग 4,50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होने की संभावना है।
  - व्यापक पैमाने पर घटकों के घरेलू विनिर्माण से आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, जिससे डिजिटल सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।

© Vision IAS

16.7. प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PRADHAN MANTRI GRAMIN DIGITAL SAKSHARTA ABHIYAN: PMGDISHA)

उद्देश्य

31 मार्च 2020 तक प्रति पात्र परिवारों से एक-एक सदस्य को शामिल करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करते हुए **6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर** बनाना।

अपेक्षित लाभार्थी

- **14 से 60 वर्ष** के आयु समूह के भारतीय नागरिक।
- इसमें निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी: नॉन-स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ने वाले, व्यस्क साक्षरता मिशन के भागीदार तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के वैसे डिजिटल रूप से असाक्षर स्कूली छात्र जिनके स्कूल में कंप्यूटर/ICT प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है।

प्रमुख विशेषताएं

नागरिक सशक्तीकरण	यह नागरिकों को कंप्यूटर अथवा डिजिटल उपकरणों को संचालित करने में सशक्त बनाएगा। इस प्रकार यह उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी (IT) तथा इससे संबद्ध सेवाओं, **विशेष रूप से डिजिटल भुगतान** के लिए सशक्त बनाएगा।
डिजिटल डिवाइड (अंतराल) को कम करना	इसका लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें हाशिये पर स्थित वर्ग (SC, ST, BPL, महिलाएं, नि:शक्तजन और अल्पसंख्यक) शामिल हैं, उन्हें लक्षित करके **डिजिटल डिवाइड (अंतराल) को कम करना** है।
लाभार्थियों की पहचान	जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, ग्राम पंचायतों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से CSC-SPV द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं	**कोर्स की अवधि:** 20 घंटे (न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 30 दिन) **शिक्षा का माध्यम:** भारत की राजभाषाएँ। **कार्यान्वयन एजेंसी:** CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)।

16.8. भारत BPO संवर्द्धन योजना (INDIA BPO PROMOTION SCHEME)

उद्देश्य

विशेष रूप से BPO/IT समर्थित सेवाओं (ITES) के संचालन की स्थापना करके IT/ITES उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों का सृजन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इसमें स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन तथा पहाड़ी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है।
- **बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुणे** जैसे महानगरों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

© Vision IAS

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5,000 सीटों वाले BPO/ITES के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए **'डिजिटल भारत' कार्यक्रम** के अंतर्गत एक पृथक पूर्वोत्तर BPO संवर्धन योजना का भी प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को नियोजित करने तथा लक्ष्य से आगे बढ़कर रोज़गार सृजन करने एवं राज्य के भीतर इनके व्यापक प्रसार के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) के रूप में 1 लाख रुपये प्रति सीट की वित्तीय सहायता के साथ राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यों के मध्य वितरित 48,300 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (STPI)**। यह MeitY के तहत एक स्वायत्त संस्था है।

16.9. स्त्री स्वाभिमान (STREE SWABHIMAN)

उद्देश्य

संपूर्ण समाज को वृहत स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण करना, ताकि वे सामान्य सुविधा केंद्रों (CSC's) के माध्यम से न केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएं बल्कि महिलाओं को इस सामाजिक वर्जना से बाहर निकलने हेतु शिक्षित कर सकें तथा सैनिटरी पैड्स के उपयोग को भी प्रोत्साहन दे सकें।

लाभार्थी

ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी महिला उद्यमी।

प्रमुख विशेषताएं

- इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में, विशेषतया महिला उद्यमियों द्वारा संचालित CSCs पर, लघु **सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाइयां (अर्द्ध-स्वचालित एवं हाथ से चलाई जाने वाली उत्पादन इकाई)** स्थापित की जा रही हैं।
- इस उत्पाद (सैनिटरी नैपकिन) को **'स्वाभिमान ब्रांड'** के नाम से बेचा जाएगा तथा यह संगठन ग्रामीण स्तर की उद्यमियों (VLE's) तथा SHG समूहों की सहायता से सैनिटरी नैपकिन को अनुदानित दर पर बेचने के लिए व्यापार संबंधी लाइसेंस प्राप्त करेगा।
- इसमें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता जागरुकता सृजन से संबद्ध एक घटक भी शामिल है तथा इसका उद्देश्य 7वीं से 12वीं तक की 1,000 छात्राओं को उनके ग्राम के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हुए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- स्कूलों और कॉलेजों में ग्रामीण लड़कियों के मध्य सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- CSC विशेष प्रयोजन साधन (SPV) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए वित्त की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

16.10. इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (ELECTRONICS DEVELOPMENT FUND: EDF)

उद्देश्य

डिजिटल भारत योजना में परिकल्पित वर्ष 2020 तक "सकल शून्य आयात" का लक्ष्य प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स	
इसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित **"डॉटर फ़ंड्स"** का समर्थन करने हेतु **"फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स"** के रूप में	**अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना**

स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप डॉटर फ़ंड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूँजी प्राप्त हो सकेगी।		
	EDF, विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवोन्मेष की दिशा में उद्यम निधि (venture funds), एंजेल फंड्स तथा प्रारंभिक निधि को आकर्षित करने में भी सहायता करेगा।	**अन्य विशेषताएं**
		• इससे **डॉटर फ़ंड्स तथा फ़ंड मैनेजर्स (निधि प्रबंधकों) की संपूर्ण श्रृंखला** का निर्माण हो सकेगा। ये बेहतर स्टार्ट-अप्स (संभावित विजेताओं) का पता लगा कर व्यावसायिक पैमानों पर उनका चयन कर पाएंगे। • कैनबैंक वेंचर फंड्स लिमिटेड (CANBANK Venture Capital Funds Ltd.: CVCFL) EDF का निधि प्रबंधक है।

16.11. सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (NATIONAL POLICY ON SOFTWARE PRODUCTS, 2019)

उद्देश्य

- **सॉफ्टवेयर उत्पादों से संबंधित एक सुदृढ़ परिवेश का सृजन करना,** जिसका उद्देश्य भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र और वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- भारत को वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए नवाचार, बेहतर वाणिज्यीकरण, संधारणीय बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा चालित प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप और विशिष्ट कौशल समुच्चय को बढ़ावा देना है।
- इस नीति का उद्देश्य अन्य सरकारी पहलों, जैसे कि स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करना है, ताकि वर्ष 2025 तक यह उद्योग 40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) के साथ वृद्धि कर 70-80 बिलियन डॉलर के आकार को प्राप्त कर सके और 3.5 मिलियन लोगों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित कर सके।

प्रमुख विशेषताएं

- **इस नीति के तहत निम्नलिखित पांच मिशन को शामिल किया गया है:**

संधारणीय भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देना

बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा संचालित **एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना,** जिससे वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना की वृद्धि की जा सके।

सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना

जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में संचालित 1,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं तथा वर्ष 2025 तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों के लिए रोज़गार सृजित करना है।

सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा पूल का निर्माण करना।

इसके लिए 10 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के कौशल में वृद्धि करना, 1 लाख स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और नेतृत्व प्रदान करने वाले 10,000 विशेषीकृत पेशेवरों का सृजन करना।

क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित परिवेश का निर्माण करना

एकीकृत ICT अवसंरचना, विपणन, इनक्यूबेशन (उद्भवन), अनुसंधान व विकास / परीक्षण मंच और परामर्श सहयोग वाले 20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित परिवेश का निर्माण करना।

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन

इस नीति के कार्यान्वयन हेतु योजना और कार्यक्रमों को विकसित करने तथा निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग आदि भागीदार होंगे।

- **राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (NSPM)** को सरकार, शिक्षा तथा उद्योग क्षेत्र से भागीदारी के साथ एक **संयुक्त सचिव की अध्यक्षता** में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इस नीति के अंतर्गत परिकल्पित की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आगामी सात वर्षों के लिए 1,500 करोड़ रुपये के व्यय को शुरुआती तौर पर शामिल किया गया है।
  - इस राशि को **सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (SPDF)** और **अनुसंधान एवं नवोन्मेष निधि** में विभाजित किया जाएगा।

16.12. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना {MODIFIED ELECTRONICS MANUFACTURING CLUSTERS (EMC 2.0) SCHEME}

उद्देश्य

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों (EMCs) के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसंरचना के साथ-साथ सामान्य सुविधा केंद्रों को विकसित करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण (ESDM) क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए, उद्यमशीलता पारितंत्र के विकास में मदद करना तथा नवाचार को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करके, रोज़गार के अवसरों और कर राजस्व में वृद्धि करके क्षेत्र की आर्थिक संवृद्धि को उत्प्रेरित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) 2019** के अनुरूप है।
- इसके तहत उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना संबंधी असमर्थताओं को प्रतिसंतुलित करने के साथ-साथ भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए देश में एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारितंत्र को भी विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

- EMC 2.0 योजना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (EMCs) और सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs) **दोनों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी।
- इस योजना के तहत अधिसूचना की तारीख (01 अप्रैल, 2020) से 3 वर्ष की अवधि तक आवेदन किया जा सकता है। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियों के संवितरण हेतु आगामी 5 वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी।
- यह योजना आपूर्ति श्रृंखला प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करके, आपूर्तिकर्ताओं के समेकन, बाजार में उत्पाद को खरीदने के लिए उपलब्ध कराने में लगने वाले समय में कमी करके तथा निम्न लॉजिस्टिक्स लागत आदि द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मध्य संबंध को सुदृढ़ करेगी।

16.13. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR LARGE SCALE ELECTRONICS MANUFACTURING}

उद्देश्य

- **घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा** देना।
- मोबाइल फोन के विनिर्माण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तथा **एसेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों** सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को भारत में विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर (आधार वर्ष के सापेक्ष) 4 से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, आगामी 5 वर्षों की अवधि में पात्र कंपनियों को लक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा।
- यह योजना **केवल लक्षित खंडों अर्थात् मोबाइल फोन और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ही लागू** होगी।
- सरकार का अनुमान है कि PLI योजना के तहत, **मोबाइल फोन के लिए घरेलू मूल्य वृद्धि** 20-25 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 35-40 प्रतिशत होने की संभावना है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **8 लाख अतिरिक्त रोज़गार सृजित** होंगे।
- यह योजना 2-4 **"चैंपियन भारतीय कंपनियों"** के सृजन में भी सहायता करेगी।

16.14. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

ज्ञान सर्कल वेंचर्स (Gyan Circle Ventures)

- यह **श्री सिटी (चित्तूर, आंध्र प्रदेश)** स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित एक प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर है I यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- ज्ञान सर्कल वेंचर्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए **'प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास-टाइड 2.0'** (Technology Incubation and Development of Entrepreneurs - TIDE 2.0) इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले इनक्यूबेटरों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर गहन तकनीकी उद्यमिता को भी बढ़ावा देगा।

डिजिलॉकर (DigiLocker)

- यह डिजिटल रूप से **दस्तावेज़ और प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उनका सत्यापन करने का एक मंच** है, इस प्रकार यह कागज-रहित शासन को बढ़ावा देता है।

© Vision IAS

- डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके **आधार (UIDAI) नंबर से जुड़ा** एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है।
- डिजिटल लॉकर के साथ पंजीकृत संस्थाएं दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों (जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्रत्यक्षत: नागरिक लॉकर में रख सकती हैं।
- नागरिक अपने खातों में अपनी वसीयत (विरासत) के दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपलोड कर सकते हैं, जिन्हें ई-साइन सुविधा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने फरवरी, 2021 में **सभी बीमा कंपनियों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा पॉलिसी जारी करने की सलाह दी है।**
  - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) से संबद्ध डिजिलॉकर टीम** डिजिलॉकर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक **तकनीकी मार्गदर्शन और लॉजिस्टिक (logistic) सहायता प्रदान** करेगी।

यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) (Unified Mobile Application for New-age Governance: UMANG)

- भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD) द्वारा **यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** (UMANG) विकसित किया गया है।
- यह केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं तथा निजी संगठनों की अन्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करता है।
- यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही एप्लीकेशन इंस्टाल कर सकते हैं।
- इसकी सेवाएं कई चैनल पर उपलब्ध करा दी गई हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, आई.वी.आर. और एस.एम.एस. जिन्हें स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन, टेबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- उमंग के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में **नवंबर 2020 में आयोजित** एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान उमंग के **अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च** किया गया।
  - **अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कुछ चुने हुए देशों के लिए लॉन्च किया गया था**, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
  - यह **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, अप्रवासी भारतीयों और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों को किसी भी समय भारत सरकार की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद** करेगा।
  - यह उमंग ऐप पर उपलब्ध **'भारतीय संस्कृति' सेवाओं के माध्यम से भारत को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करने** में मदद करेगा और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

डिजिशाला (Digishala)

- यह एक फ्री-टू-एयर चैनल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में **नोटबंदी-उपरांत नकदी रहित लेन-देन** को प्रोत्साहित करना है।
- इसे **'डिजीधन' अभियान** के भाग के रूप में आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य डिजिटल संव्यवहार (लेन-देन) संबंधी जागरुकता को प्रसारित करना है।

साइबर सुरक्षित भारत पहल (Cyber Surakshit Bharat Initiative)

- इसे **नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन (NeGD) और उद्योग जगत के भागीदारों के सहयोग से MeitY द्वारा आरंभ** किया गया है। इसका उद्देश्य 'डिजिटल इंडिया' के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत में साइबर सुरक्षा पारितंत्र को सुदृढ़ बनाना है।

- यह अपनी तरह की प्रथम सार्वजनिक-निजी साझेदारी है। इसके द्वारा साइबर सुरक्षा में आई.टी. उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा।
- इसके संस्थापक साझेदारों में आई.टी. क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां, जैसे- माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो आदि सम्मिलित हैं। इसके *नॉलेज पार्टनर्स* में CERT-In, NIC, NASSCOM तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां Deloitte और EY आदि शामिल हैं।
- इसका संचालन **जागरुकता, शिक्षा एवं सक्षमता** के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा।
- इसका लक्ष्य सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) एवं अग्रिम पंक्ति के आई.टी. कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण करना तथा साइबर अपराध के बारे में जागरुकता का प्रसार करना है।

ई-संपर्क (E-sampark)

- इसका लक्ष्य **अभियानों का डिजिटलीकरण कर अग्रसक्रिय संचार स्थापित** करना तथा मेल, आउटबाउंड डायलिंग एवं SMS अभियानों के माध्यम से सरकार को प्रत्यक्षत: संपूर्ण देश **के नागरिकों से जोड़ना** है।
- यह नोडल अधिकारियों, प्रतिनिधियों और नागरिकों के संपर्कों के एक डेटाबेस का भी प्रबंध करता है, जिसे समय-समय पर अद्यतित किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय खतरों पर जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programme on Environmental Hazards of Electronic Waste)

इसका लक्ष्य वर्कशॉप/सेमिनारों का आयोजन कराने हेतु MeitY समुदाय, अकादमिक संस्थाओं, उद्योग संघों और व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ई-अपशिष्ट के कुप्रभावों पर व्यापक जागरुकता प्रसार हेतु अभियान सामग्री का निर्माण करना है।

सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम वेबसाइट {Secure, Scalable & Sugamya Website as a Service (S3WAAS)}

- यह एक वेबसाइट निर्माण तथा परिचालन उत्पाद है, जिसे NIC के राष्ट्रीय क्लाउड पर आयोजित किया गया है।
- यह कस्टमाइज़ किए जा सकने की उच्च क्षमता वाले टेम्पलेट का प्रयोग कर सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध कराएगी। इन वेबसाइटों को स्केलेबल सॉफ्टवेयर द्वारा परिभाषित अवसंरचना पर निर्बाध रूप से परिनियोजित किया जा सकता है।

GI क्लाउड – मेघराज (GI Cloud – MeghRaj)

- इसका लक्ष्य **क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करना** एवं उन्हें उपयोग में लाना है। इसमें सरकार के ICT के व्यय को अनुकूल देश में **ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने पर ध्यान** केंद्रित किया गया है।
- GI क्लाउड की वास्तुशिल्प की परिकल्पना में मौजूदा या नई (उन्नत) अवसंरचना पर निर्मित कई स्थानों पर विस्तारित पृथक-पृथक क्लाउड कंप्यूटिंग परिवेश का एक समुच्चय सम्मिलत है, जो भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य प्रोटोकॉल्स, दिशा-निर्देशों और मानकों के समुच्चय का अनुपालन करता है।

ई-ताल (e-Taal)

यह मिशन मोड प्रोजेक्ट्स सहित **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ई-संव्यवहारों (Transactions) के आंकड़ों के लगभग रियल-टाइम प्रसार के लिए एक वेब-पोर्टल** है। यह सारणीबद्ध (tabular) और ग्राफिकल रूप में संव्यवहारों की गणना का त्वरित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल {National Information Centre-Computer Emergency Response Team (NIC-CERT)}
यह सरकार के सभी स्तरों तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य होने वाले संचार सहित NIC प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध आंकड़ों की निगरानी कर साइबर हमलों का पता लगाने, उनकी रोकथाम व शमन करने हेतु एक समर्पित निकाय है।

प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा (Project Cyber Shikshaa)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट तथा डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI) ने प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य **साइबर सुरक्षा के उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनीयरिंग स्नातक महिलाओं को कौशल प्रदान करना है।**

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया पी.एच.डी. योजना (Visvesvaraya PhD Scheme for Electronics and IT)
• इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (IT/ITES) के क्षेत्र में पी.एच.डी. धारकों की संख्या में वृद्धि करना है। • यह योजना अन्य पी.एच.डी. योजनाओं की तुलना में **25% अधिक फ़ेलोशिप राशि** प्रदान करती है। • यह योजना प्रयोगशालाओं के निर्माण और उन्नयन हेतु शिक्षण संस्थाओं को **प्रति उम्मीदवार 5,00,000 रुपये तक का अवसंरचनात्मक अनुदान** भी प्रदान करती है।

भारत के लिए संकल्प- प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान (Ideate for India - Creative Solutions using Technology)
• इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **विद्यालयी छात्रों (कक्षा 6-12) को समस्याओं का समाधानकर्ता बनने का एक अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ** "भारत के लिए संकल्प - प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रचनात्मक समाधान" नामक एक नेशनल चैलेंज का शुभारंभ किया है। • इस चैलेंज को MeitY के नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन (NeGD) द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग तथा **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** के समर्थन से डिज़ाइन किया गया है।

भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री (Indian Software Product Registry)
• इस रजिस्ट्री पहल को **सॉफ्टवेयर उत्पाद के व्यापार पारितंत्र** को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सृजित किया गया है। • यह भारत की सभी कंपनियों और भारत में विकसित उत्पादों को सूचीबद्ध करने हेतु एक एकल-खिड़की पोर्टल होगा। यह वर्धित बाजार पहुंच के लिए प्रमुख विश्लेषिकी, श्रेणी-वार सूचीकरण और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर डेटाबेस को पोर्ट करने का विकल्प प्रदान करेगा।

'बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम ('Build for Digital India' programme)
• इसे गूगल और MeitY द्वारा तैयार किया जाएगा।

- यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग छात्रों को बाज़ार की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान के विकास से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर और अवसंरचना, महिला सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रमुख सामाजिक समस्याओं के निपटान में सहायता प्राप्त होगी।
- गूगल सर्वाधिक आशाजनक उत्पादों और प्रोटोटाइप हेतु उत्पाद डिज़ाइन, रणनीति एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में मेंटरशिप सत्र भी प्रदान करेगा।

हैक द क्राइसिस इंडिया: ऑनलाइन हैकथॉन (Hack the Crisis India: Online Hackathon)

- यह **"ग्लोबल हैक द क्राइसिस मूवमेंट"** का भाग है। इसमें प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप उद्यमी कोरोनावायरस संकट की रोकथाम हेतु एक ऑनलाइन 48 घंटे के हैकथॉन के दौरान समर्पित समाधान विकसित करने के लिए कार्य करेंगे।
- इसके तहत कोरोनावायरस संकट के पश्चात् की स्थिति से निपटने के लिए समाधानों को भी विकसित किया जाएगा।

© Vision IAS

17. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE)

17.1. फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य जलवायु सुदृढ़ता निर्माण (CLIMATE RESILIENCE BUILDING AMONG FARMERS THROUGH CROP RESIDUE MANAGEMENT)

उद्देश्य

- परियोजना क्षेत्रों में **ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए;** (i) फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना, तथा (ii) फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन योग्य और संधारणीय **उद्यमिता मॉडल** का सृजन करना।
- **परियोजना क्षेत्रों में फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपयोग** के माध्यम से किसानों की जलवायु प्रत्यास्थता और आय में वृद्धि करना।
- **अन्य सह-लाभों की पहचान करना और नीतिगत हस्तक्षेप संबंधी सुझाव प्रस्तुत** करना।

प्रमुख विशेषताएं

क्षेत्रीय परियोजना	• यह **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि** (National Adaptation Fund for Climate Change: NAFCC) **के अंतर्गत** अनुमोदित एक **क्षेत्रीय परियोजना** है।
शामिल किए गए राज्य	• इस परियोजना के प्रथम चरण को लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत के साथ **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान** राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया है।
राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था	• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development: NABARD)
प्रमुख गतिविधियाँ	• जागरुकता का सृजन • क्षमता निर्माण • फसल अवशेषों का समय पर प्रबंधन करने हेतु **तकनीकी हस्तक्षेप**

17.2. सिक्योर (सेक्यूरिंग लाइवलीहुड्स, कंज़र्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ एंड रेस्टोरेशन ऑफ़ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम) हिमालय प्रोजेक्ट {SECURE (SECURING LIVELIHOODS, CONSERVATION, SUSTAINABLE USE AND RESTORATION OF HIGH RANGE HIMALAYAN ECOSYSTEM) HIMALAYA PROJECT}}

उद्देश्य

चार राज्यों, यथा- हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर (वर्तमान में संघ शासित प्रदेश), उत्तराखंड और सिक्किम के **विस्तृत उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण** जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह परियोजना **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF) द्वारा वित्त पोषित "सतत विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध निवारण पर वैश्विक भागीदारी" (Global Partnership on Wildlife Conservation and Crime Prevention for Sustainable Development) (वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम) का एक भाग** है।
- यह परियोजना **भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)** द्वारा वित्त पोषित है।
- **ट्रैफिक (ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ़ फ़्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स) सिक्योर हिमालय की एक भागीदार** एजेंसी है।
- इस परियोजना की अवधि 6 वर्ष है। यह परियोजना चांगथांग (जम्मू और कश्मीर), लाहौल-पांगी एवं किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), गंगोत्री-गोविंद व दर्मा- पिथौरागढ़ में ब्यांस घाटी (उत्तराखंड) तथा कंचनजंगा-ऊपरी तीस्ता घाटी (सिक्किम) सहित विशिष्ट भू-दृश्यों के लिए है।

- इस परियोजना में **हिम तेंदुओं और अन्य संकटापन्न प्रजातियों तथा उनके आवासों का संरक्षण** एवं क्षेत्र में लोगों की आजीविका को सुरक्षित करना, तथा साथ ही **वन्यजीव अपराध को कम** करने के लिए प्रवर्तन को बढ़ाना भी सम्मिलित है।
- इसके अंतर्गत, इन अंचलों में सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से **कुछ औषधीय और सुगंधित पादपों के अवैध व्यापार को रोकने** के लिए प्रवर्तन प्रयासों एवं निगरानी को भी बढ़ाया जाएगा।

17.3. हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GREEN SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME)

उद्देश्य

कुशल कार्यबल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भारत के युवाओं (विशेष रूप से ड्रॉपआउट्स को) को कौशल प्रदान करना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं
• इसके तहत सभी पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप** हैं। • इसके तहत पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) हब तथा रिसोर्स पार्टनर्स (RPs) के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। • यह **पर्यावरण और वन क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास** के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को लाभकारी रोज़गार और/या स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। • इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA)** के परामर्श से MoEF&CC के अंतर्गत परिकल्पित और विकसित किया गया है। • **GSDP-ENVIS** एक मोबाइल ऐप है, जो देश के युवाओं में रोज़गार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। **नोट:** NSDA, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) के तहत देश में कौशल विकास पहलों के लिए नोडल एजेंसी है।

17.4. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (INDIA COOLING ACTION PLAN: ICAP)

उद्देश्य
• समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए सतत कूलिंग (शीतलन) तथा ऊष्मा से राहत प्रदान करने की व्यवस्था करना। • प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले उत्सर्जन को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP), सतत शीतलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक **20 वर्षीय दृष्टिकोण और कार्रवाई की रूपरेखा** प्रदान करता है।	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत "शीतलन और संबंधित क्षेत्रों" के अनुसंधान को एक **महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान** प्रदान करना।
	वर्ष 2037-38 तक **शीतलन हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं** को 25% से 40% तक कम करना।
	वर्ष 2037-38 तक **प्रशीतक (refrigerant) की मांग को** 25% से 30% तक कम करना।
	वर्ष 2037-38 तक **विभिन्न क्षेत्रकों में शीतलन की मांग** को 20% से 25% तक कम करना।
	कौशल भारत मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर वर्ष 2022-23 तक इस क्षेत्रक में 1,00,000 सर्विसिंग टेक्निशियनों को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना।

17.5. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NATIONAL ACTION PLAN ON CLIMATE CHANGE: NAPCC)*

उद्देश्य
• एक ऐसा सतत विकास मार्ग प्राप्त करना, जो आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाता हो। • पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तत्वावधान में भारत के अभीष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (INDCs) को पूर्ण करना। • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों की सुरक्षा करना। • कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियों का निर्माण करना।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

मिशन
इसके अंतर्गत निम्नलिखित आठ मिशन शामिल हैं: 1. **राष्ट्रीय सौर मिशन** {नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत}; 2. **बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन** (विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत); 3. **स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन** (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत); 4. **राष्ट्रीय जल मिशन** (जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत); 5. **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन** {विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के अंतर्गत}; 6. **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन** (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत); 7. **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन** (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत) तथा 8. **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** (MoS&T के अंतर्गत)।

प्रमुख विशेषताएं

* इस कार्य योजना को वर्ष 2008 में जारी किया गया था।
* **इस योजना के समग्र कार्यान्वयन का दायित्व प्रधान मंत्री-जलवायु परिवर्तन परिषद को प्रदान किया** गया है।
* इस योजना के दस्तावेज़ में जलवायु परिवर्तन के दबाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की गई है और अपने इस दृष्टिकोण के पक्ष में निर्धनता-संवृद्धि सहलग्नता का उपयोग किया गया है।
* योजना के **मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल** हैं:

संरक्षण	समावेशी विकास रणनीति के माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों का संरक्षण।
राष्ट्रीय संवृद्धि को प्राप्त करना	पारिस्थितिक संधारणीयता को बढ़ावा देने वाले गुणात्मक परिवर्तन और आर्थिक नीति के माध्यम से राष्ट्रीय संवृद्धि को प्राप्त करना।
मांग पक्ष प्रबंधन	अंतिम उपयोग मांग पक्ष प्रबंधन के लिए कुशल और लागत प्रभावी रणनीति तैयार करना।
बेहतर प्रौद्योगिकी	शमन या अनुकूलन के पहलुओं से संबंधित बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
बाजार प्रणाली	सतत विकास को बढ़ावा देने वाले बाजार व्यवस्था तैयार करना।
समावेशिता	नागरिक समाज और स्थानीय सरकारी संस्थानों के साथ सम्बद्धता को प्रोत्साहित करना।
राज्य सरकारों की भागीदारी	जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अधिकांश क्षेत्रकों, जैसे कि जल और कृषि आदि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए सभी राज्यों को अपनी विशिष्ट सुभेद्यताओं को ध्यान में रखकर एक जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (State Action Plans on Climate Change: SAPCC) का विकास करना है, ताकि राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन किया जा सके।
अनुकूलन	भारत सरकार देश भर में सुभेद्य क्षेत्रकों में अनुकूलन कार्रवाइयों का क्रियान्वयन करने के लिए एक समर्पित **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC)** भी स्थापित कर रही है।

17.6. हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन {NATIONAL MISSION FOR A GREEN INDIA (GIM)}

* यह NAPCC के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है, जिसका क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन के तहत **सार्वजनिक और निजी दोनों** भूमियों का उपयोग किया जाता है तथा नियोजन, निर्णय लेने एवं निगरानी आदि में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित किया जाता है।

© Vision IAS

- **लक्ष्य:**
  - **कार्बन प्रच्छादन और भंडारण** (वनों एवं अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में), जलविज्ञान संबंधी सेवाओं एवं जैव-विविधता जैसी **पारिस्थितिकी सेवाओं** के साथ ईंधन, चारा, काष्ठ व गैर-काष्ठ वन उत्पादन (NTFPs) जैसी प्रोविजनिंग/प्रावधान सेवाओं में सुधार/वृद्धि करना।
  - **वन/वृक्ष आवरण** को 5 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक **बढ़ाना** और अन्य 5 mha वन/गैर-वन भूमि के वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना।
  - लगभग 3 मिलियन परिवारों की **वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि** करना।

17.7. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NATIONAL CLEAN AIR PROGRAMME: NCAP)*

उद्देश्य

- वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के उपायों का कठोरता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश में वायु गुणवत्ता से संबंधित निगरानी तंत्र को संवर्द्धित करना तथा सुदृढ़ करना।
- जन-जागरुकता और क्षमता निर्माण के उपायों को संवर्द्धित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- यह देश भर में **वायु प्रदूषण की समस्या का व्यापक तरीके से समाधान करने** के लिए आरंभ की गई एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, **राष्ट्रीय स्तर की रणनीति** है।
- यह **प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक पहल है।** इसके तहत **वर्ष 2024 तक कणिकीय पदार्थों (PM-10 व PM-2.5) के संकेंद्रण को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य** निर्धारित किया गया है। इसमें **वर्ष 2017 को संकेंद्रण की तुलना के लिए आधार वर्ष के** रूप में निर्धारित किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2014-2018 के वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के आधार पर देश भर में **122 गैर प्राप्ति शहरों (non-attainment)** की पहचान की गई है।
- इसके अंतर्गत **शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं निर्मित** की गई हैं, जिनमें अन्य घटकों के साथ-साथ निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहनों/औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने, जन जागरूकता बढ़ाने आदि जैसे उपायों को भी शामिल किया गया है।
- शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी **नियमित रूप से केंद्रीय और राज्य स्तर की समितियों** अर्थात् संचालन समिति, निगरानी समिति और कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है।
- शहरों की वायु-गुणवत्ता की निगरानी **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards: SPCB)** द्वारा की जाती है तथा ये आवधिक स्तर पर वायु-गुणवत्ता से सम्बन्धित परिणामों को प्रकाशित करते हैं।
- कुछ स्मार्ट शहरों में **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres: ICCCs)** स्थापित किए गए हैं जो प्रभावी निगरानी हेतु वायु गुणवत्ता निगरानी (Air Quality Monitors: AQMs) से कनेक्टेड हैं।

17.8. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

परिवेश (आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से अग्र-सक्रिय और जवाबदेह सुविधा) {PARIVESH (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)}

- यह **एक वेब आधारित व भूमिका आधारित कार्य प्रवाह अनुप्रयोग** है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिए (पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय क्षेत्र स्वीकृतियां) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी करने तथा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- इस प्रणाली को **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (NIC) की तकनीकी सहायता के साथ** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं आयोजित किया गया है।
- इस प्रणाली में विनियामकीय निकाय या निरीक्षण अधिकारियों द्वारा स्थल की जियो-टैग लगी छवियों सहित **अनुपालन रिपोर्ट की निगरानी** (यहां तक कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अनुपालन रिपोर्टों की निगरानी) सम्मिलित है।
- **यह सुविधा विगत पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टों** तक भी पहुँच प्रदान करती है।

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats)

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को सुनिश्चित करना है।
- **योजना के घटक:**
    - संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित रिजर्वों एवं सामुदायिक रिजर्वों) को सहायता प्रदान करना।
    - क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों एवं पर्यावासों के संरक्षण हेतु पुनरुथान कार्यक्रम का संचालन करना।
    - संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण करना।

हिमालयन रिसर्च फ़ेलोशिप स्कीम (Himalayan Research Fellowships Scheme)

- इसका योजना का उद्देश्य **प्रशिक्षित पर्यावरण प्रबंधकों, पारिस्थितिकीविदों और सामाजिक आर्थिक संगठनों के एक युवा समूह का सृजन** करना है।
- यह समूह **हिमालयी पर्यावरण एवं विकास के भौतिक, जैविक, प्रबंधकीय और मानवीय पहलुओं पर सूचना उत्पन्न करने** में सहायता करेगा।
- इस फ़ेलोशिप स्कीम को **भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में कार्यरत विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से निष्पादित** किया जाएगा, तथा **पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थानों** को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- **इसे राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन** (National Mission on Himalayan Studies: NMHS) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा फ़ेलोशिप अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी।
- यह अनुसंधान NMHS के किसी भी पहचान किए गए व्यापक थीम आधारित क्षेत्रों जैसे- जल स्रोतों एवं जलग्रहण क्षेत्रों के कायाकल्प सहित जल संसाधन प्रबंधन, जलविद्युत विकास, जल-प्रेरित आपदाओं के आकलन एवं पूर्वानुमान, इको टूरिज़्म के अवसरों सहित आजीविका के विकल्प, संकटग्रस्त प्रजातियों के पुनर्वास सहित जैव विविधता प्रबंधन तथा कौशल विकास में किया जा सकता है।

पर्यावरण सूचना प्रणाली (Environmental Information System: ENVIS)

- **ENVIS** (केंद्रीय क्षेत्र की योजना) को MoEF&CC द्वारा वर्ष 1982-83 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ENVIS द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक, तकनीकी और अर्ध-तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है।
- इस प्रकार, इसने सरकार के सभी स्तरों पर नीति निर्माण और पर्यावरण प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा इसके सुधार के उद्देश्य से निर्णय-निर्माण किया है।
- ENVIS विभिन्न केंद्रों का एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क है, जिसे सामान्यतः **निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:**
    - **ENVIS हब:** ये "पर्यावरण और संबंधित मुद्दों की स्थिति" के क्षेत्र में कार्य करने वाले केंद्र हैं तथा इनकी मेजबानी राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा की जाती है।
    - **ENVIS रिसोर्स पार्टनर्स (RPs):** ये ऐसे केंद्र हैं, जिनकी मेजबानी पर्यावरण से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों/व्यावसायिक उत्कृष्टता वाले संस्थानों द्वारा की जाती है।
- इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** के वैश्विक पर्यावरण सूचना नेटवर्क **"INFOTERRA"** के लिए राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में नामित किया गया है।

© Vision IAS

पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (Environment Education Awareness and Training: EEAT)

- यह वर्ष 1982-83 के दौरान आरंभ की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

EEAT के अंतर्गत कार्यक्रम			
राष्ट्रीय हरित कोर (NGC)	राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान	सेमिनार/कार्यशालाएँ	राष्ट्रीय प्रकृति शिविर कार्यक्रम

- **NGC इको-क्लब कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों को उनके आसपास के पर्यावरण के बारे में अनुभव के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना तथा पर्यावरण और उसके विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में छात्रों में करुणा एवं संवेदनशीलता का सृजन करना है।

'लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन' पहल ('Leadership Group for Industry Transition' initiative)

- इसे **'संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, 2019'** में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के **विकार्बनीकृत करने में कठिन** और **ऊर्जा-गहन क्षेत्रों/उद्योगों** को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- यह **भारत और स्वीडन** द्वारा कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर सार्वजनिक-निजी सहयोग आधारित किया गया एक प्रयास है।
- यह **विश्व आर्थिक मंच,** एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन, मिशन इनोवेशन, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और यूरोपीयन क्लाइमेट फ़ाउंडेशन आदि द्वारा समर्थित है।

सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर 'कोलंबो घोषणा-पत्र' (Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management)

- यह नाइट्रोजन संबंधी चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए वर्ष 2019 में श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित एक कार्ययोजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है।
- इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट में 50 प्रतिशत की कमी करना है।
- 'कोलंबो घोषणापत्र-पत्र' को **'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली (INMS)'** के तकनीकी समर्थन से विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि INMS, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNEP) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा समर्थित **अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल** की एक संयुक्त पहल है।

नगर वन (शहरी वन) योजना {Nagar van (Urban Forests) scheme}

- इस योजना का उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है।
- यह योजना वन विभाग, नगर निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स तथा स्थानीय नागरिकों के मध्य सहयोग एवं लोगों की भागीदारी पर आधारित होगी।
- यह ऐसे स्थानों पर वृक्षारोपण करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे वन भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है, परन्तु वहां कोई वन/वृक्ष नहीं है। एक बार वन स्थापित हो जाने के उपरांत **राज्य सरकार द्वारा उसका रखरखाव किया जाएगा।**

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

18. विदेश मंत्रालय (MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS)

18.1. भारत को जानो कार्यक्रम (KNOW INDIA PROGRAMME: KIP)

उद्देश्य

भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय संबद्धता और समकालीन भारत के साथ परिचित कराना।

प्रमुख विशेषताएं

यह प्रवासी युवाओं के लिए तीन सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम (orientation programme) है। यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर जागरुकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है।

इस योजना के तहत गिरमिटिया देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों (Persons of Indian Origin: PIOs) को वरीयता दी गयी है। गिरमिटिया वस्तुतः फिजी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मलय प्रायद्वीप, कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका (गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो तथा सूरीनाम) के चीनी बागानों में कार्य करने हेतु लाए गए क़रारबद्ध भारतीय श्रमिकों के वंशज हैं।	भारत को जानो कार्यक्रम (KIP) के लिए **अनिवासी भारतीय (NRI) पात्र नहीं हैं।**

18.2. छात्र और विदेश मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम: समीप (STUDENTS AND MEA ENGAGEMENT PROGRAMME: SAMEEP)

उद्देश्य

- देश भर के छात्रों को भारतीय विदेश नीति और इसकी वैश्विक गतिविधियों से अवगत कराना।
- एक करियर विकल्प के रूप में कूटनीति में रुचि बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसमें सभी मंत्रालय के अधिकारियों जैसे- उप सचिव और उच्च अधिकारियों को उनके गृह नगर, विशेष रूप से उनके मातृ शिक्षा संस्थानों (alma maters) में जाने के लिए कहा जाएगा।	उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के साथ विदेश मंत्रालय के कार्य के बारे में तथा उसकी नीति के बुनियादी तत्वों के बारे में संवाद करेंगे। साथ ही, वे यह भी बताएँगे कि कूटनीति कैसे संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त, वे विद्यार्थियों को MEA में करियर की संभावनाओं के बारे में परामर्श प्रदान करेंगे।

18.3. प्रवासी कौशल विकास योजना (PRAVASI KAUSHAL VIKAS YOJANA)

उद्देश्य

विदेशी रोज़गार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना।

© Vision IAS

प्रमुख विशेषताएं

यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास पहल है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाएगा।	यह अल्पावधिक कार्यक्रम (2 सप्ताह से 1 माह) उम्मीदवारों को विभिन्न देशों में आत्मविश्वास के साथ चुनौतीपूर्ण कार्यों की ज़िम्मेदारी लेने और अंतर्राष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से तैयार करेगा।	इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है, जो सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ संचार, व्यापार विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

18.4. भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम {INDIAN TECHNICAL & ECONOMIC COOPERATION (ITEC) PROGRAMME}

उद्देश्य

यह एक मांग-आधारित व प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत और भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है।

प्रमुख विशेषताएं

यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे वर्ष 1964 में **विदेश मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ किया गया था।	यद्यपि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) **वास्तव में एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है,** परन्तु इसके संसाधनों का उपयोग इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और G-77 जैसे त्रिपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया गया है।	ITEC कार्यक्रम ने विकासशील देशों के मध्य भारत की सॉफ्ट पॉवर में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

18.5. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

ई-सनद (e-SANAD)

ई-सनद परियोजना का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और विदेशियों को, जिन्होंने भारत में प्राधिकरण द्वारा जारी कोई दस्तावेज़ (शैक्षिक या वाणिज्यिक आदि) प्राप्त किया है, को फेसलेस, कैशलेस तथा पेपरलेस दस्तावेज़ सत्यापन सुविधा (ऑनलाइन) आधारित एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना है।

प्रोजेक्ट (ई-वी.बी.ए.बी.): ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) और ई-अरोग्यभारती (टेली-मेडिसीन) {Project (e-VBAB): e-VidyaBharti (Tele education) and e-ArogyaBharti (Tele medicine)}

- ये दो पृथक मंच व एक वेब-आधारित तकनीक के माध्यम से भारत और भागीदार अफ़्रीकी देशों के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों को परस्पर संबद्ध करेंगी।
- यह परियोजना पूर्ण रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- e-VBAB परियोजना अफ्रीकी चिकित्सकों, चिकित्सा-सहायकों (पैरामेडिक्स) और रोगियों के लिए टेली मेडिसीन तथा निरंतर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करती है।
- यह परियोजना भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली और भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की वैश्विक स्वीकृति हेतु एक अवसर भी प्रदान करती है।

© Vision IAS

स्वदेश (स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट) {SWADES (Skilled Workers Arrival Database for Employment Support)}
• यह **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय** और **विदेश मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है। • यह वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लौटने वाले **नागरिकों का कौशल डेटा एकत्र करने के लिए एक पहल है।** • इसका उद्देश्य, **भारतीय और विदेशी कंपनियों की विभिन्न प्रकार की मांगे आकर्षित करने और पूरी करने के लिए,** उनके कौशल सेट और अनुभव के आधार पर **योग्य नागरिकों का डेटाबेस बनाना है।**

वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission)
• **यह कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारत का प्रत्यावर्तन अभियान (repatriation operation) है।** • विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वायुयान से **एयर इंडिया** द्वारा और **भारतीय नौसेना** (श्रीलंका और मालदीव से) द्वारा भी भारत वापस लाया गया है।

19. वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE)

19.1. निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना {SCHEME FOR REMISSION OF DUTIES AND TAXES ON EXPORTED PRODUCTS (RODTEP)}

उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन योजना को आगे बढ़ाना।
प्रमुख विशेषताएं

• यह योजना **1 जनवरी 2021 से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू** है।
• यह योजना **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के प्रावधानों के अनुरूप है और यह **मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS)** तथा **राज्य एवं केंद्रीय करों व लेविओं पर छूट** (Rebate of State and Central Taxes and Levies: RoSCTL) जैसी पहलों को प्रतिस्थापित करती है।
  ○ **MEIS:** यह निर्यातकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना थी। इसके तहत निर्यातक अपने निर्यात किए गए माल के मूल्य के प्रतिशत के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (duty credit scrips) प्राप्त करते हैं। इन स्क्रिपों का उपयोग विभिन्न प्रकार के करों और शुल्कों का भुगतान करने के लिए किया जाता था।
    ▪ MEIS के संबंध में WTO पैनल ने निर्णय दिया था कि, यह बहुपक्षीय व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसे निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए आगत करों (input taxes) से सीधे तौर सहसम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।
  ○ **RoSCTL:** इसे मार्च 2019 में घोषित किया गया था, RoSCTL को राज्य और केंद्र द्वारा लागू शुल्कों एवं करों {जिनका प्रतिदाय/रिफंड **माल और सेवा कर (GST)** के माध्यम से नहीं होता है} के लिए प्रस्तुत किया गया था।
• यह योजना निर्यातकों को **केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर लागू शुल्क/करों** (जिन पर अब तक छूट या रिफंड प्रदान नहीं किए जा रहे थे) **को रिफंड** करेगी। इस प्रकार की छूट या रिफंड न प्रदान करना, हमारे निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे थे।
• योजना के तहत **सीमा शुल्क सहित** रिफंड को **निर्यातक के खाता-बही से संबद्ध बैंक खाते में जमा** किया जाएगा और इसका उपयोग आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। रिफंड के रूप में प्राप्त इस क्रेडिट को अन्य आयातकों को भी अंतरित किया जा सकता है।
• **RoDTEP दरों को** पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव डॉ. जी. के. पिल्लई की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश के आधार पर **वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।**

19.2. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PRADHAN MANTRI VAYA VANDANA YOJANA: PMVVY)*

उद्देश्य
वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज से अर्जित आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।
अपेक्षित लाभार्थी
60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ट नागरिक।
प्रमुख विशेषताएं
• यह एक **गारंटीकृत पेंशन योजना** है, जिसे **भारतीय जीवन बीमा निगम** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- यह **अग्रिम निवेश** (जिसे पर्चेज प्राइस या क्रय मूल्य कहा जाता है) के बदले में **मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर नियमित पेंशन भुगतान** करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- इसमें निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमश: 1.56 लाख रुपये और 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
- यह योजना **परिपक्वता पर मूलधन का भुगतान करने के साथ-साथ 10 वर्षों के लिए पेंशन भुगतान की गारंटी** प्रदान करती है।
- इस योजना में शामिल होने वाले (अभिदाता) को उसके अंशदान के आधार पर **1000/- रुपये प्रति माह** से लेकर **12,000/- रुपये प्रति माह** तक की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
- अधिकतम पेंशन की सीमा एक पूरे परिवार के लिए है। इसके तहत परिवार में पेंशनभोगी, उसकी पत्नी/पति और आश्रित शामिल होंगे।
- अगर निवेशक की मृत्यु 10 वर्ष के भीतर हो जाती है, तो संबंधित **लाभार्थियों को मूलधन का भुगतान कर दिया** जाएगा।
- इस योजना में मूलधन पर GST संबंधी छूट के अतिरिक्त अन्य **कोई कर संबंधी लाभ शामिल नहीं** है।
- स्वयं या जीवनसाथी की गंभीर या लाइलाज बीमारी के मामले में मूलधन पर 2 प्रतिशत अर्थदंड के साथ समय से पूर्व निकासी की अनुमति है।
- **इस योजना के तहत 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के उपरांत ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध** है। इसके तहत प्रदान किया जाने वाला अधिकतम ऋण, क्रय मूल्य का 75% होगा।

हालिया परिवर्तन

- इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले प्रतिफल को डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की 7.75% अधिकतम ब्याज दर सीमा के अनुरूप कर दिया गया है। इस दर को प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित / समायोजित किया जाएगा।
    - प्रारम्भ में, इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीकृत दर के आधार पर सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था।
- यह योजना मार्च 2020 में समाप्त होने वाली थी; हालांकि, इसे संशोधित किया गया और 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया।

19.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (STAND UP INDIA SCHEME)*

उद्देश्य

- कम से कम एक **अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता** और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्रक या **कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

अपेक्षित लाभार्थी

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और/या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला उद्यमी।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण संबंधी हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना (अर्थात् नए उद्यम के लिए) को प्रदान किया जाएगा।
- उधारकर्ता को किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान में चूककर्ता (defaulter) के रूप में नामित नहीं होना चाहिए।
- उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं के अंशदान के पूरा करना अनिवार्य होगा।

प्रमुख विशेषताएं

- स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत सरकार द्वारा **ऋण हेतु धन आवंटित नहीं** किया जाता है।
- इस योजना के तहत **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा वाणिज्यिक मानकों**, संबंधित **बैंकों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों** और **RBI के मौजूदा दिशानिर्देशों** के अनुसार ऋण दिए जाते हैं।
- हालांकि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये और **स्टैंड-अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI)** के कोष के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

© Vision IAS

- **इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
    - संभावित उधारकर्ताओं द्वारा www.standupmitra.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का प्रावधान
    - सहायक समर्थन
    - गहन प्रचार अभियान
    - सरलीकृत ऋण आवेदन पत्र
    - क्रेडिट गारंटी योजना
    - जहां भी संभव हो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण

- अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि के साथ ऋण को चुकाने की अवधि 7 वर्ष है।
- ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी, जो आधार दर {(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) + 3% + परिपक्वता काल (tenor) प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगी।
- प्राथमिक सुरक्षा के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा तय किए गए ऋण **संपार्श्विक सुरक्षा** या **स्टैंड-अप इंडिया ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSIL)** की गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किए जा सकते है।
- सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर** के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे। इसके तहत सिडबी एक **पुनर्वित्त एजेंसी** है।
- यह **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)** के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र के निर्माण का भी प्रावधान करता है।

हालिया परिवर्तन

इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत ऋण के लिए **मार्जिन राशि की आवश्यकता को '25% तक' से घटाकर '15% तक' कर दिया** गया है। कृषि से संबंधित गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है।

19.4. अवसंरचना व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता {FINANCIAL SUPPORT TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) IN INFRASTRUCTURE VIABILITY GAP FUNDING (VGF)}*

उद्देश्य

- **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण** (VGF) का अर्थ है एकमुश्त या आस्थगित अनुदान, जो आर्थिक रूप से तो उचित है, परंतु वित्तीय व्यवहार्यता में कमी के कारण पूर्ण नहीं होती है।
    - वित्तीय व्यवहार्यता में कमी आमतौर पर **दीर्घ उद्भवन अवधि (long gestation periods)** और **उपयोगकर्ता शुल्क को वाणिज्यिक स्तर तक बढ़ाने में असमर्थता** से उत्पन्न होती है।
    - अवसंरचना परियोजनाओं में बाह्य पहलू भी शामिल होते हैं, जो परियोजना प्रायोजक को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिफल में पर्याप्त रूप से समाविष्ट नहीं होते हैं।
- पूंजीगत लागत के लिए उत्प्रेरक अनुदान सहायता के प्रावधान के माध्यम से, कई परियोजनाएं बैंक योग्य हो सकती हैं और **बुनियादी ढांचे में निजी निवेश जुटाने में मदद** कर सकती हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- प्रारंभ में, इस योजना में **अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को वित्तीय समर्थन** की परिकल्पना की गई है।

हालिया परिवर्तन:

- नवंबर 2020 में इस योजना को 8,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ **वर्ष 2024-25 तक विस्तारित** कर दिया गया।
- साथ ही, **सामाजिक अवसंरचना में निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने** के लिए निम्नलिखित दो उप-योजनाओं को शामिल करके इस योजना को नया रूप प्रदान किया गया है:
    - **उप-योजना-1:** अपशिष्ट जल उपचार, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे सामाजिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ती करती है। इस श्रेणी के तहत **परियोजनाओं में 100% परिचालन लागत पुनर्प्राप्त** होनी चाहिए।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- केंद्र सरकार **कुल परियोजना लागत (TPC)** का अधिकतम **30% VGF** के रूप में प्रदान करेगी तथा राज्य सरकार / प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय / सांविधिक संस्था TPC के 30% तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है।
- **उप-योजना-2:** यह उप-योजना **सामाजिक क्षेत्रों की पायलट परियोजनाओं** का समर्थन करेगी।
  - परियोजनाएं **स्वास्थ्य और शिक्षा** क्षेत्रों से हो सकती हैं, जहां कम से कम **50% परिचालन लागत** की पुनर्प्राप्ति होती है।
  - ऐसी परियोजनाओं में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रथम पांच वर्षों के लिए **पूंजीगत व्यय का 80%** तथा **संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत का 50%** तक प्रदान करेंगी।
  - केंद्र सरकार परियोजना के **TPC का अधिकतम 40%** प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, यह वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम पांच वर्षों में परियोजना की **परिचालन लागत का अधिकतम 25%** प्रदान कर सकती है।

19.5. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PRADHAN MANTRI MUDRA YOJANA)*

उद्देश्य

- बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना।
- अंतिम व्यक्ति को भी वित्त प्रदान करने वाले वित्तदाताओं (last Mile Financers) द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना।

अपेक्षित लाभार्थी

कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा क्षेत्रक जैसे गैर-कृषि क्षेत्रक के लिए एक व्यवसाय की योजना हो और जिसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं 10 लाख रुपये से कम हों।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना को लागू करने के लिए, सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड: MUDRA) नामक एक नई संस्था की स्थापना की है।
  - मुद्रा (MUDRA) **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में** और **RBI के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त संस्थान (NBFC) के रूप में** पंजीकृत है।
  - MUDRA को आरंभ में **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी / SIDBI)** की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित किया गया था, जिसका 100 प्रतिशत पूंजीगत योगदान है। वर्तमान में, MUDRA की **अधिकृत पूंजी (authorized capital) 1000 करोड़** रुपये है और **चुकता पूंजी (paid up capital) 750 करोड़** रुपये है, जिसका सिडबी द्वारा पूर्णतया अभिदाय (subscribed) किया गया है।
  - MUDRA उन **वित्तीय संस्थानों का समर्थन** करता है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म / लघु व्यवसाय संस्थाओं को उधार देने के व्यवसाय में संलिप्त हैं।
- बैंकों, NBFCs, MFIs और MUDRA लिमिटेड द्वारा अधिसूचित अन्य अर्ह वित्तीय मध्यस्थों को मुद्रा (MUDRA) ऋण प्रदान करने की अनुमति है।
- 1675.93 करोड़ रुपये की पेड-अप कैपिटल (चुकता पूंजी) के साथ MUDRA की वर्तमान अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) प्रदान करने में असफल रहने वाले बैंकों से धन लेकर RBI ने 20,000 करोड़ रुपये की एक पुनर्वित्त कॉर्पस फंड का गठन किया है।
- MUDRA द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
  - MFI के माध्यम से 1 लाख रूपये तक के ऋण के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना (MCS)।
  - वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs)/लघु वित्त बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए पुनर्वित्त योजना।
- मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के ऋण आबंटित किए जाएंगे:

- **शिशु:** 50,000 रुपये तक के ऋण;
- **किशोर:** 50,000 से 5 लाख रुपये तक के ऋण; और
- **तरुण:** 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण।

- PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।
- RBI ने बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्रक की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कोलैटरल (संपार्श्विक) हेतु दबाव न डालने का आदेश दिया है।
- संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए, क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को **"क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड" (CGFMU)"** नामक एक कोष की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है।
    - इस योजना का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एजेंसी **'राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)'** द्वारा किया जा रहा है।
- MUDRA कार्ड एक **डेबिट कार्ड** है, जिसे MUDRA ऋण खाते के अंतर्गत जारी किया गया है। उधारकर्ता लागत-प्रभावी तरीके से कार्यशील पूंजी की सीमा को बनाए रखने और ब्याज के बोझ को न्यूनतम करने हेतु विभिन्न आहरण और ऋण प्राप्त करने के लिए MUDRA कार्ड का उपयोग कर सकता है।

19.6. अटल पेंशन योजना (ATAL PENSION YOJANA: APY)*

उद्देश्य

अभिदाता (subscribers) 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान (contributions) के आधार पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे।

अपेक्षित लाभार्थी

- यह बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसलिए, APY के तहत किसी भी अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी।
- यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी।
- इस योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम 20 वर्षों या अधिक के लिए योगदान करना होगा।
- अभिदाता **मासिक / तिमाही / अर्ध-वार्षिक आधार पर APY में अंशदान** कर सकते हैं।
- अभिदाता को 60 वर्ष की आयु में 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी प्राप्त होगी।
- **केंद्र सरकार का सह-अंशदान:** 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल अंशदान का 50% या प्रति वर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम हो। सह-अंशदान केवल उन अभिदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो:
    - **1 जून 2015 और 31 मार्च 2016 के बीच** APY में शामिल हुए हैं।
    - किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
    - **आयकर दाता नहीं हैं।**
- सरकारी सहयोग में कमी और प्रतिफल/ब्याज में कटौती होने पर, अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वेच्छा से APY से बाहर निकल सकते हैं।
- अभिदाता की आकस्मिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पूर्व) के मामले में, अभिदाता के APY खाते में उस समय तक जब तक कि उसकी आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती तब तक अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा शेष निवेश अवधि के लिए योगदान जारी रखा जा सकता है।
- अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी।

- अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।
- इसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। APY के अंतर्गत अभिदाता को नामांकित करने (enrol) हेतु NPS की संस्थागत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

19.7. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA: PMJDY)*

उद्देश्य

- वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- लागत को कम करने और पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

अपेक्षित लाभार्थी

जिन व्यक्तियों का कोई अन्य बैंक खाता नहीं है।

प्रमुख विशेषताएं

- PMJDY आरंभ में **28 अगस्त 2014 को 4 वर्ष (दो चरणों में) की अवधि के लिए आरम्भ** की गई थी। वर्ष 2018 में, इस योजना को नए संशोधनों के साथ विस्तारित किया गया था।
- यह वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो बुनियादी बचत और जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक वहनीय तरीके से पहुंच सुनिश्चित करती है।
- इस योजना के तहत, किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) आउटलेट में **बुनियादी बचत बैंक जमा (Basic Savings Bank Deposit: BSBD) खाता** खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य बैंक खाता नहीं है।
- **लाभ:**
  - बैंक खता रहित व्यक्ति के लिए एक **बुनियादी बचत बैंक जमा खाता** खोला जाता है।
  - PMJDY बैंक खातों में **न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं** है।
  - PMJDY बैंक खातों में **जमा राशि पर ब्याज** अर्जित किया जाता है।
  - PMJDY खाताधारक को **रुपे डेबिट कार्ड** प्रदान किया जाता है।
  - जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए PMJDY खातों के लिए 2 लाख रुपये) PMJDY खाताधारकों को उपलब्ध है।
  - पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की **ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा** उपलब्ध है।
  - **PMJDY बैंक खाते** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY), मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं।

19.8. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN YOJANA)*

सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कोविड-19 से संघर्ष करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना।	• इसमें केंद्रीय / राज्य सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य/ कल्याण केंद्रों में कार्यरत सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी, जैसे- सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी (पैरामेडिक्स), टेक्निशियन, डॉक्टर और विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। • कोविड-19 रोगियों का उपचार करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्घटना होती है या कोविड-19 से प्रभावित होने की कुछ संभावना होती है, तो इस योजना के तहत उसे **90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर** प्रदान किया जाएगा।

© Vision IAS

	• इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों के **सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों एवं अस्पतालों को कवर** किया जाएगा। साथ ही, लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)	• कैबिनेट ने PMGKAY को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया। • PMGKAY के तहत, सरकार ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी। • यह आवंटन NFSA खाद्यान्नों के अतिरिक्त होगा।
प्रधान मंत्री-किसान (PM-Kisan) किसानों को लाभ (Benefit to farmers)	• वर्ष 2020-21 में देय 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही 'PM किसान योजना' के तहत किसानों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। • इसके तहत 8.7 करोड़ किसान कवर होंगे।
नकद राशि का अंतरण (Cash transfers)	• **निर्धनों की सहायता (Help to Poor):** प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 20.40 करोड़ महिला खाताधारक को अप्रैल-जून माह (तीन माह) तक के लिए प्रति माह 500 रूपये की अनुग्रह राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। • **गैस सिलेंडर (Gas cylinders):** 8.3 करोड़ परिवारों को अप्रैल-जून माह (तीन माह) तक के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। • **संगठित क्षेत्रकों में कम वेतन पाने वालों की सहायता (Help to low wage earners in organised sectors):** वे प्रतिष्ठान, जिनमें कामगारों की संख्या 100 तक हो तथा जिनमें से 90% प्रति माह 15,000 रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हों। सरकार ने आगामी तीन माह के दौरान उनके PF खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। • **वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक), विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सहायता:** लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाएं और दिव्यांग श्रेणी के लोग कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण सुभेद्य स्थिति में हैं। सरकार उन्हें अगले तीन महीनों के दौरान कठिनाइयों का सामना करने के लिए 1,000 रुपये देगी। • **मनरेगा:** 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी (अर्थात् वेतन 182 रूपए से बढ़कर 202 रूपए हो जाएगा) की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने से प्रत्येक श्रमिक को वार्षिक 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इससे लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभांवित होंगे।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)	63 SHGs के माध्यम से 6.85 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। संपार्श्विक (collateral) मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
अन्य घटक (Other components)	• **संगठित क्षेत्रक (Organised sector):** कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में संशोधन कर 'वैश्विक महामारी' को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को **अपने खातों से कुल राशि के 75 प्रतिशत का गैर-वापसी योग्य अग्रिम या तीन माह का पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो, प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।** EPF के तहत पंजीकृत चार करोड़ श्रमिकों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। • **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि:** केंद्र सरकार के एक अधिनियम के तहत **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि** को सृजित किया गया है। इस निधि में लगभग 3.5 करोड़ कर्मचारी पंजीकृत हैं। राज्य सरकारों को इन श्रमिकों को आर्थिक व्यवधानों

	से संरक्षण प्रदान करने हेतु समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए इस निधि का उपयोग करने के निर्देश दिए जाएंगे। • **जिला खनिज कोष (DMF):** DMF के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग कोविड-19 वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा परीक्षण (टेस्टिंग), स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की पूरक एवं संवर्धित सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ इस वैश्विक महामारी से प्रभावित रोगियों के उपचार हेतु किया जाएगा।

19.9. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NATIONAL PENSION SCHEME)

उद्देश्य

- सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत आय प्रदान करना।
- पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति संबंधी बचत की आदत का सृजन करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- भारत का **18-65 वर्ष के आयु वर्ग** (NPS आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार) का **कोई भी नागरिक** (निवासी और अनिवासी दोनों) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल हो सकता है।

प्रमुख विशेषताएं

महत्वपूर्ण संस्थान	• इस योजना को **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण** (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। • नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NPS के लिए **केंद्रीय अभिलेख अनुरक्षण** केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।
कवरेज	• सार्वजनिक, निजी और साथ ही असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी इस पेंशन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा अंशदान	• NPS के तहत, एक व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान देता है और इसमें उसका नियोक्ता भी सह-योगदान दे सकता है।
परिभाषित अंशदान के आधार पर अभिकल्पित	• इसे परिभाषित अंशदान के आधार पर तैयार किया गया है, जहाँ अभिदाता (subscriber) अपने खाते में योगदान देता है। इसके तहत किसी भी परिभाषित हितलाभ का वर्णन नहीं किया गया है, जो इससे (NPS) बाहर निकलने के समय उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत संचित धन वस्तुतः अभिदाताओं के योगदान और ऐसे धन के निवेश से सृजित आय पर निर्भर करता है।

कर लाभ	**अंशतः आहरण**
• NPS के लिए किए गए अंशदान, 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती के लिए पात्र हैं। NPS में किए जाने वाले योगदान को 50,000 रुपये की सीमा तक धारा 80 CCD(1B) के तहत अतिरिक्त कर कटौती के योग्य माना जाएगा, जो धारा 80 CCD(1) के तहत 1,50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अनुरूप होगा। • सरकार ने **NPS से आहरण पर आयकर छूट सीमा को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया है,** अर्थात् NPS से निकाली गई 60% राशि पर कर आरोपित नहीं किया जाएगा। इससे	• ऐसा आहरण योजना में शामिल रहने की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार किया जा सकता है, किंतु ऐसा तभी संभव है जब अभिदाता ने NPS में शामिल होने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हों। • हालांकि, कौशल विकास, पुनः कौशल या किसी अन्य आत्म-विकास गतिविधियों के लिए निधि आहरित किए जाने पर 3 वर्ष का नियम लागू नहीं होता है। • अभिदाता स्वास्थ्य, विवाह, घर एवं शिक्षा जैसी अनिवार्यताओं के लिए NPS में शामिल होने के तीन वर्ष

प्रभावी रूप से पेंशन योजना से आहरण को 100% तक कर-मुक्त बनाएगा।	पश्चात् अपने अंशदान के **25 प्रतिशत** धन की निकासी कर सकता है।
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN) • **अभिदाता को एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN)** प्रदान की जाएगी, जो कि पोर्टेबल है और इसका उपयोग भारत के किसी भी स्थान से किया जा सकता है। • PRAN निम्नलिखित दो व्यक्तिगत खातों तक पहुँच प्रदान करेगा: ○ **टियर I खाता (Tier I Account):** यह सेवानिवृत्ति की बचत के लिए बनाया गया खाता है, जिससे आहरण नहीं किया जा सकता है। ○ **टियर II खाता (Tier II Account):** यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। अभिदाता अपनी इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत आहरित करने के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं हैं।	**योजना से समय-पूर्व निकासी (Premature exit)** • अभिदाता केवल 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही योजना से बाहर निकल सकता है। • यदि कुल संचित कोष 1 लाख रुपये से कम या उसके समतुल्य है, उस परिस्थिति में अभिदाता पूर्ण आहरण के विकल्प का उपयोग कर सकता है। • हालांकि, यदि संचित कोष 1 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसी स्थिति में संचित कोष का केवल 20% एकमुश्त के रूप में आहरण किया जा सकता है। संचित पेंशन कोष के शेष 80% का उपयोग वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है जो अभिदाता को एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगा।

अन्य लाभ

- NPS रिटर्न्स (प्रतिफल) बाजार से संबंधित हैं। यह अभिदाताओं को निम्नलिखित 3 प्रकार के फंड प्रदान करता है: इक्विटी (शेयर), कॉरपोरेट बॉन्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियां।
- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने NPS के लिए इच्छित EEE (छूट, छूट और छूट) कर स्थिति (प्रवेश, निवेश एवं परिपक्वता के समय कर छूट) को स्वीकृति प्रदान कर दी है (पहले यह EET था)।

नोट: NPS के तहत **एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक NPS खाते खोलने की अनुमति नहीं है।** हालांकि, एक **व्यक्ति का एक खाता NPS में और दूसरा खाता अटल पेंशन योजना** में हो सकता है।

19.10. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA)

उद्देश्य

- यह एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) कराना होगा। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या अक्षमता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।

अपेक्षित लाभार्थी

- 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के बचत बैंक खाता धारक नागरिकों (अनिवासी भारतीयों: NRIs सहित) के लिए उपलब्ध है।

प्रमुख विशेषताएं

प्रीमियम	इस हेतु प्रति सदस्य प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देय है।
जोखिम कवरेज	• दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा। • 1 लाख रूपये स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए दिए जाएंगे।
पुनः जुड़ना	कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय स्वयं को पृथक कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है।

प्रशासन	यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित/ प्रशासित की जा रही है।

- सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और दिव्यांगता कवरेज प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (AABY) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के साथ अभिसरित किया है।
  - **श्रम और रोजगार मंत्रालय** द्वारा जून 2017 से अभिसरित PMJJBY और PMSBY को कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - इन अभिसरित योजनाओं को **भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित** किया जा रहा है। इसके तहत वार्षिक प्रीमियम को **केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार** पर साझा किया जाता है। कोई भी नया नामांकन केवल अभिसरित PMJJBY/PMSBY के तहत किया जाएगा।

19.11. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)

उद्देश्य

- यह **एक वर्षीय जीवन बीमा योजना** है। इसे प्रति वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) किया जा सकता है।
- यह किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में कवरेज उपलब्ध कराती है।

अपेक्षित लाभार्थी

- यह **18 से 50 वर्ष की आयु समूह** के नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध है।
- इसके अंतर्गत प्रदत्त लाभ 55 वर्ष की आयु तक ही उपलब्ध हैं। हालांकि, 50 वर्ष की आयु के उपरांत इस योजना से जुड़ने की अनुमति नहीं है।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- इसके तहत **330 रुपये वार्षिक प्रीमियम** का भुगतान करना होता है।
- PMJJBY के तहत जोखिम कवर नामांकन के प्रथम 45 दिनों के पश्चात् ही लागू होता है।

19.12. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GOLD MONETIZATION SCHEME: GMS)

उद्देश्य

- **देश के परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्ध स्वर्ण को एकत्रित करना** और इसके उपयोग को उत्पादक उद्देश्यों हेतु सुगम बनाना।
- दीर्घावधि में स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना।
- बैंकों से ऋण पर कच्चे माल के रूप में स्वर्ण को उपलब्ध करवा कर देश में रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना के तहत बैंक ग्राहकों के निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को निश्चित अवधि के लिये जमा करा सकते हैं। इस पर उन्हें 2.25 से 2.50 फीसदी ब्याज प्राप्त होता है।
- हाल ही में RBI ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं यथा: **अब व्यक्तिगत और संयुक्त जमाकर्ताओं के अतिरिक्त, धर्मार्थ संस्थान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार** के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था इत्यादि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यह लोगों को पहले से ही मौजूदा दो योजनाओं, अर्थात् **संशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS) और संशोधित स्वर्ण धातु ऋण (GML)** योजना को संशोधित करके सोने का मौद्रीकरण करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करती है।
- **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (RRBs को छोड़कर) को इस योजना का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है।

© Vision IAS

- **किसी भी समय न्यूनतम जमा 30 ग्राम कच्चा स्वर्ण** (पत्थरों और अन्य धातुओं को छोड़कर आभूषण, छड़ें व सिक्के) होगा। इस योजना के तहत जमा के लिए **कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।
- GMS के तहत जमा किए गए सोने पर अर्जित ब्याज पर छूट के साथ-साथ इसका व्यापार करने या मोचन द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ पर छूट भी शामिल है।
- इससे पूर्व, ग्राहकों को सबसे पहले संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (CPTCs) पर जाना पड़ता था, जो जमाकर्ताओं को जमा किए जाने वाले स्वर्ण पर शुद्धता प्रमाण-पत्र जारी करता था। RBI ने हाल ही में इस नियम को उदार बनाया है और बैंक अपने विवेकानुसार नामित शाखाओं में स्वर्ण जमा करना स्वीकार कर सकते हैं।

अल्पावधि जमा (1 से 3 वर्ष)	**मध्यवाधि (5 से 7 वर्ष) और दीर्घावधि (12 से 15 वर्ष) जमा**
अल्पावधि जमा पर मूलधन और ब्याज स्वर्ण में अंकित किया जाएगा।	मध्यवाधि और दीर्घावधि जमा के मामले में, मूलधन स्वर्ण में अंकित किया जाएगा। हालांकि, जमा के समय स्वर्ण के मूल्य के संदर्भ में ब्याज की गणना भारतीय रुपये में की जाएगी।
	स्वर्ण भंडार निधि (Gold Reserve Fund): मध्यवाधि / दीर्घावधि जमा के अंतर्गत सरकार की मौजूदा उधार लागत और सरकार द्वारा देय ब्याज दर के मध्य अंतर को स्वर्ण भंडार निधि में जमा किया जाएगा।

19.13. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम (SOVEREIGN GOLD BOND SCHEME)

उद्देश्य

- प्रतिवर्ष 300 टन स्वर्ण (अनुमानित) की छड़ों और सिक्कों की ख़रीददारी के लिए किए जाने वाले **निवेश को स्वर्ण बॉण्ड में लगाकर** भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं

सॉवरेन गारंटी	• भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक बॉण्ड जारी करेगा। बॉण्ड की सार्वभौमिक गारंटी होगी। • जमा को रोक कर नहीं रखा जाएगा तथा स्वर्ण की कीमत और मुद्रा से संबद्ध जोखिम को सरकार द्वारा **स्वर्ण भंडार निधि** से वहन किया जाएगा। • बॉण्ड, **स्वर्ण की एक ग्राम की इकाइयों में और इसकी गुणक इकाइयों में मूल्यवर्गित होंगे।**
पात्र निवेशक	• बॉण्ड की बिक्री केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को की जाएगी। • निवेशकों को नाममात्र मूल्य पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित दर से प्रतिकर प्रदान किया जाएगा।
निवेश सीमा	• सरकार द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर व्यक्तियों के लिए 4 किग्रा, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किग्रा और ट्रस्ट और अन्य समान इकाईयों के लिए 20 किग्रा अधिसूचित किया गया है।
बॉण्ड की अन्य विशेषताएं	• ये बॉण्ड डीमैट या पत्र दोनों रूपों में उपलब्ध होंगे। • सरकार एक ब्याज दर पर बॉण्ड जारी करेगी, जिसे निवेश के समय स्वर्ण के मूल्य के अनुरूप तय किया जाएगा। • बॉण्ड की न्यूनतम अवधि 5 से 7 वर्षों की होगी। • ऐसे बॉण्ड्स का ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
बॉण्ड का विक्रय करने वाली संस्थाएं	• ये बॉण्ड्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग सदस्यों, नामित डाकघरों और स्टॉक-एक्सचेंजों के माध्यम से विक्रय किए जाते हैं।

एक्सचेंजों पर व्यापार	• ऐसे बॉण्ड्स को एक्सचेंजों में सरलता से विक्रय जा सकेगा और उसका कारोबार किया जा सकेगा, जिससे निवेशक अपनी इच्छा से बाजार से निकल सकें।
शोधन (Redemption)	• बॉण्ड के परिपक्व हो जाने पर उसका शोधन या मोचन केवल रुपये में होगा। यह निश्चित राशि नहीं होगी, किंतु स्वर्ण की कीमत से संबद्ध होगी।

19.14. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCE) योजना {Special Assistance to States for Capital Expenditure (SASCE) scheme}	• इसकी घोषणा **आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0** के तहत की गई थी। • इस योजना के तहत **केंद्र द्वारा राज्यों को विशेष रूप से पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का विशेष ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण** प्रदान किया जाएगा। • इस योजना का उद्देश्य उन **राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा** देना है, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण **कर राजस्व में कमी** के परिणामस्वरूप कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। ○ ज्ञातव्य है कि भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण (या खरीद) के साथ-साथ शेयरों में किए जाने वाले निवेश संबंधी व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप संदर्भित किया जाता है। ○ पूंजीगत व्यय का अर्थव्यवस्था पर **उच्चतर गुणात्मक प्रभाव** होता है। इससे **अर्थव्यवस्था की भावी उत्पादक क्षमता में वृद्धि** होती है और जिसके परिणामस्वरूप **आर्थिक संवृद्धि की उच्चतर दर** बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। • **इस योजना के तीन भाग हैं:** ○ **भाग-1:** इसके तहत भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र / राज्यों को सम्मिलित किया गया है। ○ **भाग-2:** इसमें अन्य सभी राज्यों को सम्मिलित करना है, जिन्हे भाग-1 में सम्मिलित नहीं किया गया है। ○ **भाग-3:** इसका उद्देश्य राज्यों में विभिन्न **नागरिक केंद्रित सुधारों** को बढ़ावा देना है। • यह राशि केवल उन राज्यों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने निर्दिष्ट **4 सुधारों में से कम से कम 3 सुधार** को कार्यान्वित किया है। ये चार सुधार हैं- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड; व्यापार करने की सुगमता में सुधार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म); शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार और विद्युत क्षेत्रक में सुधार।**

आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0	
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatma Nirbhar Bharat Rozgar Yojana)	• यह **कोविड-19 जनित महामारी से रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की एक योजना** है। यह 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। • इस योजना के तहत, भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत कोई भी प्रतिष्ठान, जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं या 1 मार्च 2020 और 30 सितंबर, 2020 के मध्य नौकरी से वंचित हो चुके कर्मचारी को पुनः नियोजित करते हैं, अपने यहाँ नामांकित या जुड़े प्रत्येक नए उम्मीदवार के लिए सब्सिडी हेतु पात्र होंगे। • **लाभार्थी:** ○ EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान में 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर नियोजित किए गए नए कर्मचारी। ○ EPFO सदस्य, जो 1 मार्च 2020 और 30 सितंबर के मध्य अपनी नौकरी से वंचित हो गए थे तथा जो 01.10.2020 को या उसके बाद नियोजित किए गए थे।

© Vision IAS

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना {Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)}	• ECLGS का उद्देश्य बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और अन्य उधारदाताओं को 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करना है, ताकि वे कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित व्यवसायों / MSMEs (जो अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं) को आपातकालीन ऋण प्रदान कर सकें। ○ ECLGS के तहत, पात्र MSMEs और इच्छुक मुद्रा (MUDRA) उधारकर्ताओं को गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये तक के **संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण** के लिए **राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। • सरकार ने समय-समय पर ECLGS 1.0, ECLGS 2.0 और ECLGS 3.0 और अब ECLGS 4.0 की घोषणा की है, ताकि **MSMEs को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके ECLGS की उपयोगिता और प्रभाव** में वृद्धि की जा सके। ○ **ECLGS 1.0:** वित्त वर्ष 2019-2020 में जिन कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर (कारोबार) 100 करोड़ रुपये था और जिनके ऊपर 29 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ रुपये तक का ऋण बकाया था, उन कंपनियों या संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए इसे आरंभ किया गया था। इसके तहत अधिस्थगन अवधि (moratorium period) 1 वर्ष की और चुकौती अवधि (repayment period) 4 वर्ष की थी। ○ **ECLGS 2.0:** इसके तहत ECLGS योजना का विस्तार, कामथ समिति द्वारा चिन्हित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रकों और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। ○ **ECLGS 3.0:** इस योजना के तहत आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, मनोरंजन और खेल क्षेत्रकों में व्यावसायिक उद्यम ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ○ **ECLGS 4.0:** ▪ इसके तहत पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपये की बकाया ऋण की सीमा को हटा दिया गया है। अब प्रत्येक उधारकर्ता को अधिकतम अतिरिक्त ECLGS सहायता 40% या 200 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित होगा। ▪ ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अस्पतालों / नर्सिंग होम / क्लीनिकों / मेडिकल कॉलेजों को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण (7.5% की ब्याज दर से) के लिए 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। ▪ 29 फरवरी 2020 तक ECLGS 1.0 के अंतर्गत उधारकर्ताओं को बकाया राशि के 10% तक की अतिरिक्त ECLGS सहायता प्रदान की जाएगी। ▪ नागरिक उड्डयन क्षेत्रक ECLGS 3.0 के तहत पात्र होंगे। ▪ ECLGS की वैधता अवधि को 30.09.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटीकृत सहायता तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत मार्च, 2022 तक भुगतान की अनुमति है।
प्रधान मंत्री आवास योजना-(शहरी) के लिए अतिरिक्त परिव्यय {Additional outlay for PM Awaas Yojana – Urban (PMAY-U)}	• PMAY-U के लिए 18,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। ○ PMAY-U का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है। • इससे **12 लाख घरों** का निर्माण कार्य आरंभ करने और **18 लाख घरों** का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही, अतिरिक्त **78 लाख नौकरियों** का सृजन होगा और **इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा।** इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।

निर्माण और अवसंरचना के लिए समर्थन (Support for Construction & Infrastructure)	• **इसके तहत सरकारी निविदाओं पर ठेकेदारों को बयाना जमा राशि (Earnest Deposit Money: EMD) और परफॉर्मेंस सिक्युरिटी पर छूट** (5-10% से कम करके 3% तक) दी गई है। ○ यह जारी अनुबंधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तक भी विस्तारित होगा। • यह उन ठेकेदारों को व्यापार करने में सुगमता और राहत प्रदान करेगा, जिनका धन अन्यथा फंसा रहता है।
विकासकर्ताओं और गृह क्रेताओं के लिए आयकर में राहत (Income Tax relief for Developers & Home Buyers)	• **घर खरीदने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु** रियल एस्टेट आयकर में सर्किल दर और अनुबंध मूल्य के मध्य अंतर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अर्थात् विकासकर्ता अब सर्किल दर से 20% तक कम मूल्य पर अपनी परिसंपत्ति का विक्रय कर सकते हैं। ○ **सर्किल दर** सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है, जिस पर संपत्ति पंजीकृत की जाती है, जबकि **अनुबंध मूल्य** किसी बिल्डर और क्रेता के मध्य समझौते पर आधारित मूल्य होता है।
अवसंरचना ऋण के वित्तीयन के लिए मंच (Platform for Infra Debt Financing)	• सरकार **राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगी।** ○ NIIF एक सरकार द्वारा समर्थित संस्था है, जो **देश के अवसंरचना क्षेत्रक में दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है।** • इससे NIIF को वर्ष 2025 तक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1.1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
कृषि के लिए समर्थन (Support for Agriculture)	• किसानों के लिए आगामी फ़सली मौसम में समय पर **उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उर्वरकों की आपूर्ति** सुनिश्चित करने के लिए 65,000 करोड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन (Boost for Rural Employment)	• **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए,** ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री **गरीब कल्याण रोजगार योजना (PMGKRY) के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय** का प्रावधान किया जा रहा है। ○ PMGKRY को उन क्षेत्रों / गांवों में सशक्तीकरण **और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए** आरंभ किया गया था, जहां **कोविड-19 से प्रभावित होकर प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में लौटे थे।** ○ PMGKRY मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि सहित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करती है।
निर्यात परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन (Boost for Project Exports)	• **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (Indian Development and Economic Assistance Scheme: IDEAS) के तहत ऋण समर्थन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए** एक्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ○ IDEAS **परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है** और प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास एवं क्षमता निर्माण में योगदान देता है। • इससे EXIM बैंक को ऋण **विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में** सहायता प्राप्त होगी।
पूंजीगत एवं औद्योगिक प्रोत्साहन (Capital and Industrial Stimulus)	• **घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक अवसंरचना और हरित ऊर्जा पर पूंजीगत एवं औद्योगिक व्यय के लिए** 10,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

 © Vision IAS

कोविड वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान (R&D grant for COVID Vaccine)	• भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 {Partial Credit Guarantee Scheme (PCGS) 2.0}	• PCGS एक **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है। • इसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों **को वित्तीय रूप से सुदृढ़ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवास वित्तीय कंपनियों (HFC) से उच्च-मानक निक्षेपित संपत्ति खरीदने** की अनुमति प्रदान की गई थी। • आत्मनिर्भर पहल के एक भाग के रूप में, इस योजना का विस्तार NBFC, HFC और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) द्वारा **निम्न क्रेडिट रेटिंग वाले बॉण्ड के प्राथमिक बाजार** निर्गमन को कवर करने के लिए किया गया था। • इसका उद्देश्य **कम क्रेडिट रेटिंग वाले संस्थानों को तरलता सहायता** प्रदान करना और **छोटे व्यवसायों को ऋण सहायता की निरंतरता** सुनिश्चित करना था, जो कोविड -19 के प्रकोप के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। • PCGS 2.0 के तहत, केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **20% फर्स्ट लॉस सॉवरेन गारंटी** प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में 45,000 करोड़ रुपये की तरलता का समावेश किया गया है। • इस योजना में **गैर-बैंक ऋणदाताओं** को नव तरलता सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रेटिंग नहीं किए गए पेपरों सहित AA और उससे नीचे की रेटिंग वाले पेपर भी शामिल किए गए हैं।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

20. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

20.1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना {PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY) SCHEME}

उद्देश्य

- एक **टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत** तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन।
- भूमि और जल के विस्तार, गहनीकरण, विविधीकरण और उत्पादक अनुप्रयोग के माध्यम से मत्स्य **उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।**
- **मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण:** शस्योत्तर प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार।
- **सुदृढ़ मात्स्यिकी प्रबंधन** और नियामक ढांचा।
- **मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी** करना और रोजगार सृजन करना।
- मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा।
- **कृषि GVA और निर्यात** में योगदान बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- योजना का उद्देश्य **नीली क्रांति की उपलब्धि को और समेकित करना है।**
- इसके घटकों में **केंद्रीय क्षेत्र की योजना के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजना,** दोनों शामिल हैं।
- यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में **वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25** तक के लिए लागू की जाएगी।
- **विजन: पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य पालन क्षेत्र,** जो निम्नलिखित में योगदान देता है:
  - मछुआरों और **मत्स्य किसानों** और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि तथा कल्याण,
  - संधारणीय और जिम्मेदार तरीके से देश की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा।

योजना के तहत परिकल्पित हस्तक्षेप (Interventions Envisaged By The Scheme)
न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर एकीकृत तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों का विकास मात्स्यिकी प्रबंधन योजनाएं जलीय प्रयोगशाला नेटवर्क और विस्तार सेवाएं ई-ट्रेडिंग / मार्केटिंग बायोफ्लॉक और केज कल्चर प्रमाणन और मान्यता पता लगाने की क्षमता लवणीय/क्षारीय क्षेत्रों में जैव-शौचालय, जलीय कृषि मछली पकड़ने की जहाजों/नौकाओं के नवीनीकरण/उन्नतीकरण के लिए सहायता एक्वाकल्चर स्टार्ट-अप्स मत्स्य पालन और इन्क्यूबेटर सागर मित्र एकीकृत एक्वा पार्क

केंद्र प्रायोजित घटक के लिए वित्तपोषण प्रारूप: मध्य और उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के लिए निधि का हिस्सा 90:10 के अनुपात में, जबकि अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में।

© Vision IAS

नदी तटीय कार्यक्रम (Nationwide River Ranching Programme) के बारे में

* **उद्देश्य:**
  * **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत** विशेष गतिविधि के रूप में **"नदी तटीय कार्यक्रम"** आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि और जल के विस्तार, गहनता, विविधीकरण एवं उत्पादक उपयोग के माध्यम से **मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा उसका और अधिक संवर्धन करना है।**
  * यह कार्यक्रम **संधारणीय मत्स्य पालन** का लक्ष्य प्राप्त करने, पर्यावास क्षरण को कम करने, जैव विविधता के संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक लाभों को अधिकतम करने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करने में मदद करेगा।
* कार्यक्रम के चरण-I के तहत **NFDB ने वर्ष 2020-21 के दौरान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों यथा- गंगा और उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र एवं बराक नदी की सहायक नदियों** तथा **महानदी व अन्य नदियों को लक्षित किया है।**
  * इसके परिणामस्वरूप, **उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और बिहार** का नदी पट्टी की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले छह प्रमुख अंतर्देशीय राज्यों के रूप में चयन किया गया है।
* **कार्यान्वयन: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

20.2. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, चरण-2 {NATIONWIDE ARTIFICIAL INSEMINATION PROGRAMME (NAIP) - PHASE-II}

उद्देश्य

* दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
* उच्च गुणवत्ता युक्त संतति के साथ दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करना।

प्रमुख विशेषताएं

* इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 माह में 1 करोड़ से अधिक गोजातीय आबादी का गर्भाधान करना और उनके कानों पर **'पशुआधार (PashuAadhaa)'** टैग लगाना है। पशुआधार पशुओं को प्रदत्त एक विशिष्ट पहचान है, जो नस्ल, आयु, लिंग और उसके स्वामी के विवरण के आधार पर विशेष पशुओं की पहचान करने व उन्हें ट्रैक करने में सरकार को सक्षम बनाता है।
* इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाय और भैंस की टैगिंग की जाएगी तथा उन्हें **पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य सूचना तंत्र (Information Network on Animal Productivity and Health: INAPH) डेटाबेस** के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा।
* NAIP मिशन मोड में संचालित एक आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य **सभी नस्ल के गोजातीय मवेशियों को सम्मिलित करना है,** ताकि उच्च गुणवत्ता युक्त बीज तथा दुधारू पशुओं के आनुवंशिक गुणों में सुधार करने के साथ कम लागत की प्रजनन तकनीक का उपयोग कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
* उल्लेखनीय है कि गोजातीय आबादी के कृत्रिम गर्भाधान के लाभ लगभग 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्राप्त होते हैं।

20.3. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष योजना {DAIRY PROCESSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (DIDF) SCHEME}

उद्देश्य

अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के सृजन हेतु डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और मशीनरी को आधुनिकीकृत करने और उनमें दक्षता लाने के लिए अवसंरचना में निवेश करना।

अपेक्षित लाभार्थियों

* इससे 50,000 गांवों के 95 लाख **दुग्ध उत्पादक** लाभान्वित होंगे।
* **अंतिम उधारकर्ता** (End Borrowers), जैसे- दुग्ध संघ, राज्य डेयरी संघ, दुग्ध सहकारी संस्थाएं, दुग्ध उत्पादक कंपनियां आदि।

प्रमुख विशेषताएं

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

* यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
* डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF) को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के तहत 8,004 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि के साथ स्थापित किया गया है।
* इसके तहत वित्तपोषण ब्याज युक्त ऋण के रूप होगा, जिसे **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** के माध्यम से अंतिम उधारकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा।
* **अंतिम उधारकर्ता:** इसमें दुग्ध संघ, राज्य डेयरी संघ, बहु-राज्य दुग्ध सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक कंपनियां और NDDB की सहायक कंपनियां शामिल हैं।
* इसके तहत **ऋण संबंधी घटक 80% (अधिकतम)** होगा और अंतिम उधारकर्ता का योगदान 20% (न्यूनतम) होगा।
* **अंतिम उधारकर्ताओं को प्रति वर्ष 6.5% की दर से ऋण प्राप्त होगा।** ऋण अदायगी की अवधि आरंभिक दो वर्ष के अधिस्थगन के साथ 10 वर्ष होगी।
* इसके तहत **संबंधित राज्य सरकार ऋण अदायगी की गारंटीकर्ता होगी।** इसके अतिरिक्त, स्वीकृत परियोजना के लिए यदि अंतिम उपयोगकर्ता अपने हिस्से का योगदान करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उसके हिस्से का योगदान किया जाएगा।

© Vision IAS

20.4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NATIONAL ANIMAL DISEASE CONTROL PROGRAMME: NADCP)

पशुपालन और डेयरी विभाग (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING)

उद्देश्य
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य पशुधन में **खुरपका- मुंहपका रोग** और पशुजन्य माल्टा-ज्वर (ब्रूसेलोसिस) को वर्ष 2025 तक नियंत्रित करना तथा वर्ष 2030 तक इनका पूर्णतः उन्मूलन करना है।
प्रमुख विशेषताएं

• इस योजना के अंतर्गत **खुरपका-मुंहपका रोग (FMD)** के विरुद्ध सुरक्षा हेतु मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और शूकर सहित 600 मिलियन से अधिक पशुधन के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• पशुजन्य माल्टा-ज्वर से बचाव के लिए प्रतिवर्ष दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बछड़ों का टीकाकरण करना भी इस कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य है।
• **वित्त पोषण:** वर्ष 2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
• कृषि मंत्रालय तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के तहत **'खुरपका मुंहपका रोग मुक्त भारत'** पहल का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत उन सभी राज्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें छह माह पर किए जाने वाले टीकाकरण योजना के तहत समाविष्ट नहीं किया गया था।
  ○ **FMD** पशुधन से संबंधित एक गंभीर व अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है, जो अत्यधिक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस रोग से मवेशी, शूकर, भेड़, बकरी तथा अन्य खुरयुक्त जुगाली करने वाले पशु प्रभावित होते हैं।
  ○ **पशुजन्य माल्टा-ज्वर या ब्रूसिलोलिस (Brucellosis)** जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है, जो विभिन्न **ब्रूसिला जीवाणु प्रजातियों** के कारण होता है। यह रोग मुख्यतया मवेशियों, शूकरों, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों में उत्पन्न होता है। मनुष्यों में यह रोग मुख्यतया दूषित पशु खाद्य पदार्थों के सेवन अथवा वायुवाहित अभिकारकों के अन्तःश्वसन द्वारा संक्रमित पशुओं के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से उत्पन्न होता है।

20.5. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन (NATIONAL MISSION ON BOVINE PRODUCTIVITY)

उद्देश्य
• दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। • डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना।
प्रमुख विशेषताएं
• इसे दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने एवं डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने हेतु वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। • इस मिशन को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है:

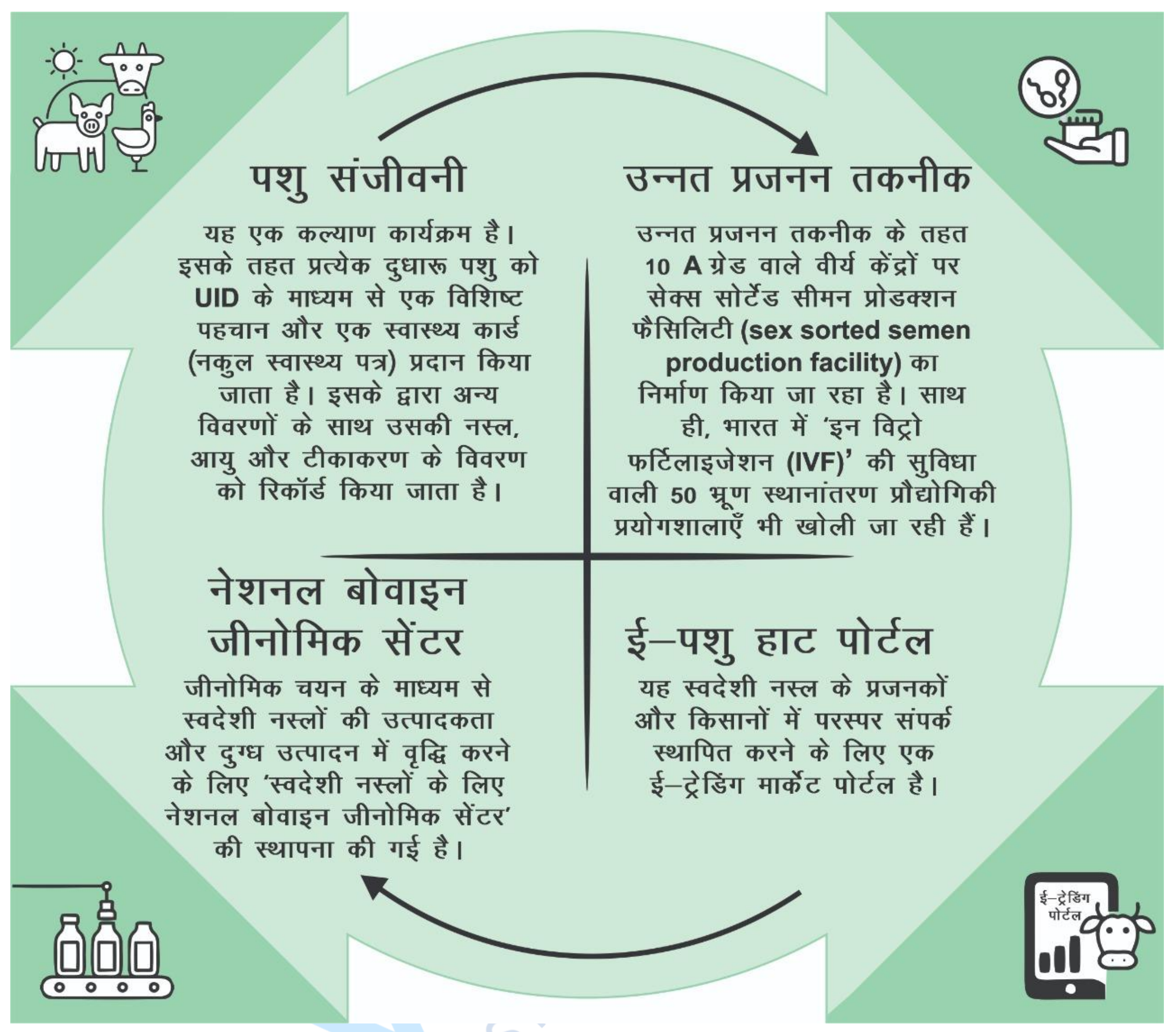

20.6. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (NATIONAL PROGRAM FOR BOVINE BREEDING AND DAIRY DEVELOPMENT: NPBBDD)

उद्देश्य

- बोवाइन (गोजातीय) संबंधी गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं तक किसानों की सुगमतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना।
- उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्व वाले चयनित स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण, विकास और वंश वृद्धि सुनिश्चित करना।
- दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए अवसंरचना का निर्माण करना तथा इसे सुदृढ़ता प्रदान करना।
- डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करना।
- डेयरी सहकारी समितियों / उत्पादक कंपनियों को ग्रामीण स्तर पर सशक्त बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में **मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना (NPCBB)**, **गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (IDDP)**, **गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना (SIQ & CMP)** और **असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव (A-C)** जैसी तत्कालीन योजनाओं का विलय कर की गई थी।
- **लक्षित लाभार्थी:** जाति, वर्ग और लिंग के निरपेक्ष सभी ग्रामीण मवेशी और भैंस पालक।

- इस योजना के **तीन घटक** हैं-

राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (NPBB)

यह घर पर प्रजनन आगत प्रदान करने के लिए मैत्री अर्थात ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MULTI-PURPOSE AI TECHNICIAN IN RURAL INDIA: MAITRI) की स्थापना करेगा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

यह डेयरी विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस प्रकार यह दुग्ध परिसंघों/संघों द्वारा प्रसंस्करण, उत्पादन, विपणन और खरीद के लिए संबंधित अवसंरचना का निर्माण करती है। यह किसानों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके अपनी गतिविधियों का भी विस्तार करती है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

यह योजना शत–प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। यह स्वदेशी नस्लों के लिए उनकी आनुवंशिक संरचना में सुधार करने और स्टॉक वृद्धि करने हेतु एक नस्ल सुधार कार्यक्रम है। गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी, आदि जैसी उन्नत देशी नस्लों का उपयोग करके गैर–वर्णात्मक मवेशियों (NON DESCRIPTIVE CATTLE) का उन्नयन किया जाता है।

गोकुल ग्राम: ये वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी मवेशियों का पालनपोषण करने और संरक्षण को बढ़ावा देने वाले एकीकृत मवेशी विकास केंद्र हैं। ये स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणों वाले सांडों का विकास करते हैं, ये आधुनिक कृषि–भूमि प्रबंधन प्रथाओं का अनुकूलन करते हैं और पशु अपशिष्ट अर्थात गोबर/गोमूत्र आदि के किफायती उपयोग को भी बढ़ावा देते हैं।

गोपाल रत्न पुरस्कार: यह पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के सर्वश्रेष्ठ पशु–समूह को बनाए रखने और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को करने वाले किसानों को प्रदान किया जाता है।

कामधेनु पुरस्कार: यह पुरस्कार संस्थानों/ट्रस्टों/गैर सरकारी संगठनों/गौशालाओं या सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित ब्रीडर्स सोसायटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित स्वदेशी पशु–समूह के लिए प्रदान किया जाता है।

20.7. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I (NATIONAL DAIRY PLAN-I)*

उद्देश्य

- दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

• संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक सुगम पहुंच सुनिश्चित कर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सहायता प्रदान करना।
प्रमुख विशेषताएं
• यह **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड** द्वारा लागू एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है। • NDP-1 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश आदि पर केंद्रित होगी, which together account for over 90% of the country's milk production. • इस योजना के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं: ○ उत्पादकता में वृद्धि करना। ○ संग्रहित दुग्ध का भार मापने, गुणवत्ता का परीक्षण करने तथा दुग्ध उत्पादकों को भुगतान करने हेतु गांव आधारित दुग्ध खरीद प्रणालियाँ स्थापित करना। ○ परियोजना प्रबंधन और गहन अध्ययन।

20.8. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (DAIRY ENTREPRENUERSHIP DEVELOPMENT SCHEME: DEDS)

उद्देश्य
• शुद्ध दुग्ध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना। • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना, ताकि दुग्ध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर ही किया जा सके। • व्यावसायिक पैमाने पर दुग्ध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना। • मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व-रोज़गार का सृजन करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
प्रमुख विशेषताएं
• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **डेयरी वेंचर कैपिटल फंड (DVCF)** योजना को संशोधित किया गया और वर्ष 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर **डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (DEDS)** रखा गया था। • यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। **नोडल एजेंसी के रूप में इसका कार्यान्वयन नाबार्ड** (NABARD) द्वारा किया जा रहा है। • यह योजना संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

20.9. नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन (BLUE REVOLUTION: INTEGRATED DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF FISHERIES)

उद्देश्य
• आर्थिक समृद्धि के लिए **उत्तरदायी और संधारणीय तरीकों से समग्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि** करना। • नई तकनीकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए **मत्सयपालन का आधुनिकीकरण करना।** • **खाद्य और पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करना। • **रोजगार और निर्यात आय सृजित करना।** • **समावेशी विकास** सुनिश्चित करना और मछुआरों एवं जलीय कृषि में सलग्न किसानों को सशक्त बनाना।
प्रमुख विशेषताएँ
• **यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।** • ब्लू रिवोल्युशन या नीली क्रांति मिशन का **उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य पालक किसानों और देश की आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना है।** • **यह सभी मौजूदा योजनाओं का विलय करके सूत्रबद्ध की गई एक छत्रक योजना है।** • इसे **देश में मत्स्यपालन के विकास** के लिए वर्ष 2015-16 से लागू किया गया है।

- यह मत्स्य उत्पादन और उत्पादन के बाद की संबंधित गतिविधियों जैसे मत्स्य ब्रूड बैंक, हैचरी, तालाबों के निर्माण सहित **मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रक के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।**

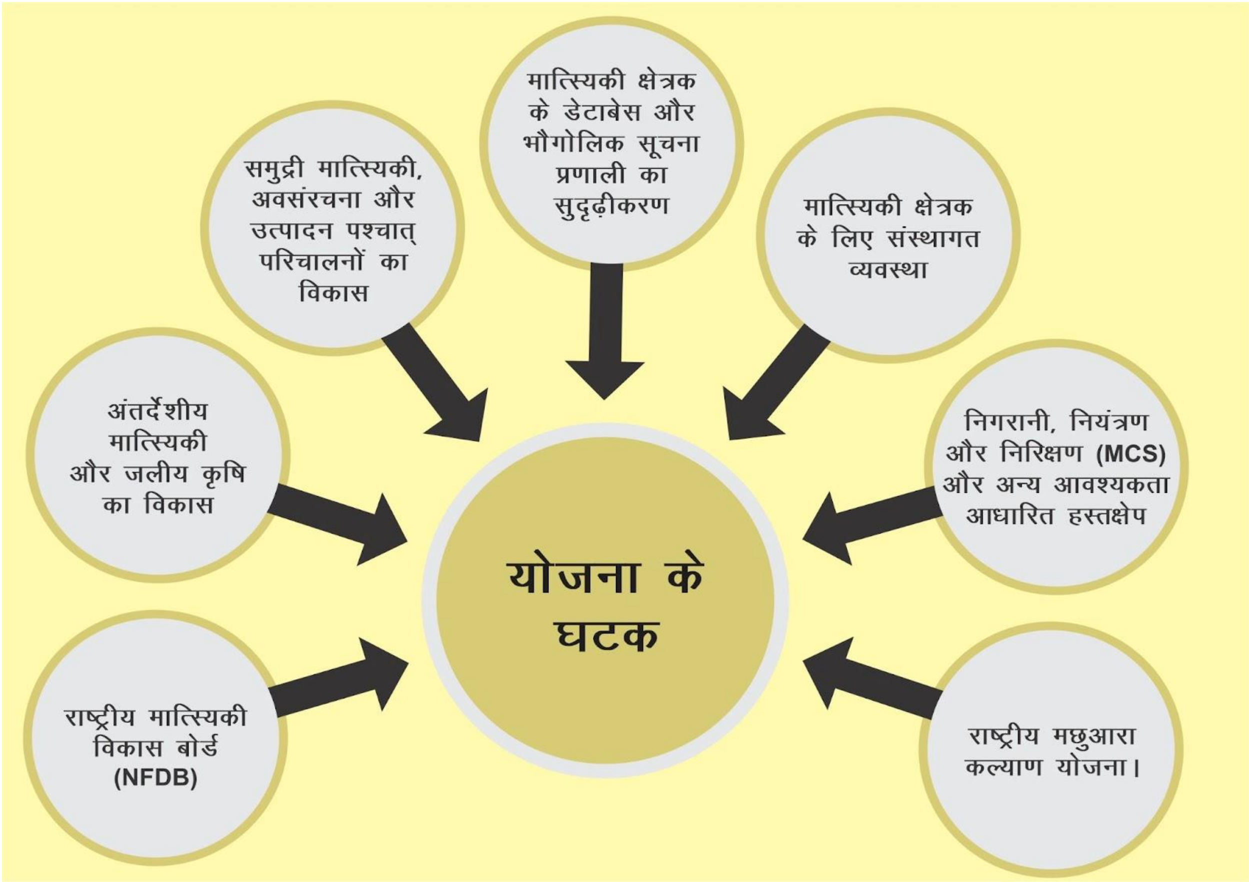

- **मिशन फिंगरलिंग:** देश में मत्स्य अंगुलिका/मतस्य फिंगरलिंग, झींगे और केकड़े के लार्वा पश्चात की अवस्था (post larvae) के उत्पादन के निश्चित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए हैचरी और फिंगरलिंग के लिए पालन-पोषण तालाबों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।
    - **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):** इसकी स्थापना 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ की गई थी। केंद्र सरकार मत्स्य पालन क्षेत्रक में अवसंरचना के विकास के लिए नोडल ऋण संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने हेतु 3% प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान प्रदान करती है।
    - इसके अंतर्गत मत्स्य पालक किसानों को उनकी **कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं** को पूर्ण करने में मदद करने **के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** की सुविधा भी प्रदान की गई है।

20.10. गुणवत्ता दुग्ध कार्यक्रम (QUALITY MILK PROGRAMME)

उद्देश्य

- दूध की घरेलू खपत के लिए **वैश्विक** (कोडेक्स) **मानकों** को प्राप्त करना।
- **वैश्विक निर्यात में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की संभावनाओं का पता लगाने की क्षमता और उनकी वृद्धिशील हिस्सेदारी** सुनिश्चित करना (वर्तमान में यह केवल 0.36% है।)

प्रमुख विशेषताएं

- यह देश के **सभी सहकारी डेयरी संयंत्रों** को अपने उपभोक्ताओं को सभी जीवाणुतत्व-संबंधी, रासायनिक और भौतिक मापदंडों पर परीक्षण किए गए **गुणवत्ता युक्त दुग्ध की आपूर्ति** करने में सक्षम बनाएगा।

- वर्ष 2019-20 के दौरान इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में, **दुग्ध** में मिलावट (यूरिया, माल्टोडेक्सट्रिन, अमोनियम सल्फ़ेट, अपमार्जक, शुगर, न्यूट्रलाइज़र आदि) का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NDPP) योजना के तहत 231 डेयरी संयंत्रों को साधनों से सुसज्जित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- **फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड (FTIR) प्रौद्योगिकी-आधारित दुग्ध विश्लेषक** (दुग्ध की संरचना और मिलावट का सही पता लगाने एवं आकलन करने के लिए) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **इन संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक:**

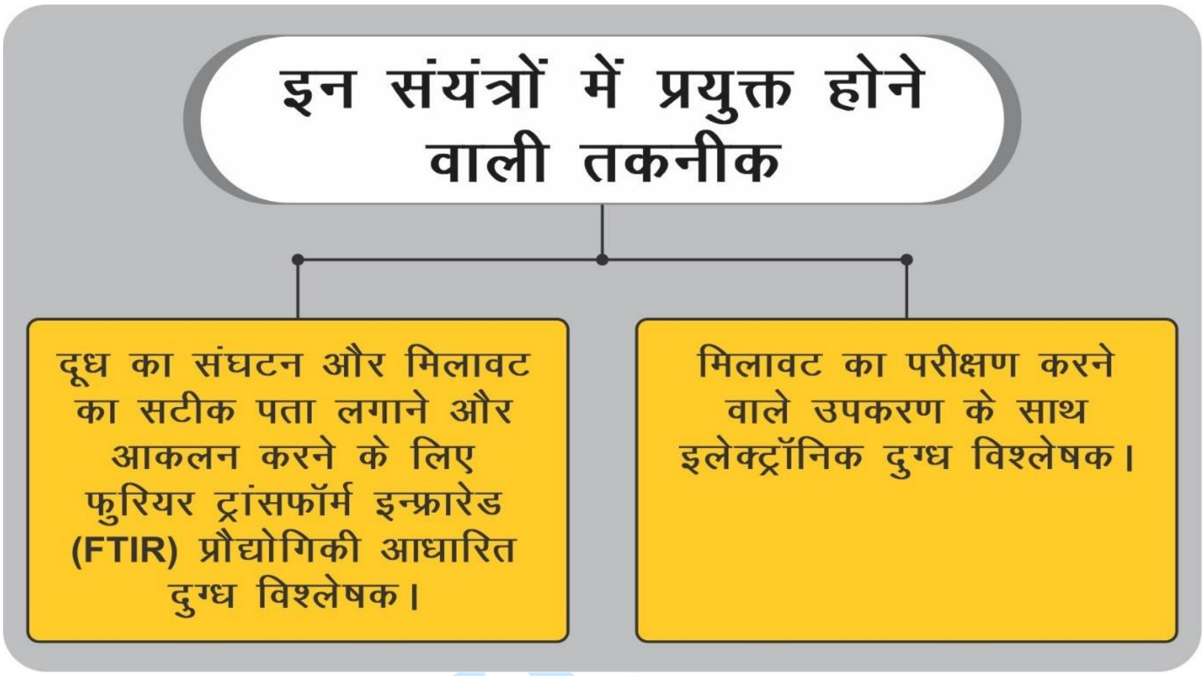

20.11. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission: NLM)	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे अप्रैल 2019 से **श्वेत क्रांति** {राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (RPVY) की एक उप-योजना} के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। ○ इसके एक घटक **'उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन'** (Entrepreneurship Development and Employment Generation: EDEG) को 100% केंद्रीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है। 'लघु पशुधन संस्थान' के लिए भी 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। • इसमें पशुधन का संधारणीय विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, यह गुणवत्तापूर्ण पशु-आहार एवं चारे की उपलब्धता में सुधार पर भी केंद्रित है। • **NLM के तहत उप-मिशन:** पशुधन विकास संबंधी उप-मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूअर विकास संबंधी उप-मिशन, पशु-आहार तथा चारा विकास संबंधी उप–मिशन व कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार संबंधी उप-मिशन।
ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Control and Eradication of Glanders)	• ग्लैंडर्स घोड़े, गधे और खच्चर सहित **अश्व प्रजाति (equines)** में होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग **मनुष्यों** को भी हो सकता है। यह रोग **बैक्टीरियम** बुर्खोलडेरिया मैलिया (bacterium Burkholderia mallei) के कारण होता है तथा इस रोग हेतु कोई **टीका** उपलब्ध नहीं है। • कार्य योजना के अनुसार, संक्रमित जानवर का तुरंत वध कर देना चाहिए। पूर्ण रूप से आवश्यक होने पर, प्रभावित जानवर का वध करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन करके बंद साधनों के माध्यम से निपटान किया जा सकता है। शवों के निस्तारण और निपटान के दौरान सभी चिड़ियाघरों द्वारा स्वच्छता संबंधी उपायों का पालन किया जाना आवश्यक हैं।

21. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES)

21.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना {PM FORMALIZATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES (PM-FME) SCHEME}#

उद्देश्य
विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।
अपेक्षित लाभार्थी
• विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। • कृषि उत्पादक संगठन (FPOs) / स्वयं-सहायता समूह (SHG's) / उत्पादक सहकारी समितियां।
प्रमुख विशेषताएं

• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
• यह योजना **"आत्मनिर्भर भारत अभियान" के एक भाग के रूप में** आरंभ की गई थी।
• यह योजना **10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ **वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों** की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।
• योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख FME को **ऋण संबद्ध सब्सिडी के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।**
• विद्यमान व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां (जो अपनी इकाई के उन्नयन की इच्छुक हैं) पात्र परियोजना लागत के **35% की दर से ऋण से संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी** का लाभ उठा सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई है।
• कार्यशील पूंजी और लघु उपकरणों की खरीद के लिए **40,000/- रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य को प्रारंभिक पूंजी (Seed capital)** प्रदान की जाएगी।
• **FPOs / SHGs / उत्पादक सहकारी समितियों** को मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए परियोजना लागत का **35% ऋण से संबद्ध अनुदान प्रदान किया जाएगा।**
• साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, शीत भंडारण, पैकेजिंग और इनक्यूबेशन केंद्र सहित **साझा अवसंरचना के विकास के लिए** FPOs / SHGs / सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या क्लस्टर में मौजूद सूक्ष्म इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए निजी उद्यम हेतु **35% की दर से ऋण संबद्ध अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।**
• राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर सूक्ष्म इकाइयों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित करने हेतु **विपणन और ब्रांडिंग सहायता** के रूप में कुल व्यय का 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे क्लस्टरों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म इकाइयों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
  ○ इस योजना के तहत व्यय को **केंद्र और राज्य या विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य 60:40** के अनुपात में एवं **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10** के अनुपात में साझा किया जाएगा।
• यह योजना आगतों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने और उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने के लिए **'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP)** दृष्टिकोण अपनाती है।
  ○ राज्य विद्यमान क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक **जिले के लिए विशिष्ट खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे।**
  ○ **ODOP संबंधी उत्पाद,** शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पाद या अनाज आधारित उत्पाद या एक जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है।
  ○ ODOP संबंधी उत्पादों के लिए **साझा अवसंरचना और ब्रांडिंग तथा विपणन के लिए समर्थन** प्रदान किया जाएगा।
• यह योजना **अपशिष्ट से मूल्यवान उत्पादों**, लघु वन उत्पादों और आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- यह योजना **क्षमता निर्माण और अनुसंधान** पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) के अंतर्गत दो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, यथा- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT) के साथ-साथ राज्यों द्वारा चयनित राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को **सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण** इकाइयों को प्रशिक्षण देने, उत्पाद का विकास करने, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।
- **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** इसके कार्यान्वयन के लिए **नोडल बैंक** है।
- **अपेक्षित लाभ:** इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ 9 लाख कुशल और अर्ध-कुशल रोजगार सृजित होंगे। साथ ही सूचना, प्रशिक्षण, कार्य-स्थिति की बेहतर समझ और औपचारीकरण के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा।

हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत सीड कैपिटल मॉड्यूल को लॉन्च किया

- MoFP ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन (PMFME) योजना के तहत सीड कैपिटल मॉड्यूल का शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के एम.आई.एस. पोर्टल** पर लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत **शहरी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को** प्रारंभिक पूंजी सहायता (नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक शुरुआती पूंजी) की सुविधा प्रदान करना है।
    - **PMFME योजना के तहत प्रति SHG सदस्य 40,000 रुपये की** प्रारंभिक पूंजी **(सीड कैपिटल) सहायता** प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

21.2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME FOR FOOD PROCESSING INDUSTRY (PLISFPI)}*

उद्देश्य

- **उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना**, जो निर्धारित न्यूनतम विक्रय के साथ मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग के लिए निवेश करने के इच्छुक हैं।
- वैश्विक खाद्य विनिर्माण के क्षेत्र में चैंपियनों (अग्रणी अभिकर्ताओं) के निर्माण का समर्थन करना।
- वैश्विक दृश्यता और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक स्वीकृति के लिए खाद्य उत्पादों के चयनित भारतीय ब्रांड को सुदृढ़ करना।
- **कृषि-इतर (Off-Farm) नौकरियों** में रोजगार संबंधी अवसरों में वृद्धि करना।
- कृषि उपज का लाभकारी मूल्य और किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- **योजना की अवधि:** 6 वर्ष- 2021-22 से 2026-27 तक।
- **यह योजना "सीमित-निधि:** लागत स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
    - प्रत्येक लाभार्थी को देय अधिकतम प्रोत्साहन राशि उस लाभार्थी के अनुमोदन के समय अग्रिम रूप से निर्धारित की जाएगी।
    - उपलब्धि/प्रदर्शन के बावजूद, इस अधिकतम प्रोत्साहन को नहीं बढाया जाएगा।
- **योजना के लिए आवेदक:** सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) या भारत में पंजीकृत कंपनी; को-ऑपरेटिव्स; एसएमई और योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन करने वाले होंगे।

दो घटक	
चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना अर्थात्:	**मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु समर्थन**

पकाने के लिए तैयार/ खाने के लिए तैयार (RTC/ RTE) खाद्य पदार्थ, जिनमें बाजरा आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोज़ेरेला चीज़ शामिल हैं।	विदेशों में भारतीय ब्रांड के प्रचार के लिए, इस योजना में आवेदक संस्थाओं को 'स्टोर में ब्रांडिंग, किराए पर शेल्फ स्पेस और मार्केटिंग' के लिए अनुदान की परिकल्पना की गई है।
फ्री रेंज सहित SMEs के अभिनव/जैविक उत्पाद- अंडे, पोल्ट्री मांस, अंडा उत्पाद।	

- **अन्य योजना के लिए पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं:** पीएलआई योजना के तहत कवरेज प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना जैसी **अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।**
- **कार्यान्वयन: अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (IMAC)** योजना के तहत कवरेज के लिए आवेदकों के चयन, स्वीकृति और प्रोत्साहन के रूप में **धन जारी करने को मंजूरी प्रदान करेगी।**
  - मंत्रालय, योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा।
- **निगरानी**
  - **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह** द्वारा केंद्र में योजना की निगरानी की जाएगी।
  - कार्यक्रम में **तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा तंत्र** का निर्माण किया जाएगा।

21.3. ऑपरेशन ग्रीन्स (OPERATION GREENS)*

उद्देश्य

- टमाटर, प्याज एवं आलू (TOP) उत्पादन क्लस्टरों और उनके किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाना तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा TOP उत्पादक किसानों को प्राप्त होने वाली कीमतों में वृद्धि करना।
- TOP उत्पादन क्लस्टरों में उत्पादन की व्यवस्थित योजना तथा दोहरे उपयोग की किस्मों की शुरुआत द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण करना।
- खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन द्वारा फसल कटाई के उपरांत होने वाली क्षति को कम करना, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स का विकास तथा शेल्फ लाइफ में वृद्धि के लिए उपभोग केंद्रों से जोड़ते हुए यथोचित भंडारण क्षमता का सृजन करना।
- उत्पादन क्लस्टरों से सुदृढ़ लिंकेज के साथ TOP की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी करना।
- मांग एवं आपूर्ति तथा TOP फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े एकत्र करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना करना।

प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में **टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की आपूर्ति को स्थिर करने तथा संपूर्ण देश में वर्ष भर मूल्य अस्थिरता के बिना इन फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए** 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी।
- सरकार ने TOP फसलों के संवर्धित उत्पादन को सुनिश्चित करने तथा मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करने के लिए इस योजना के तहत **विशेष रणनीति और अनुदान सहायता** निर्धारित की है।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए रणनीति:**
  - **अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपाय:** मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)** नोडल एजेंसी होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) निम्नलिखित दो घटकों पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगा:
    - उत्पादन से भंडारण तक TOP फसलों का परिवहन;
    - TOP फसलों के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराये पर प्राप्त करना;
  - **दीर्घकालीन एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं,** जैसे- FPOs और उनके संघ की क्षमता का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, फसल-कटाई के पश्चात् प्रसंस्करण सुविधाएं, एग्री-लॉजिस्टिक्स, विपणन/उपभोग बिंदु और TOP फसलों की मांग तथा आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण एवं प्रबंधन।

- **सहायता अनुदान:**
    - **सहायता का प्रतिरूप (पैटर्न):** सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं की कुल लागत का 50% भाग (अधिकतम सीमा- 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना) सहायता अनुदान के तौर पर प्रदान किया जाएगा (हालांकि, FPOs को सहायता अनुदान 70 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जाएगा)।
    - **पात्र संगठनों में सम्मिलित हैं:** राज्य कृषि और अन्य विपणन संघ, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियां, कंपनियां, स्वयं-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला परिचालक, खुदरा और थोक श्रृंखला, केंद्र एवं राज्य सरकारें तथा इस कार्यक्रम में भाग लेने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र उनकी संस्थाएं/संगठन।
- **बाजार बुद्धिमत्ता और पूर्व चेतावनी प्रणाली (MIEWS) पोर्टल:** इसे हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा लॉन्च किया गया था। यह टमाटर, प्याज और आलू (TOP) की कीमतों की 'वास्तविक समय पर निगरानी' प्रदान करेगा तथा साथ ही, ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना की शर्तों के संबंध में हस्तक्षेप के लिए अलर्ट भी जारी करेगा। यह सरकार को अत्यधिक उपलब्धता के दौरान मूल्यों में आकस्मिक गिरावट होने पर **समय पर बाजार हस्तक्षेप और मूल्य स्थिरीकरण** के लिए आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। यह पोर्टल सरलता से उपयोग किए जाने वाले दृश्य प्रारूप में TOP फसलों से संबंधित जानकारी, जैसे- कीमतें और आवक, क्षेत्र, उपज और उत्पादन, फसल कैलेंडर तथा फसल कृषि-विज्ञान आदि को प्रसारित करेगा।
- उत्पादन प्रक्रिया में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने तथा किसानों की क्षमता के निर्माण हेतु सरकार इस योजना के अंतर्गत **भारत-इज़राइल सहयोग के तहत सृजित 28 उत्कृष्टता केंद्रों का उपयोग** करने के लिए भी प्रयासरत है।

हालिया परिवर्तन:

- दिसंबर 2020 में, इस योजना का विस्तार TOP के अतिरिक्त अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों {समग्र (TOP to Total)} तक कर दिया गया है ताकि लॉकडाउन के कारण फलों और सब्जियों के उत्पादकों को विवशता में बिक्री करने से संरक्षण प्रदान किया जा सके और फसलोत्तर हानियों को कम किया जा सके।
- यह योजना, अधिशेष उत्पादन क्षेत्र से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक उत्पादों के **परिवहन और भंडारण के लिए सब्सिडी** प्रदान करती है।
- **पात्र फसलें:**
    - **फल:** आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे फल, अनानास, अनार, कटहल।
    - **सब्जियां:** फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरी), भिंडी, प्याज, आलू और टमाटर।
    - भविष्य में कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर **कोई अन्य फल/सब्जियां पात्र सूची में शामिल की जा सकती है।**
- **योजना की अवधि:** अधिसूचना की तिथि अर्थात् 11/06/2020 से छह माह की अवधि तक के लिए।
- **सहायता का पैटर्न:** मंत्रालय द्वारा, लागत संबंधी मानदंडों के अधीन, निम्नलिखित दो घटकों की लागत का 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी:
    - अधिशेष उत्पादन क्लस्टर से उपभोग केंद्र तक **पात्र फसलों का परिवहन**; और/या
    - पात्र फसलों के लिए **उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेना** (अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए);

21.4. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PRADHAN MANTRI KISAN SAMPADA YOJANA: PMKSY)*

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के साथ आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा को बढ़ावा देना तथा कृषि उपज की बर्बादी को कम करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**

- यह योजना पहले **संपदा (कृषि-समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters: SAMPADA) के नाम से जानी जाती** थी।
- यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्तमान में संचालित योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है।
- इसके परिणामस्वरूप **फार्म गेट (कृषि स्थल) से लेकर रीटेल आउटलेट (खुदरा बिक्री केंद्र) तक** प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ-साथ आधुनिक आधारभूत संरचना के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

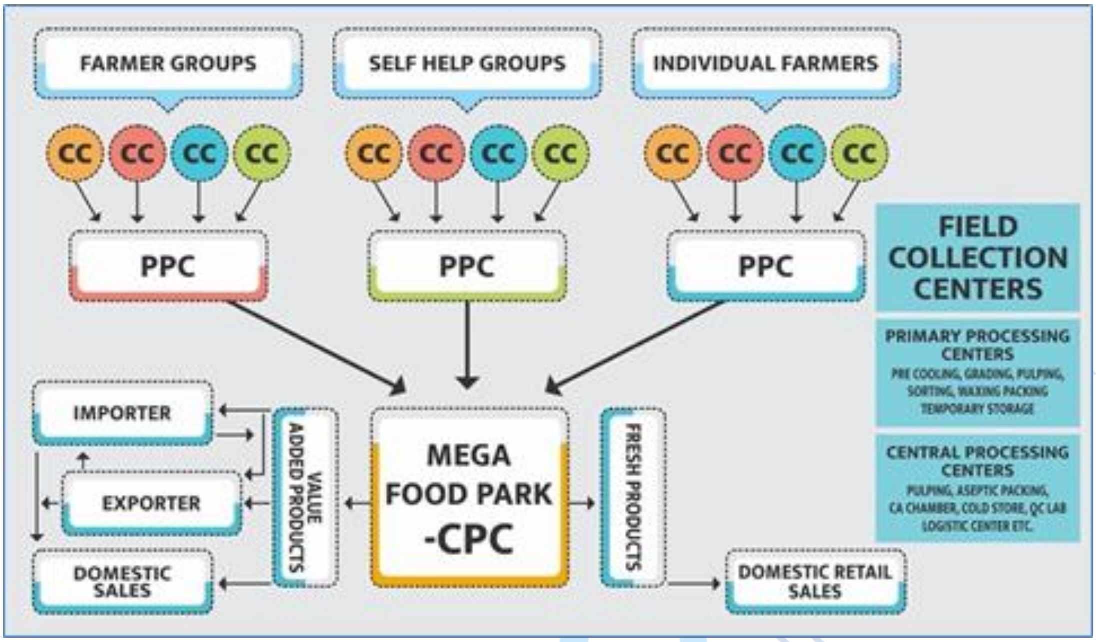

- **घटक योजनाएं:** प्रथम 4 योजनाएं, पहले से चल रही योजनाएं हैं, जबकि अंतिम तीन PMKSY के तहत शुरू की गई नई योजनाएं हैं।
  - **मेगा फूड पार्क:** सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। इसे विशेष प्रयोजन साधन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  - **एकीकृत प्रशीतित श्रृंखला, तथा मूल्य वर्धन और सुरक्षा अवसंरचना:** खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित शीत भंडारण श्रृंखला की सुविधा उपलब्ध कराना। इस अवसंरचना श्रृंखला परियोजना की स्थापना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) आदि द्वारा की गई है।
  - **खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार:** इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना है। यह परियोजना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा स्थापित की गई है।
  - **खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना:** इसके दो घटक हैं:
    - गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन करना,
    - HACCP/ISO मानक/खाद्य सुरक्षा/गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। {HACCP अर्थात् संकट विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु प्रणाली (Hazard Analysis and Critical Control Point System); ISO अर्थात् इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन}
- **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना**: क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना और साझा सुविधाओं का विकास करना।
- **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन:** इंसुलेटेड/रेफ्रिजरेटेड (प्रशीतित) परिवहन के माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ-साथ खेत के समीप प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रहण केंद्रों और अग्रवर्ती छोर पर आधुनिक खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना करना।
- **मानव संसाधन एवं संस्थान:** मांग संचालित अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रचार गतिविधियों (सेमिनार, कार्यशालाओं, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन), और क्षेत्रक विशिष्ट कौशल का विकास करना।
- हाल ही में, योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

21.5. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

योजनाएँ	प्रमुख विशेषताएं
निवेश बंधु (Nivesh Bandhu)	• यह एक निवेशक सुगमता पोर्टल है। यह केंद्र और राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों, कृषि-उत्पादक संकुलों, अवसंरचना तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में निवेश के संभावित क्षेत्रों आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।
शीत श्रृंखला, मूल्य वर्द्धन और परिरक्षण अवसंरचना योजना (Scheme of Cold Chain, Value Addition & Preservation Infrastructure)	• इस योजना का उद्देश्य बाग़वानी और गैर-बाग़बानी कृषि उत्पादों की **फसल कटाई के उपरांत होने वाली क्षतियों को कम करने हेतु** खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। • **घटक:** खेत के स्तर पर प्रसंस्करण केंद्र, बहुविध उत्पाद और विभिन्न परिवेशी वितरण केंद्र, सचल पूर्व शीतित वैन और प्रशीतित ट्रक तथा विकिरण सुविधा (irradiation facility)। • एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजना की स्थापना भागीदारी/स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारिताओं, स्व-सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के द्वारा की जाती है।

ईट राइट स्टेशन (Eat Right Station)	• हाल ही में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को **'ईट राइट स्टेशन' प्रमाण-पत्र** से सम्मानित किया है।
	  ○ चंडीगढ़ यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पांचवां रेलवे स्टेशन है।
	• FSSAI के **'ईट राइट इंडिया'** अभियान के एक भाग के रूप में ईट राइट स्टेशन पहल का उद्देश्य **रेलवे स्टेशनों पर स्थिर भोजन प्रबंधन इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।**
	  ○ FSSAI ने 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और उचित भोजन सुनिश्चित करने हेतु (देश की खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के लिए) वृहद पैमाने पर प्रयास आरम्भ किए हैं।

 © Vision IAS

22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE: MOHFW)

22.1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन {AYUSHMAN BHARAT HEALTH INFRASTRUCTURE MISSION (ABHIM)}

उद्देश्य

- निगरानी, सक्रिय सामुदायिक संलग्नता और बेहतर जोखिम संचार, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोकथाम सहित **सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए** जमीनी स्तर पर विद्यमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन क्षमताओं को मजबूत करना।
  - व्यापक निदान और उपचार हेतु महत्वपूर्ण देखभाल सेवाओं सहित क्षमता के साथ वर्तमान और भविष्य की वैश्विक महामारियों/ स्थानीय महामारियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना।
- लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और रोग के प्रकोप का प्रभावी ढंग से पता लगाना, जांच करना, रोकना और मुकाबला करना।
  - ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर, प्रवेश के बिंदुओं एवं महानगरीय क्षेत्रों में निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने के लिए एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का विस्तार एवं निर्माण करना।
- कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए, जैव चिकित्सा अनुसंधान सहित, कोविड-19 जैसी महामारियों के लिए **अल्पकालिक और मध्यम अवधि की प्रतिक्रिया को सूचित करने के लिए** साक्ष्य उत्पन्न करना
  - साथ ही, जानवरों और मनुष्यों में संक्रामक रोग के प्रकोप को रोकने, पता लगाने एवं प्रतिक्रिया देने के लिए वन हेल्थ एप्रोच की कोर क्षमता विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह योजना **प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक,** सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करने के लिए शुरू की गई थी।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्र** के कुछ घटकों के साथ **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **अवधि:**वर्ष 2021-2026 तक छह वर्ष के लिए।
- **लक्ष्य:** सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम एक रोग निगरानी प्रणाली निर्मित करना।

केंद्र प्रायोजित योजना के घटक

- **आयुष्मान भारत - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs):** इस घटक के तहत 7 उच्च फोकस वाले राज्यों (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) तथा 3 उत्तर-पूर्वी राज्यों (मणिपुर, मेघालय व असम) में अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।
- **शहरी क्षेत्रों में AB-HWCs:** इस घटक के तहत देश भर में 11044 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन करना प्रस्तावित है।
- **प्रखंड स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां (BPHU): 11 उच्च फोकस वाले राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों** (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (UT), झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में 3382 BPHU के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
  - शेष राज्यों के लिए, स्थानीय सरकारों के माध्यम से 15वें वित्त आयोग के अधीन स्वास्थ्य अनुदान के तहत BPHU की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।
  - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिलों में PM ABHIM के तहत प्रस्तावित **जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** केंद्र शासित प्रदेशों में **प्रखंडों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।**
- सभी जिलों में **एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं** स्थापित की जाएंगी।
- **5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में** राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों/जिला अस्पतालों में **गहन चिकित्सा देखभाल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।**

केंद्रीय क्षेत्रक घटक

- 12 केंद्रीय संस्थानों में **गहन चिकित्सा देखभाल खंड।**

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- **आपदा और स्थानीय महामारी से संबंधित तैयारी को सुदृढ़ बनाना:** 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों और 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पतालों के लिए सहायता दी जाएगी।
- **संक्रामक रोगों की निगरानी और प्रकोप अनुक्रिया को मजबूत करना:** 20 महानगर निगरानी इकाइयों, 5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रों (NCDCs) एवं सभी राज्यों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- **प्रवेश के बिंदुओं पर निगरानी क्षमता को मजबूत करना:** प्रवेश स्वास्थ्य इकाइयों के 17 नए बिंदुओं के लिए समर्थन और 33 मौजूदा इकाइयों को मजबूत करना।
- **जैव सुरक्षा की तैयारी और वैश्विक महामारी अनुसंधान एवं बहु क्षेत्र, राष्ट्रीय संस्थानों तथा वन हेल्थ के लिए मंच को मजबूत करना:** वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए सहायता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव-सुरक्षा स्तरीय III प्रयोगशालाएं और 4 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology: NIV)।

22.2. आयुष्मान भारत (AYUSHMAN BHARAT)#

उद्देश्य

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करना, जिसका उद्देश्य है कि "कोई भी पीछे ना छूटे।"

प्रमुख विशेषताएं

- इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 की अनुशंसा पर आरंभ किया गया था। इस पहल को SDGs और इसमें अन्तर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि "कोई भी पीछे ना छूटे।"
- इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (निवारक, संवर्धन और एंबुलेटरी देखभाल को कवर करना) को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पथप्रवर्तक हस्तक्षेप करना है।
- इसमें दो अंतर-संबंधित घटक शामिल है: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (Health and Wellness Centres: HWCs); और प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWC's)	प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना (PM-JAY) (द्वितीयक और तृतीयक देखभाल)
▬ इस घटक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। ▬ इसका उद्देश्य व्यापक **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC)** प्रदान करना है। ▬ इसमें **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और गैर संचारी रोग** दोनों शामिल हैं, जिनमें निःशुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 	▬ PM-JAY केंद्र प्रायोजित योजना है। ▬ वर्ष 2018 में आरंभ की गई, यह योजना विश्व की सबसे **बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना** है। ▬ इसे पहले **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (NHPS)** के नाम से जाना जाता था। ▬ इसमें शामिल परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए **सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC-2011) के अभावग्रस्तता और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित हैं।** ▬ इसमें वर्ष 2018 में आरंभ की गई तत्कालीन मौजूदा **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) को शामिल कर लिया गया था।** इसलिए, इसमें उन परिवारों को भी शामिल किया गया है, जो **RSBY** में शामिल थे किंतु **SECC 2011** डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं। ▬ **PM-JAY** पूर्णतः **सरकार द्वारा वित्त पोषित है** और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। ▬ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण **(NHA)** इसकी कार्यान्वयन इकाई है।

© Vision IAS

22.3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NATIONAL HEALTH MISSION: NHM)#

उद्देश्य

- बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर में कमी करना।
- संचारी तथा गैर-संचारी रोगों (जिनमें स्थानीय स्तर के स्थानिक रोग भी शामिल हैं) की रोकथाम एवं नियंत्रण।
- एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना।
- जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन स्थापित करना।
- स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष (AYUSH) को मुख्यधारा में लाना।
- भोजन और पोषण, स्वच्छता एवं आरोग्य हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली सेवाओं पर विशेष बल देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण।
- स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

22.4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NATIONAL RURAL HEALTH MISSION)#

उद्देश्य

- विशेष रूप से जनसँख्या के **निर्धन और सुभेद्य वर्गों** को सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
- सभी स्तरों पर **अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (inter-sectoral convergence)** के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना करना।
- जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इसे वर्ष 2005 में EAG {सशक्त कार्य समूह (Empowered Action Group) जिसमें आठ राज्यों के समूह जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं} वाले राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर विशेष ध्यान देने के लिए आरंभ किया गया था।
- वित्त वर्ष 2015-16 से सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों जैसे कि जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण अनुपात 90:10 है।
- इस मिशन के तहत मुख्य ध्यान जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों की विस्तृत श्रृंखला पर है। साथ ही कार्रवाई सुनिश्चित के लिए एक पूर्णरूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय समाभिरूपता (Inter-Sector Convergence) वाली विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर भी ध्यान दिया गया है।
- NRHM के अंतर्गत 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहर एवं कस्बों को सम्मिलित किया जाना जारी रहेगा।

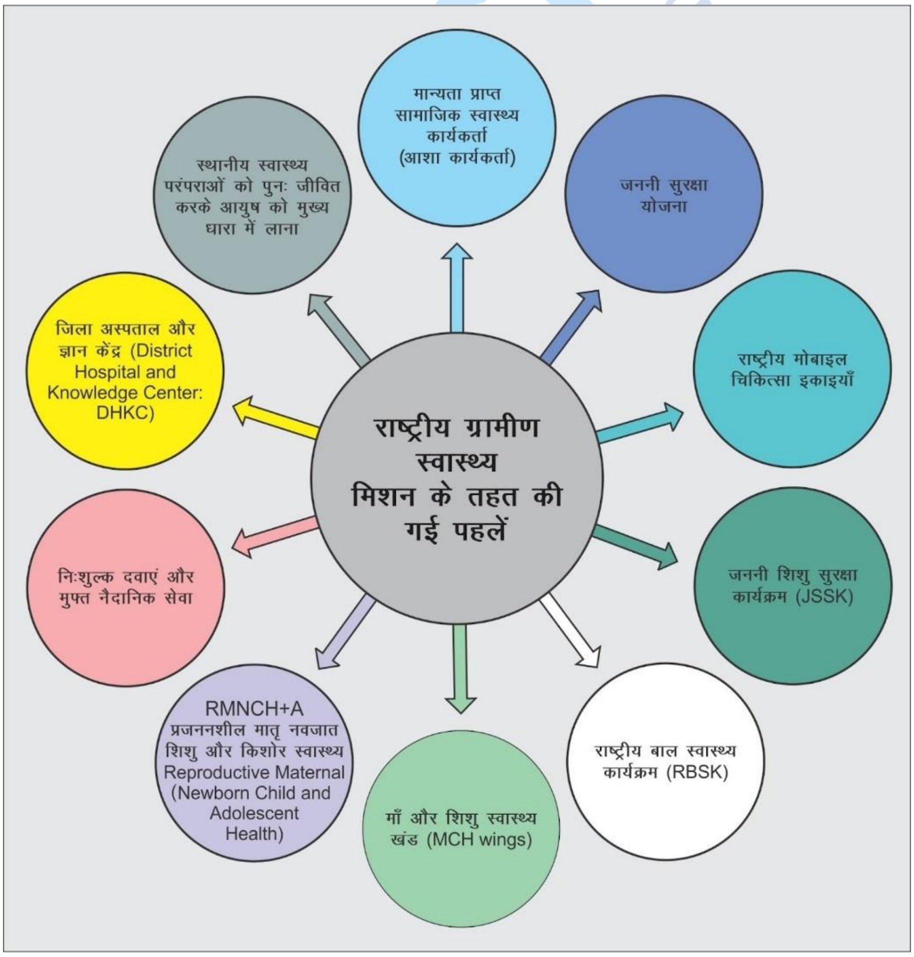

22.5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NATIONAL URBAN HEALTH MISSION)#

उद्देश्य

- आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी (विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों) की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- लोगों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले **व्यय के अतिभार (out of pocket expenses)** को कम करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह 50,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और शहरों/कस्बों को शामिल करेगा।
- आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट **शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली।**
- समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी।
- **वित्त वर्ष 2015-16** से, सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण अनुपात 60-40 है, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पर्वतीय राज्यों, जैसे- जम्मू-कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्त पोषण 90:10 है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
  - जिला स्वास्थ्य कार्य योजना।
  - सामुदायिक प्रक्रिया हेतु इसमें महिला आरोग्य समिति और आशा/लिंक कर्मचारी (Link Worker) को शामिल किया गया है।
  - सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के लिए यह शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है।

22.6. जननी सुरक्षा योजना (JANANI SURAKSHA YOJANA)

उद्देश्य

- गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- गर्भवती महिलाएं।
- नवजात शिशु।

प्रमुख विशेषताएं

- JSY एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान प्रसूति पूर्व देखभाल, प्रसव के दौरान संस्थागत देखभाल तथा प्रसूति उपरांत देखभाल के साथ-साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है।
- पात्र गर्भवती महिलाएं सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर **नकद सहायता** की हकदार हैं। इस योजना में माँ की आयु और बच्चों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
- घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता देने वाली गर्भवती **BPL महिलाओं** को उनकी आयु और बच्चों की संख्या से निरपेक्ष, प्रति प्रसव **500 रुपये की नकद सहायता** प्रदान की जाती है।
- निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में विशेष व्यवस्था के तहत **निर्धन गर्भवती महिलाओं** पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- गर्भवती महिलाओं के मध्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance based incentives)** प्रदान किया जाता है।

22.7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JANANI SHISHU SURAKSHA KARYAKRAM)

उद्देश्य

- संस्थागत प्रसव में होने वाले **अधिक खर्च की समस्या का समाधान** करना, क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है।
- गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- प्रसव हेतु सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाली गर्भवती महिलाएं।

प्रमुख विशेषताएं

- **निःशुल्क प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों में (अधिकार आधारित दृष्टिकोण) मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्त आधान, **सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों तक** तथा **सी-सेक्शन (सिजेरियन डिलीवरी) के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार** दिया जाता है। सभी बीमार नवजात और शिशुओं के लिए समान पात्रताएं हैं।
- इसमें घर से स्वास्थ्य केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है।
- यह जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करती है। इसमें **नकद सहायता हेतु कोई घटक नहीं** है।

22.8. प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PRADHAN MANTRI SURAKSHIT MATRITVA ABHIYAAN)

उद्देश्य

- सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- सभी गर्भवती महिलाएं, जो अपनी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी त्रैमासिक अवधि में हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **प्रत्येक माह की 9 तारीख** को सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क, निश्चित दिन को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण **प्रसवपूर्व देखभाल (antenatal care)** प्रदान करना।
- इस अभियान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान एवं उनकी जांच करना है।
- निजी क्षेत्र के डॉक्टर सरकार की इस पहल में सहयोग प्रदान करेंगे। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

22.9. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UNIVERSAL IMMUNIZATION PROGRAMME: UIP)

उद्देश्य

- देश भर के सभी बच्चों को 12 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) से सुरक्षित रखने हेतु नि:शुल्क टीके उपलब्ध कराना।
- प्रतिरक्षण कवरेज में तीव्रता से वृद्धि करना।
- स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय शीत श्रृंखला प्रणाली (Cold chain system) की स्थापना करना।
- टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

- VPD और **ऐडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI)** के लिए निगरानी प्रणाली को सशक्त करना और उसे बनाए रखना।
- UIP में नए और अप्रयुक्त टीकों व प्रौद्योगिकी की शुरुआत एवं और उनके उपयोग में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है।
- इसे वर्ष 1985 में आरंभ किया गया था और यह विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है तथा देश में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान है।
- UIP के तहत, 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध मुफ्त टीके लगाए जाते है: तपेदिक (टी.बी.), डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस-B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप-B के कारण होने वाला निमोनिया और मेनिनजाइटिस, खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और रोटावायरस। (चयनित राज्यों और जिलों में रूबेला, JE और रोटावायरस वैक्सीन)।
- **UIP के तहत प्रदान किए जाने वाले टीके:**
  - **BCG (बेसिल कालमेट-ग्युरिन) वैक्सीन:** यह नवजात शिशुओं को ट्यूबरक्युलर मेनिनजाइटिस और संचारित होने वाले टी.बी. से संरक्षण के लिए दिया जाता है।
  - **OPV (ओरल पोलियो वैक्सीन):** यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस से संरक्षण प्रदान करता है।
  - **हेपेटाइटिस-B वैक्सीन:** यह हेपेटाइटिस-B वायरस संक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है।
  - **पेंटावैलेंट वैक्सीन:** यह पांच रोगों- डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस (काली खांसी), हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप-B, हेपेटाइटिस-B से बच्चों संरक्षण प्रदान करने वाली संयुक्त वैक्सीन है।
  - **रोटावायरस वैक्सीन:** यह रोटावायरस डायरिया के विरुद्ध नवजात शिशुओं और बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। यह चयनित राज्यों में दिया जाता है।
  - **PVC (न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन):** यह नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों से संरक्षण प्रदान करता है। यह चयनित राज्यों में दिया जाता है।
  - **FIPV (आंशिक निष्क्रिय पोलियोमेलाइटिस वैक्सीन) (Fractional Inactivated Poliomylitis Vaccine):** इसका उपयोग पोलियोमेलाइटिस के विरुद्ध संरक्षण बढ़ाने के लिए दिया जाता है।
  - **ख़सरा / एम.आर. वैक्सीन (Measles/ MR vaccine):** बच्चों को ख़सरा से बचाने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में ख़सरा और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए ख़सरा और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है।
  - **JE (जापानी इन्सेफेलाइटिस वैक्सीन):** JE वैक्सीन अभियान के बाद JE के लिए चयनित स्थानीय जिलों में दिया जाता है।
  - **डी.पी.टी. बूस्टर:** डी.पी.टी. {डिप्थीरिया, पर्टुसिस (whooping cough) और टेटनस} एक संयुक्त वैक्सीन है। यह बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और काली खाँसी (पर्टुसिस) से संरक्षित करता है।
  - **टेटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया (TD) वैक्सीन:** टेटनेस टॉक्साइड (TT) वैक्सीन को UIP में TD वैक्सीन से प्रतिस्थापित कर दिया गया है ताकि किशोरों और प्रौढ़ वयस्कों (सभी आयु वर्ग के समूहों के लिए) में डिप्थीरिया के विरुद्ध प्रतिरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके।

नोट: टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से संरक्षित करने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

22.10. मिशन इंद्रधनुष (MISSION INDRADHANUSH)

उद्देश्य

इसका मुख्य लक्ष्य दो वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।

अपेक्षित लाभार्थी

- निम्न टीकाकरण कवरेज वाले स्थानों तथा उन क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जहाँ पहुँचना कठिन होता है और जहाँ ऐसे बच्चों का अनुपात उच्चतम है अर्थात् जिनका या तो पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से ही टीकाकरण हुआ है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- गर्भवती महिलाएं, जिन्हें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

- इसे वर्ष 2014 में, टीकाकरण कार्यक्रम को पुन:सक्रिय करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
- ध्यातव्य है कि UIP के तहत सभी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए जाते है।
- सरकार ने देश भर के 28 राज्यों में उन 201 जिलों को लक्षित किया है, जहाँ आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी।
- मिशन इन्द्रधनुष के कुल छह चरणों को पूरे देश में 554 जिलों को कवर करते हुए पूर्ण किया गया है।
- इस हेतु WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए "कैच अप" अभियान का प्रारंभ।
- **सघन मिशन इन्द्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush: IMI):**

IMI	IMI 2.0	IMI 3.0
इसे वर्ष 2017 में दो वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए आरंभ किया गया था, जो विभिन्न कारणों से UIP में शामिल होने से वंचित रह गए थे।	IMI 2.0 को वर्ष 2019 में सभी उपलब्ध टीकों की असेवितों तक पहुंच सुनिश्चित करने और चिन्हित जिलों और प्रखंडों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज को गति प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।	इसे देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण प्रतिरक्षण (टीकाकरण) कवरेज प्राप्त करने और टीकाकरण प्रणाली के माध्यम से कवरेज को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ फरवरी, 2021 में आरंभ किया गया था। ○ इस मिशन के तहत उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से चूक गए हैं। ○ इसके अतिरिक्त, इसमें प्रवासन क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा। ○ IMI 3.0 के तहत, जिलों को कम जोखिम मध्यम जोखिम; और उच्च जोखिम वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- मिशन इन्द्रधनुष (MI) के प्रथम चरण के पश्चात् से **37.64 मिलियन बच्चों और 9.46 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।**

22.11. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RASHTRIYA KISHOR SWASTHYA KARYAKRAM: RKSK)

उद्देश्य

- **पोषण में सुधार:** किशोर लड़कियों और लड़कों में कुपोषण और न्यून लौह रक्ताल्पता (Iron-Deficiency Anaemia: IDA) के प्रसार को कम करना।
- **यौन और जनन स्वास्थ्य (SRH) में सुधार:** SRH के संबंध में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार करना, किशोर अवस्था में गर्भधारण को कम करना, किशोर माता-पिता को शिशु जन्म, संभावित जटिलताओं और नवजात परिचर्या में माता-पिता की भूमिका की तैयारी कराना।
- **किशोरों में नशाखोरी के दुष्प्रभाव व् दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।**
- **असंचारी रोगों की (NCDs) परिस्थितियों का समाधान करना।**
- **मानसिक स्वास्थ्य का प्रवर्धन।**
- **चोट और हिंसा की रोकथाम।**

प्रमुख विशेषताएं

किशोरों के स्वास्थ्य और विकास से संबंधित आवश्यकताएं

- देश के किशोरों (10-19 वर्ष) की स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना तथा उन्हें पूर्ण करना।

 © Vision IAS

स्क्रीनिंग

- विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसके उपरांत बीमारियों, विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs), का शुरुआती दौर में पता लगाने हेतु उन्हें स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है।

समुदाय-आधारित हस्तक्षेप

- इसके तहत **सहकर्मी शिक्षक (साथिया)** सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे।

साथिया रिसोर्स किट

- **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक को सहयोग प्रदान करने हेतु, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (informed manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति

- इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में मार्गदर्शन करने हेतु, MOHFW ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति** विकसित की है।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS)

- इसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है।
- **लक्ष्य:** 10 से 19 वर्ष की 15 मिलियन किशोरियों और 20 राज्यों के 152 जिलों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

22.12. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RASHTRIYA BAL SWASTHYA KARYAKRAM: RBSK)

उद्देश्य

- 4 D - बच्चों में जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (**D**efects at birth), बीमारी (**D**iseases), न्यूनता (**D**eficiencies) और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रूकावट (Development **D**elays) की शुरुआती पहचान करना तथा इस दिशा में शुरुआती हस्तक्षेप करना।
- नि:शुल्क उपचार तथा चिकित्सीय सहायता प्रदान करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 6 वर्ष तक आयु समूह के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है।
- 18 वर्ष तक के बड़े बच्चे, जो सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में **30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है।** इसके तहत स्क्रीनिंग, **यथाशीघ्र निदान और नि:शुल्क प्रबंधन** परिकल्पित है।
- बाल स्वास्थ्य की जांच **दो स्तरों यथा- सामुदायिक स्तर और सुविधा स्तर पर की जाती है।**
- बीमारियों से पीड़ित बच्चों को **NRHM के तहत तृतीयक स्तर पर सर्जरी, निशुल्क फॉलो-अप प्राप्त होगा।**

22.13 लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल) (LAQSHYA- LABOR ROOM QUALITY IMPROVEMENT INITIATIVE)

उद्देश्य

- प्रसूति गृह तथा प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष (मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर) में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

- प्रसूति गृह तथा प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल से संबंधित, रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मृत्यु, रुग्णता तथा मृत जन्मे शिशुओं की संख्या में कमी लाना। साथ ही सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

शामिल किए गए संस्थान	बहुआयामी रणनीति	गुणवत्ता प्रमाणन
• सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल • सभी जिला अस्पताल एवं समकक्ष स्वास्थ्य सुविधाएं • पहाड़ी और मरुस्थली क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रसव / सभी नामित प्रथम रेफरल इकाइयां (जहाँ प्रति माह कम से कम 60 मामले आते हैं) और हाई केस लोड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)।	• इसमें **अवसंरचना के उन्नयन में सुधार करना, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का क्षमता निर्माण** और प्रसव कक्ष में गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियाओं में सुधार करना शामिल है।	• इस पहल के अंतर्गत **प्रसूति गृहों का गुणवत्ता प्रमाणन करने** तथा रेखांकित लक्ष्यों को पूरा करने वाले सुविधा केंद्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने **की योजना भी बनाई गयी है।**

22.14. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल {SURAKSHIT MATRITVA AASHWASAN (SUMAN) INITIATIVE}

उद्देश्य

- भुगतान रहित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को **सेवाएँ प्रदान करने से मना करने के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति** अपनाना।
- प्रिवेंटेबल मातृ और नवजात मृत्यु (जिन्हें उपचार द्वारा बचाया जा सकता है) को शून्य करना।
- माता और शिशु दोनों को प्रसव/जन्म का सकारात्मक अनुभव प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- गर्भवती महिलाएं, प्रसव के 6 माह बाद तक माताएं और सभी रुग्ण नवजात शिशु नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इनमें शामिल हैं:

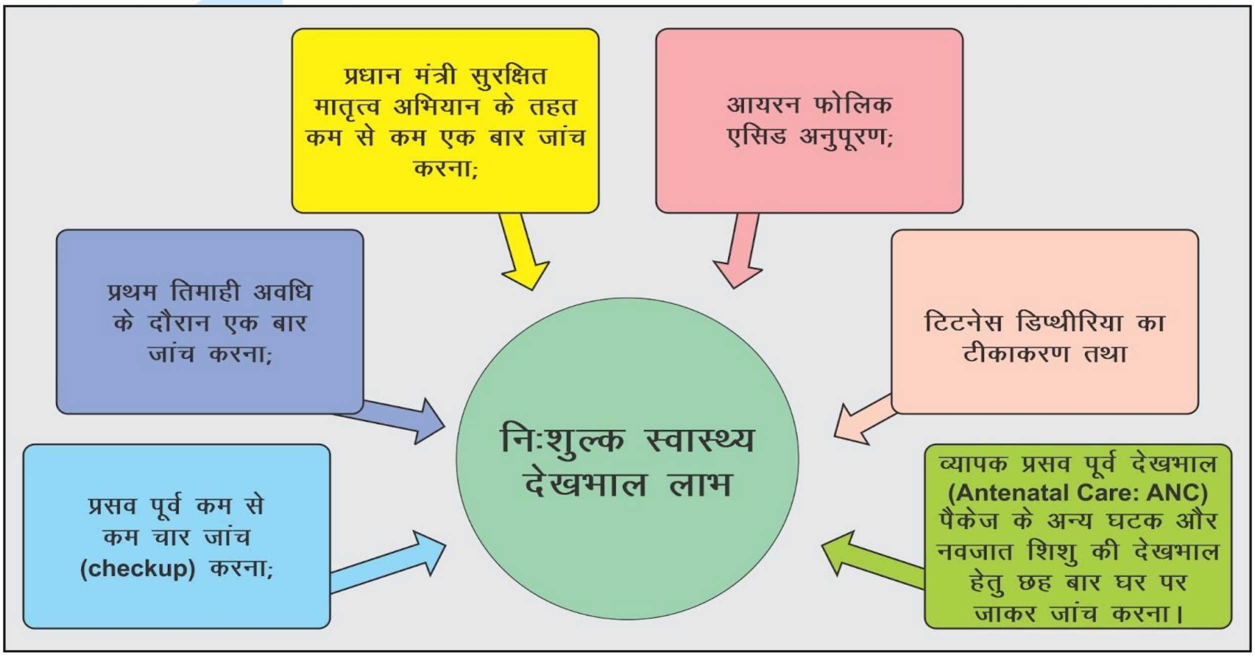

© Vision IAS

- गर्भावस्था के दौरान और उपरांत जटिलताओं की पहचान एवं प्रबंधन करने हेतु **भुगतान रहित पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा।**
- सरकार गर्भवती **महिलाओं को घर से स्वास्थ्य संस्थान तक नि:शुल्क परिवहन की सुविधा** भी प्रदान करेगी।
- किसी भी गंभीर मामले की आपात स्थिति के दौरान एक घंटे के भीतर अस्पताल तक पहुँचाने तथा डिस्चार्ज (न्यूनतम 48 घंटे) के पश्चात् अस्पताल से घर वापस पहुँचाने की सुविधा सहित रेफरल सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- इस योजना के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को **व्यय रहित प्रसव** और जटिलता की स्थिति में सिजेरियन सेक्शन (Caesarean-section) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

22.15. मां का पूर्ण स्नेह (MOTHER ABSOLUTE AFFECTION: MAA)

उद्देश्य

- यह आरंभिक अवस्था में ही कुपोषण की रोकथाम हेतु स्तनपान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम है।

प्रमुख विशेषताएं

- सामुदायिक जागरुकता सृजित करना;
- आशा (ASHA) के माध्यम से अंतर-वैयक्तिक संचार को मजबूत करना;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण बिंदुओं पर स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना तथा इस स्वस्थ परंपरा के लिए उन्हें पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान करना।

22.16. परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना (UMBRELLA SCHEME FOR FAMILY WELFARE AND OTHER HEALTH INTERVENTIONS)

उद्देश्य

- बीमार लोगों की देखभाल से आरोग्य (वेलनेस) की अवधारणा को बढ़ावा देना;
- **आधुनिक गर्भ-निरोधक प्रसार दर (Modern Contraceptive Prevalence Rate : mCPR)** को बेहतर करना;
- परिवार नियोजन में सहायता करना और जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना;
- शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।

अपेक्षित लाभार्थी

- गर्भ-निरोधकों के सामाजिक प्रसार और गर्भ-निरोधकों की नि:शुल्क आपूर्ति जैसे घटकों को विशेष रूप से निम्न आय वाले समूह के लोगों हेतु लक्षित किया गया है। हालांकि, कुल मिलाकर यह योजना किसी विशेष समूह या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है और इसमें संपूर्ण देश की आबादी को समाहित करने का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है, और इसके सभी घटक **100 प्रतिशत** केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के प्रमुख लक्ष्यों (जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है) का समर्थन करना है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप-योजनाएं समाविष्ट हैं:
  - **स्वस्थ नागरिक अभियान (SNA):** इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए एक सामाजिक प्रवृत्ति का निर्माण करना, जागरूकता का सृजन करना तथा बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना है। यह **7 मुख्य क्षेत्रों पर** आधारित है, यथा- स्वच्छ भारत अभियान,

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

संतुलित/स्वस्थ आहार, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन का निषेध, यात्री सुरक्षा (यातायात संबंधी मृत्युओं को रोकना), निर्भय नारी (लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध), कार्यस्थल पर सुरक्षा तथा अन्तःगृहीय (indoor) एवं बाह्य (outdoor) प्रदूषण को कम करना।

- **जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (PRCs):** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा नीतियों से संबंधित अनुसंधान-आधारित इनपुट प्रदान करने के अधिदेश के साथ PRCs के एक नेटवर्क को स्थापित किया गया है।
- **गर्भ-निरोधकों का सामाजिक प्रसार:** इसका उद्देश्य वहनीय मूल्यों पर निम्न आय वाले समूहों के लिए परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री करना है।
- **गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति:** इसका उद्देश्य राज्यों को कंडोम, गर्भ-निरोधक गोलियों, गर्भावस्था परीक्षण किट सहित अन्य गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति करना है।
- **स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (HSHR):** इसका उद्देश्य समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आयोजन सहित संपूर्ण देश और राज्यों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त करना है। NFHS जिला स्तर तक नीति एवं कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाता है।

22.17. मिशन परिवार विकास (MISSION PARIVAR VIKAS)

उद्देश्य

- एक अधिकार आधारित फ्रेमवर्क (ढांचे) के अंतर्गत सूचना, विश्वसनीय सेवा और आपूर्ति आधारित उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच को त्वरित करना।
- वर्ष 2025 तक 2.1 के **रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी** (प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता अर्थात् TFR) लक्ष्य को प्राप्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

- इस पहल का मुख्य रणनीतिक फोकस सुनिश्चित सेवाओं की प्रदायगी, नई प्रोत्साहन योजनाओं के साथ जुड़ना, कमोडिटी सुरक्षा की सुनिश्चितता, सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण, कारगर वातावरण के सृजन के साथ कड़ी निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना है।
- इसके तहत नव-विवाहित दम्पतियों के मध्य **परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पादों वाले किट (नई पहल)** का भी वितरण किया जाएगा।
- इसके द्वारा बंध्याकरण सेवाओं में वृद्धि होगी। विभिन्न उपकेंद्रों पर इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक उपलब्ध होंगे, तथा कंडोम एवं गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जागरुकता का सृजित होगा।
- इसके तहत उच्च **कुल प्रजनन दर (TFR)** वाले सात राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के 146 उच्च प्रजनन जिलों पर फोकस किया जाएगा।

22.18. इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ELECTRONIC VACCINE INTELLIGENCE NETWORK: EVIN)

लक्ष्य

- इसका प्रमुख लक्ष्य राज्य सरकारों को **अवसंरचना, निगरानी और मानव संसाधन** जैसे अवरोधों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता प्रदान कर टीका कवरेज में निहित व्यापक असमानताओं को समाप्त करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- इसका उद्देश्य भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करना है।
- यह भारत में **विकसित एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली** है। यह सभी शीत श्रृंखला पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार और बाजार में उपलब्धता तथा भंडारण तापमान से लेकर मोबाइल और वेब आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए राज्य, जिला और स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स के संदर्भ में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है।

© Vision IAS

22.19. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल (राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस) {NATIONAL DEWORMING INITIATIVE (NATIONAL DEWORMING DAY)}

उद्देश्य

- मृदा संचरित हेल्मिंथ्स (Soil Transmitted Helminths: STH) या आंतों के परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करने हेतु, ताकि वे अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या न बन सकें।

लक्षित लाभार्थी

- 1-19 वर्ष तक की आयु के सभी प्री-स्कूल तथा स्कूल योग्य आयु के (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) बच्चों को कृमि मुक्त करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **शामिल मंत्रालय**
    - **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
    - **शिक्षा मंत्रालय**
    - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
    - **जल शक्ति मंत्रालय**
- इसे स्कूलों और आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- यह **अल्बेंडाज़ोल टैबलेट** के माध्यम से किये जाने वाले सबसे प्रभावी और कम लागत वाले STH उपचार के बारे में जन जागरुकता उत्पन्न करेगी।
- इस पहल में स्वच्छता, साफ़-सफाई, शौचालयों के उपयोग, जूते/चप्पल पहनने, हाथ-धोने आदि से संबंधित **व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं** का उपयोग किया जाता है।
- STH की मैपिंग हेतु नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है।
- 1-19 वर्ष तक के सभी बच्चों में, आँत के कृमि संक्रमण का उपचार करने हेतु इस कार्यक्रम को वर्ष में **एक नियत तिथि** (प्रतिवर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त) को आयोजित किया जाता है।

22.20 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RASHTRIYA AROGYA NIDHI: RAN)

उद्देश्य

- रोगियों को **वित्तीय सहायता प्रदान करना।**

अपेक्षित लाभार्थी

- प्राणघातक रोगों से पीड़ित, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगी।
- **अपात्र (Not included):** सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल परिवार।

प्रमुख विशेषताएं

- RAN को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
- वित्तीय सहायता **'वन टाइम ग्रांट'** (एकमुश्त अनुदान) के रूप में प्रदान की जाती है।
- RAN के तहत सीधे रोगियों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु जिस अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है उसके अधीक्षक को यह सहायता दी जाती है। **सरकारी अस्पताल** में उपचार करवाने पर ही सहायता का लाभ लिया जा सकता है।
- निम्नलिखित 4 विंडो के माध्यम से इसे परिचालित किया जा रहा है - रिवॉल्विंग फंड, डायरेक्ट फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस (प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता), स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड।
- निर्दिष्ट दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना को भी RAN के तहत शामिल किया गया है।

© Vision IAS DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

22.21. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (INTEGRATED DISEASES SURVEILLANCE PROGRAM: IDSP)

उद्देश्य
• इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों (एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़) के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है। इससे रोग के रुझानों की निगरानी की जा सकेगी तथा प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रियात्मक टीम (Rapid Response Team: RRT) द्वारा महामारी के प्रसार के प्रारंभिक विकसित चरण में ही उसका पता लगाकर उचित अनुक्रिया की जा सकेगी।
प्रमुख विशेषताएं
केंद्रीय और राज्य रोग निगरानी इकाई • समय पर निवारक कदम उठाने के लिए एक **पूर्व चेतावनी प्रणाली** स्थापित की गई है। • IDSP के अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर महामारी-प्रवण रोगों पर डाटा एकत्र किया जाता है। **त्वरित प्रतिक्रियात्मक टीम (RRT)** • किसी भी क्षेत्र में किसी रोग में वृद्धि के रुझान देखे जाने पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा उसकी जाँच की जाती है ताकि उसका निदान (डायग्नोसिस) और उसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। **कवर की गई बीमारियों के प्रकार** • यह कार्यक्रम संचारी तथा गैर-संचारी रोगों, दोनों को शामिल करता है। • पशुजन्य (ज़ूनोटिक) रोगों के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है। **IHIP (इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म) के एक भाग के रूप में IDSP का उद्देश्य** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं से, सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर डेटा प्राप्त करना है।

22.22. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (INTENSIFIED DIARRHEA CONTROL FORTNIGHT: IDCF)

उद्देश्य
• संपूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक के प्रयोग के संदर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना। • पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम तथा प्रबंधन हेतु देखभालकर्ताओं में उचित व्यवहार का समावेश करना। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सुभेद्य समुदायों पर विशेष ध्यान देना।
अपेक्षित लाभार्थी
• डायरिया से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
प्रमुख विशेषताएं
• इसमें तीन कार्यवाही फ्रेमवर्क शामिल हैं- ○ **एकजुट करना (Mobilize):** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों (NGO) को एकजुट करना। ○ **निवेश को प्राथमिकता:** सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन हेतु निवेश को प्राथमिकता प्रदान करना। ○ **जन जागरुकता का प्रसार:** राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर ORS तथा जिंक थेरेपी का प्रदर्शन (demonstration) किया जाएगा। • IDCF रणनीति के तीन पहलू हैं, जो इस प्रकार हैं: ○ पारिवारिक स्तर पर ORS और जिंक की बेहतर उपलब्धता तथा उपयोग। ○ डीहाइड्रेशन के मामलों को प्रबंधित करने के लिए सुविधा केंद्र स्तर पर सुदृढ़ीकरण। ○ IEC अभियान के माध्यम से डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के समर्थन तथा इस सन्दर्भ में संचार में वृद्धि।

© Vision IAS

22.23. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NATIONAL VIRAL HEPATITIS CONTROL PROGRAM: NVHCP)

उद्देश्य

- समुदाय में हेपेटाइटिस के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** और जन सामान्य विशेषकर उच्च ज़ोखिम से ग्रस्त समूहों और क्षेत्रों में निवारक उपायों पर बल देना।
- स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर वायरल हेपेटाइटिस का **प्रारंभिक निदान और प्रबंधन प्रदान करना।**
- वायरल हेपेटाइटिस की जटिलता और प्रबंधन के लिए **मानक निदान और उपचार का प्रोटोकॉल विकसित करना।**
- देश के सभी जिलों में, जहां आवश्यक है, वहां वायरल हेपेटाइटिस और इसकी जटिलताओं के प्रबंधन के लिए विस्तृत सेवाएं प्रदान करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था करना, उपलब्ध मानव संसाधनों की **क्षमता विकसित करना और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना**।
- वायरल हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता, निवारण, निदान और उपचार की दिशा में **राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ लिंकेज विकसित करना।**
- वायरल हेपेटाइटिस और रोगोत्तर लक्षण से पीड़ित व्यक्ति की जानकारी संग्रहित करने के लिए **'वेब' आधारित वायरल हेपेटाइटिस सूचना और प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।**

प्रमुख विशेषताएं

लक्ष्य

हेपेटाइटिस का मुकाबला करते हुए **वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश से हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करना।**	**हेपेटाइटिस B और C** अर्थात् सिरोसिस और हेपेटो-सेलुलर कार्सिनोमा (यकृत कैंसर) से संबद्ध **संक्रमित आबादी**, रुग्णता और मृत्यु दर **में उल्लेखनीय कमी करना।**	**हेपेटाइटिस Aऔर E के कारण जोखिम, रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना।**

- **घटक:**

निवारक

- जागरूकता सृजन करना, हेपेटाइटिस B का टीकाकरण (जन्म के समय खुराक, उच्च जोखिम समूह, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता); रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षा; सुरक्षित इंजेक्शन, सुरक्षित सामाजिक-सांस्कृतिक अभ्यास; सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता शौचालय।

निदान और उपचार

- हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन (HBsAg) के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच <80 प्रतिशत संस्थागत प्रसव वाले क्षेत्रों में की जानी चाहिए तथा जन्म पर हेपेटाइटिस B टीकाकरण के लिए संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- हेपेटाइटिस B और C दोनों के लिए नि:शुल्क जांच/स्क्रीनिंग, निदान और उपचार को चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- निदान और उपचार के लिए निजी क्षेत्रक और गैर-लाभांवित संस्थानों के साथ लिंकेज का प्रावधान।

निगरानी और मूल्यांकन (M&E), निगरानी और अनुसंधान

- मानकीकृत नियंत्रण और मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जाएगा तथा एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान (ILBS) और राज्य तृतीयक देखभाल संस्थानों द्वारा समर्थित और NVHCP द्वारा समन्वित होगी।

22.24. विविध पहल (MISCELLANEOUS INITIATIVES)

पहल	प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय अंधता और दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम {National Program for Control of Blindness & Visual Impairment (NPCB&VI)}	• दृष्टिहीनता के प्रसार को 1.4% से घटा कर 0.3% के स्तर तक लाने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1976 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना (वर्तमान में उत्तर-पूर्व के राज्यों हेतु 90:10 तथा अन्य सभी राज्यों हेतु 60:40 के अनुपात में) के रूप में आरम्भ किया गया था। • वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों से संबंधित घटक का एक भाग बना दिया गया है। • NPCB का वर्तमान लक्ष्य वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके 0.3 प्रतिशत तक लाना है। • वर्ष 2017 में, वैश्विक तुलना के लिए दृष्टिहीनता की परिभाषा को परिवर्तित कर इसे WHO द्वारा प्रयुक्त दृष्टिहीनता की परिभाषा के अनुरूप कर दिया गया।
प्रोजेक्ट सनराइज ('Project Sunrise)	• यह **पूर्वोत्तर भारत के लिए AIDS की रोकथाम हेतु** एक विशेष कार्यक्रम है। इसे आठ राज्यों के 20 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करना तथा उन्हें उपचार के अंतर्गत शामिल करना है। • यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत वित्तपोषित है। इसे राज्य एड्स नियंत्रण संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV {National AIDS Control Programme-IV (NACP-IV)}	• **NACP I:** इसे वर्ष 1992 में HIV संक्रमण के प्रसार को मंद करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था, ताकि देश में रुग्णता, मृत्यु दर और एड्स के प्रभाव को कम किया जा सके।
	• **NACP II:** भारत में HIV संक्रमण के प्रसार को कम करने और दीर्घकालिक आधार पर HIV/एड्स के प्रति अनुक्रिया करने संबंधी भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 1999 में आरम्भ किया गया था।
	• **NACP III:** इसे पांच वर्ष की अवधि में महामारी को अवरुद्ध करने और इससे ग्रस्त व्यक्तियों की सुरक्षा एवं देखभाल को सुनिष्चित करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था।
	• **NACP IV**: इसे आगामी पांच वर्षों में सतर्कता और सुस्पष्ट परिभाषित एकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारत में महामारी के विरुद्ध अनुक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने एवं इससे ग्रस्त व्यक्तियों की सुरक्षा एवं देखभाल की प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था। इसके **उद्देश्य हैं:**
	  ○ **संक्रमण के नए मामलों** में 50% तक की **कमी करना** (वर्ष 2007 NCAP III की आधार रेखा की तुलना में)।
	  ○ HIV/एड्स संक्रमित सभी व्यक्तियों को **व्यापक देखभाल और सहायता** प्रदान करना। साथ ही उन सभी के लिए उपचार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

मिशन संपर्क (Mission SAMPARK)	• इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जिनका फॉलो-अप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (ART) सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना अभी शेष है। इसके तहत HIV ग्रस्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान हेतु समुदाय-आधारित परीक्षण किया जाएगा। • **टारगेट 90-90-90 ट्रीटमेंट फॉर आल- यह UNAIDS की एक रणनीति है:**

 © Vision IAS

	○ वर्ष 2020 तक, HIV से प्रभावित लोगों में से 90 प्रतिशत को उनके HIV संक्रमण की जानकारी हो जाएगी। ○ वर्ष 2020 तक, कुल व्यक्ति जिनके HIV संक्रमण की पहचान कर ली गयी है, उनमें से 90 % व्यक्ति को नियमित एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्रदान की जाएगी। ○ वर्ष 2020 तक, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे लोगों में से 90 % व्यक्तियों में वायरल सप्रेशन (रक्त में मौजूद वायरसों की संख्या का इस स्तर तक गिर जाना कि परीक्षण के माध्यम से उसका पता न लगाया जा सके) हो जाएगा।
किफायती दवाएं एवं उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) योजना {Affordable Medicines And Reliable Implants For Treatment (AMRIT) Program}	• AMRIT फार्मेसी के नाम से स्थापित खुदरा दुकानों पर हृदय प्रत्यारोपण के साथ-साथ कैंसर तथा हृदय रोग से संबंधित दवाइयाँ प्रचलित बाजार दरों से 60 से 90 प्रतिशत तक कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। • यह योजना सरकार के स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है। HLL लाइफकेयर लिमिटेड को संपूर्ण देश में अमृत फार्मेसियों की श्रृंखला स्थापित करने और उनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया है। • यह उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल और जानकारी पहुँचाने में मदद करता है, जहां अभी तक इनकी उपलब्धता नहीं है।
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana)	• यह योजना **किफायती स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर** करेगी। इसके साथ ही यह भारत के विभिन्न भागों में AIIMS स्थापित करके तथा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाकर अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल- 2018 (National Health Profile- 2018)	• **उद्देश्य:** इस वार्षिक प्रकाशन का उद्देश्य **भारत की स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का एक डेटाबेस तैयार करना** है, जो व्यापक, अद्यतित और स्वास्थ्य क्षेत्रक के सभी हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ हो। • **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल** के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: जनसांख्यिकी संबंधी सूचना, सामाजिक-आर्थिक सूचना, स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य वित्त संकेतक, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे पर व्यापक सूचना और स्वास्थ्य क्षेत्रक में मानव संसाधन। • इसे **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस (CBHI)** द्वारा तैयार किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपॉजिटरी (National Health Resource Repository: NHRR)	• यह भारत के सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के प्रामाणिक, मानकीकृत और अद्यतित भू-स्थानिक डेटा (Geospatial data) की पहली स्वास्थ्य देखभाल सुविधा रजिस्ट्री है। इसके अंतर्गत अन्य पक्षों के साथ ही अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, चिकित्सकों और फार्मेसियों आदि के डेटा को भी शामिल किया गया है। • NHRR की अवधारणा CBHI द्वारा दी गयी है। डेटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ISRO इस परियोजना का तकनीकी भागीदार है। • सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत अस्पतालों, चिकित्सकों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और नर्सिंग होम जैसे स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को इस गणना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana: NKY)	• भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। • उपचारात्मक सुविधा प्राप्त कर रहे सभी मौजूदा टीबी रोगियों के साथ-साथ 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद दर्ज (अधिसूचित) सभी टीबी रोगी प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु पात्र हैं। इस हेतु रोगी का निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

	• प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नकद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन, टीबी के उपचार की अवधि के दौरान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। • इसका कार्यान्वयन **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के तहत किया जाता है।
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना {Food Safety Mitra (FSM) cheme}	• यह योजना **लघु और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित विधियों का पालन करने** में सहायता प्रदान करने और लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण, स्वच्छता रेटिंग एवं प्रशिक्षण संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए आरंभ की गई है। • **खाद्य सुरक्षा मित्र, खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा वृत्तिक/पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति है** जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों से संबंधित अनुपालन में सहायता करता है। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना निम्नलिखित के लिए प्रावधान करती है: ○ **डिजिटल मित्र:** FSSAI के ऑनलाइन पोर्टल पर खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को उनके अनुपालन संबंधी गतिविधियों में सहायता प्रदान करना। ○ **प्रशिक्षक मित्र:** खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिनियम, विनियमों और कार्यान्वयन के संबंध में FBOs को प्रशिक्षित करना। ○ **स्वच्छता मित्र:** FBOs की स्वच्छता रेटिंग करना।
दक्षता प्रोग्राम (Dakshata Programme)	• यह सक्षम और आत्मविश्वासी प्रदाताओं के माध्यम से **प्रसव के दौरान एवं तत्काल प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मातृ और नवजात देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने** के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक पहल है। • इसका उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना और चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों और ANMs सहित प्रसूति कक्षों (लेबर रूम) के प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है। • इसमें लेबर रूम के प्रदाताओं के लिए क्लिनिकल अपडेट सह कौशल मानकीकरण प्रशिक्षण, पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो-अप और मेंटरिंग सहायता, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में सुधार करना और वितरण केंद्रों पर MNH (मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य) टूल किट का कार्यान्वयन शामिल है।
राष्ट्रीय डेटा गुणवत्ता मंच (National Data Quality Forum: NDQF)	• इसे **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान (ICMR) के राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (ICMR - NIMS) द्वारा जनसंख्या परिषद की साझेदारी में** लॉन्च किया गया था। • इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना है। • यह भारत में डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार पर वार्ता करने हेतु सभी प्रासंगिक हितधारकों, विषय-वस्तु संबंधी विशेषज्ञों, उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं, निर्णय निर्माताओं और डेटा वैज्ञानिकों/विश्लेषकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। • NDQF वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित पहलों से प्राप्त अधिगम को एकीकृत करेगा तथा डेटा संग्रह, भंडारण, उपयोग और प्रसार करने हेतु प्रोटोकॉल और बेहतर पद्धतियों को स्थापित करेगा। ज्ञातव्य है कि इसे स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा पर लागू किये जाने के साथ ही उद्योगों और क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है।
ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात् अनमोल (ANM Online application- ANMOL)	• यह एक टेबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो ANMs को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक आधार सक्षम योजना है।
किलकारी (Kilkari)	• इसके तहत सीधे परिवार के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक भेजे जाते हैं।

ई-रक्तकोष पहल (E-RaktKosh initiative)	• यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से जोड़ती है।

मुस्कान पहल (MusQan initiative)	• इसका उद्देश्य रोकथाम योग्य **नवजात शिशु व बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम** करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल-सुलभ सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है। • इसके तहत **12 वर्ष से कम आयु के बालकों** को लक्षित किया जाएगा। यह मौजूदा **राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक** (National Quality Assurance Standards: NQAS) ढांचे के भीतर एक नई गुणवत्ता सुधार पहल है। ○ NQAS को **सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित** किया गया है। ○ वर्तमान में, NQAS **जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों** के लिए उपलब्ध है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** का लक्ष्य एक निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर **अंतर संचालनीयता** को सक्षम करेगा। इस प्रकार, यह डिजिटल हाईवे के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल पारितंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त करेगा।
  - वर्तमान में, ABDM को **छह संघ राज्यक्षेत्रों में पायलट मोड** में लागू किया जा रहा है।
- **प्रमुख विशेषताएं**
  - इस मिशन में **प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आई.डी.** (पहचान का प्रमाण) आवंटित की जाएगी, जिसका उपयोग उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में किया जाएगा। नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनकी संबंधित स्वास्थ्य आईडी से जोड़ने के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से देखा भी जा सकता है।

- यह मिशन नागरिकों की सहमति से उनके **अधोमुखी स्वास्थ्य रिकॉर्ड** (longitudinal health records: LHR) तक पहुंच तथा उनके आदान-प्रदान को सक्षम करेगा।
- **LHR,** किसी भी देखभाल वितरण संस्था में एक या अधिक बार जाने पर सृजित, रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का **इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड** है।
    - **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR)** और **हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रीज (HFR):** ये आधुनिक एवं पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भंडार के रूप में कार्य करती हैं।
    - ABDM सैंडबॉक्स, प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करेगा।

आरोग्य धारा 2.0

- इस कार्यक्रम को **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** (National Health Authority: NHA) द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)** के अंतर्गत **2 करोड़ लोगों को चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध कराये जाने के उपलक्ष्य में** किया गया था।
    - इसका **उद्देश्य-** लोगों के बीच **AB PM-JAY तक पहुंच को बढ़ावा देना तथा इसके बारे में और अधिक जागरूकता का प्रसार करना है।**
- **NHA द्वारा निम्नलिखित तीन पहले भी आरंभ की गई हैं:**
    - **आयुष्मान मित्र:** इसका उद्देश्य, इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सत्यापन हेतु प्रेरित करने व आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना है।
    - **अधिकार पत्र:** यह AB PM-JAY के लाभार्थियों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक वेलकम नोट (स्वागत पत्र) है।
    - **अभिनंदन पत्र:** यह लाभार्थी को प्रदान किया जाने वाला एक धन्यवाद पत्र है।

भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज- चरण 2
इसके दो घटक हैं:

केंद्रीय क्षेत्रक (CS) घटक- वित्त पोषण और निष्पादन दोनों केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) घटक-** संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा वित्त पोषित परंतु राज्यों द्वारा निष्पादित।
केंद्रीय अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए **बिस्तरों के पुनर्प्रयोजन** हेतु सहायता प्रदान करना।	सभी 736 जिलों में **बाल चिकित्सा इकाइयां** स्थापित करना और प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में **बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को जीनोम अनुक्रमण मशीनें आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जाएगा।	**द्रवीकृत चिकित्सकीय ऑक्सीजन भंडार टैंक** स्थापित करना, **एम्बुलेंस** के मौजूदा बेड़े में वृद्धि करना, कोविड-19 प्रबंधन के लिए **आवश्यक दवाओं** हेतु जिलों को सहायता प्रदान करना आदि।
प्रति दिन 5 लाख टेली-परामर्श (वर्तमान में 50,000 टेली-परामर्श प्रति दिन) प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय ई-संजीवनी टेली-परामर्श संरचना मंच के विस्तार को समर्थन** प्रदान करना।	प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए **स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल इंटर्न एवं अंतिम वर्ष के छात्रों** को शामिल करना।
देश के सभी जिला अस्पतालों में **अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली** के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करना।	
सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, जिसमें कोविड-19 पोर्टल को सुदृढ़ करना शामिल है, आदि।	

© Vision IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT

2 AIR — JAGRATI AWASTHI

3 AIR — ANKITA JAIN

4 AIR — YASH JALUKA

5 AIR — MAMTA YADAV

6 AIR — MEERA K

7 AIR — PRAVEEN KUMAR

8 AIR — JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT

9 AIR — APALA MISHRA

10 AIR — SATYAM GANDHI

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

FOR DETAILED ENQUIRY,
PLEASE CALL: +91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI /VISION_IAS VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /VISIONIAS_UPSC